बिहार सरकार

जिला आपदा प्रबंधन योजना, भोजपुर

बहु–खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना

भोजपुर समाहरणालय, आरा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भोजपुर

जिला आपदा प्रबंधन योजना, भोजपुर

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN, BHOJPUR

बहु–खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना

MULTI-HAZARD ANALYSIS RISK REDUCTION & RESPONSE PLAN

जिला आपदा प्रबंधन योजना, भोजपुर
प्रकाशक : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भोजपुर –802301

सम्पोषणः बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

परिभाषाएँ :

धारा–2 (घ) ''आपदा'' से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएँ या सम्पति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण (व्यापक) का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

धारा–2 (ड.) ''आपदा प्रबंधन'' से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन है –

i. किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण,

ii. किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या उनमें कोई कमी,

iii. क्षमता निर्माण,

iv. किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियाँ,

v. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव

vi. किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण,

vii. निष्क्रमण, बचाव और राहत,

viii. पुनर्वास और पुनर्निर्माण,

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) द्वारा फरवरी 2017 में आपदा न्यूनीकरण के संदर्भ में प्रकाशित कुछ अन्य प्रमाणिक परिभाषायें :–

- **आपदा (Disaster) :** कोई भी समुदाय या समाज की संवेदनशीलता तथा आपदा से मुकाबला करने की क्षमता किसी खतरे के सम्मुख अनावृत (Exposure) होने की स्थिति में इनके बीच अंतक्रिया के फलस्वरूप मानव जीवन या संपत्ति अथवा आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति या संघात (Injury) होने से सामान्य क्रिया कलापों पर गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो जाय उसे आपदा कहते है।
- **खतरा (Hazard) :** कोई ऐसी दुर्घटनायें प्रक्रियायें या मानवीय गतिविधियाँ जो मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य के लिए संघातिक हो अथवा जिनसे संपत्ति या पर्यावरण को नुकासन हो एवं दैन्दिनी समाजिक–आर्थिक क्रिया कलापों में अकस्मात व्यवधान उत्पन्न हो जाय तो इसे खतरा (Hazard) कहा जायेगा। खतरे के प्रकार :–
  - जैविक
  - पर्यावरणीय
  - भू–गर्भीय या भू–भौतिकी
  - जलवायु संबंधी
  - तकनीकी
- **आपदा जोखिम (Disaster Risk) :** किसी व्यवस्था, समाज अथवा समुदाय एवं स्थानिक पर्यावरण की संवेदनशीलता, आपदा से मुकाबला करने की क्षमता तथा प्रभावकता के बावजूद होने वाले मृत्यु, शारीरिक संघात, अथवा संपति विनाश/क्षति की संभावना को आपदा जोखिम कहा जायेगा।
- **स्वीकार्य जोखिम (Acceptable Risk) :** तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों में जिस सीमा तक जोखिम को नजर अंदाज किया जा सकता है उसे ही स्वीकार्य जोखिम (Acceptable Risk) कहेगें।
- **अवशेष जोखिम (Residual Risk) :** जोखिम न्यूनीकरण के लिए यथा संभव जरूरी उपाय करने के बावजूद यदि आपदा जोखिम अवशेष रहे, जिसके लिए आकस्मिक आपदा मोचन अथवा पुनर्प्राप्ति की क्षमता अनिवार्य रूप से हासिल कर ली गई हो तो ऐसे जोखिम को अवशेष जोखिम कहा जायेगा।
- **आपदा जोखिम शासन (Disaster Risk Governance) :** जिन संस्थानों, प्रक्रियाओं नीतियों, नियम–कानून तथा अन्य व्यवस्थाओं के बीच एक प्रभावी सांमज्यस्य के साथ आपदा जोखिम का सफलता पूर्वक निषेधीकरण अथवा न्यूनीकरण को तत्पर व्यवस्था को आपदा जोखिम शासन कहेंगे।
- **आपदा जोखिम सूचना (Disaster Risk Information) :** आपदा जोखिम के सभी आयामों सहित किसी खतरे के दायरे में अवस्थित संवेदनशील समूह संपत्ति या प्रभावित होने वाले व्यक्ति, समूह, संस्थान या राज्य एंव उनकी परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारियों को आपदा जोखिम सूचना कहा जायेगा।
- **आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management) :** नये आपदा जोखिम का निषेधीकरण, वर्तमान जोखिम का न्यूनीकरण तथा अवशेष आपदा जोखिम का प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों तथा रणनीतियों का प्रयोग करते हुये आपदा क्षति में कमी लाना तथा आपदा से मुकाबला करने की शक्ति में अभिवृद्धि करना ही आपदा जोखिम प्रबंधन है।
- **संवेदनशीलता (Vulnerability) :** किसी व्यक्ति समुदाय संपत्ति या व्यवस्था को परिस्थिति विशेष में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय कारणों अथवा प्रक्रियाओं के चलते उत्पन्न खतरों की विभिषिका से मुकाबला करने को विवश होना पड़े तो इस संवेदनशीलता कहते है।
- **क्षमता (Capacity) :** किसी संस्था, समुदाय या समाज के पास उपलब्ध संसाधन, शक्ति तथा अन्य विशेषताओं (attributes) जिसका उपयोग कर आपदा जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। उसे क्षमता कहते हैं।
- **आपदा से मुकबला करना (Coping Capacity) :** किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था के द्वारा उनके पास उपलब्ध कौशल एवं संसाधन का उपयोग करते हुये विपरीत परिस्थितियों में आपदा जोखिम से मुकबला करने की क्षमता आयाम लेती है।

राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पड़ाव

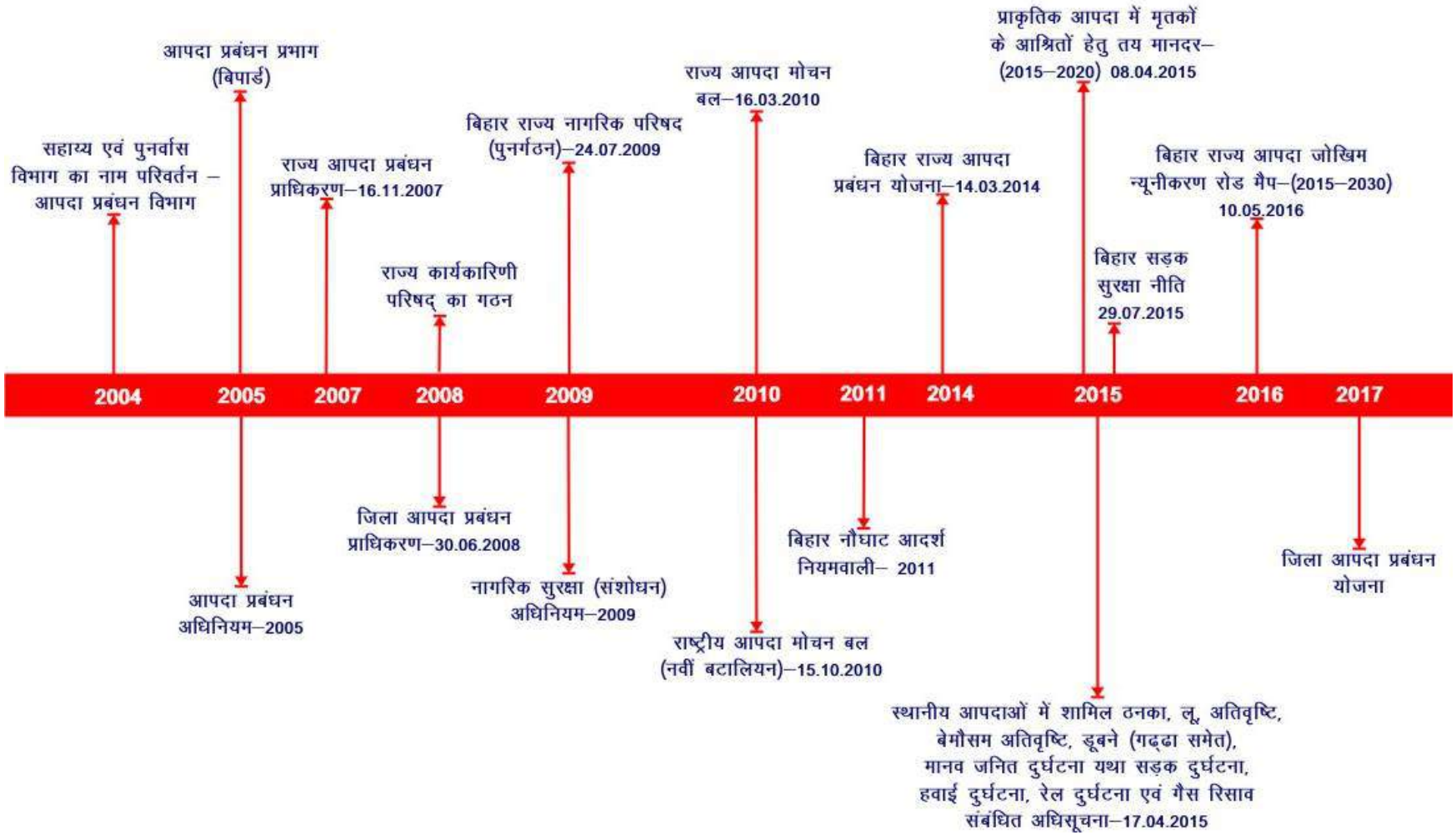

बहु–खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना
अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ट सं॰
	कार्यकारी सारांश Executive Summary	
1	**परिचय** **Introduction** 1.1 उद्देश्य 1.2 योजना का कार्यक्षेत्र 1.3 योजना निर्माण पद्धति 1.4 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व 1.5 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरन 1.6 योजना का प्रयोग	1–9
2	जिले का परिचय District Profile 2.1 ऐतिहासिक 2.2 प्रशासनिक 2.3 भौगोलिक 2.4 जलवायु 2.5 वर्षापात 2.6 जनसंख्या 2.7 पशुपालन 2.8 प्राकृतिक संसाधन 2.9 भूमि उपयोग, कृषि और सिंचाई पद्धतियां 2.10 प्रमुख नदियाँ 2.11 जलवायु 2.12 सिंचाई 2.13 भूमि 2.14 मिट्टी 2.15 उद्योग एवं खनिज 2.16 परिवहन 2.17 रेल/सड़क यातायात 2.18 वन 2.19 अग्निशमन 2.20 भूगर्भ जल संसाधन	10–23
3	**खतरा, जोखिम, सवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण** **Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis** 3.1 जिला में संभावित खतरों का पार्श्व चित्र 3.2 संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण 3.3 क्षमता विश्लेषण 3.4 मैक्रो विश्लेषण	24–56

4	**संस्थागत ढाँचा** **Instituional Arrangement** 4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4.2 पंचायतें 4.3 समुदाय आधारित संगठन 4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 4.5 समन्वय तंत्र	57–64
5	**आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय** **Prevention, Mitigation and Preparedness Measures** 5.1 विभाग/एजेंसी का विशिष्ट कार्य 5.2 सभी विभाग एजेंसी के लिए कार्य 5.3 विभागों/एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य 5.4 विशेष संरचनाओं की तैयारी	65–103
6	**क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण** **Capacity Building and Training** 6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण 6.2 समुदाय–समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित 6.3 पेशेवर विशेषज्ञ 6.4 प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सुविधा 6.5 जागरूकता सृजन	104–109
7	**प्रत्युत्तर योजना** **Response Planning** 7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया (हादसा कमान अधिकारी) 7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य 7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक 7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र	110–126
8	**पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति** **Reconstruction, Rehabilitation and Recovery** 8.1 क्षति आकलन 8.2 पीड़ितो को राहत 8.3 आधार भूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन 8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण	127–130
9	**बजट एवं वित्तीय संसाधन** **Budget and Financial Resources** 9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ/कार्यक्रम 9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम 9.3 अन्य श्रोत	131–132
10	**अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण** **Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP** 10.1 योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन	133–135

(सारणी)

1	सारणी – (2.1) जिले में वर्षापात की स्थिति	13
2	सारणी – (2.2) जनसंख्या विवरण	13
3	सारणी – (2.3) ग्रामीण एवं शहरी परिप्रेक्ष्य में	13
4	सारणी – (2.4) प्रखंडवार पंचायतयों की संख्या एवं जनसंख्या विवरणी	14
5	सारणी – (2.5) 2012 में हुई पशु गणना कें आधार पर पशुओं की संख्या	14
6	सारणी– (2.6) भोजपुर, बिहार में कृषि मौसमः	15
7	सारणी– (2.7) नलकूपों का विवरण	16
8	सारणी– (2.8) मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम और कारीगर इकाइयां	17
9	सारणी– (2.9) बिहार में जिला वन आवरण	19
10	सारणी– (2.10) प्रखण्डवार भूजल की उपलब्धता	21
11	सारणी– (2.11) भोजपुर जिले के भूजल विकास का प्रखंडवार चरण	21
12	सारणी– (3.1) बिहार के बड़े भूकम्प	26
13	सारणी– (3.2) प्रमुख नदी के उच्चतम जल स्तर का डाटा	28
14	सारणी– (3.3) सुखे की स्थिति : भोजपुर (1966–2015)	29
15	सारणी – (3.4) भोजपुर जिला अंतर्गत कार्यरत अद्यतन बलों का संख्या	31
16	सारणी – (3.5) जिला अंतर्गत वर्षवार अग्निकांडों का आंकड़ा	31
17	सारणी – (3.6) भोजपुर जिला अंतर्गत वर्षवार मॉक ड्रील का आंकड़ा	31
18	सारणी – (3.7) भोजपुर जिला अंतर्गत वर्षवार फायर ऑडिट का आंकड़ा	31
19	सारणी – (3.8) डूबने की घटनाएँ	35
20	सारणी – (3.9) भोजपुर में वज्रपात से मृत्यु :	40
21	सारणी – (3.10) जिला अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से मृत व्यक्तियों की संख्यात्मक विवरणी	41
22	सारणी – (3.11) उच्चशक्ति हवा संवेदनशीलता	42
23	सारणी – (3.12) जिले में भू–गर्भीय जल की गुणवत्ता	43
24	सारणी – (3.13) जिलावार सामान्यीकृत संवेदनशीलता सूचकांक	51
25	सारणी – (3.14) जिले के विभिन्न विभाग/एजेन्सी के पास उपलब्ध संसाधन	54
26	सारणी – (3.15) पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन का वर्गीकरण	55
27	सारणी – (5.1) प्रदूषण मापने के स्कोर	97
28	सारणी – (5.2) प्रदूषण के स्तर का वर्गीकरण :	99

अनु.सं.	अनुलग्नक–अनुक्रमनिका	पृष्ट सं.
1	मुकम्परोधी मकान के निर्माण हेतु प्रशिक्षण में भाग लेने वाले राजमिस्त्रियों की सूची	136–167
2	"सुरक्षित तैराकी " अन्तर्गत मास्टर ट्रैनर्स का प्रशिक्षण में भाग लेने वालें की सूची	168
3	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर मुखिया, सरपंच पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लेने वालें की सूची	170
4	नाविक एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण में भाग लेने वालें की सूची	172
5	बाढ़ के मद्देनजर चयनित शरण स्थलों की अंचलवार सूची	173

संक्षिप्तियाँ

- **ए.आई.डी.एम.आई** – ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीच्यूट
- **ए.टी.एल.एस.** – एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सप्पोर्ट
- **ए.टी.आई** – एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट
- **बी.एस.डी.एम.ए.** – बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी
- **बिपार्ड** – बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन्स एडं रूरल डेवलपमेंट
- **बी.एम.टी.पी.सी.** – बिल्डिंग मैटिरियलस एंड टैक्नोलॉजी प्रोमोशन काउंसिल
- **बामेती** – बिहार एग्रिकल्चर मार्केटिंग एक्टेन्सन एंड ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट
- **सी.बी.डी.एम.** – कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैंनेजमेंट
- **सी.बी.डी.पी.** – कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनैस
- **सी.एल.डब्ल्यू.** – कम्युनिटी लेवल वर्कर
- **सी.पी.सी.** – कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंसलटेंट
- **डी.ई.ओ.सी.** – डिस्ट्रीक्ट इमरजेंसी आपरेसन सेन्टर
- **डी.आर.आर.** – डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
- **डी.डी.एम.ए.** – डिस्ट्रीक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी
- **ई.आर.सी.** – ऐमरजेंसी रिस्पॉन्स सेन्टर
- **जी.आई.एस.** – जियोग्राफिक इंफोरमेशन सिस्टम
- **एच.पी.सी.** – हाई पावर्ड कमेटी
- **एन.डी.एम.ए.** – नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी
- **एन.डी.आर.एफ.** – नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
- **एन.जी.ओ.** – नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
- **निनी** – नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीच्यूट
- **एन.आई.डी.एम.** – नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट
- **पी.आर.आई.** – पंचायती राज इंस्टीट्यूशन
- **एस.एच.जी.** – सेल्फ हैल्प ग्रुप
- **एस.टी.एफ.** – स्पेशल टॉस्क फोर्स
- **एस.डी.आर.एफ.** – स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
- **एस.ओ.पी.** – स्टैडंर्ड ऑपरेंटिंग प्रोसिजर
- **यू.एल.बी.** – अर्बन लोकल बॉडी
- **यू.एन.डी.पी.** – यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
- **क्यू.आर.टी.** – क्वीक रिस्पॉन्स टीम
- **डब्ल्यू. एच.ओ.** – वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन
- **यशदा** – यशवंतराव चह्वाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिसट्रेशन

संदर्भ

REFERENCES

- Bihar State Disaster Management Authority–2013, Mass Gathering Event Management : A case study of Chhath Pooja, Patna.
- Bihar State Disaster Management Authority – 2013-16 Table Top Calander.
- BSDMA– Website : www.bsdma.org, Training Modules
- BSDMA–2017, Heat Wave action Plan.
- Bihar State Pollution Control Board
- BSDMA–2017, मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (क्रियान्वयन दस्तावेज),
- BSDMA–2017,डूबने की घटनाओं की रोकथाम एवं कमी लाने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना
- Disaster Management Dept. GoB,– Website: www.disastermgmt.bih.nic.in, Standard Operating Procedures (SOPs).
- Department of Labour Resources, Bihar
- Flood Management Information System– Website : www.fmis.bih.nic.in.
- Govt. of Bihar – (2015-16 & 2016-17), Economic Survey.
- Govt. of Bihar, Disaster Management Dept. –2014,Bihar State Disaster Management Plan.
- Govt. of India– 2016, National Disaster Response Plan.
- Govt. of India, –2011, Ministry of Home Affairs, Census of India.
- Govt. of Bihar, Disaster Management Dept. – 2016, Damage Scenario - In Various Districts.
- Govt. of India–2007, BMTPC, (First Revision), Vulnerability Atlas of India.
- Govt. of India –2016, Ministry of Transport, Road Accidents in India/Bihar.
- Hari Narayan Srivastava & Rajendra Pd.– Prakritik Aapdayan Evam Bachao.
- IGNOU– 2012, Aapda Prabhandhan Mein Aadhar Pathyakram.
- IGNOU –2012, Understanding Natural Disaster.
- Ministry of Home Affairs – 2015, Disaster Risk Reduction : The Indian Model.
- Ministry of Agriculture & Cooperation, GoI–2001 High Powered Committee on Disaster Management.
- NCERT, Geography of India.
- NDMA–Website:www.ndma.gov.in
- National Institute of Disaster Management – April 2010, Journal, Disaster & Development.
- NIDM–Website : www.nidm.gov.in
- National Remote Sensing Centre & BSDMA –2012, Flood Hazard Atlas for Bihar.
- Radha Kant Bharti, NBT –2015, Rivers in India.
- State Environment Impact Assessment Authority– Website : www.seiaabihar.org

+ + + + + +

भोजपुर जिला आपदा प्रबंधन योजना

अध्याय : 1

परिचय (Introduction) : भोजपुर का उदय सन 1972 मे हुआ । इसके पूर्व यह शाहाबाद जिला का हिस्सा था । सन 1972 मे शाहाबाद जिला दो भागो मे बंट गया भोजपुर और रोहतास । बक्सर तब भोजपुर का एक सब डिवीजन था । सन 1992 मे भोजपुर पुनः बंटा और बक्सर एक स्वतंत्र जिला बन गया । भोजपुर जिला के तीन सब डिवीजन हुए आरा सदर , जगदीशपुर और पीरो । आरा शहर भोजपुर का प्रमुख शहर बन गया और जिला का हेड क्वाटर भी है।

भोजपुर उत्तर मे सारण और बलिया(ऊ. प्र) , दक्षिण मे रोहतास , पूर्व मे पटना एवं पश्चिम मे जहानाबाद एवं अरवल जिला से घिरा है ।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप

तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन सेंडई, जापान में मार्च 2015 में आयोजित हुआ था, जिसमें विश्व के 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में वर्ष 2015 से वर्ष 2030 तक लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु चार प्राथमिकतायें एवं सात लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। उसके आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा 10.05.2016 को "बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015–2030" शीर्षक से एक राज्यादेश अधिसूचीत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्राथमिकताओं को हासिल करने में यह जिला आपदा प्रबंधन योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी–

- आपदा जोखिम की समझ विकसित करना।
- आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण का निवेश।
- प्रभावी रिस्पॉन्स के लिए पूर्व तैयारियों को प्रोत्साहन तथा ''पूर्व से बेहतर'' पुनर्वासन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण।

भोजपुर जिले में पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मौजूद विभिन्न प्रकार की आपदाएँ, इन आपदाओं का इतिहास, आपदाओं के दरम्यान किए गए प्रत्युत्तर (समुदाय/सरकारी), तत्कालीन एवं आज का आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय अनुभव, इस स्तर पर किए गए अच्छे व्यवहार, उपलब्ध संसाधन एवं जोखिम विश्लेषण आदि से इस योजना को दृष्टि मिली और इसके उपरांत जिले का आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य निर्धारित किया जा सका है। योजना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार, भागीदारी एवं समावेशी रहा, जिससे योजना को अधिकतम व्यापक बनाया जा सका है। योजना की पहुँच उस व्यक्ति तक ले जाने की है, जो सीधे आपदा से प्रभावित होता है। 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों से सीधे वार्ता एवं अंतःक्रिया ने इसे सम्पुष्ट किया है।

1.1 जिला आपदा प्रबंधन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है (Main Objectives) :

- जिले के मुख्य जोखिम तथा इन जोखिम से प्रभावित होने वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- सभी सरकारी विभागो के सामंजित प्रयास से इन आपदाओं का निषेधीकरण तथा दुष्प्रभावों का न्यूनीकरण ।
- आपदा पूर्व तथा आपदा के समय एवं पश्चात् सभी हितधारकों के दायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्धारण तथा उनका नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से करना।
- जिलान्तर्गत प्रभावित समूहो क बीच जोखिम का सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्द्धन सुनिश्चित करना।
- यथोचित योजना बनाकर सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्तियों, विशेषकर महत्वपूर्ण जन सुविधाओं तथा अंतः संरचनाओं की आपदा क्षति में कमी लाने का प्रयास करना।
- जिलान्तगर्त आगामी विकास कार्यो के लिए प्राकृतिक आपदा जोखिम के दुष्प्रभावों में कमी लाना।
- जिलास्तर पर प्रभावी तौर पर खोज, बचाव तथा प्रत्युत्तर कार्यो का संचालन हेतु एक व्यापक आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) की स्थापना।
- आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एक प्रमाणिक, तंत्र का विकास करना।
- पूर्व सूचना तंत्र की स्थापना करना ताकि हितधारकों को आपदा जोखिम का सामना करने के लिए तैयार किया जाए तथा सूचना का आदान–प्रदान प्रभावी ढंग से हो सके।

- जिला में सूचना, शिक्षा तथा संचार का उपयोग कर आपदा से निष्प्रभावी रहने वाली निर्माण प्रक्रिया का अनुपालन करना तथा आपदा रोधी विकास के लिए समाज में जागरूकता फैलाना।
- आपदा प्रबंधन में मिडिया का उपयोग करने के उपायों को सुदृढ़ करना।
- जिलास्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा आपदा से प्रभावित जनता के पुनर्वास की योजना बनाकर कालबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना।

1.2 योजना का कार्यक्षेत्र (Scope of the Plan) : आपदा प्रबंधन योजना के दायरे में संपूर्ण भोजपुर जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2355 वर्ग किलोमीटर है तथा 2011 की जनगणना में इसकी आबादी 27.28 लाख है, को लिया गया है। इस जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय, पंचायती राज्य संस्थायें यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा शहरी निकाय आते हैं। इस जिले के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में यूनिसेफ तथा कई अन्य स्वयं सेवी संस्थायें काम कर रही है।

योजना बनाने के क्रम में जिन बातों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया, उनमें निम्नांकित मुख्य है :–

1. आपदा प्रबंधन योजना का निरूपण करते समय यहाँ जितने भी सरकारी/गैर सरकारी हितधारक हो सकते है, से संपर्क कर उनसे उनके द्वारा पूर्व में किए गये पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर, खतरो का चिह्नीकरण, पुर्नप्राप्ति (रिकवरी), शमन के अनुभवों को शामिल किया गया है।
2. इस क्रम में विभिन्न धार्मिक स्थलों, मेले, बड़े–बड़े सभा स्थल आदि को भी संवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है।
3. जिले में सड़क दुर्घटना आपदा का स्वरूप लेने लगी है। अतः योजना में सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा को शामिल किया गया है।
4. लिंगीय मुद्दे आपदा प्रबंधन में महत्व के हो जाते है। इनकी संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब महिलाएँ गर्भवती होती है या इनके गोद में बच्चे होते है। अतः योजना बनाने के क्रम में लिंगीय मुद्दे भी शामिल है।
5. जलवायु परिवर्तन को भी योजना निर्माण के क्रम में दृष्टिगत रखा गया क्योंकि हमारे दैनिक जीवन को यह भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षापात, सूखाड़, तापक्रम में वृद्धि इत्यादि परिलक्षित हो रहा है।
6. वज्रपात,हाल के वर्षों में अकस्मात दुर्घटना के रूप में उभर कर आयी है। इसके संबंध में भी 5 प्रतिशत पंचायत के ग्रामीणों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की गयी।
7. हाल के वर्षों में नीलगाय/सुअर का प्रकोप किसानों को झेलना पड़ा हैं। कुछ किसानों ने तो कुछ खास फसल लगाना ही छोड़ दिया और इस प्रकार आपदा का यह स्वरूप भी एक समस्या के रूप में उभर कर आया है।
8. इसके अतिरिक्त, आवश्यक सेवाओं को निरन्तर बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं यंत्र–सयंत्र के रखरखाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास को ध्यान में रख कर योजना निर्माण किया गया है।
9. आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं एकीकरण की आवश्यकता होती है। योजना निर्माण के क्रम में सभी स्तरों पर इसे अपनाने के प्रयास किए गए है।
10. योजना बनाने के क्रम में आकस्मिक एवं सबसे बुरी स्थिति का आकलन कर, आकस्मिक योजना की तैयारी की गई है। इस योजना में अस्पताल, स्कूल, औद्योगिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है।

1.3 योजना बनाने की पद्धति (Plan Development Methodology) :

1.3.1 जिले में कार्यरत आपातकालीन सेवा प्रदाता : इस जिले में आपदा के दौरान विभिन्न आकस्मिक सेवाओं के लिए निम्न सरकारी कार्यालय जिला स्तर पर कार्यरत हैं जिनकी भूमिका – आपदा पूर्व तैयारी, आपदा मोचन, राहत एवं बचाव, आवश्यक सेवाओं का पूणर्स्थापन तथा पूणर्निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है :–

- जिला समाहर्त्ता, भोजपुर
- जिला परिषद्, भोजपुर
- पुलिस अधिक्षक, भोजपुर
- उप विकास आयुक्त, भोजपुर
- असैनिक शल्य चिकित्सक, भोजपुर
- वरीय अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन), भोजपुर
- नगर पंचायत– सदर आरा , बिहियां , कोइलवर , पीरो, जगदीशपुर ,शाहपुर

- जिला दूरसंचार केन्द्र, भोजपुर
- पावर होल्डिंग लि॰ कार्यालय, भोजपुर
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रंमडल, भोजपुर
- बाढ नियंत्रण प्रंमडल भोजपुर आरा
- पथ निर्माण प्रंमडल, भोजपुर
- भवन निर्माण प्रंमडल, भोजपुर
- जिला जनसंपर्क कार्यालय, भोजपुर
- जिला कृषि पदाधिकारी का कार्यालय, भोजपुर
- जिला पशुपालन कार्यालय, भोजपुर

1.3.2 योजना निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति (Methodology) : जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में ''बॉटम अप'' योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें जिला से नीचले स्तर तक वास्तविकता से परिचय कराया गया है तथा उसके उपरांत नीचे से उपर की ओर (पंचायत– प्रखंड–अनुमंडल–जिला) जोखिम, खतरों एवं सवेदनशीलता की पहचान की गयी है। योजना की सामग्री मुख्य रूप में दो श्रोतों प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतों से एकत्रित की गई । योजना की सामग्री के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं से जुड़े विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे महत्वपूर्ण विमर्श किये गये । साथ हीं जिले के 5 प्रतिशत पंचायतों का भ्रमण कर हितधारकों से सीधा संपर्क भी स्थापित किया गया। इस योजना के निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति, दृष्टिकोण एवं प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन नीचे प्रस्तुत है।

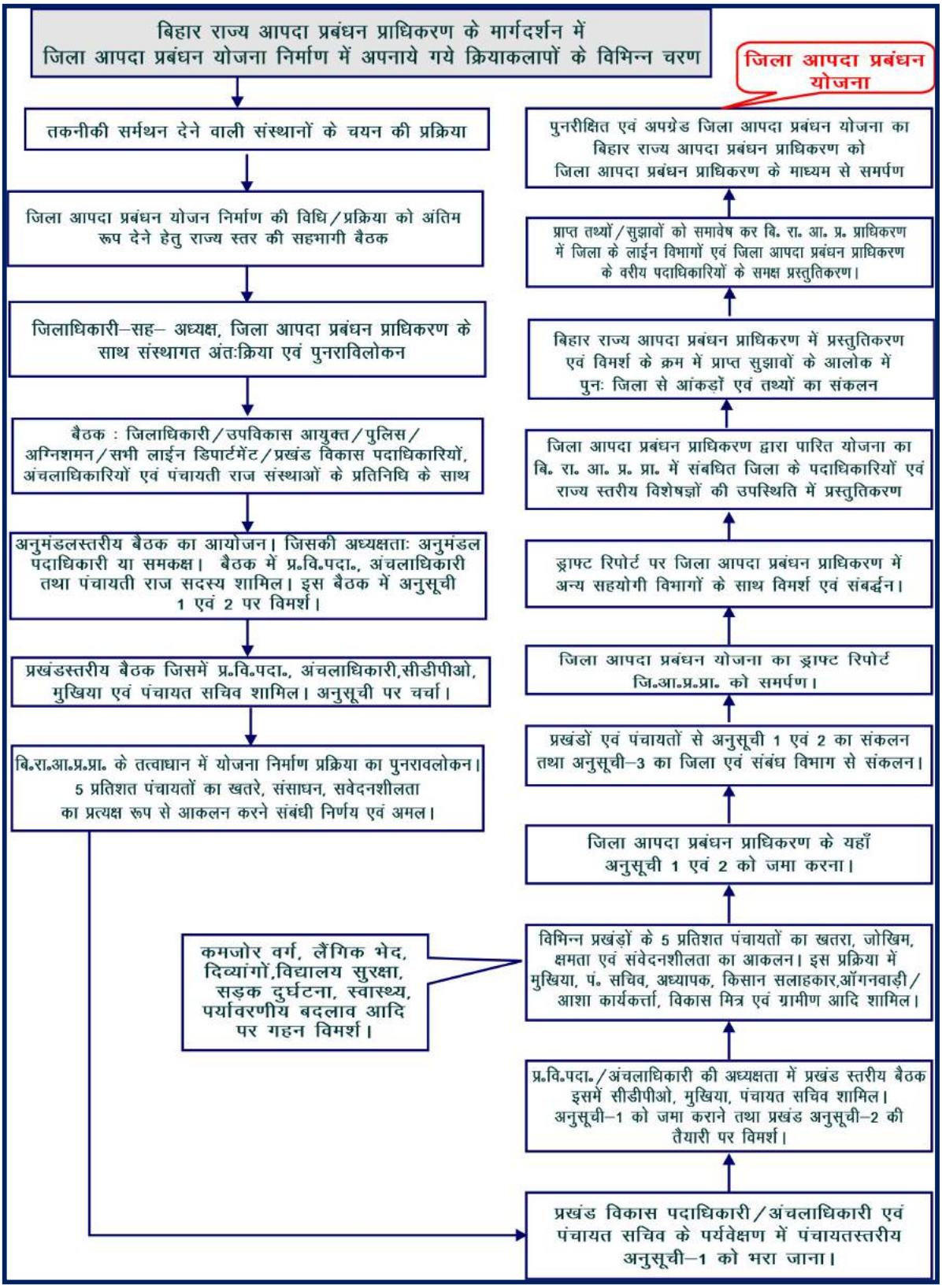
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में
जिला आपदा प्रबंधन योजना निर्माण में अपनाये गये क्रियाकलापों के विभिन्न चरण
जिला आपदा प्रबंधन योजना
तकनीकी सर्मथन देने वाली संस्थानों के चयन की प्रक्रिया
जिला आपदा प्रबंधन योजन निर्माण की विधि/प्रक्रिया को अंतिम रूप देने हेतु राज्य स्तर की सहभागी बैठक
जिलाधिकारी–सह– अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ संस्थागत अंतःक्रिया एवं पुनराविलोकन
बैठक : जिलाधिकारी/उपविकास आयुक्त/पुलिस/अग्निशमन/सभी लाईन डिपार्टमेंट/प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि के साथ
अनुमंडलस्तरीय बैठक का आयोजन। जिसकी अध्यक्षताः अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष। बैठक में प्र.वि.पदा., अंचलाधिकारी तथा पंचायती राज सदस्य शामिल। इस बैठक में अनुसूची 1 एवं 2 पर विमर्श।
प्रखंडस्तरीय बैठक जिसमें प्र.वि.पदा., अंचलाधिकारी,सीडीपीओ, मुखिया एवं पंचायत सचिव शामिल। अनुसूची पर चर्चा।
बि.रा.आ.प्र.प्रा. के तत्वाधान में योजना निर्माण प्रक्रिया का पुनरावलोकन। 5 प्रतिशत पंचायतों का खतरे, संसाधन, सवेदनशीलता का प्रत्यक्ष रूप से आकलन करने संबंधी निर्णय एवं अमल।
कमजोर वर्ग, लैंगिक भेद, दिव्यांगों,विद्यालय सुरक्षा, सड़क दुर्घटना, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय बदलाव आदि पर गहन विमर्श।
पुनरीक्षित एवं अपग्रेड जिला आपदा प्रबंधन योजना का बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से समर्पण
प्राप्त तथ्यों/सुझावों को समावेष कर बि. रा. आ. प्र. प्राधिकरण में जिला के लाईन विभागों एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रस्तुतिकरण एवं विमर्श के क्रम में प्राप्त सुझावों के आलोक में पुनः जिला से आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पारित योजना का बि. रा. आ. प्र. प्रा. में संबधित जिला के पदाधिकारियों एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण
ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अन्य सहयोगी विभागों के साथ विमर्श एवं संबर्द्धन।
जिला आपदा प्रबंधन योजना का ड्राफ्ट रिपोर्ट जि.आ.प्र.प्रा. को समर्पण।
प्रखंडों एवं पंचायतों से अनुसूची 1 एवं 2 का संकलन तथा अनुसूची–3 का जिला एवं संबंध विभाग से संकलन।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के यहाँ अनुसूची 1 एवं 2 को जमा करना।
विभिन्न प्रखंड़ों के 5 प्रतिशत पंचायतों का खतरा, जोखिम, क्षमता एवं संवेदनशीलता का आकलन। इस प्रक्रिया में मुखिया, पं. सचिव, अध्यापक, किसान सलाहकार,ऑगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्ता, विकास मित्र एवं ग्रामीण आदि शामिल।
प्र.वि.पदा./अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय बैठक इसमें सीडीपीओ, मुखिया, पंचायत सचिव शामिल। अनुसूची–1 को जमा कराने तथा प्रखंड अनुसूची–2 की तैयारी पर विमर्श।
प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं पंचायत सचिव के पर्यवेक्षण में पंचायतस्तरीय अनुसूची–1 को भरा जाना।

1.4 **जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन (Implementing DDMP) :** इस जिले के लिए तैयार की गयी योजना की पूरी जिम्मेवारी जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी। इसके कार्यान्वयन में प्राधिकार के सदस्य, इस संबंध में गठित विशेष कमिटि तथा लाइन विभाग से सहयोग लिया जाना है। जिला के समक्ष खतरे, जोखिम से उत्पन्न होने वाली सभी संभावित आपदाओं से संबंधित निषेधीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर एवं पुर्नस्थापन के कार्यों का दायित्व होगा। उपर्युक्त विषयक कार्यों को आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद में विभाजित कर सुनियोजित ढंग से संपन्न कराया जायेगा। आपदा के पूर्व में पिछली घटनाओं का अवलोकन तथा उससे प्राप्त सीख को संधारित किया जायेगा। जबकि आपदा के दौरान पूरे जिले में की जाने वाली प्रत्युत्तर के कार्य को इस योजना में वर्णित जरूरी कदम तथा काल विशेष को देखते हुए अन्य किये जाने वाले उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभिन्न कार्यों के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त होगा ताकि समन्वय बना रहे। इसी प्रकार से आपदा के बाद पुर्नवापसी तथा पुर्नस्थापन के कार्यों को संचालित किया जायेगा तथा प्रभावित परिवार अपने घर को वापस लौट सके। सारी प्रक्रियाओं को सम्पन्न कराने में जिला आपदा संचालन केन्द्र 24 घंटे विभिन्न 'शिफ्ट' में कार्य करेगा।

जिले से संबंधित जिलाधिकारी आपदा कमान अधिकारी (इन्सिडेंट कमांडर) होगे तथा उन्हीं की अनुमति से जिला आपदा प्रबंधन को सुचारू ढंग से लागू किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन योजना/मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ अंतराल पर विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का स्थानांतरण होता रहता है।

1.4.1 मुख्य हितधारक एवं उनकी भूमिका :

क्र॰	स्तर	हितधारक समूह	कार्य	दायित्व
01	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति	आपदा प्रबंधन	तत्कालीन मुखिया
		ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव समिति	खोज एवं बचाव	मुखिया एवं एस॰ डी॰ आर॰ एफ॰
		ग्राम पंचायत प्राथमिक चिकित्सा समिति	प्राथमिक सहायता एवं प्राथमिक कीट की तैयारी	ए॰पी॰एच॰सी॰ एवं रेड क्रॉस
		ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति	स्वच्छता एवं पेय जल	निर्मल भारत अभियान दल
		ग्राम पंचायत आश्रय एवं इवैकुएशन दल	आश्रय स्थल की व्यवस्था एवं आपदा स्थल को खाली कराना	इंदिरा आवास योजना एवं स्थानीय विद्यालय के प्रभारी
		ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा समिति	सामाजिक रूप से असुरक्षितो की पहचान एवं मदद	सामाजिक सुरक्षा विभाग
		ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य	वार्डो के हित का कार्य	स्वतः निर्वाचित
		ग्राम पंचायत योजना एवं पोषण दल	भोजनादि की व्यवस्था	मध्याह्न भोजन दल
		ग्राम पंचायत बाल विकास एवं संरक्षण दल	बाल विकास एवं संरक्षण	आँगनवाड़ी टीम समेकित, बाल विकास परियोजना टीम
		ग्राम पंचायत शिक्षा दल	शिक्षा व्यवस्था	सर्व शिक्षा अभियान दल
		ग्राम पंचायत पशुधन समिति		
		ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति	पशुओं का टीकाकरण एवं चारे की व्यवस्था	पशुधन समिति अध्यक्ष
02	प्रखंड स्तर संबद्ध प्रशाखा	स्थानीय थाना	आश्रय/राहत शिविरो की सुरक्षा	थाना प्रभारी
		कृषि विभाग	सुरक्षा/कृषि संपति	प्रखंड कृषि पदाधिकारी
		सहकारिता	पैक्स/सहकारी भवन	सहकारिता पदाधिकारी
		श्रम	श्रमिकों की स्थिति	श्रम निरीक्षक
		अग्निशमन	अग्निशमन की व्यवस्था	प्रखंड स्तरीय अग्निशमन पदाधिकारी

		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य संबंधी	प्रखंड स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल एवं हेलोजन टेबलेट	कनीय अभियंता
		खाद्य आपूर्त्ति एवं उपभोक्ता	खाद्यान्न की व्यवस्था	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
		शिक्षा	आश्रय स्थल/ राहत स्थल	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
		पशु एवं मतस्य	पशुधन सुरक्षा तथा मतस्य पालन	प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी
		जल संसाधन	सिचांई	कनीय अभियंता
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
		सांख्यिकी	वर्षापात एवं अन्य आकड़े	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी
		पंचायत राज	पंचायतों का सुसंचालन	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक
		स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण	सड़क एवं भवन	कनीय अभियंता
03	जिला स्तर	आपदा प्रबंधन	समन्वय एवं मॉनिटरिंग	जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी
		बाढ़ एवं जल निस्सरण	तटबंधो की सुरक्षा, जल स्तर की जानकारी लेना–देना	कार्यपालक अभियंता
		परिवहन विभाग	विभिन्न वाहनों एवं नावो की उपलब्धता	जिला परिवहन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल एवं स्वास्थ्य	शरण स्थलो की व्यवस्था तथा पेयजल के साथ स्वच्छता मानव दवा	कार्यपालक अभियंता, सिविल सर्जन
		पशुपालन	पशुचारा एवं पशु दवा	जिला पशुपालन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल लगाना, मरम्मति क्लोरीन टेबलेट का देना तथा प्रयोग हेतु प्रशिक्षण	कार्यपालक अभियंता
		खाद्य विभाग/आपूर्त्ति	खाद्य का भंडारण तथा आपूर्त्ति	जिला प्रबंधक, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी
		शिक्षा विभाग	आपदा संबंधी जागरूकता की पहल/जागरूकता के अन्य कार्यक्रम	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	प्रचार–प्रसार	जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी
		पंचायती राज	पंचायतों के काम काज की देखभाल	जिला पंचायत पदाधिकारी
		अग्निशमन	अग्निशाम के वाहनो की व्यवस्था	जिला अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य सेवाएँ	असैनिक शल्य चिकित्सक
		पुलिस	शान्ति व्यवस्था	पुलिस अधीक्षक
		कृषि	कम पानी/जल्दी होने वाले फसलो की व्यवस्था	जिला कृषि पदाधिकारी
		सांख्यिकी	तथ्यो के रखरखाव	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
		सहकारिता	भंडारण एवं आवासन	जिला सहकारिता पदाधिकारी
		जल संसाधन	जल व्यवस्था	कार्यपालक अभियंता जल संसाधन
		राजस्व एवं भूमि सुधार	भूमि संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध कराना	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
		शहरी विकास	शहरो का नियमित विकास	नगर निगम/नगर पंचायत

				आदि
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले लोगो की देखभाल	प्रभारी उप समाहर्त्ता ADSS
		योजना एवं विकास	विकास एवं विकास की योजना	प्रभारी उप समाहर्त्ता DPO
		डाक एवं संचार	सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संवाद	प्रबंधक डाक एवं तार
		भवन निर्माण	भवनो की स्थिति का नियमित पर्यवेक्षण/आकलन	अधीक्षक अभियंता
		भारत संचार निगम लि0	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		दूरसंचार के अन्य नीजि उपक्रम रिलायंस, एयरटेल आदि	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		उद्योग	खतरनाक उद्योगों की सूची एवं देखभाल	जिला उद्योग पदाधिकारी
		श्रम संसाधन	उद्योगों की सुरक्षा के मुद्दे पलायित श्रमिको की सूची का रखरखाव	जिला श्रम पदाधिकारी अधीक्षक
		उर्जा विभाग	बिजली की नियमित आपूर्त्ति	अधीक्षण अभियंता
		प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया	तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध कराना ताकि पूर्व तैयारी हो जाए	क्षेत्रीय संवाददाता
04	अन्य हितधारक समूह	निजी शैक्षिक संस्थाएँ	आवासन/राहत केन्द्र/भंडारण	प्राचार्य/स्वशासी निकाय
		एन॰सी॰सी॰	राहत एवं बचाव में मदद	कमान अधिकारी
		रेड क्रॉस	प्राथमिक सहायता एवं अन्य सहायता	जिला सचिव
		अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएँ	विभिन्न प्रकार से सहयोग एवं सहायता	प्रभारी अधिकारी
		विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संघ	स्वास्थ्य संबंधी सहयोग	अध्यक्ष/सचिव
		युवा संगठन	ब्चाव एवंराहत	अध्यक्ष/सचिव
		दलित एवं महादलित संगठन	विभिन्न प्रकार की सहायता	अध्यक्ष/सचिव
		नेहरू युवा केन्द्र	राहत एवं बचाव	जिला समन्वयक
		ट्रांसपोर्ट (रेल, सड़क, नाव) संघ	विभिन्न प्रकार के सामग्री की व्यवस्था	अध्यक्ष/सचिव
		स्वयं सहायता समूह	सहयोग एवं सहायता	अध्यक्ष/सचिव
		अभियंता, राजमिस्त्री डिप्लोमाधारी,वास्तुकार	निर्माण एवं मरम्मति	
		निजी डॉक्टर, भूतपूर्व सैनिक एवं शिक्षक	स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार के मदद	संघ सचिव, अध्यक्ष
		इंटर एजेन्सी ग्रुप	समन्वय एवं सहयोग	अध्यक्ष/सचिव
		व्यावसायिक संघ एवं बाजार संघ	आवश्यक सामग्री की आपूर्त्ति	अध्यक्ष/सचिव
		राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया	प्रचार प्रसार	स्थानीय संवाददाता

1.5 योजना की समीक्षा तथा अद्यतन करना (Plan Review & Updation) : जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा की जायेगी। इसे प्रत्येक वर्ष संबंधित हितधारक विभागो द्वारा अद्यतन किया जायेगा। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित करते हुये इसकी एक–एक प्रति राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जानी है।

आपदा कैलेन्डर के आलोक में प्रत्येक संभावित आपदा काल के पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आहूत विशेष बैठक में आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा मोचन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तदनुसार सभी हितभागी अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए तैयार रहेंगे। आपदा के दौरान किये गये मोचन कार्यों के प्रभाव की भी समीक्षा की जायेगी तथा इन समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला आपदा प्रबंधन योजना का पुनर्मुल्याकण कर इसे पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31(4) द्रष्टव्य)**

1.6 योजना का प्रयोग कैसे करे(How to use Plan) :

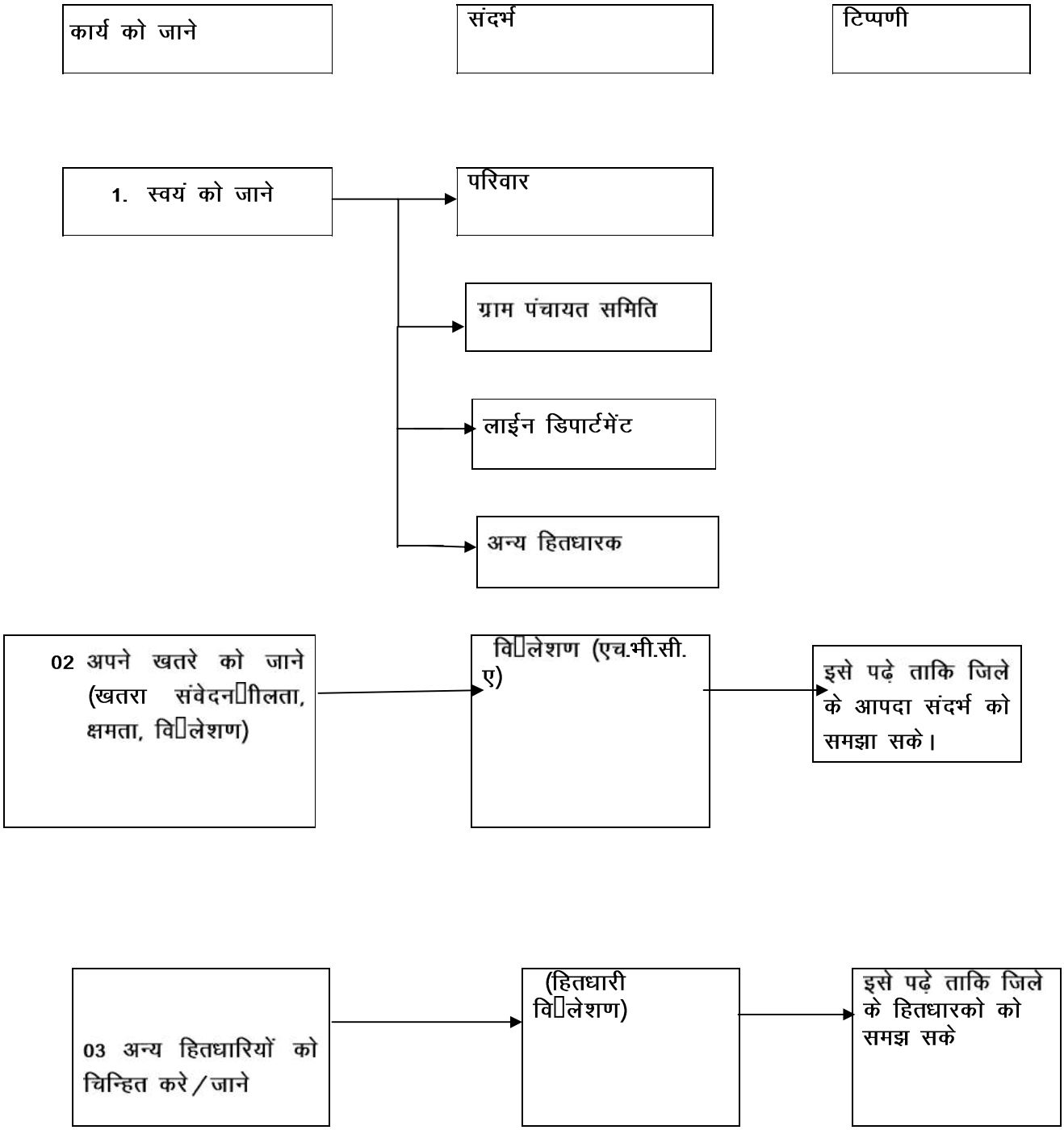

4 अपनी विधि ट योजना के मुताबिक कार्य करे	डीडीएमए के कार्य खंड–1, और 2	जिला प्रत्युतर योजना (डीडीएमए–हरी किताब)
	ग्राम पंचायत समिति लाईन डिपार्टमेंट अन्य हितधारी (सभी के लिए अलग–अलग	जिला प्रत्युतर योजना (डीडीएमए–लाल किताब)
		हरी किताब (सामान्य समय मे हितधारियों के कार्य)
		लाल किताब (आपदा के समय मे हितधारियों के कार्य)
5 योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं अच्छे व्यवहारों/उदाहरणों को जाने	खंड––1, भाग–3	इसे पढ़े ताकि जिले की विभिन्न संस्थानों यथा ईएसएफ, आइ.आर.एस. यूआर.एस.डी.एम.टी/क्यु.
7 Know legal and financial provisions for implementation of plan	खंड–1, भाग–3	इसे पढ़े ताकि योजना के कार्यान्वयन और इनके अनुवर्ती कार्यो को समझ सके
जॉच सूची, आकलन प्रपत्र, संसाधनों के ऑकड़े/विवरण जाने	खंड–2 जॉच संबंधी, प्रपत्र एवं संसाधन आंकड़े	इसे देखे ताकि जिले की संसाधन उपलब्धता समझ सकें और विभिन्न प्रपत्र, ऑकड़ों को समझ सके।

न योजना

अध्याय–2

जिले का परिचय

Introduction of District

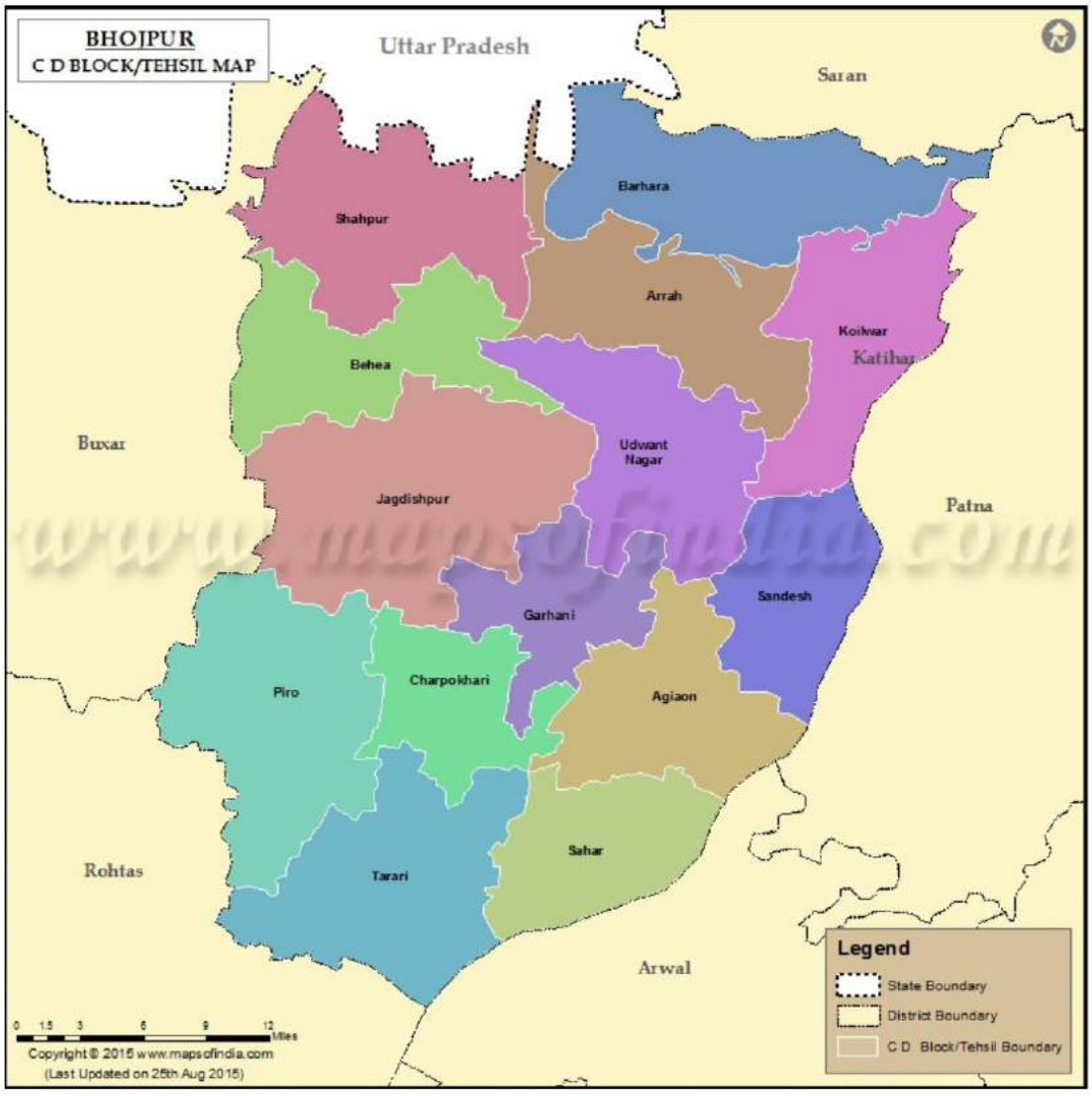

जिला का मानचित्र

2.1 ऐतिहासिक : ऐतिहासिक दृष्टि से भोजपुर का पुराने शाहबाद जिला से अट्टूट् रिश्ता है । भोजपुर का आरा शहर का नाम संस्कृत के अरण्य से लिया गया है जिसका अर्थ है जंगल । इसका तात्पर्य यह है कि आज का आरा पूर्व मे एक घनघोर जंगल था ।एक मिथक के अनुसार भगवान राम के गुरु आचार्य विश्वामित्र का आश्रम इसी क्षेत्र मे कही था।

1961 की जनगणना मे भी भोजपुर के प्राचीनता की चर्चा है जो उस समय पुराने शाहबाद जिले का एक हिस्सा था।

प्राचीन में शाहाबाद मगध साम्राज्य का हिस्सा था और उसमे पटना तथा गया जिला का भी हिस्सा था. हालाँकि यह अशोक सम्राट के साम्राज्य के अंतर्गत था , जिला के अधिकांश भाग में बुद्ध के स्मारक दिखते हैं जो इंगित करता है कि उस समय अधिकांश भाग बुद्ध से प्रभावित था।ईसा पूर्व सातवी सदी में विख्यात यात्री ह्वेनसांग शाहाबाद के मो–हो–सोलो में आया था. आज उस जगह की पहचान मसाढ़ गाँव के रूप में की गई है जो आरा बक्सर सड़क पर आरा से 10 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है।

भोजपुर का इतिहास गुप्ता वंश के दौरान क्या था, इसके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है. आदिवासीयों के हाथ से निकल कर इसकी कमान क्रूर डाकुओ के हाथ आ गई। जिला के अधिकांश भागों पर उन्होंने शासन किया. उसके बाद मालवा के उज्जैन प्रान्त से राजपूत आये। उनके बादशाह उस समय राजा भोज थे। इस जिला का नाम शायद उन्हीं के नाम पर भोजपुर पड़ा है।भोजपुर के मध्य काल का इतिहास निम्नं वर्णित है :–

आरा मे रहते हुए , अफगानों पर विजय प्राप्त कर बाबर ने 1529 मे बिहार पर अधिकार जमाया. इस घटना के बाद इस क्षेत्र का नाम शाहाबाद पड़ा जिसका शाब्दिक अर्थ है शाहों का शहर।उसके बाद अकबर ने शाहाबाद को अपने राज्य मे मिला लिया. हलाकि उसकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं रही. अकबर के मंत्री मानसिंह ने जिला के राजस्व वसूली के लिए काफी कोशिशे की लकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। जगदीशपुर और भोजपुर के राजा ने मुगलों को पराजित किया। भोजपुर के राजा ने जहाँगीर के खिलाफ विद्रोह किया. शाहजहाँ एवं उसकी रानी ने उनके उत्तराधिकारी राजा प्रताप एवं उनके दरबारी को मरवा दिया. इसके बाद भोजपुर लगभग शांत रहा पर मुगलों के लिए अंत तक कठिनाई बनी रही।इसके बाद इस जिला मे 1857 की क्रांति हुई जब कुअंर सिंह ने अंग्रेजो के खिलाफ विद्रोह कर दिया।

2.2 प्रशासनिक : जिला मुख्यालय – भोजपुर

कुल अनुमंडल – 3 (सदर आरा , पीरो, जगदीशपुर)
कुल संसदीय क्षेत्र – 01
कुल विधानसभा क्षेत्र – 07
कुल प्रंखड – 14
कुल पंचायत – 228
कुल गाँव – 1209
कुल पुलिस थानों की संख्या – 36
नगर निगम – 01
कुल नगर पंचायत – 6
नगर परिषद– 01
साक्षरता दर – 72.79 %
भाषा – 3

वायु मार्ग

आरा से कहीं के लिए भी कोई सीधी उडान नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा पटना है।
पटना हवाई अड्डा से आरा : 53 कि० मि०
गया हवाई अड्डा से आरा : 89 कि० मि०

रेल मार्ग

जिला मुख्यालय, आरा, ट्रेन द्वारा देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आरा जंक्शन (एआरए) के माध्यम से 150 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। आरा के अलावा जिले के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन बिहीया, कुलहरिया, बानाही, कोइलवर, कारीसाथ, पिरो, गड़हनी हैं जो जिले के अधिकांश कस्बों और गांवों को जोड़ते हैं। मुख्या रेलवे स्टेशन : आरा जंक्शन हैं।

सड़क मार्ग

जिला मुख्यालय आरा सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आरा, जगदीसपुर, पिरो, बिहीया इस जिले के प्रमुख शहरों और दूरस्थ गांवों के लिए सड़क संपर्कता रखते हैं। पटना (बिहार की राजधानी) के लिए सड़क से आरा 53 किलोमीटर है। आप राज्य के अन्य प्रमुख शहरों से आसानी से नियमित रूप से बसों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रमुख बस स्टेशन

सरकारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास, आरा
निजी बस स्टैंड, बाईपास रोड, आरा

2.3 भौगोलिक : भोजपुर जिलों में तीन उप–मंडल शामिल हैं, अर्थात आरा सदर, जगदीशपुर और पीरो में 2,37,526 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले 14 विकास खंड शामिल हैं। उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन के बीच की भूमि की पूरी पट्टी लगभग हर साल गंगा से गाद की निचली परत है और अत्यंत उपजाऊ है। वास्तव में, यह क्षेत्र बिहार राज्य में सबसे अच्छा गेहूं उगाने वाला क्षेत्र माना जाता है।जिले में लगभग तीन तरफ से बहने वाली नदियाँ हैं– उत्तर, पूर्व और दक्षिणी सीमा का कुछ हिस्सा। गंगा जिले की उत्तरी सीमा बनाती है। उत्तर–पूर्वी में निचले स्तर के समृद्ध जलोढ़ मैदान और उनकी उर्वरता गंगा नदी के कारण है। छेर और बनास नदियाँ गंगा में गिरती हैं।सोन जिले की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। सोन पलामू (झारखंड), मिर्जापुर (यूपी) और

रोहतास (बिहार) के त्रिकोणीय जंक्शन पर बिहार राज्य में प्रवेश करता है। यह भोजपुर जिले की दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं के साथ चलता है जब तक कि यह पटना जिले में मनेर के पास गंगा नदी में विलीन नहीं हो जाता।

जिला सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार। जिले में 1244 गांव हैं जिनमें से 251 गैर आवासीय और 993 आवासीय हैं। इस जिले में 228 पंचायत और 12 राजस्व मंडल, 6 टाउन एरिया, 22 पुलिस स्टेशन, 5 सब–पुलिस स्टेशन, 1 रेलवे पुलिस स्टेशन, 7 आउट–पोस्ट–पुलिस स्टेशन हैं, यह रिपोर्ट पोस्ट और टेलीग्राफ के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है, जो इस प्रकार हैः

इस जिले में एक जी.पी.ओ. जिला मुख्यालय आरा में स्थित है। 41 उप–डाकघर, 3 अतिरिक्त, विभागीय डाकघर, 252 अपर डाकघर भी हैं। विभागीय उप डाकघर। कुल मिलाकर 989 गांव इन डाकघरों के दायरे में आते हैं। भोजपुर जिले में टेलीग्राफ केंद्रों की संख्या 35 है। सोन नहर सिस्टम को और विकसित किया जा रहा है ताकि अतिरिक्त भूमि को खेती के अंतर्गत लाया जा सके ।
2001 मे जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार इस जिला मे विभिन्न प्रकार के फसल उगाए जाते है । धान 105155 प्रति हेक्टर मे, गेहु 67259 प्रति हेक्टर मे, मक्का 2779 प्रति हेक्टर मे, जौ 1154 प्रति हेक्टर मे, चना 5.017 प्रति हेक्टर मे, मटर 2016 प्रति हेक्टर मे, रहर 919 प्रति हेक्टर मे, मसूर 8115 प्रति हेक्टर मे, खेसारी 8989 प्रति हेक्टर मे, सरसों 2886 प्रति हेक्टर मे, मसाले 31 प्रति हेक्टर मे, सब्जी 5119 प्रति हेक्टर मे, फल 2651 प्रति हेक्टर मे, और ईख 209 प्रति हेक्टर मे उगाये जाते है।

इस रिपोर्ट मे उपज की दर भी प्रकाशित की गई है जो जिला प्रशासन को राज्य सरकार से उपलब्ध कराई गई है। इसके अनुसार विभिन्न फसलों के उपज की दर निम्न प्रकार है :–

धान (सबसे अधिक उपज वाला फसल) 3502 कि0ग्र0 हेक्टर, धान (स्थानीय सिंचन मे) 3330 कि0ग्र0 हेक्टर, गेहु (सिंचित क्षेत्र) 2725 कि0ग्र0 हेक्टर, गेहु (असिंचित क्षेत्र) 2707 कि0ग्र0 हेक्टर, मसूर 1047 कि0ग्र0 हेक्टर, खेसारी 986 कि0ग्र0 हेक्टर, सरसों 679 कि0ग्र0 हेक्टर, चना दृ 937 कि0ग्र0 हेक्टर ।

■ भौगोलिक विवरण –

- जिले का क्षेत्रफल 2395 वर्ग कि॰मी॰ है।
- जिले की अवस्थित –

  आक्षांश – 25º-10′ to 25º-40′ (उत्तर)

  देशांतर – 83º-45′ to 84º-45(पूर्व)

■ चौहद्दी

उत्तर में – सारण एवं उत्तर प्रदेश	दक्षिण में – अरवल एवं रोहतास
पूरब में – पटना जिला	पश्चिम में – बक्सर जिला

- बिहार की राजधानी पटना से जिला मुख्यालय भोजपुर की दूरी– 74 कि.मी.

2.4 जलवायु : जिला मे मौसम समशीतोषण है । गर्मी की शुरुआत मार्च महीने के लगभग मध्य से शुरू हो जाती है। उस समय पश्चिमी हवा संपूर्ण दिन बहती है। अप्रैल एवं मई माह मे अति गर्मी पड़ती है। समान्यतया मानसून का पदार्पण जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है और वर्षा सितम्बर के अंत तक या अक्टूबर के प्रारम्भ तक जारी रहती है । जाड़े का समय नवम्बर से शुरू हो जाता है औंर मार्च के प्रारम्भ तक जारी रहता है। जनवरी जिला का सबसे ठंडा मौसम है जिसमे तापमान लगभग 10 डिग्री तक गिर जाता है। अप्रैल माह से मानसून आने तक जिला मे भयंकर आंधी व तूफान भी आते है।

वर्षापात

वर्षा जून माह से शुरू हो जाती है, तापमान मे गिरावट आ जाती है एवं आर्द्रता बढ़ जाती है। जिला मे अधिकतम वर्षा जुलाई व अगस्त माह मे पायी गई है। समान्यतया इस माह मे औसत वर्षा 300 मि मि पायी गई है। पुरवा हवा जून से सितम्बर तक बहती है जिससे वर्षा होती है। अक्तूबर से हवा की दिशा बदल जाती है और पछुआ हवा मई तक बहती है। थोड़ी बहुत वर्षा अक्तूबर माह मे भी हो जाती है पर नवम्बर व दिसम्बर माह प्रायः सूखा सूखा रहता है। कुछ वर्षा शीत ऋतु मे भी जनवरी व फरवरी माह मे होती है ।

तापमान, वर्षा, वायु की दिशा तथा वायु दाब के आधार पर भोजपुर की जलवायु निम्नांकित तीन ऋतुओं में विभाजित है –

(1) ग्रीष्म ऋतु (मार्च – मध्य जून)

(2) वर्षा ऋतु (मध्य जून – मध्य अक्टूबर) तथा

(3) शीत ऋतु (मध्य अक्टूबर – फरवरी)

यहाँ पर अधिकांश वर्षा दक्षिण – पश्चिम मानसून के कारण होती है। कृषि जलवायुवीय क्षेत्र के अन्तर्गत यह दक्षिण – पश्चिम मैदान के अन्तर्गत आता है।

मुख्य फसल :

फसलों में धान, गेहूँ, तिलहन, दलहन, बाजरा, जौ एवं ज्वार आदि प्रमुख है। जिले में अब मिश्रित फसल का प्रचलन बढ़ा है।

2.5 वर्षापात :

सारणी – (2.1) जिले में वर्षापात की स्थिति :

वर्ष	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017
औसत से कम	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
औसत से ज्यादा	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–

श्रोतः आई.एम.डी. पर आधारित

2.6 जनसंख्या : जिले की जनसंख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से निम्नवत् है जो वर्ष 2011 के जनगणना पर आधारित है।

सारणी – (2.2) जनसंख्या विवरण :

विवरण	वर्ष 2001	वर्ष 2011
जनसंख्या	27,28,407	22,43,144
पुरूष	14,30,380	11,79,611
स्त्री	12,98,027	10,63,533
जनसंख्या वृद्धि	21.63 %	24.58 %
क्षेत्र वर्ग किमी	2,395	2,395
घनत्व /किमी^{2}	1,139	937
बिहार की जनसंख्या का अनुपात	2.62%	2.70%
लिंग अनुपात (प्रति 1000)	907	902
बाल लिंग अनुपात (0–6 आयु)	918	940
औसत साक्षरता	70.47	58.96
पुरुष साक्षरता	81.74	74.29
महिला साक्षरता	58.03	41.8
कुल बाल जनसंख्या (0–6 आयु)	4,59,187	4,23,242
पुरुष जनसंख्या (0–6 आयु)	2,39,364	2,18,220
महिला जनसंख्या (0–6 आयु)	2,19,823	2,05,022
साक्षरों	15,99,151	10,73,010
पुरुष साक्षर	9,73,486	7,14,185
महिला साक्षर	6,25,665	3,58,825
बाल अनुपात (0–6 आयु)	16.83%	18.87%
लड़कों का अनुपात (0–6 आयु)	16.73%	18.50%
लड़कियों का अनुपात (0–6 आयु)	16.94%	19.28%

सारणी – (2.3) ग्रामीण एवं शहरी परिप्रेक्ष्य में :

विवरण	ग्रामीण	शहरी
कुल जनसंख्या	2,432,153	427,765
कुल प्रतिशत	85.55%	14.45%

महिला जनसंख्या	1,213,877	202,495
पुरूष जनसंख्या	1,318,276	225,270
लिंगिय अनुपात	921	899
बच्चों की गणना (0–6) वर्ष	443,797	63,013
बालक(0–6) वर्ष	229,547	32,927
बालिका(0–6) वर्ष	214,250	30,086

सारणी – (2.4) प्रखंडवार पंचायतयों की संख्या एवं जनसंख्या विवरणी :

प्रखण्ड	जनसंख्या 2011	पुरूष	महिला	परिवारों
शाहपुर	1,94,486	1,02,702	91,784	27,377
आरा	2,01,188	1,06,438	94,750	29,583
बरहरा	2,40,636	1,28,147	1,12,489	35,185
कोइलवार	1,84,450	97,192	87,258	29,211
संदेश	1,09,712	57,387	52,325	17,011
उदवंतनगर	1,57,809	82,626	75,183	24,336
बिहियॉ	1,51,722	79,125	72,597	22,144
जगदीशपुर	2,31,512	1,21,223	1,10,289	35,663
पीरो	2,21,126	1,14,808	1,06,318	33,716
चारपोखरी	1,01,363	52,601	48,762	15,961
गड़हनी	1,03,262	53,820	49,442	16,427
अगियाओं	1,48,373	77,278	71,095	23,117
तरारी	1,82,631	94,829	87,802	28,316
सहार	1,10,276	56,098	54,178	18,612

श्रोत : जनगणना 2011

2.7 पशुपालन :

सारणी– (2.5) 2012 में हुई पशु गणना कें आधार पर पशुओं की संख्या :

क्र0 सं0	प्रखंड	गाय	भैंस	बकरी	भेड़	कुक्कुट	बत्तख	सुअर	घोड़ा
1	अगिऑव	17547	22688	8770	1941	3375	915	1698	74
2	आरा सदर	36046	11280	19930	69	4327	1094	472	169
3	बडहरा	31741	13805	9884	114	9642	58	172	240
4	बिहियॉ	18782	14774	5640	1678	4555	170	771	68
5	चरपोखरी	6011	9814	4712	1171	3756	67	774	116
6	गडहनी	8599	12669	5304	149	6213	193	1093	41
7	जगदीशपुर	20121	26204	11504	7473	95985	806	2472	226
8	कोईलवर	23599	15176	8608	317	81396	101	889	25
9	पीरो	25575	40688	11816	342	3321	2285	3357	74

10	सहार	9954	21996	8481	924	8754	1757	895	63
11	संदेश	8217	11155	5398	1977	6199	27613	679	34
12	शाहपुर	28784	15084	6194	2313	3387	283	337	487
13	तरारी	15317	24336	10815	2410	2266	217	321	97
14	उदवंतनगर	25446	20921	7461	2649	54894	624	2813	83
कुलः–		275739	260590	124517	23527	288070	36183	16743	1797

इस जिले में पशु चिकित्सा के लिए निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध हैं :

- राजकीय पशु चिकित्सालय – 01,
- प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय – 27,
- कृषि गर्भाधान केन्द्र – 28
- कुल पशु चिकित्सक – 33,
- कुल पशुधन पर्यवेक्षक – 40,
- कुल पशुधन सहायक – 19 (श्रोत : जिला पशुपालन कार्यालय, भोजपुर)

2.8 प्राकृतिक संसाधन :

कृषि : जिले के कृषि संबंधी सूचनाएँ :–

कृषि समन्वयक : 87

कृषि सलाहकार : 139

2.9 भूमि उपयोग, कृषि और सिंचाई पद्धतियां

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार के रिकॉर्ड के अनुसार, भोजपुर जिले में कुल फसली क्षेत्र क्रमशः 1910 वर्ग किमी और 2200 वर्ग किमी है। अन्य परती भूमि और वर्तमान परती भूमि क्रमशः 30 वर्ग किमी और 100 वर्ग किमी हैं। जिले में 10 वर्ग किमी कृषि योग्य बंजर भूमि है। कृषि जिले में 80% से अधिक आबादी की मुख्य आजीविका है। कृषि कैलेंडर जुलाई से शुरू होता है और हर साल मानसून की शुरुआत से पहले, अगले वर्ष के जून तक जारी रहता है। इस प्रकार एक कलैण्डर वर्ष को चार कृषि ऋतुओं में विभाजित किया जाता है, भदई, अघानी, रबी और गरमा जैसा कि नीचे दिया गया है:

सारणी– (2.6) भोजपुर, बिहार में कृषि मौसमः

Kharif		Rabi	
Bhadai (April-Aug/Sept)	Aghani (June-Oct)	Rabi (Nov-March/Apr)	Garma (March-Apr/June)
Paddy, maize	Paddy, pulses	Wheat, pulses, maize, spicesand oilseeds	Paddy, maize, pulses, vegetables, millet

2.10 प्रमुख नदियाँ : सोन एवं गंगा ।

जिला अपने मध्य भागों में गंगा बेसिन में स्थित है और गंगा नदी का निर्माण करती है।जिले की उत्तरी सीमा। सोन नदी पूर्व में बहने वाली अन्य प्रमुख जल निकासी है।जिले की सीमा (चित्र 2)। यह अमरकंटक की उच्च भूमि की मैकाल श्रेणी से निकलती है।मध्य भारत का ऊंचा पठार। लगभग 592 . के लिए उत्तर और पूर्व दिशा में बहने के बाद एक पहाड़ी इलाके में किमी, यह गंगा के जलोढ़ मैदानों पर उतरता है। नदी उत्तर पूर्व में बहती है।एक छम्ँ प्रवृत्ति में दिशा और भोजपुर के पूर्वोत्तर कोने में गंगा के साथ संगम बबूरा जिला। धर्मावती नाडी, जिसे देहरा नाडी के नाम से भी जाना जाता है, गौरा भागर से मिलती है, जिसे माना जाता है।क्षुद्र गंगा के भाग के ऊपर छोड़े गए एक बैल के रूप में, और यह अंत में त्रिभुबनी के पास गंगा से मिलता है।गंगी नाडी नागरांव के पास से निकलती है और उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है।गौरा भागर से मिलें जो अंत में गंगा से मिलती है।

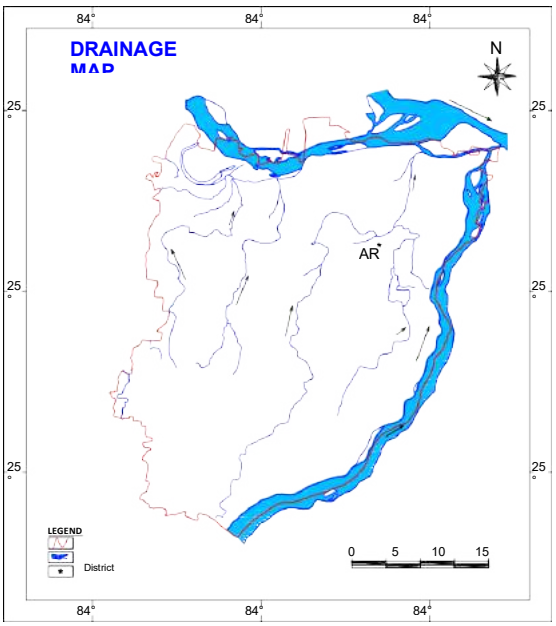

2.11 जलवायु : जिले की जलवायु मध्यम चरम प्रकार की है। गर्म मौसम मार्च के मध्य में शुरू होता है, जब दिन के दौरान गर्म पछुआ हवाएँ चलने लगती हैं। अप्रैल और मई के महीने बेहद गर्म होते हैं। एक सामान्य वर्ष में, मानसून जून के तीसरे सप्ताह तक शुरू हो जाता है और बारिश मध्यांतर के साथ सितंबर के अंत या अक्टूबर के शुरुआती भाग तक जारी रहती है। ठंड का मौसम नवंबर के महीने से शुरू होता है और मार्च की शुरुआत तक रहता है जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ जाता है। अप्रैल के महीने से मानसून के पहले टूटने तक, जिले में कभी–कभी आंधी–तूफान भी आते हैं।

2.12 सिंचाई : सोन व गंगा नदी सिचाई के लिए मुख्य नदिया है । सिंचित भूमि का अधिकांशतः भाग इन्ही नदियो द्वारा सींचा जाता है। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार आहार और पईन का इस्तेमाल करते थे जिससे सिंचाई का भी काम लिया जाता था एवं जल निकासी का भी कार्य लिया जाता था। कुआं भी सिंचाई का अच्छा साधन था।

2001 मे जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 15493 हेक्टर भूमि सोन नदी से सिंचित होती है। 14940 हेक्टर भूमि मध्य सोन नदी से सिंचित होती है। 18379 हेक्टर भूमि छोटी नहरों से सिंचित होती है। 2582 हेक्टर भूमि सरकारी बिजली टूबेवेल से सिंचित होती है। 2099 हेक्टर भूमि डीजल टूबेवेल से सिंचित होती है। व्यकितिगत बिजली टूबेवेल से कुल 8263 हेक्टर भूमि सिंचित होती है। 16999 हेक्टर भूमि व्यकितिगत डीजेल टूबेवेल से सिंचित होती है। 58586 हेक्टर भूमि अन्य साधनो द्वारा जैसे आहार, कुआं , तालाब , इत्यादि से सिंचित होती है। अर्थात कुल 237526 हेक्टर भूमि मे 177341 हेक्टर भूमि सिंचित है। इसका मतलब जिला मे कुल भूमि का 74.66: सिंचित है।

सारणी– (2.7) नलकूपों का विवरण :

क्रमांक	प्रखंडों की संख्या	पंचायतों की संख्या	हस्तचालिक नलकूपों की संख्या
1	14	228	19294

(प्रखण्डों, पंचायतों एवं नलकूपों के प्रकार हेतु अनुलग्नक का संदर्भ किया जा सकता है ।)

2.13 भूमिः भोजपुर जिले का भू विस्तार की दृष्टि से राज्य में चौथा स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल 3847.82 वर्ग कि॰मी॰ है इसमें से कृषि योग्य भूमि 213879 हे॰ (55.8%) तथा सभी श्रोतों से सिंचित भूमि का रकबा 1,88,460 हे॰ ही है। 69810 हे॰ क्षेत्र में वनो का विस्तार है तथा 10,374 हे॰ भूमि बंजर है। 2557.20 हे॰ भूमि अन्य गैरकृषि कार्यों में प्रयुक्त है। कृषि योग्य भूमि काफी उपजाउ हैं। यह जिला कृषि जलवायु जोन III- B में अवस्थित है।

2.14 मिट्टी : मिट्टी के प्रकार : बलुआही केवाल एवं बालू केवाल मिश्रित मिट्टी

पी.एच.: 6.5 से 7.5 के बीच

कृषि मुख्य फसल : धान, गेहूँ, तिलहन, दलहन, सब्जी

2.15 उद्योग एवं खनिज :शाहाबाद के विखंडन के बाद जब भोजपुर और रोहतास का निर्माण हुआ तो अधिकतम बड़े उद्योग रोहतास मे चले गए। बस कुछ छोटे उद्योग और कृषि आधारित कुछ उद्योग भोजपुर मे रह गए ।जिला सांख्यकी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 1992 और अगस्त 2000 मे 1085 लघु एवं गृह उद्योग जिला उद्योग केंद्र के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए . कुल मिलाकर 869.19 लाख रुपए इन उद्योगों मे लगे और कुल 1858 लोगों को इन उद्यगों मे रोजगार मिला. कोइलवर प्रखंड के अंतर्गत गिद्धा मे एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है जो 30–40 एकड़ मे फैला है और यह पटना औद्योगिक विकास प्राधिकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड है . इंडेन गैस एजेंसी का एक बॉटलिंग प्लांट भी इसी क्षेत्र मे है. किसी भी उद्योग का विकास वहां के बिजली की अनवरत सप्लाई पर निर्भर करता है, लेकिन इस जिला मे जरुरत से बहुत कम बिजली की सप्लाई होती है. जिला के औद्योगिकीकरण मे यह एक बहुत बड़ी बाधा है।

सारणी– (2.8) मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम और कारीगर इकाइयां

Registered industrial units	941
Registered medium & large units	01
No. of industrial areas	02
Types of industries	Agro based, ready-made garments & embroidery, wood/ wooden based furniture, leather based, chemical/ Chemical based, metal based, repairing& servicing, engineering unit, metal based

Types of industry	**No. of Units**	**Investment (Rs.Lakh)**
Agro based	140	274
Ready-made garments & embroidery	55	80
Wood/wooden based furniture	180	128
Leather based	94	45
Chemical/chemical based	40	32
Rubber, plastic & petro based	21	34
Mineral based	48	242
Metal based (Steel Fab.)	98	125
Engineering units	35	60
Repairing & servicing	180	50
Others	50	89
Total	**941**	**1159**

- जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र गिधा औद्योगिक क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 92.96 हेक्टेयर है और बिहिया औद्योगिक क्षेत्र 26.46 हेक्टेयर है।
- भोजपुर जिले में कार्यरत उद्योगों के प्रकार हैं।
- कृषि आधारित, सोडा वाटर, सूती कपड़ा, ऊनी, रेशम और कृत्रिम रेशम आधारित कपड़े, जूट आधारित, रेडीमेड वस्त्र और कढ़ाई, लकड़ी के फर्नीचर, कागज उत्पाद, चमड़ा आधारित, रसायन आधारित, रबर प्लास्टिक और पेट्रो आधारित, खनिज आधारित, धातु आधारित (इस्पात निर्मित) इंजीनियरिंग मशीनरी की मरम्मत और सेवाएं, कचौरी बनाना।
- जिले में संभावित उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ऑटो मोबाइल उद्योग हैं।

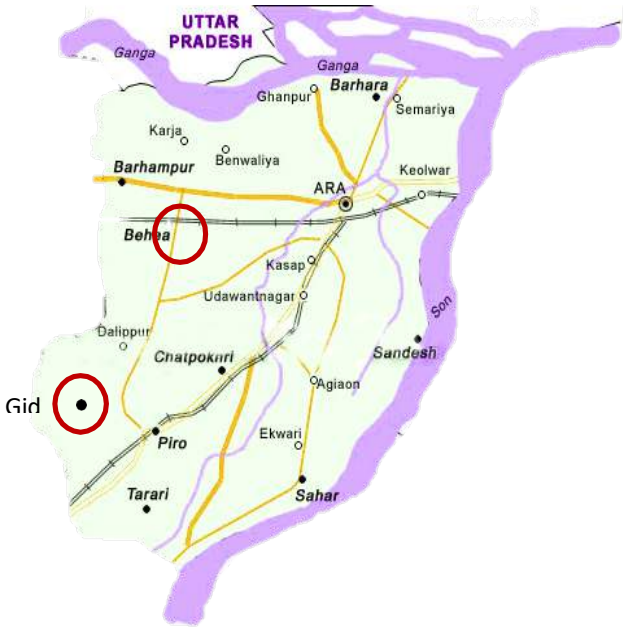

खदान और खनिज भोजपुर जिला मे बहुत कम है. केवल एक ही खनिज इस जिला मे पाया जाता है, वह है सोन नदी का बालू . भोजपुर जिला मे सोन का विस्तार पूर्व से दक्षिण तक लगभग 40 किलोमीटर के विस्तार मे है. लेकिन केवल कोइलवर से ही लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र मे से बालू का उठाव होता है. लगभग 35 किलोमीटर क्षेत्र बालू उठाव के लिए विकसित नहीं किया गया है।

2.16 परिवहन :

जिला अन्तर्गत परिवहन कार्यालय, न्यू पुलिस लाईन, शंकट मोचन मंदिर के पास अवस्थित है। उक्त कार्यालय अन्तर्गत वाहन का निबंधन इत्यादि कार्य किया जाता है। इसके आलावा बाढ़ के दौरान निजि नाव का निबंधन का कार्य किया जाता है।

2.17 रेल/सड़क यातायात : जिला मुख्यालय, आरा, देश के अन्य प्रमुख शहरों से ट्रेन द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आरा जंक्शन (ARA) से 150 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। आरा के अलावा जिले के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन बिहिया, कुलहरिया, बनही, कोयलवार, करिसथ, पिरो, गढ़ानी हैं जो जिले के अधिकांश कस्बों और गांवों को जोड़ते हैं।

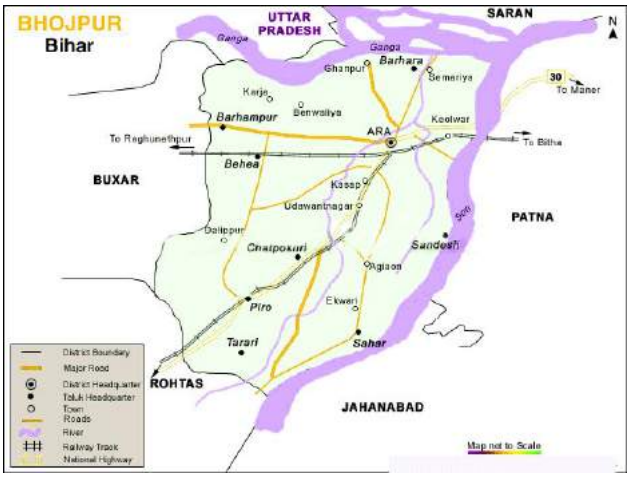

बस से

जिला मुख्यालय आरा सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आरा, जगदीसपुर, पिरो, बेहिया इस जिले के प्रमुख शहरों और दूरदराज के गांवों से सड़क संपर्क वाले शहर हैं। पटना (बिहार की राजधानी) तक सड़क मार्ग से आरा लगभग 53 किलोमीटर दूर है। आप राज्य के अन्य प्रमुख शहरों से आरा के लिए नियमित बसें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

बस स्टेशन:

- सरकारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास, निजी बस स्टैंड, बाईपास रोड, आरा

2.18 वन : भोजपुर प्रखण्ड का पूर्वी भाग पठारी तथा वन आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्यतः लम्बे कुश की झाड़िया तथा बांस के पेड़ उगे हुये है। जालो वृक्ष बहुतायत में पाया जाता हैं वन उपज की दृष्टि से सिर्फ जलावन की लकड़ी इन वनो से प्राप्त होता है।

सारणी– (2.9) बिहार में जिला वन आवरण

						(in sq km)
District	**Geographical Area (GA)**	**Very Dense Forest**	**Mod. Dense Forest**	**Open Forest**	**Total**	**% of GA**
Bhojpur	2,395	0	19.44	12.81	32.25	1.89

2.19 अग्निशमन : भोजपुर जिला एक अग्नि प्रवण जिला है। जहाँ गर्मी के दिनों में खासकर अग्नि का शिकार प्रायः गाँव नहीं होकर खेतों में उगायी गयी गेहूँ की फसलें होती हैं। इस जिले में कुल 7 अग्निशमन स्टेशन अवस्थित हैं जिनमें कुल 12 मिश्रित तकनीक वाले वाहन उपलब्ध हैं।

2.20 भूगर्भ जल संसाधन : भोजपुर जिला में भू–जल उपलब्धता के निम्नांकित दो श्रोतों की प्रमुखता द्रष्टव्य है।
(क) उथले भूजल श्रोत क्षेत्र :– 50 मी॰ की गहराई तक
(ख) गहरे भूजल श्रोत क्षेत्र : 50 मी॰ से 300 मी॰ की गहराई तक

(क) उथले भूजल श्रोत क्षेत्र : इसके अन्तर्गत जमीन की सतह से 50 मी0 की गहराई तक उपलब्ध भूगर्भ जल भंडार आते हैं। ये भूगर्भ जल भंडार बालू, मिट्टी तथा कंकर के बने होते है। इन जल धारित सतहों की मोटाई 5 से 20 मी0 तक हैं। ये आंशिक रूप से सीमित दायरे में विस्तारित होते है। छोटा कुंआ तथा उथला ट्यूबवेल से इस भूगर्भ जल को निकालकर उपयोग में लाया जाता है। इस सतह का पुनर्भरण मुख्यतः वर्षा से होता है।

(ख) गहरे भूजल श्रोत क्षेत्र : इस क्षेत्र के भू–धारित परतो की मोटाई तथा granularity में अन्तर पाया जाता है। अगल–बगल में गाड़े गये ट्यूबवेल की गहराई में अच्छा खासा अन्तर आ जाता है। जमीन की सतह से 50 से 300 मी0 की गहराई तक बालू एवं मिट्टी के कणों से युक्त जल भंडार उपलब्ध है। इस गहराई पर तीन से चार सीमित तथा अर्द्धसीमित दायरे वाले भूगर्भ जल भंडार इस क्षेत्र में उपलब्ध है।

(ग) भूतल से भूजल सतह की गहराई : इस जिले में भूजल सतह की गहराई में काफी भिन्नता पाई गई है। आम तौर पर पठार के निकट कुंओं की गहराई समतल भूमि वाले इलाके की अपेक्षा अधिक है। मई 2011 में वर्षा के पूर्व भूजल की सतह की गहराई 4.98 से 12.08 मी0 के बीच परिवर्तित हुई। जबकि वर्षा के पश्चात् यह घटकर 1.25 से 7.98 मी0 रह गई।

भूजल की मात्रा एवं गुणवत्ता : उच्च मैग्नीशियम और लवणता के खतरों वाले कुछ स्थानों को छोड़कर क्षेत्र में भूजल पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है। जिले के शाहपुर, बेहिया, कोइलवार और आरा के ब्लॉकों में गंगा नदी के किनारे से लगे भूजल में आर्सेनिक की असामान्य सांद्रता से दूषित होने की सूचना है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने गहरे जलभृतों में आर्सेनिक संदूषण की सीमा और सीमा को समझने के लिए विशेष खोज कार्यक्रम शुरू किया है और संगठन अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में ताजा और आर्सेनिक मुक्त पानी प्राप्त करने के तरीके खोज रहा है।

भूजल की सामान्य गुणवत्ता और विभिन्न रासायनिक घटकों का वितरण निम्न तालिका में दिया गया है, जो जिले से एकत्र किए गए पानी के नमूनों के रासायनिक विश्लेषण द्वारा प्राप्त किए गए थे।

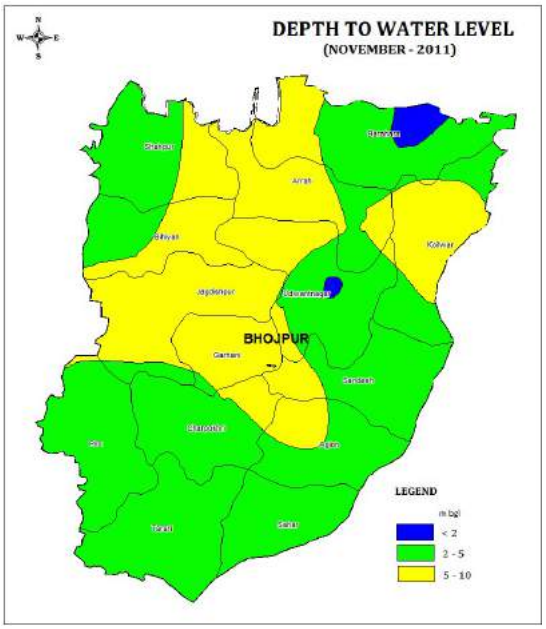

पोस्ट–मानसून 2011 का गहराई से जल स्तर का नक्शा।

भूजल में आर्सेनिक मात्राः भोजपुर बिहार राज्य के उन जिलों में से एक है, जो भूजल में आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित हैं। यह वह जिला है जिसमें भूजल में आर्सेनिक सबसे पहले था। जून 2002 में बिहार राज्य के सेमरिया ओझापट्टी गाँव में रिपोर्ट किया गया। जिले के शाहपुर, आरा, बेहिया, कोइलवार और बरहरा उन ब्लॉकों में से हैं, जो आर्सेनिक से प्रभावित हैं (आर्सेनिक दूषित क्षेत्रों के लिए चित्र 5 देखें)। चम्क, बिहार सरकार ने राज्य में आर्सेनिक के लिए एक व्यापक परीक्षण किया है। ब्लैंकेट परीक्षण के दौरान जिन हैंडपंपों में आर्सेनिक की मात्रा 50 मिलीग्रामध्ली (डब्ल्यूएचओ के मानदंड के अनुसार भूजल में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय सीमा) से अधिक पाई गई थी, उन्हें लाल रंग से चिह्नित किया गया था। आर्सेनिक छिटपुट रूप से हैंडपंपों में होता है और यह काफी हद तक हैंडपंप की गहराई पर निर्भर करता है और यह किस फॉर्मेशन से पानी का दोहन करता है। नलकूपों में आर्सेनिक की मात्रा में अचानक वृद्धि 12 से 40 मीटर की गहराई सीमा के बीच पाई जाती है। 40 मीटर के बाद आर्सेनिक की मात्रा में भारी गिरावट आती है। खोदे गए कुओं में आर्सेनिक की मात्रा का पता लगाने की सीमा (बीडीएल) से नीचे बताई गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड, एमईआर, पटना ने शाहपुर, बरिसवान, अमराही नवादा, नर्गदा नारायणपुर, पहाड़पुर, भरौली और कर्णमपुर में आर्सेनिक मुक्त गहरे नलकूपों का निर्माण कर राज्य सरकार को सौंप दिया है। पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से।

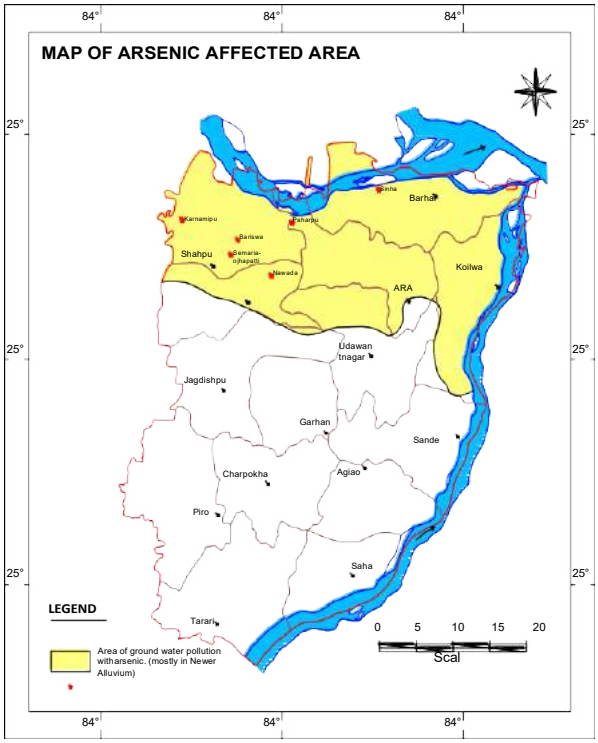

भोजपुर जिले का नक्शा, गंगा नदी के किनारे भूजल आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्रों को दिखा रहा है

भूजल संसाधन

भू–जल संसाधन मूल्यांकन (31 मार्च 2009) के अनुसार भू–जल संसाधन विकास की दृष्टि से समस्त जनपद भोजपुर सुरक्षित श्रेणी में आता है। भूजल विकास (तालिका 3) न्यूनतम 21.7ः (सहार) से अधिकतम 73.7ः (कोइलवार ब्लॉक) के बीच बदलता रहता है। कोइलवार ब्लॉक को छोड़कर अन्य सभी ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में आते हैं यानी 70ः से नीचे। 31 मार्च 2009 को शुद्ध वार्षिक पुनःपूर्ति योग्य भूजल संसाधन के अनुसार 75285 हेक्टेयर है। सभी उपयोगों के लिए सकल वार्षिक मसौदा 31756 हेक्टेयर है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए 25 वर्षों के लिए भूजल का आवंटन 6308 हेक्टेयर है। जिले के भूजल विकास के ब्लॉकवार चरण को चित्र 7 में दर्शाया गया है। ब्लॉकवार संसाधन तालिका 4 में दिया गया है।

लघु सिंचाई कुओं की जनगणना 1993–94 के अनुसार, जिसका उपयोग 31 मार्च 2004 के भूजल संसाधन मूल्यांकन में किया जा रहा है, गहरे नलकूपों (क्ॅ), उथले नलकूपों (ैॅ) और खोदे गए कुओं (क्ॅ) की संख्या 69 थी, क्रमशः 14481 और 2323।

सारणी– (2.10) प्रखण्डवार भूजल की उपलब्धता

Sl No	Assessment Unit/District	Net Annual Ground water Availability	Existing Gross Ground Water Draft for Irrigation	Existing Gross Ground water Draft for Domestic and Industrial Water Supply	Existing Gross Ground Water Draft For all Uses (04+05)	Allocation for Domestic and Industrial Requirement suply upto year 2025	Net Ground Water Availability for future irrigation development (10-11-14)	Stage of Ground Water Development (12/9)* 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agiayon	5094	1527	210	1737	310	3257	34.1
2	Ara	6147	2321	662	2982	1071	2755	48.5
3	Barhara	5998	1287	334	1620	493	4218	27
4	Behea	4904	2388	331	2719	522	1994	55.5
5	Charpokhri	3621	1214	145	1359	215	2193	37.5
6	Garhani	3668	1148	148	1297	219	2301	35.3
7	Jagdishpur	9127	4627	490	5117	558	3942	56.1
8	Koilwar	3523	2217	380	2596	592	714	73.7
9	Piro	7149	3312	471	3782	543	3294	52.9
10	Sahar	3983	693	171	864	253	3037	21.7
11	Sandesh	4361	1534	155	1689	229	2598	38.7
12	Shahpur	4582	2094	383	2477	589	1899	54.1
13	Tarari	5917	2174	256	2430	379	3364	41.1
14	Udwantnagar	7212	2825	227	3051	336	4052	42.3
Total		**75285**	**27395**	**4361**	**31756**	**6308**	**39616**	**44.2**

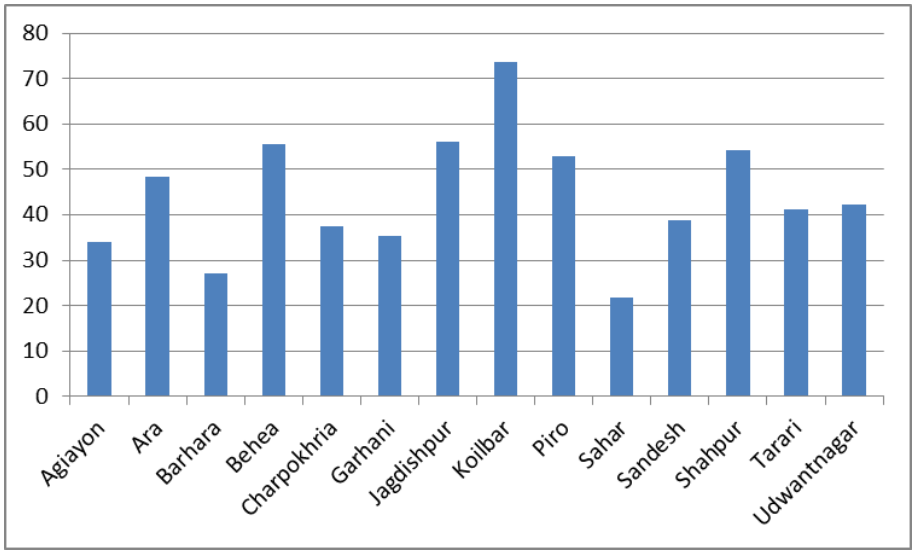

सारणी– (2.11) भोजपुर जिले के भूजल विकास का प्रखंडवार चरण

5 iz'kklfud <kapk

जिला प्रशासन में जिलाधिकारी सह समाहर्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईएएस के कैडर में कलेक्टर, जिला प्रमुख हैं। वह अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं।वह मुख्य रूप से नियोजन और विकास, कानून और व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्र एजेंसी क्षेत्रों, सामान्य चुनाव, हथियार लाइसेंस आदि विभाग देखते हैं। अतिरिक्त कलेक्टर–सह–अपर समाहर्ता जो बीएएस केडर से संबंधित है, जिले में विभिन्न अधिनियमों के तहत राजस्व प्रशासन चलाता है। उन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी नामित किया गया है। वह मुख्य रूप से नागरिक आपूर्ति, भूमि मामलों, खानों और खनिजों, गांव के अधिकारियों आदि से संबंधित है। DDC (जिला उप विकास आयुक्त) मुख्य रूप से जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग , समाज कल्याण विभाग, अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग , आवास की देख रेख करते है। विभागों के अतिरिक्त कलेक्टर (आपदा) जो बीएसी कैडर के अंतर्गत आता है, आपदा संबंधी गतिविधियों की देखरेख करते हैं। जिला स्तर पर विभागों में वि0प्र0से0 (BAS) और जिला स्तरिय पदाधिकारी है तथा प्रखण्ड एवं अंचल स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी कार्यरत है।

fjLikUl ds fy, ftyk Lrj ij lalk/ku ekufp=.k vkSj vkdyu

fofHkUu vkinkvksa ls fuiVus gsrq ftys miyC/k lalk/kuksa dh lwph

rkfydk 2 % ck<+ ls cpko ds lalk/ku

कमांक	विवरण / सामग्री	संख्या
1	सरकारी नाव	16
2	नजी नावों की सं0 जिनके साथ एकरारनामा किया गया है।	223
3	इनफ्लैटेबल मोटरबोट	03
4	महाजाल	04
5	लाइफ जैकेट	58
6	सर्च लाइट	02
7	इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम	01
8	वर्षा मापक यंत्र	14
9	पालीथीन शीट्स	14596
10	खोज एवं बचाव राहत दल सदस्य	69
11	प्रशिक्षित गोताखोर	142

जिले के अनुमण्डल एवं प्रखण्ड की सूची

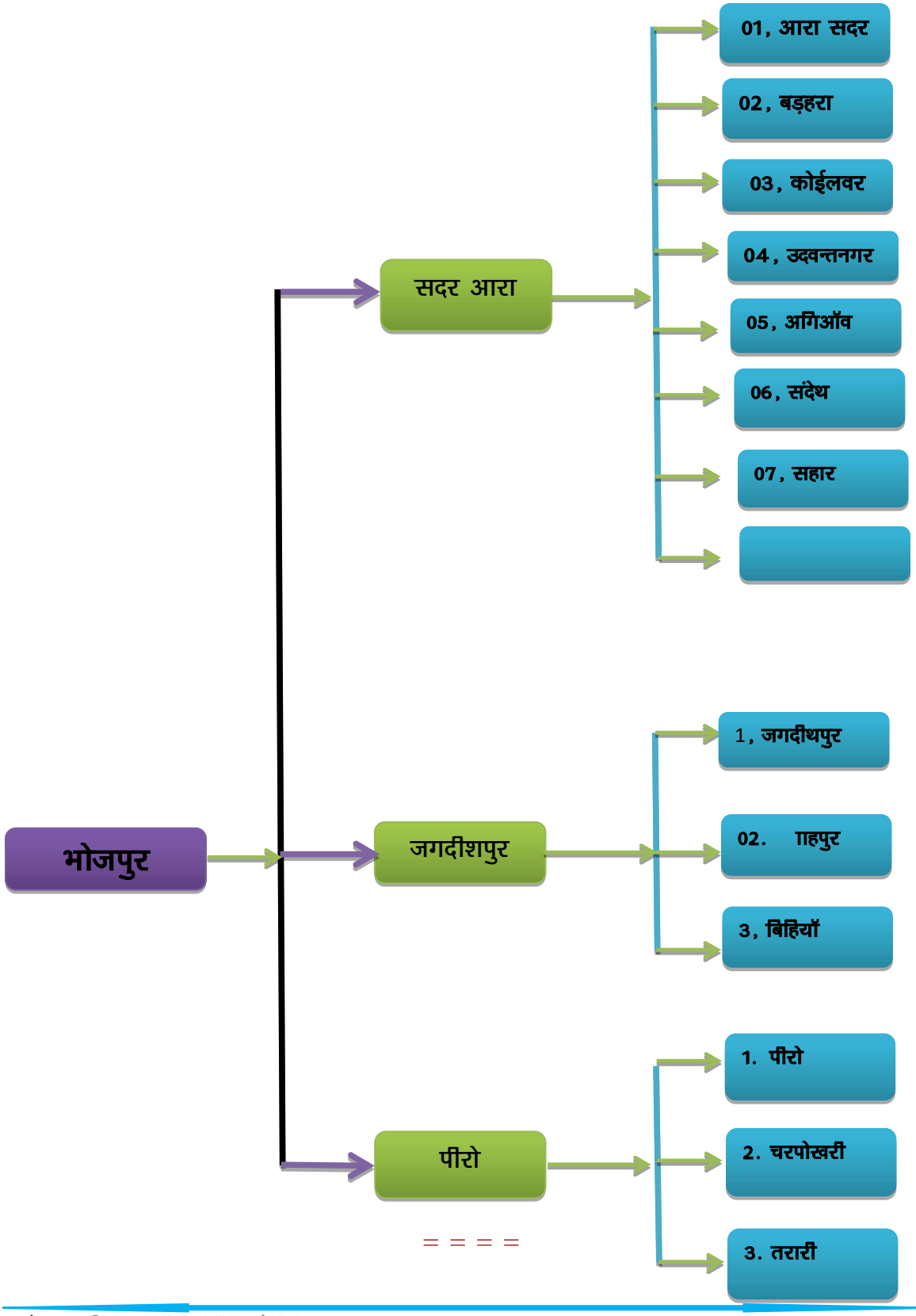

= = = =

अध्याय–3

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण

HAZARD, RISK, VUNLNERABILITY & CAPACITY ANALYSIS

इस अध्याय के अंतर्गत जिले में प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण किसी क्षेत्र विशेष में बसे हुये समूह/समुदाय की दैनिक गतिविधियों में अचानक रूकावट पैदा करने वाले अथवा जान–माल का नुकसान करने वाले बहु–आपदाओं के संदर्भ में यहाँ के लोगों द्वारा पूर्व में अनुभूत खतरों, खतरों के प्रभाव क्षेत्र में अवस्थित संवेदनशील समूह/समुदाय या पर्यावरण के लिए उत्पन्न जोखिम तथा इन आपदाओं से निपटने के लिए इनकी वर्तमान क्षमता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

जिले में विद्यमान विभिन्न खतरों के कालखंड :

खतरा/माह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	संवेदनशील प्रखंड/पंचायत
भूकंप													बड़हरा, कोईलवर एवं सदर आरा भकम्प क्षेत्र 04 में आते है।
बाढ़													बड़हरा, शाहपुर, सदर आरा, उदवन्तनगर, कोईलवर एवं बिहियॉ प्रभावित है।
सुखाड़													अगिऑव एवं संदेश
आग													संपूर्ण जिला में।
गर्मी/लू													संपूर्ण जिला में।
ओलावृष्टि													संपूर्ण जिला में।
उच्चगति हवा													59% क्षेत्र में 47 मी./से. गति की तेज हवा की आशंका।
शीतलहर													सभी प्रखंड में।
ठनका/वज्रपात													सभी प्रखण्ड में।
सड़क दुर्घटना													
औद्योगिक सुरक्षा													जिले में छोटे तथा मंझोले उद्योग है जिनसे जोखिम हो सकते है।
भीड़/भगदड़													बेलाउर सूर्य मंदिर में छठ पूजा के समय सर्वाधिक भीड़ होती है।
स्वास्थ्य/महामारी													विशेष प्रतिवेदित नहीं है।
रेल दुर्घटना													कुछ खतरनाक समपार चिह्नित है।
नाव/डुबान													नहरों में डूबने की घटना होती है।

खतरा एवं जोखिम आकलन

आपदा चिह्नितकरण : इस जिले में विभिन्न आपदाओं की तीव्रता, बारम्बारता तथा आपदा क्षति के आलोक में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।

जिला	भूकंप	बाढ़	सूखा	आग	सड़क सुरक्षा	औद्योगिक सुरक्षा	संदूषित जल	ओला	उच्चगति हवा	शीतलहर	गर्मी/लू	भीड़/मेला	मानव –पशु संघर्ष	स्वास्थ्य	रेल सुरक्षा	नाव/डूबना	ठनका/वज्रपात
भोजपुर																	

तीव्रता मापक

उच्च	मध्य	निम्न

3.1 जिले में संभावित खतरों का पार्श्वचित्र (Hazard Profile) :

खतरों के कालखंड तथा उनकी तीव्रता का विवरण पीछे के ग्राफ में दर्शाया गया है। इन खतरों के दुष्प्रभाव तथा जिले में पूर्व में घटित आपदाओं के दौरान मानव जीवन, निजी संपत्ति एवं सार्वजनिक संपत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

3.1.1 भूकंप :–

सिसमिक जोन के आधार पर भोजपुर जिला जोन– III में अवस्थित है। पृथ्वी की सतह पर अनुरेखीय स्वरूप (लिनामेंट) यथा "फाल्ट लाईन" के आधार पर बिहार के भूकंप प्रवण जिलों का मानचित्र जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वार निर्गत राज्य आपदा प्रबंधन योजना में मुद्रित है, में दर्शाया गया है कि कैमूर जिले के दक्षिणी सीमा के निकट पश्चिम से पूरब की ओर सोन नदी के समानान्तर एक "फाल्ट लाईन" गुजरती है। यह जिला भूकंप की दृष्टि से मध्यम खतरा वाला जिला है परंतु "फाल्ट लाईन" के पास के प्रखंडों में इसका खतरा ज्यादा बना रहेगा। फाल्ट लाईन के निकट भूकंपन की तीव्रता अधिक होती है तथा यहाँ अपेक्षाकृत अधिक विनाश व क्षति होते है।

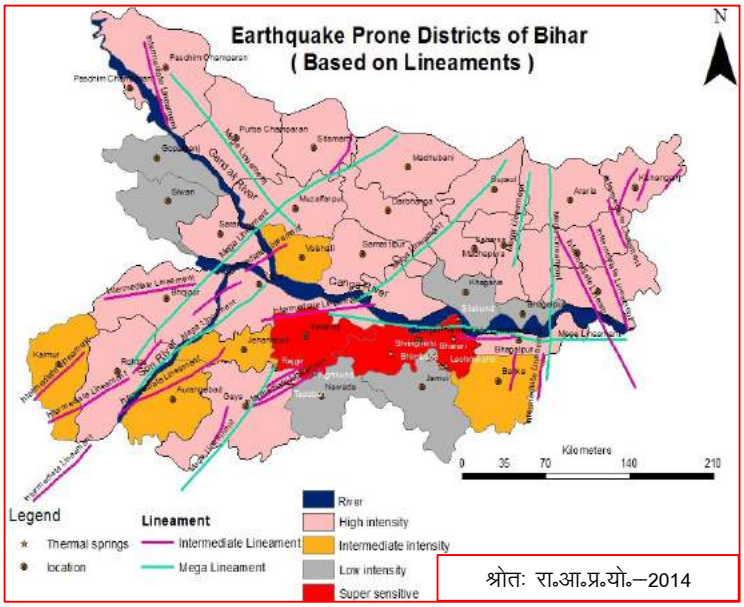

श्रोतः रा॰आ॰प्र॰यो॰–2014

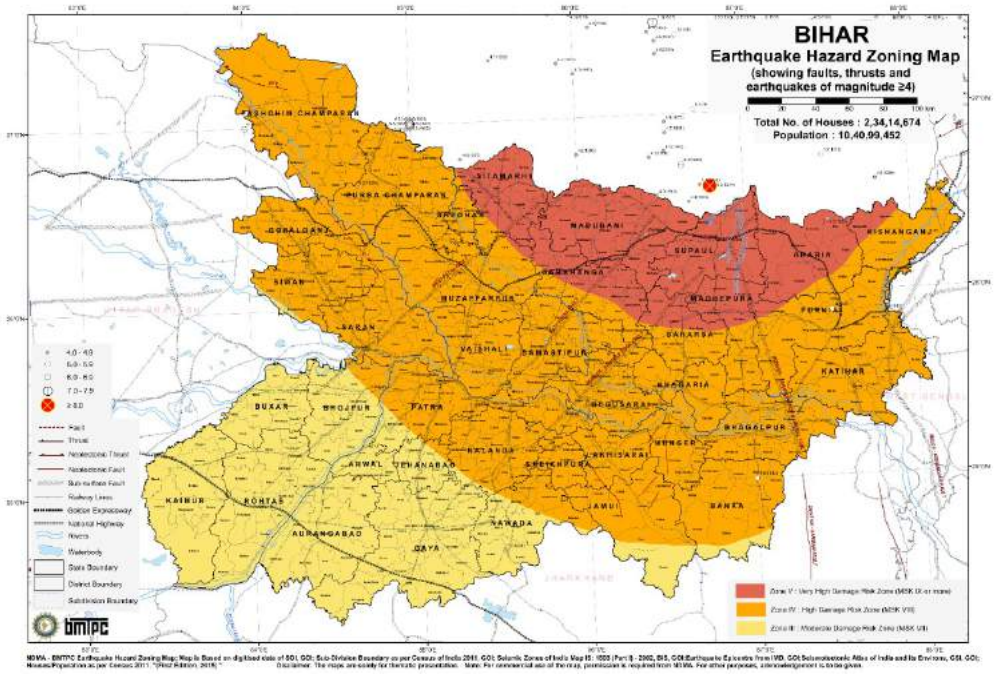

सारणी–(3.1) बिहार के बड़े भूकम्प :

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	पैमाना	मृतकों की सं॰	प्रभावित जिले
01	4 जून 1764	बिहार–नेपाल सीमा	6.0		
02	23 अगस्त 1833	नेपाल सीमा	7.7		
03	23 मई 1866	नेपाल सीमा	7.0		
04	23 मई 1866	झारखण्ड–बिहार सीमा	5.5		
05	30 सितम्बर 1868	हजारीबाग	5.7		
06	7 अक्टूबर 1920	बिहार–उत्तर प्रदेश	5.5		
07	15 जनवरी 1934	भारत–नेपाल सीमा	8.4	10,500	पटना, गया, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर
08	11 जनवरी 1962	भारत–नेपाल सीमा	6.0		मुंगेर एवं पूर्णियाँ
09	21 अगस्त 1988	भारत –नेपाल सीमा	6.7	1,000	मधुबनी, दरभंगा
10	18 सितम्बर 2011	सिक्कम–नेपाल सीमा	5.7		
11	25, 26 अप्रैल '15	भारत–नेपाल सीमा	6.6	60	पटना समेत नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिले

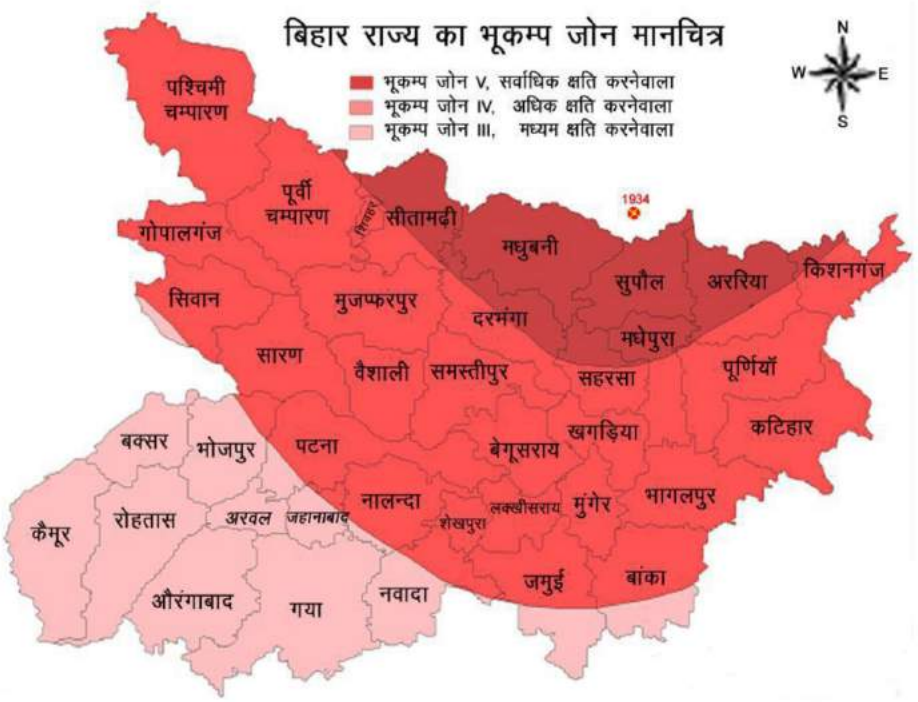

= = = = = =

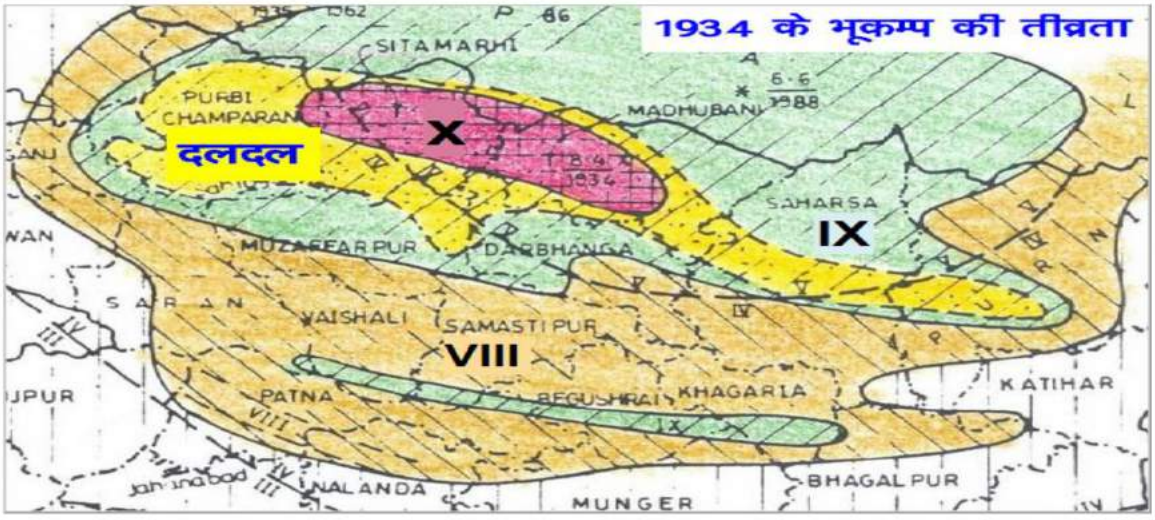

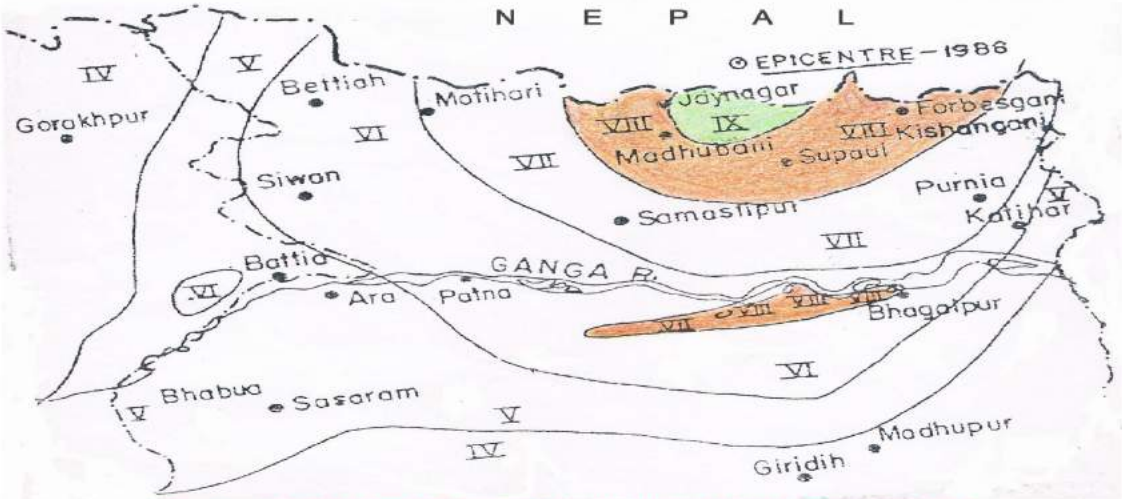

Fig. 2 : Iso-seismal map of 1988 Bihar-Nepal Earthquake

3.1.2 भूकम्प रोधी निर्माण हेतु राज मिस्त्रियों/अभियंताओं का प्रशिक्षणः– वर्श 2021 एवं वर्श 2019 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार पटना द्वारा विभिन्न विभागों से 26 कार्यपालक अभियंताओं को प्रशिक्षित किया गया तथा जिला अन्तर्गत सभी 14 अंचलों में भूकम्प रोधी निर्माण हेतु

(30–30) राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण कराया गया है। उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले राज्य मिस्त्रियों की सूची अनुलग्नक 1 में संलग्न है।

3.1.3 बाढ़ :–

बाढ़ आपदा जोखिम के लिए पूरा भोजपुर जिला संवेदनशील है। इस खतरे के प्रकोप से जिले के पूर्वी प्रखण्डों में गंगा नदी के बांये तट पर अवस्थित गांवों/पंचायतों तथा सोन नदी के तट पर कुछ खास प्रखण्डों के खास पंचायत ही प्रभावित होते हैं। जिला अन्तर्गत बाढ़ के मद्देनजर चयनित शरण स्थलों की अंचलवार सूची अनुलग्नक 05 पर उपलब्ध है।

सारणी–(3.2) प्रमुख नदी के उच्चतम जल स्तर का डाटा :

नदी का नाम/स्थल	जिला	पूर्व का उच्चतम जल स्तर	खतरे का निशान
सोन	भोजपुर	58.88	55.52
गंगा		56.08	53.08

श्रोत : केन्द्रीय जल आयोग, पटना

क्या करें और क्या नहीं

करने योग्यः–

- चेतावनियों और सलाह के लिए अपने स्थानीय रेडियो को ट्यून करें।
- उच्च भूमि पर ले जाएँ।
- वाहनों, उपकरणों, रसायनों, बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं आदि को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं।
- सभी बिजली के उपकरणों को डिस्कनेक्ट करें।
- घर से निकलने से पहले बिजली और गैस बंद कर दें।
- अपने कीमती सामान या सामान को बांधकर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर रख दें या जमीन के नीचे गाड़ दें।
- पशुओं और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों या ऊंची भूमि पर स्थानांतरित करना। उनके लिए कुछ चारा और चारा रखें।
- घरेलू सामान, पशुधन और फसल का बीमा करें।
- अपने घर से निकलने से पहले अपनी उत्तरजीविता किट या बुनियादी आवश्यक चीजें ले लें।
- बाढ़ के दौरान पहले सुरक्षा के बारे में सोचें।
- उथले पानी में चलते समय सावधानी बरतें।

नहींः–

- बच्चों को बाढ़ के पानी में या उसके पास खेलने की अनुमति न दें।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में न घूमें।
- अज्ञात गहराई और करंट के पानी में ड्राइव न करें।
- ऐसा भोजन न करें जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हो।
- बाढ़ के पानी में चलने या ड्राइव करने की कोशिश न करें।
- पुलों के पार न चलें क्योंकि वे गिर सकते हैं।
- संदूषण से बचने के लिए बाढ़ के पानी से संपर्क न करें।
- बहते पानी में न चलें – धाराएं भ्रामक हो सकती हैं, और उथला, तेज गति वाला पानी आपके पैरों को गिरा सकता है।

- तेज बहते पानी में न तैरें अन्यथा आप बह सकते हैं या पानी में किसी वस्तु से टकरा सकते हैं।

= = = = = =

3.1.4 सूखा :–

भोजपुर जिला अपने भौगोलिक बनावट के कारण बराबर ही सूखा जैसी आपदाओं को झेलता है। वर्ष 1966, 1970, 1971, 1972, 1979,1982,1992, 2001, 2004, 2009, 2010, 2014 में जिले में सूखे का असर गहरे रुप से पड़ा है। उत्तरदाताओं की नजर में विभिन्न वर्षों में सूखा सम्बन्धी जो आकड़े आए है उनकी पुष्टि विभिन्न स्तरों पर संकलित आंकड़ों से भी होती है। जिला स्तरीय आंकड़ा, द्वितीयक श्रोत से संकलित है, जबकि अनुमण्डल एवं 5% पंचायत स्तर पर उत्तरदाताओं से एकत्रित आंकड़े प्राथमिक श्रोत के है।

यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि सूखा किसी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक संरचना को धीरे–धीरे दीर्घकाल तक प्रभावित करता रहता है तथा इससे विकास की प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं।

सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मनानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुखाड़ प्रबंधन हस्तक में वर्णित सुखाड़ घोषित करने के आधारों एवं कारकों के आलोक में बिहार सरकार द्वारा भी अपने मानक संचालन प्रक्रिया में सुखाड़ घोषित करने के पैमाने को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है। (बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक –1 प्रा॰आ॰–17 / 2011 3759 / आ॰प्रा॰ दिनांक 18.10.2016), संशोधन के मुख्य बिन्दु नीचे के तालिका से स्पष्ट है। *देखे खड–2 के अनुलग्नक –2* पर ।

- *कृषि के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन की है। कार्बन डॉयक्साइड, कार्बन मोनेक्साइड और मिथेन जैसी खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ा है जो जलवायु परिवर्तन के रूप में सबके सामने आया है।*
- *जलवायु परिवर्तन का अर्थ है– मौसम चक्र का बदलाव। इसके दो प्रमुख आयाम है। तापमान में बढ़ोत्तरी और वर्षा पैटर्न में बदलाव। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर खाद्यान उत्पादन पर पड़ता हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए अपनी फसलों और कृषि के तौर तरीकों में आवश्यकतानुसार बदलाव लाने होगें। खेती किसानी में प्रकृति और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना होगा।*

सूखे का संकेतक :

- वर्षा का कम होना, समय पर नहीं होना या वर्षा की अपर्याप्तता लगातार बने रहना।
- भू–जल स्तर में नियमित रूप से लगातार गिरावट आना।
- पानी के अभाव में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ना और अंततः बर्बाद हो जाना।
- तालाबों एवं जलाशयों में पानी का कम होना तथा नित्य जल स्तर का गिरना।
- फसल लगाने पर प्रतिकूल स्थिति में फसल का नहीं लग पाना।

सारणी – (3.3) सुखे की स्थिति : भोजपुर (1966–2015)

क्र0	वर्ष	कुल वर्ष	कारण
01	1966,70,71,72,79,82,92,2001,04,09, 10, 2014	12	कम मानसूनी वर्षा, नहरी सिंचाई क्षेत्रों में नहर के निचली छोर के निकट पानी का अभाव।

उपर वर्णित सारणी (3.6) के अतिरिक्त सुखाड़ घोषित करने हेतु इन्हें भी ध्यान में रखना होगा –

सूखे के लिए उत्तरदायी कारकों में कुछ कारक प्राकृतिक है तो कुछ मानवीय भी। मानवीय कारक के अन्तर्गत 'नहर' के अन्तिम छोर तक पानी का नहीं पहुँच पाना हैं। नदी से पटवन का साधन नहीं होना, सिंचाई की व्यवस्था का नहीं होना आदि भी है। जबकि प्राकृतिक कारकों में भू–जल स्तर का गिरना, पहाड़ी जमीन, कम वर्षा का होना आदि है। जिले की भौगोलिक स्थिति तथा यहाँ की मिट्टी की संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ अक्सर सूखाड़ की स्थिति बन जाती है। भोजपुर में काली मिट्टी, केवाल, व्लेयर मिट्टी, रेत एवं कंकरयुक्त मिट्टी, पीलापन लिए हुए लाल रंग की अम्लीय मिट्टी आदि पाई जाती है। नहरों के अंतिम छोर तक नहर का पानी नहीं पहुँच पाता है तथा

किसान पानी की उम्मीद लगाये बैठे होते। निम्नांकित सारणी एवं ग्राफ में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वर्षा संबंधी आंकड़े कृषि विभाग, बिहार के श्रोत से लिए गए है।

भूजल की मात्रा एवं गुणवत्ता : उच्च मैग्नीशियम और लवणता के खतरों वाले कुछ स्थानों को छोड़कर क्षेत्र में भूजल पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है। जिले के शाहपुर, बेहिया, कोइलवार और आरा के ब्लॉकों में गंगा नदी के किनारे से लगे भूजल में आर्सेनिक की असामान्य सांद्रता से दूषित होने की सूचना है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने गहरे जलभृतों में आर्सेनिक संदूषण की सीमा और सीमा को समझने के लिए विशेष खोज कार्यक्रम शुरू किया है और संगठन अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में ताजा और आर्सेनिक मुक्त पानी प्राप्त करने के तरीके खोज रहा है।

भूजल की सामान्य गुणवत्ता और विभिन्न रासायनिक घटकों का वितरण निम्न तालिका में दिया गया है, जो जिले से एकत्र किए गए पानी के नमूनों के रासायनिक विश्लेषण द्वारा प्राप्त किए गए थे।

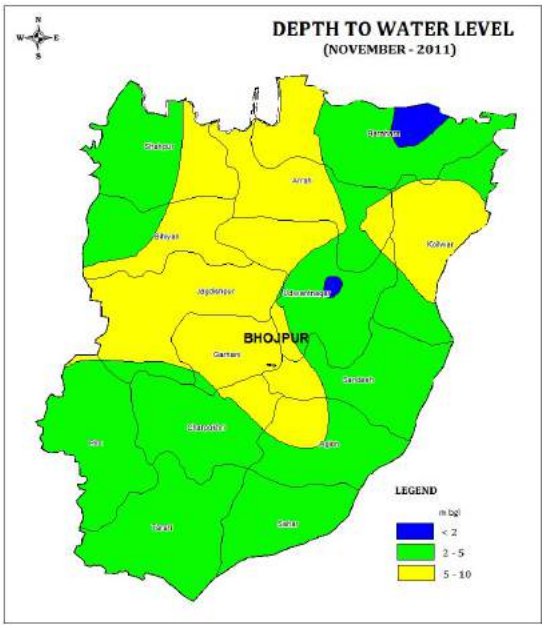

पोस्ट–मानसून 2011 का गहराई से जल स्तर का नक्शा।

= = = = = =

3.1.5 आग :

इस जिले में अग्निदहन से संबंधित जोखिम एवं संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से अग्निकांड को प्राकृतिक तथा मानव जनित खतरा के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। अधिकांशतः जब गांवों में थोड़ी असावधानी से झोपड़ियों में आग लग जाती है तब उस समय प्राकृतिक रूप से चलने वाली हवा उसके कारक को बढ़ावा देती है, जबकि घरों तथा औद्योगिक संस्थानों में विद्युत फिटिंग के खराब रखरखाव एवं असावधानियाँ मानव जनित अग्निदहन का कारक बनती हैं। बिहार सरकार ने आग को स्थानीय आपदा के रूप में चिन्हित किया है।

सारणी – (3.4) भोजपुर जिला अंतर्गत कार्यरत अद्यतन बलों का संख्याः–

पदनाम	संख्या
स्टेशन ऑफिसर	00
सब–ऑफिसर	3
प्रधान अग्निक	02
प्रधान चालक	0
अग्निक	29
अग्निक चालक	29
कुलः–	**63**

कुल तीन फायर स्टेशन आरा, पीरो एवं जगदीशपुर कार्यरत है जिसमें कुल पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या 63 है।

सारणी – (3.5) जिला अंतर्गत वर्शवार अग्निकांडों का आंकड़ा :–

क्र0 सं0	वर्श	कुल अग्निकांडों की संख्या	अभियुक्ति
01	2020	160	मृत मनुष्य – 01, मृत/घायल पशु –11
02	2021	324	मृत मनुष्य – 01, मृत/घायल पशु –13
03	2022 अबतक	327	मृत मनुष्य – 0, मृत/घायल पशु –16

सारणी – (3.6) भोजपुर जिला अंतर्गत वर्शवार मॉक ड्रील का आंकड़ा :–

क्र0 सं0	वर्श	कुल मॉक ड्रील की संख्या	अभियुक्ति
01	2020	160	विभिन्न स्थानों/संस्थानों में।
02	2021	324	
03	2022 अबतक	327	

सारणी – (3.7) भोजपुर जिला अंतर्गत वर्शवार फायर ऑडिट का आंकड़ा :–

क्र0 सं0	वर्श	कुल फायर ऑडिट की संख्या	अभियुक्ति
01	2020	160	कोविड के कारण ऑडिट नही हुआ है।
02	2021	324	विभिन्न स्थानों/संस्थानों में।

03	2022 अबतक	327	

खतरे का आकलन : हर वर्ष मार्च, अप्रैल तथा मई के महीनों में अधिक तापमान, कम नमी, तेज वायु तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग की प्रबल संभावना बनती है। इस जिला में अग्नि से ज्यादातर खतरा ग्रामीण इलाकों में फूस, खपरैल और कच्चे मिट्टी की सहायता से बने झोपड़ियों को रहती है। फसल कटने के बाद खेत में छोड़े गये डंठल, भूसौल में रखा गया भूसा तथा चूल्हे पर धान उसनने के क्रम में लगी आग को भी खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। खेत में 'हारवेस्टर' के जरिए फसल काटने के बाद छोड़े गये डंठल को नष्ट करने के लिए आग लगाने से भी अग्निदहन का खतरा बना रहता है।

जिले के उपनगरीय इलाकों में असुरक्षित रसोई घर तथा किरोसिन लैम्प से झोपड़ियों में आग लगने की घटना घटित होती रहती है। वहीं निजी एवं सरकारी भवनों तथा कार्यालयों में पुराने जीर्णशीर्ण तारो के कारण विद्युत के शार्ट सर्किट से आग लगने की घटना होती रहती है। अग्निकांड किसी भी जगह हो सकता है इसलिए, इसको कम करने तथा इससे निपटने हेतु हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है।

वन क्षेत्र में आग लगने के कारण : भोजपुर में पाये जाने वाले जंगलों को देखते हुए अग्निकांड के निम्नलिखित संभावित कारणों से सचेत रहने की जरूरत है। वे है :–

- महुआ चुनने के वक्त ग्रामीणों द्वारा नीचे सूखे पते में आग लगाना।
- बांस के घर्षण से आग ।
- सिगरेट–बीड़ी फेंकना ।
- मधुमख्खी का छत्ता छुड़ाने वक्त लगायी गयी आग।

= = = = = =

3.1.6 सड़क दुर्घटना :

भोजपुर जिले में सड़क दुर्घटना से संबंधित संवेदनशीलता एवं जोखिम का आकलन राज्य तथा जिले में पूर्व में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर किया जा सकता है। राज्य द्वारा तेज परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पक्का रोड घनत्व में तेजी से वृद्धि की गई है। ये नई सड़के घनी आबादी के बीच से गुजरती है। इन सड़कों पर दुर्घटनायें हाल के दिनों में काफी बढ़ी है। भोजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग तथा मुख्य जिला सड़क में काफी वृद्धि की गई है। इन सड़कों पर बढ़ती हुई सड़क हादसा अर्थव्यवस्था, जनस्वास्थ्य एवं जनकल्याण के कार्यों पर ऋणात्मक प्रभाव छोड़ती है।

एक अवांछनीय या दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो अनजाने में लापरवाही, अनभिज्ञता, अज्ञानता, प्रणाली की विफलता या इन कारणों के संयोजन से उत्पन्न होती है जो आमतौर पर नुकसान, चोट, जीवन की हानि, आजीविका या संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है।

भविष्य में उनसे कैसे बचा जाए, इसकी पहचान करने के लिए विशेष रूप से सामान्य प्रकार (ऑटो, आग, आदि) की दुर्घटनाओं की जांच की जाती है। इसे कभी–कभी मूल कारण विश्लेषण कहा जाता है, लेकिन आम तौर पर यह उन दुर्घटनाओं पर लागू नहीं होता है जिनकी निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। एक असामान्य और पूरी तरह से यादृच्छिक दुर्घटना का मूल कारण कभी भी पहचाना नहीं जा सकता है, और इस प्रकार भविष्य में इसी तरह की दुर्घटनाएं ''आकस्मिक'' रहती हैं।

= = = = = =

3.1.7 रेल दुर्घटना :

जिला मुख्यालय, आरा, देश के अन्य प्रमुख शहरों से ट्रेन द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आरा जंक्शन (ARA) से 150 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। आरा के अलावा जिले के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन बिहिया, कुलहरिया, बनही, कोयलवार, करिसथ, पिरो, गढ़ानी हैं जो जिले के अधिकांश कस्बों और गांवों को जोड़ते हैं। जिले में रेल संबंधी आपदा की दृष्टि से रेल और राज्य प्रशासन द्वारा सुरक्षा हेतु गया एवं मुगलसराय खंड पर पुरी तैयारी बरती जाती है। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकारी रेल पुलिस (जी.आर.पी.) तथा रेल परिसम्पति की सुरक्षा हेतु रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) तैनात की जाती है।

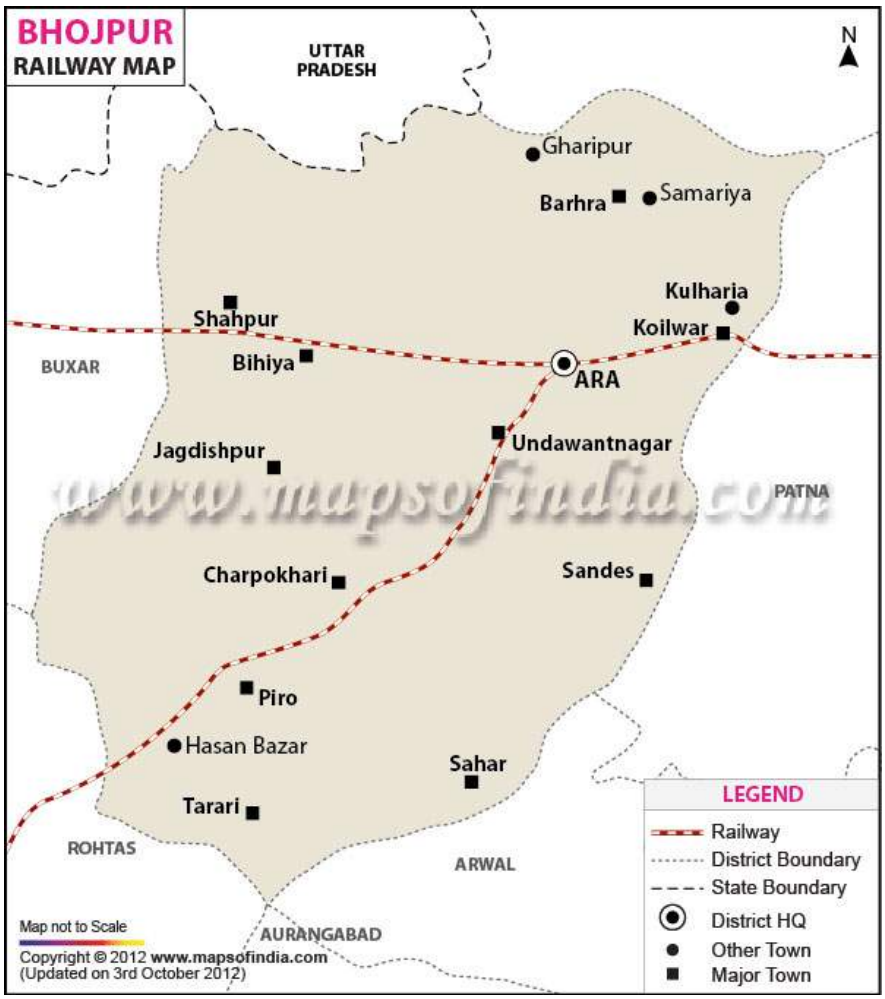

मानव रहित समपार पर दुर्घटना : भारतीय रेल ने कई जगहों पर लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से समपार (गुमटी) की व्यवस्था कर रखी हैं या फिर उपरी पुल बनाने के बाद समपार को पूर्णतया बंद करने का प्रबंध किया है। इसके बावजूद राज्य के अन्दर कई रेल लाईन पर समपार है जिनके देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं है तथा इस पर रेलगाड़ियाँ सरपट दौड़ती है। ऐसे मानव रहित समपार पर दुर्घटना यदा–कदा प्रतिवेदित होती हैं।

एक ओर यह मांग रही है कि रेलवे इन जगहों पर गुमटियाँ (फाटक) निर्मित करें, वहीं इन जगहों पर चालकों द्वारा असावधानी बरतने की वजह से भी दुर्घटनाएँ हो जाया करती है। जिले में रेल मार्ग की स्थिति को देखते हुए निम्नाकित सूचनाएँ अंकित की जा रही है।

= = = = = =

3.1.8 नाव/डुबाने :

नाव दुर्घटना एवं डुबने की घटनाएँ कुछ खास जगहों पर ही होती हैं जहाँ पानी की उपलब्धता निश्चित हो यथा नदियाँ, झरने, नहरें या तालाब आदि है। भोजपुर जिले में नदियों की संख्या दो हैं जिनमें सोन एवं गंगा नदी में वर्षों भर पानी रहता है।

बिहार की स्थलाकृति कई बारहमासी और गैर–बारहमासी नदियों द्वारा चिह्नित है, जिनमें से नेपाल से निकलने वाली नदियों को उच्च तलछट भार ले जाने के लिए जाना जाता है जो तब बिहार के मैदानी इलाकों में जमा हो जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा मानसून के 3 महीनों में केंद्रित होती है, जिसके दौरान नदियों का प्रवाह 50 गुना तक बढ़ जाता है जिससे बिहार में बाढ़ आ जाती है। बिहार सरकार के बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ के अनुसार, बिहार की बाढ़ को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:–

कक्षा I फ्लैश फ्लड– नेपाल में वर्षा के कारण होने वाली बाढ़, लीड टाइम कम (8 घंटे), बाढ़ के पानी का तेजी से घटनाय

कक्षा II नदी की बाढ़– 24 घंटे का नेतृत्व समय, बाढ़ के पानी की कमी 1 सप्ताह या उससे अधिक हैय

कक्षा III नदी के संगम में जल निकासी की भीड़– 24 घंटे से अधिक समय तक चलने वाला, पूर्ण मानसून का मौसम (यानी बाढ़ के पानी की कमी में 3 महीने लगते हैं)।

जैसे, उत्तर बिहार के 73.63 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को बाढ़ प्रवण माना जाता है। 38 जिलों में से, 28 जिलों में बाढ़ आ जाती है (जिनमें से 15 जिले सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं) जिससे संपत्ति, जीवन, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे का भारी नुकसान होता है। 2008 कोसी बाढ़ के दौरान, 350,000 एकड़ से अधिक धान, 18,000 एकड़ मक्का और 240,000 एकड़ अन्य फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे करीब 500,000 किसान प्रभावित हुए।

सारणी–(3.8) डूबने की घटनाएँ :

क्र॰सं॰	वर्ष	घटना	मृतक
1	2016	4	4
2	2017	7	7
3	2018	15	15
4	2019	13	13
5	2020	52	52

श्रोतः आपदा प्रबंधन शाखा, भोजपुर

डूबने से होने वाली मौतों के निम्न कारण प्रमुख है:

- नहर एवं नदी से उत्पन्न खतरों की उपेक्षा या गलतफहमी एवं उचित जानकारियों का अभाव ।
- नहर अथवा नदी के पास असावधानी बरतना।
- खतरों वाली जगहों तक बिना किसी बाधा, बिना किसी सूचना एवं सुरक्षा के सुलभ पहुँच।
- निगरानी एवं पर्यवेक्षण की कमी ।
- बचाव के कौशल यथा तैराकी आदि या अन्य बचाव के तरीके की जानकारी का अभाव ।
- डूबने/संकट के दौरान उस व्यक्ति का बचाव करने में वहाँ उपस्थित समूह/व्यक्तियों की असमर्थता ।
- अचानक नदी की गहराई का अधिक हो जाना।
- तैरना नहीं आना।
- बच्चों पर ध्यान नहीं देना।

राज्य में छठ महापर्व – 2016 के दौरान डूबने से हुई 47 मौतों का संज्ञान लेते हुये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक अध्ययन करवाया। इस अध्ययन के दौरान उन प्रत्येक परिवारों से संपर्क किया गया जिनके घरों में मौतें हुई थी और साथ ही इसके विभिन्न आयामों पर भी जानकारियाँ एकत्र की गयी। प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले गये :–

- डूबने से हुई 47 व्यक्तियों की मौत राज्य के 20 जिलों में हुई।
- इन 47 व्यक्तियों की मौतों में 40 पुरूषों एवं 7 महिलाओं की मौत हुई थी।
- डूबने से हुई मौतों में बच्चों की संख्या (6–18 वर्ष) सबसे ज्यादा 39 थी। जो लगभग कुल मौतों का 82 प्रतिशत से ज्यादा है।
- जानकारी प्राप्त हुई कि इन 47 व्यक्तियों में से 43 लोग ऐसे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था।
- डूबने के स्थान के संदर्भ में जानकारी मिली कि सबसे ज्यादा मौतें तालाब और तालाब के समान संरचना (नदी का छाड़न) में हुई। नहर में 4 और नदी में 16 लोगों की मौतें हुई।

- नाव परिचालन के क्रम में निरीक्षण की कमी।
- नाविकों द्वारा सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन नहीं करना।
- नहर के पास या जलप्रपात के समीप सेल्फी लेना।

3.1.9 "सुरक्षित तैराकी " अन्तर्गत मास्टर ट्रैनर्स का प्रशिक्षणः– वर्श 2019 में जिला अन्तर्गत प्रखण्ड शाहपुर एवं बड़हरा से "सुरक्षित तैराकी " अन्तर्गत मास्टर ट्रैनर्स का प्रशिक्षण कराया गया है। उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक– 02 में संलग्न है।

3.1.10 नाविक एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षणः– जिला अन्तर्गत कुल 05 नाविक एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण कराया गया है। उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक– 04 में संलग्न है।

= = = = = =

3.1.11 भीड़ (मेला)/भगदड़ :

अफवाह का फैलना, असामाजिक तत्वों की सक्रियता, धैर्य का अभाव, शीघ्रता से भीड़ भरे स्थल को छोड़ने की मानसिकता, भीड़ से बच निकलने की जल्दी आदि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो भीड़ को भगदड़ में बदल डालती है। भगदड़ की स्थिति बनने के उपरान्त मरने एवं घायल होने वालों की संख्या का अन्दाजा लगाना कठिन हो जाता है। अपनी जान बचाने की मानसिकता के फलस्वरूप जो शारीरिक गतिविधियाँ बनती है वे दूसरों के जान की परवाह नहीं करती। तभी तो भगदड़ में यदि कोई जमीन पर गिर जाता है तो उसके शरीर के उपर से पूरी भीड़ गुजर जाती है तथा उसे उठ खड़ा होने का मौका नहीं देती। तात्पर्य यह कि दूसरों के जान की चिंता किए वगैर भगदड़ में बदल जाती है। पटना में गुरू गोविन्द सिंह के 350वीं जंयती के अवसर पर आयोजित विश्वस्तरीय प्रकाश उत्सव के दौरान सरकार द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए बनाई गयी योजना एवं इसका क्रियान्वयन एक मील का पत्थर है । राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर भीड़ प्रबंधन की इस अनुठी योजना की काफी सराहना की गई है जो इस जिले के लिए अनुकरणीय हो सकता है।

= = = = = =

3.1.12 जलवायु परिवर्तन :

भोजपुर जिला की मिट्टी संरचना, कृषि, जलवायु आदि के आधार पर इसे बिहार के कृषि जोन –III B वाले जिलों के साथ रखा गया हैं। इस जोन में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले तापक्रम तथा वर्षापात के आंकड़े कृषि विभाग द्वारा संकलित किया गया है। विगत 58 वर्षों के आंकड़ों को लेकर ''कृषि विभाग, बिहार द्वारा कराये गये अध्ययन में वर्षापात तथा तापमान में वार्षिक परिवर्तन का रूख जानने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के आधार पर कृषि जोन –III B में अवस्थित जिलों में प्रति वर्ष तापमान तथा वर्षापात् में परिवर्तन की निम्न प्रवृति देखी गई।

- अधिकतम तापमान – कमी (–0.003 डिग्री से॰/प्रति वर्ष)
- न्यूनतम तापमान – वृद्धि (+0.027 डिग्री से॰/प्रति वर्ष)
- मध्य तापमान – वृद्धि (0.012 डिग्री से॰/प्रति वर्ष) (श्रोत : बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर)

कृषि विभाग, बिहार ने एक अध्ययन रिपोर्ट 'मेनस्ट्रिमिंग क्लाइमेट स्मार्ट विलेज' के माध्यम से 'स्केलिंग अप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर' पर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराया है। जिसका राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय तथा इंडियन कॉउसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से लागू कराया जा रहा है। जनवरी, 2017 की रिपोर्ट में बिहार के सभी जिलों को जलवायु परिवर्तन के कारण संवेदनशील माना है।

इस तथ्य को उपर वर्णित अधिकतम, न्यूनतम तथा मध्य तापमान यह दर्शाता है कि भोजपुर जिला में भी समय–समय पर बढ़ोतरी और कमी की संभावना है। पूर्व में (सारणी–3.7) वर्षापात के आंकड़े भी यह बताता है कि पिछले वर्षों में अपेक्षित वर्षा तथा वास्तविक वर्षा में अंतराल रहा है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक के लिए बिहार जलवायु अनुमानों में हर महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान (2 से 4 डिग्री सेटीग्रेट तक) में वृद्धि के रूझान को उजागर किया है। इससे ग्रामीण जनता की कृषि, खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है। (देखे www.bameti.org के विषय 'क्लाइमेट चेन्ज' में)

भोजपुर जिला मुख्य रूप से जलोढ़ (प्लेट प्ट) से आच्छादित है और विंध्य सुपरग्रुप की कठोर चट्टानें जिले की सीमा से परे दक्षिण–पश्चिम की ओर स्थित हैं। जिले के उत्तर और उत्तर पूर्व के हिस्से नए जलोढ़ और छोटे बाढ़ के मैदानों (दियारा संरचनाओं) से आच्छादित हैं, जबकि मध्य और दक्षिणी भाग पुराने जलोढ़ और पुराने बाढ़ के मैदानों से आच्छादित हैं। जिले के पूरे क्षेत्र में उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर एक सामान्य ढलान है। सामान्य औसत समुद्र तल के संबंध में ऊंचाई 50–90 मीटर है। ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 0.6 मीटरधकिमी है।

जिले का उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्र बैलों की झीलों से भरा हुआ है, पुराने गंगा चौनलों द्वारा छोड़े गए बिंदु सलाखों के साथ गहरे निशान हैं। स्थानीय छोटी नदियाँ गंगा नदी के मेन्डर बेल्ट में प्रवेश करने से पहले थोड़ा याजू पैटर्न का पालन करती हैं और गंगा नदी के दक्षिणी तट के समानांतर कुछ किलोमीटर बहती हैं।

= = = = = =

3.1.13 गर्मी / लू :

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रकाशित बिहार का जिलावार तापक्रम मानचित्र यह दर्शाता है कि भोजपुर जिला में अब तक संकलित अधिकतम उच्चतम तापमान 48 से 49 डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया है, तथा अधिकतम औसत तापमान 40 से 41 डिग्री सेन्टीग्रेट के बीच (मई महीने में) पाया गया है। तापक्रम संबंधी अभिलेख इस जिले की लू एवं उष्णता संबंधी जोखिम की तीव्रता बताती है जो कि बिहार में अधिकतम है।

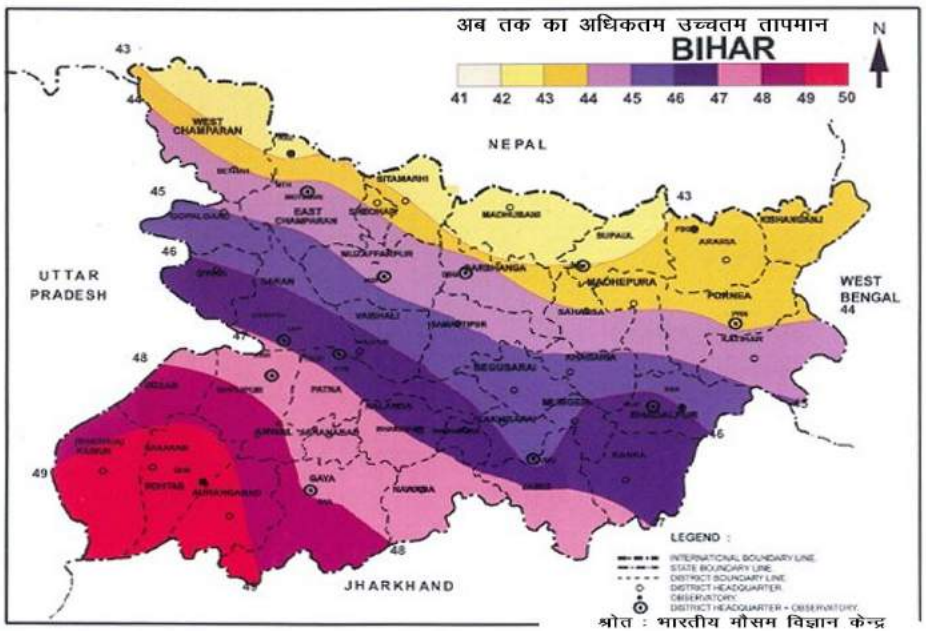

श्रोत : भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र

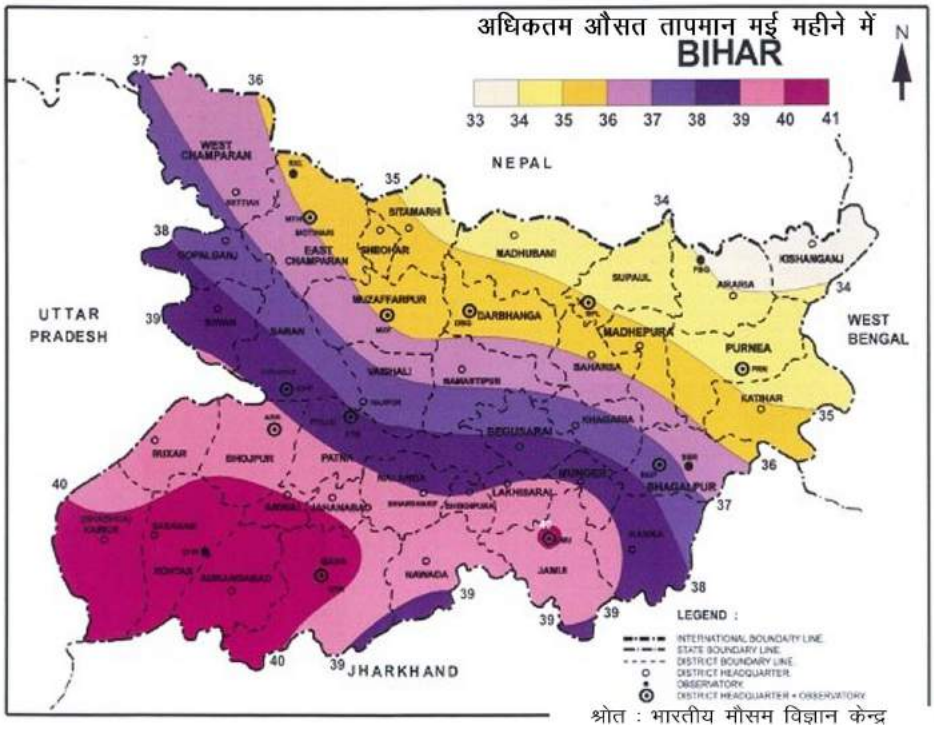

श्रोत : भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र

14वीं वित्त आयोग के प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने कुछ अन्य आपदाओं समेत लू को स्थानीय आपदा घोषित किया है ताकि ऐसे मौकों पर विशेष कार्य योजना बनाने तथा विशेष सहायता देने में सुविधा हो सके।

गर्मी के मौसम में वातावरण में गर्मी एवं नमी का बदलाव होना स्वाभाविक है इसलिए भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी या लू या उष्माघात को परिभाषित किया है। केन्द्र की परिभाषा के अनुसार अगर किसी समय सामान्य तापक्रम से 4.5–6.4 डिग्री अधिक हो तो उसे भीषण गर्मी या लू की संज्ञा दी जाती हैं। मैदानी इलाकों में जब तापमान लगातार 40^0 सेन्टीग्रेड से ज्यादा बना रहे तो हम उसे भीषण गर्मी या लू की स्थिति कहते है। उपरोक्त स्थिति अगर दो–तीन दिनों तक बनी रहे तो एक कार्य योजना के तहत मौसम विभाग के पुर्वानुमान को आधार मानकर तैयारी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

खतरे का परिणाम :

- घमौरी (गर्मी के कारण फोड़े)।
- ऐठन (गर्मी के कारण क्रैम्प)।
- बेहोश हो जाना (गर्मी से मुर्छा)।
- गर्मी से थकावट ।
- उष्माघात (सनस्ट्रोक)।
- निर्जलीकरण (डिहाईड्रेशन)।

इस स्थिति में व्यक्ति आपात स्थिति में जा पहुँचता है और प्राथमिक सहायता के साथ–साथ तुरंत चिकित्सीय सहायता की जरूरत होती है।

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी या लू की स्थिति को 'कलर कोड' से चिन्हित किया है। इससे जनमानस को भी आसानी से समझने में सहुलियत होगी। नीचे की सारणी में कलर कोड को दर्शाया गया है–

सारणी – (3.15) ग्रीष्म लहर की चेतावनी हेतु कलर कोड :

कलर कोड	ग्रीष्म लहर की स्थिति	तापमान
लाल रंग गंभीर परिस्थिति	अत्यन्त गर्म हवा से सचेत करने का दिन	सामान्य (अधिकतम) तापमान से लगभग 6^0 डिग्री सेंटीग्रेड या और ज्यादा होने पर
नारंगी रंग मध्यम परिस्थिति	गर्म हवा से सतर्क रहने का दिन	सामान्य (अधिकतम) तापमान से 4^0 से 5^0 डिग्री सेंटीग्रेड
पीला रंग गर्मी की लहर की चेतावनी	गर्म दिन	सामान्य (अधिकतम) के आसपास का तापमान
सफेद रंग सामान्य	सामान्य दिन	सामान्य से कम तापमान होने पर

= = = = = =

3.1.14 शीतलहर :

सामान्यतः बिहार में यह आपदा दिसम्बर से जनवरी के बीच ठंढ़ की व्यापकता और तीक्षणता जब प्रचण्ड एवं भयावह रूप लेती है तो यह शीतलहर कहलाती है।

खतरे का पैमाना : शीतलहर की श्रेणी में लाने हेतु ठण्ढ़ की तीव्रता का पैमाना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। बिहार सरकार, आपदा प्रबन्धन विभाग का पत्रांक 4285 दिनांक 18.10.2012 पर देखा जा सकता है।

शीतलहर की स्थिति	तापमान
शीतलहर	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10^0C या उससे अधिक पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 7^0C कम हो जाए।
	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10^0C या इससे कम पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान स 5^0C से कम हो जाए।
पाला	जहाँ तापमान 0^0C से कम हो जाए या रबी फसल के लिए असामान्य स्थिति हो तो इसे पाला कहा जायेगा।

इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान ने भी किसी भी क्षेत्र के सामान्य दिन (अधिकतम) और रात (न्यूनतम) के तापमान के अन्तर को, उष्णता/शीतलहर के लिए तापमान को परिभाषित करने का आधार मानता है। शीतलहर को मध्यम या तीव्र तब माना जाता है, जब वर्तमान न्यूनतम तापमान सामान्य से (6–7^{0}C) कम हो जाए अथवा 8^0C से अधिक कम हो जाए। अब इसके आकलन में स्थानीय जलवायु की स्थितियाँ और तापमान में हुए परिवर्तनों को भी महत्व देने की बात की जाती है।

= = = = = =

3.1.15 ठनका/वज्रपात :

विगत कुछ वर्षों में बिहार के कई जिलों में वज्रपात का प्रकोप देखने को मिला है जिसमें कई जाने चली गई है। विगत वर्ष 2016 में बिहार में 57 लोगों की मृत्यु एक ही दिन वज्रपात से हो गयी। वर्ष 2016 में सिर्फ भोजपुर जिले में 3 लोगों की वज्रपात से मृत्यु हो गई। विगत 5 वर्षों (2012–2016) में हर वर्ष लगभग 4 लोागों की मृत्यु ठनका गिरने से होता है जो यह बताता है कि वज्रपात एवं ठनका की दृष्टि से यह जिला संवेदनशील है तथा अधिकतर गरीब वर्ग के लोग इसके शिकार होते है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर चेतावनी जारी की जाती है।

सारणी–(3.16) भोजपुर में वज्रपात से मृत्यु :

क्र॰ सं॰	वर्ष	घटना	मृतक
1	2016	3	3
2	2017	2	2
3	2018	2	2
4	2019	5	5
5	2020	14	14
6	2021	15	15

श्रोतः आपदा प्रबंधन शाखा, भोजपुर

ज्योंही पृथ्वी की ओर वज्रपात चलता है काफी मात्रा में विद्युत निरावेश बादलों से पृथ्वी की ओर चल देती है। विद्युत निरावेश का भय तब अधिक हो जाता है जब बादलों के भीतर विद्युत आवेश की मात्रा बढ़ती है। 'फिल्ड मिल' यंत्र के द्वारा बादलों के भीतर के आवेश का मापन हो जाता है। जैसे ही यह एक निर्धारित सीमा में पहुँचता है इसके पृथ्वी पर गिरने की सम्भावना बनने लगती है। इससे संबंधित सूचना प्रसारित कर दी जाती है।

= = = = = =

सारणी–3.10 जिला अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से मृत व्यक्तियों की संख्यात्मक विवरणीः–

क्र0	वर्ष	क्षति	हानि	आगलगी	सड़क दुर्घटना	ठनका (वज्रपात)	लू	शीतलहर	ऑधी	भूकंप	बाढ़ / डूबने से
1	**2016**	मनुष्य	मृत्यु	3	16	3	-	-	-	-	4
		पशु	मृत्यु	3	-	-	-	-	-	-	-
2	**2017**	मनुष्य	मृत्यु	23	26	2	-	-	-	-	7
		पशु	मृत्यु	6	-	-	-	-	-	-	-
3	**2018**	मनुष्य	मृत्यु	3	28	2	-	-	-	-	15
		पशु	मृत्यु	5	-	-	-	-	-	-	-
4	**2019**	मनुष्य	मृत्यु	3	12	5	-	-	-	-	12
		पशु	मृत्यु	5	-	-	-	-	-	-	1
5	**2020**	मनुष्य	मृत्यु	4	53	14	-	-	1	-	52
		पशु	मृत्यु	12	-	8	-	-	-	-	-
कुल				**67**	**135**	**34**	**0**	**0**	**1**	**0**	**91**

3.1.16 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि :

वायु आधारित आपदाओं में तूफान, चक्रवात, बवंडर, तूफानी लहरे तथा तरंगे आदि हैं। ओलावृष्टि को भी वायु आधारित आपदा की श्रेणी में रखना ज्यादा उचित होगा।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार ने जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से मार्च में ओलावृष्टि के कारण हुई रबी फसल की क्षति तथा 21 अप्रैल, 2015 को राज्य में आये चक्रवाती तूफान से हुई क्षति के आलोक में भोजपुर समेत सभी जिलों को आपदाग्रस्त घोषित किया गया था।

उत्तरदाताओं ने चक्रवात को एकाध बार आने वाला माना है। किन्तु यदि नमी, तापक्रम आदि में बदलाव हो तो बडे चक्रवाती तूफान से इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग मेटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रोमोसन कॉउसिल (बी.एम.टी. पी.सी.) द्वारा जारी ''वलनेरेबिलीटी एटलस ऑफ इंडिया में इस जिले को तेज तूफान झेलने की आंशका वाला जिला बताया गया है। इसके अनुसार जिले के लगभग 58 प्रतिशत क्षेत्र में 47 मीटर/सेकेन्ड की दर से तेज तूफान आ सकता है। जब कि 42 प्रतिशत क्षेत्र में 44–39 मीटर /सेकेन्ड से तूफान आने की आशंका बनी रहती है।

सारणी – (3.11) उच्चशक्ति हवा संवेदनशीलता :

जिला	उच्च शक्ति हवा (हवागति मि./से.)		
	55 – 50	47	44 – 39
भोजपुर	0.0	58.1	41.9

श्रोत : निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् (बी.एम.पी.टी.सी.)

खतरे का कारण :

- वायुमण्डलीय आद्रता, दबाव, आयतन एवं चलन (ताप का)।
- कपासी मेघ का काफी उँचाई पर बनना (ओलावृष्टि) ।

= = = = = =

3.1.17 संदूषित जल :

जिले में पीने के पानी का मुख्य श्रोत भू–जल है। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के बच्चे, बुजुर्ग, महिला समेत अन्य सभी वर्ग को स्वच्छ जल मुहैया करायी जाए। यदाकदा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कराये गये पीने के पानी की गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रही है तथा पेयजल दूषित पाया गया है। एजेन्सियाँ मुख्यतया स्वच्छता की जाँच 15 मानक स्तर पर करती है, फिर भी अधिकांश जगह पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड या अधिक लौह होने का ही पता लगाया जाता है। जल में अधिकतम 1.5 मि.ग्राम./ली. फ्लोराइड ही पीने हेतु मान्य है। उसी तरह से लौह आदि के लिए भी स्वीकार्य मानक स्तर तय किया गया है।

राज्य एवं हर जिला समय–समय पर इसकी जाँच करता है एवं निवारण का तरीका ढूंढता है। बिहार में राष्ट्रीय पेयजल योजना (डी.डब्लू.एस.) जारी है। यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराया जा सके। विभिन्न आपदाओं के दौरान भी स्वच्छ जल की उपलब्धता पुर्नस्थापित करने की प्राथमिकता आवश्यक है।

चिह्नित खतरा : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा भी जिले में पेयजल की गुणवत्ता की जाँच की गयी है तथा भोजपुर, शिवसागर, भोजपुर, चेनारी, कोचस, नौहट्टा एवं तिलौथु प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों के कई बस्तियों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पायी गयी है। जिले के 246 पंचायतों में से 75 पंचायतों में पेयजल श्रोत फ्लोराईड से प्रभावित पाये गये है। गुणवत्ता का स्तर '1' मि.ग्राम./ली. मानक स्तर माना गया है। अतः इससे अधिक मात्रा होने पर उसमें सुधार की आवश्यकता होगी। वैसे 1.5 मि.ग्राम./ली. तक के मानक को पीने योग्य जल के रूप में मान्यता प्राप्त है। कुछ जगहों पर फ्लोराईड की मात्रा 1.6 से 3.0 मि.ग्राम./ली. तक है, जो चिन्तनीय है।

भूमिगत जल स्तर : भोजपुर जिला में वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में मई, जून एवं जुलाई के महीनों में सभी प्रखंड़ों में अवस्थित नलकूपों की गहराई तथा जल स्तर का आंकड़ा इस प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि

भू–जल के स्तर में प्रतिवर्ष गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले के 19 प्रखंड़ों में से 2–3 पहाड़ी प्रखंडों में यह गिरावट 10 से 15 फीट की है तथा मैदानी भागों में 4 से 6 फीट की है। (श्रोतः लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भोजपुर)

भूमिगत जल स्रोतों की गुणवत्ता : भोजपुर जिला में उपलब्ध भूगर्भीय जल अमूमन फसलों की सिंचाई तथा पेयजल के रूप में उपयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त पाया गया है। ग्रैड टंक रोड के दक्षिण में अवस्थित प्रखंडों में फ्लोराईड युक्त जलश्रोत पाये गये हैं। दिनारा प्रखण्ड में भूगर्भ जल जहाँ इनकी विद्युत संचालकता (EC > 2000 micro-sourer) तथा क्लोरीन सांद्रता (Cl > 337mg/lt.) पाई गई है जो संभवतः इन क्षेत्रों के कच्चे एवं कम गहरे कुँओं में, गाँव कस्बे का गंदा पानी मिल जाने के कारण हुआ है और जल प्रदूषित हो रहा है।

सारणी – (3.12) जिले में भू–गर्भीय जल की गुणवत्ता :

Chemical constituents (mg/l)	Deeper Aquifer	Shallow Aquifer	Drinking Water Standard (As per BIS norms)	
			Highest Desirable	Maximum Permissible
pH		7.1 – 8.2	6.5 – 8.5	No relaxation
E.C (Micro-siemens/cm at 25^0C	160 - 660	198 – 2000	500	2000
Total Hardness ($CaCO_3$)	130 - 180	280 – 380	300	600
Bicarbonate	134 - 195	10.5 - 586	200	600
Calcium	16 - 32	3.7 – 42.5	75	200
Magnesium	12 - 24	19 - 73	30	100
Chloride	15 - 25	4.7 - 869	250	1000
Sulphate	00 - 28	< 1 - 250	200	Up to 400 if Mg is <30
Nitrate	-	< 1 - 50	45	100
Fluoride	-	0.18 – 0.64	0.6 – 1.2	1.5
Iron	< 1 - 250	< 0.01 – 0.38	0.30	1.0
Sodium	-	21 – 262	-	
Potasium	-	1.2 – 4.9	1.90 - 50	

श्रोत : केन्द्रीय भूजल बोर्ड, पटना

= = = = = =

3.2 संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण (Vulnerability & Risk Analysis) :

भोजपुर जिला बहु आपदा के प्रति संवेदनशील जिला है तथा इन बहु खतरो में मुकाबला करने की क्षमता में पर्याप्त कमी रहने के कारण जान–माल के नुकसान का जोखिम वर्तमान रहता है। भूकंप, बाढ़, सूखा, सड़क दुर्घटना, डुबान, अगलगी, तुफान इत्यादि खतरो के प्रति संवेदनशील तथा जोखिम का आपदावार विवरण नीचे दिया गया है।

3.2.1 भूकंप :

भोजपुर जिला भूकंप के पैमाने पर सिसमिक जोन–III के अंतर्गत आता है। बिहार उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है जो बिहार–नेपाल सीमा के पास हिमालयी टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ने वाली टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर पड़ता है और इसमें छह उप–सतह दोष रेखाएं हैं जो चार दिशाओं में गंगा के विमानों की ओर बढ़ती हैं। बिहार के 38 जिलों में से, 8 जिले भूकंपीय क्षेत्र V में आते हैं, जिनमें से 2 जिले (मधुबनी और सुपौल) पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र V में आते हैं, जबकि 24 जिले भूकंपीय क्षेत्र प्ट में और 6 जिले भूकंपीय क्षेत्र III में आते हैं, जिनमें से अधिकांश जिले कई जिलों में आते हैं। भूकंपीय क्षेत्र (अर्थात भूकंपीय क्षेत्र V और IV या भूकंपीय क्षेत्र IV और III)। राज्य ने अतीत में बड़े भूकंपों का अनुभव किया हैय सबसे खराब 1934 का भूकंप था जिसमें 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, इसके बाद 1988 में भूकंप आया था और हाल ही में आया भूकंप सितंबर 2011 में सिक्किम का भूकंप था।

भूकंप में घरों की क्षति का विभिन्न ग्रेडः

NG4— विनाश, दीवारों के बीच दरार, भवनों का कुछ हिस्सा धाराशायी होना, भवन के भीतरी दीवारों का गिरना।

NG3— भारी क्षति, दीवारों में लंबी तथा प्लास्टर में गहरी दरारें पड़ना, चिमनी का धारासायी होना।

NG2— साधारण क्षति दीवारों तथा पलास्टर में छोटी हल्की दरारें प्लास्टर का झड़ना, टाईल्स का फिसलना, चिमनी का क्षतिग्रस्त होना।

नोट : (1) प्रतिकूल समय – रात, अनुकूल समय – दिन,

(2) NG= Number of Houses under Damage Grade

= = = = = =

3.2.2 बाढ़ :

भोजपुर जिला अन्तर्गत 14 अंचलो में 6 अंचल बाढ़ से प्रभावित है। जिसमे कुल प्रभावित पंचायत 84 है। जो निम्नवत् हैः—

क्र0 सं0	अंचल का नाम	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण पंचायत का नाम	आशिक पंचायत का नाम
1	सदर आरा	9	7	पिरौटा, बरजा, इजरी, अगरसण्डा, महुली, बागीपाकड़, मकदुमपुर डुमरा, बसतपुरा, भकुरा	धमार, खजुरियॉ, कड़ारी, सनदियॉ, रामपुर, गंगहर, दौलतपुर
2	बड़हरा	7	13	ख्वासपुर, नेकनामटोला, एकवना, बखोरापुर, बलुआ, सोहरा, पकड़ी	पू0 गुण्डी, पश्चिमी गुण्डी, फरना, नरगदा, विशुनपुर, नथमलपुर, सेमरियॉ पड़रियॉ, पूर्वी बबुरा, सिन्हा, गजियापुर, बड़हरा, सरैया,पश्चिमी बबुरा,
3	शाहपुर	20	1	लक्षुटोला, दामोदर, बहोरनपुर, सुहियॉ, गौरा, करजा, बरीसवन, लालु डेरा, हरिहरपुर, देवमलपुर, खटवॉ, ईश्वरपुरा, लहंग डुमरियॉ, क्षौवा बेनवलिया, सहजौली, भरौली, बिलौटी, प्रसौण्डा, सरना, पकडी	नगर पंचायत शाहपुर
4	उदवन्तनगर	0	6	शुन्य	छोटी सासाराम, कारीसाथ, बामपाली, असनी, नवादा बेन, मसांढ़
5	बिहियॉ	0	7	शुन्य	दोधरा, पिपरा जगदीशपुर, फिनगी, रानीसागर, शिवपुर, ओसाई, कल्याणपुर
6	कोईलवर	0	2	शुन्य	कायमनगर, राजापुर
कुलः—		36	36		

अंचल	पूर्ण	आंभिाक	कुल
शाहपुर	20	01	21
बड़हरा	07	13	20
बिहिया	00	07	07
सदर आरा	09	07	16
उदवंतनगर	00	06	06
कोइलवर	00	02	02
कुल—	36	36	72

प्रभावित क्षेत्रफलः— वर्श 2021 में जिले के 9 प्रभावित प्रखण्डो में कुल प्रभावित अधिकतम क्षेत्रफल 36066.760 हेक्टेयर है। जिसमें कृशि योग्य 30535.170 हेक्टेयर एवं गैर कृशि योग्य 5531.590 हेक्टेयर है।

क्र0 सं0	अंचल का नाम	प्रभावित पंचायतो की संख्या
1	सदर आरा	20
2	बिहियॉ	21
3	कोईलवर	10
4	उदवन्तनगर	21
5	बिहियॉ	9
6	भाहपुर	3
8	सहार	1
9	तरारी	1
कुलः—		84

प्रभावित जनसंख्याः— भोजपुर जिला अन्तर्गत वर्श 2021 में 6 प्रभावित प्रखण्डो में प्रभावित परिवारों की कुल संख्या— 4.7 लाख है तथा प्रभवित पशुओ की संख्या 1641 है।

क्र0 सं0	अंचल	प्रभावित जनसंख्या
1	शाहपुर	210090
2	बड़हरा	190040
3	बिहियॉ	32060
4	सदर आरा	45080
	कुल	477270

सामुदायिक किचेनः—जिले में 55 सामुदायिक किचेन संचालित किया गया था। जिसमें 25 बड़हरा अंचल एवं 16 □ाहपुर अंचल 11 सदर आरा 04बिहिया में संचालित किया गया था। सामुदायिक किचेन में भोजन करने वालों की संख्या— 325045 है।

= = = = = =

3.2.3 सूखा :–

जिले में अधिकांश वर्षों में अपेक्षा से कम वर्षापात का होना या जरूरत के महीनों में कम वर्षा होना सूखा का मुख्य कारण रहा है। अतः भोजपुर का संपूर्ण प्रखंड कृषि कार्य से प्रभावित होता है। भौगोलिक दृष्टि से भोजपुर जिला मैदानी तथा पठारी भाग में बटा हुआ है। जिले का लगभग एक दर्जन प्रखंड मैदानी भाग में है तथा शेष पठारी भागों में पड़ता है। (देखे अध्याय–2 का भौगोलिक विषय) संवेदशीलता इस कारण और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सूखा धीरे–धीरे अपना असर दिखाता है। जोखिम के रूप में गरीबी, अनाज की कमी, खाद्यान का महंगा होना, लोगों का रोजगार हेतु दूसरे जगह पलायन करना तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ मुख्य रूप से उभर कर आयी है। जलवायु में परिवर्तन भी सूखे की गंभीरता को बढ़ाता है।

उसी तरह पशुधन के चारे की कमी, पोखरा–तालाब में पानी का अभाव, पशु के स्वास्थ्य सूखे के कारण संवेदनशील हो जाते है। सूखे के महीनों में जलस्तर का नीचे चला जाना भी जोखिम का कारण बनता है। सूखा का लंबा खींचने से कुपोषण तथा भूखमरी में बढ़ोत्तरी तथा ऋण लेने के कारण भी जिले में लोगों की संवेदनशीलता बनी रहती है। लोगों के जिविकोपार्जन में क्षति एक गंभीर समस्या बन जाती है।

सूखे की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले में कृषि विभाग द्वारा जलछाजन के कार्यक्रम चलाये जा रहे है ताकि पहाड़ों से निकले वर्षा जल को संग्रहित कर कृषि एवं अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सके।

= = = = = =

3.2.4 आग :

अग्निदहन से संबंधित जोखिम एवं संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से अग्निकांड को प्राकृतिक तथा मानव जनित खतरा के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। अधिकांशतः जब गॉवों में थोड़ी असावधानी से झोपड़ियों में आग लग जाती है तब उस समय प्राकृतिक रूप से चलने वाली हवा उसके कारक को बढ़ावा देती है, जबकि घरों तथा औधोगिक संस्थानों में विधुत फिटिंग के खराब रखरखाव एवं असावधानियॉ मानव जनित अग्निदहन का कारक बनती है। बिहार सरकार ने आग को स्थानीय आपदा के रूप में चिन्हित किया है।

खतरे का आकलन:– हर वर्ष मार्च, अप्रैल तथा मई के महीनों में अधिक तापमान, कम नमी, तेज वायु तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग की प्रबल संभावना बनती है। इस जिला में अग्नि से ज्यादातर खतरा ग्रामीण इलाकों में फूस, खपरैल और कच्चे मिी की सहायता से बने झोपड़ियों को रहती है। फसल कटने के बाद खेत में छोड़ गये डंठल, भूसौल में रखा गया भूसा तथा चूल्हें पर धान उसनने के क्रम में लगी आग को भी खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। खेत में ^हारवेस्टर* के जरिए फसल काटने के बाद छोड़े गये डंठल, को नष्ट करने के लिए आग लगाने से भी अग्निदहन का खतरा बना रहता है।

जिले के उपनगरीय इलाकों में असुरक्षित रसोई घर तथा किरोसीन लैम्प से झोपड़ियों में आग लगने की घटना घटित होती रहती है। वहीं निजी एवं सरकारी भवनों तथा कार्यालयों में पुराने जीर्णशीर्ण तारों के कारण विद्युत के शार्ट सर्किट से आग लगने की घटना होती रहती है। अग्निकांड किसी भी जगह हो सकता है इसलिए इसको कम करने तथा इससे निपटने हेतु हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है।

= = = = = =

3.2.5 सड़क दुर्घटना :

सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को जानने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न आयामों को ध्यान में रखकर अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि परिणाम का आकलन कर संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण किया जा सके। राज्य में निरंतर हो रही सड़क दुर्घटनाओं का आकलन करने के बाद निम्नलिखित बिन्दुओं को सड़क हादसे का जिम्मेवार पाया गया है जो सड़कों की संवेदनशीलता दर्शाता है –

ड्राइवरों द्वारा सुरक्षा नियमों की अवहेलना। सड़कों की खराब स्थिति। क्षमता से अधिक भार ढ़ोना (माल तथा पैसेंजर) वाहन चलाते समय जल्दबाजी और ओवरटेकिंग करना। बेतरतीब ढ़ग से गाड़ियों को चलाना। जहाँ–तहाँ गैर कानूनी ठोकर का निर्माण। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करना। नाबालिग या युवाओं के द्वारा अनियंत्रित ढंग से मोटरसाईकिल का परिचालन। सड़क उच्चीकरण के बाद सड़क के दोनों किनारों पर 'फ्लैंक' का नीचा होना या गड्ढा होना। अप्रशिक्षित लोगों द्वारा ग्रामीण इलाकों में ट्रेक्टर चलाना। सड़कों के किनारों पर दिशानिर्देश, साइनेज पट्टी तथा रेडियम स्टीकर का नहीं होना। सड़कों पर अचानक मनुष्य या जानवर का पार करना। खनन क्षेत्रों से खुले वाहनों द्वारा बालू की ढुलाई के क्रम में सड़कों पर बालू का विखराव होने के कारण दो पहिया गाड़ियों का फिसलना। खराब रोशनी/अंधेरा होना। टी (T), वाई (Y) तथा चार बाहों (+) वाली सड़के।

केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पटना ने भोजपुर जिला अवस्थित राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वर्ष 2013–15 में घटित सड़क दुर्घटनाओं का एन॰एच॰–2 पर 21 स्थलों को चिह्नित करते हुए। निम्नांकित मुख्य कारण अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है –

- भारी यातायात
- तीव्रगति वाहन चालन
- घनी आबादी

भोजपुर पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले के राष्ट्रीय उच्च मार्ग–2 पर अवस्थित डिहरी नगर एवं शिवसागर थाना प्रक्षेत्र से सर्वाधिक घटनाएँ प्रतिवेदित हुई है। इन दोनों थाना क्षेत्रों में से डिहरी नगर थाना की परिधि में 10 तथा शिवसागर थाना क्षेत्र में 11 स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। ये सभी स्थल सड़क दुर्घटना प्रवण हैं। इस जिले में जिन ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है उसे नीचे दिये गये सारणी में दर्शाया गया है।

अन्य दुर्घटना प्रवण स्थल : तथ्य यह बताते हैं कि एक सड़क से मिलने वाली दूसरी सड़क के मिलन स्थल (क्रॉसिंग) हीं सड़क दुर्घटना के दृष्टिकोण से संवेदनशील होते हैं। इनमें शिवसागर के पास बना टॉल टैक्स जो 4–लेन पर बना हुआ है के पहले तथा भोजपुर के बीच, टॉल टैक्स के बाद तथा शिवसागर प्रखंड के पहले चेनारी प्रखंड की ओर जाने वाली सड़क मोड़ ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित है। यहाँ आये दिन सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त 8 प्रखंड़ों के 19 पंचायतों में हितधारकों ने दुर्घटना प्रवण सड़कों को चिह्नित किया है।

= = = = = =

3.2.6 नाव/डुबाने

जिला में डूबने की घटना मुख्यतया नदी नहर तथा छोटे तालाबों में हुआ करता है। इस दृष्टिकोण से गंगा एवं सोन नदी के नजदीक प्रखण्डों में डूबने घटनाओं के लिए संवेदनशील जगह हैं। विगत तीन वर्षों में 2016–20 में कुल 91 लोगों की मौत डूबने से हुई है।

इधर कुछ वर्षों से देखा गया है कि जे॰सी॰वी॰ द्वारा काफी मात्रा में मिट्टी कटाई के कारण बड़े गढ्ढ़े बन जाते हैं। जिसमें डूबने की संभावना प्रबल है। मनुष्य के अलावा इन गढ्ढ़ों में जानवर के डूबने की संभावना होती है। अतः इस तरह की संरचना भी संवेदनशीलता को बढ़ाती है। इस तरह के डूबने की घटनाओं से निम्नलिखित श्रेणी संवेदनशील माने जा सकते है :–

- मानव मृत्यु।
- पशुधन मृत्यु।
- धन की हानि।

= = = = = =

3.2.7 भीड़ भगदड़ :

जिला अन्तर्गत अंचल उदवन्तनगर अवस्थित बेलाउर सूर्य मंदिर के पास तलाब में छठ पूजा के समय अत्यधिक भीड़ लगती है। जिसमें जिला प्रशासन द्वारा उक्त अवधि में स्थानीय गोताखोर तथा **SDRF/NDRF** के दल की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

- **भगदड़ की स्थिति में संवेदनशीलता :** वृद्ध, बच्चे, महिला, कमजोर, बीमार, भूखे, सामान (भार उठाये) लिये लोग, बच्चों को गोद में लिए लोग एवं सामान बेचने वाले विक्रेता आदि ।
- **भगदड़ की स्थिति में जोखिम :** जान जाने का, अपंग होने का, प्रियजन के बिछुड़ने या मृत्यु होने पर, ट्रामा में जाने का, अपनी यादाश्त खो (विस्मरण) जाने का।
- **भगदड़ के के अधिकांश कारण :** अत्यंत भारी भीड़, भीड़ का निश्चित तिथि को एक ही स्थान पर एकत्रित होना, भयभीत भीड़, अनियंत्रित एवं असंतुलित भीड़, भीड़ का एक ही दिशा में प्रवाह, पंक्तिबद्ध धार्मिक भीड़ के दोनो छोर के बीच समन्वय का अभाव, रास्ते का संकरा होना, प्रवेश एवं निकास द्वार की संख्या का पर्याप्त नहीं होना, रोशनी का अभाव, वाच टावर का अभाव, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का अभाव, नक्शा एवं रूट योजना का अभाव, बिना पूर्व सूचना के मार्ग परिवर्तन, अफवाह यथा विद्युत तार का टुटना, पुल टुटना, बम फटना या अभद्रता आदि, भीड़ में किसी भी व्यक्ति या सामग्री का जमीन पर गिरना, किसी व्यक्ति का गिरना, गिरे व्यक्ति/वस्तु से ठोकर लग कर अन्य व्यक्ति का गिर पड़ना और इस प्रकार गिरते जाने का एक श्रृंखला बन जाना एवं उससे कुचलना ।
- **भगदड़ में संवेदनशील व्यक्तियों को निम्नलिखित परेशानियाँ हो सकती है :** आघात, मूर्छा, दम घुटना, हड्डी टूटना, दिल का दौरा पड़ना, कुचल जाना, शरीर पर चोट लगना आदि।

= = = = = =

3.2.8 जलवायु परिवर्तन

सवेदनशीलता : अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापक्रम में परिवर्तन की प्रवृति, न्यून मानव विकास सूचकांक, छोटी जोत, पूँजी की कमी परंपरागत तथा अल्प सक्षम (less efficient) कृषि यंत्र, बीमा सुरक्षा में कमी, अल्प समर्थन मूल्य इत्यादि कारकों से अनावृत कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कई कारको के प्रभाव को सम्मिलित करते हुये बिहार के विभिन्न जिलों का संवेदनशीलता सूचकांक की गणना कृषि विभाग, बिहार द्वारा करायी गयी है। जिलावार सामान्यीकृत संवेदनशीलता सूचकांक तालिका में भोजपुर जिले का संवेदनशीलता सूचकांक 0.00 से 0.25 अनुमानित किया गया है।

सारणी–(3.13) जिलावार सामान्यीकृत संवेदनशीलता सूचकांक:

क्र॰ सं॰	संवेदनशीलता सूचकांक	जिला का नाम
1	0.00 से 0.25	भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद एवं खगड़िया आदि।

(स्त्रोत : बामेती, कृषि विभाग, बिहार सरकार)

विभिन्न जोखिम :

- जीवों के लिए असंतुलन उत्पन्न करने वाली समस्या।
- तापमान, वर्षा, हवा, नमी एवं अन्य जलवायु संबंधी घटकों में दीर्घकालिक बदलाव ।
- इन बदलावों के साथ तादात्मय स्थापित करने की समस्या।
- परिवर्तन के चलते वर्षापात एवं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव।

खतरे का दुष्प्रभाव :

- अत्यधिक गर्मी।
- वर्षा का परिवर्तित स्वरूप ।
- भूजल स्तर में गिरावट।
- सूखा समस्या।
- कृषि और खाद्य समस्या।
- ऊर्जा समस्या।
- जल समस्या।
- स्वास्थ्य समस्या
- पलायन, प्रवासन और अन्ततः संघर्ष

= = = = = =

3.2.9 गर्मी / लू :

जिले में पठारी तथा मैदानी हिस्सों में तापमान में लगातार बदलाव होता रहता है। स्थानीय जलवायु की स्थितियों और किसी स्थान विशेष के भौगोलिक स्थिति पर लू की स्थिति बनना निर्भर करता है। भिन्न–भिन्न स्थानों पर इनमें बदलाव होने से तापक्रम भी भिन्न–भिन्न पाया जाता है। हमारे यहाँ उष्णता या लू का आशय सामान्य रूप से दिन की अवधि में गर्मी की अधिकता से अथवा उच्च प्रतिशत वाली आर्द्रता की उपस्थिति में बेचैन करने वाली गर्मी से समझा जाता है। उष्णलहर के लिए गर्मी की अवधि, कम–से–कम एक दिन से अधिक की होनी चाहिए। उष्णलहर परम्परागत रूप से कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक रह सकती है।

निम्नलिखित समूह ज्यादा प्रभावित हो सकते है –

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
- संवेदनशील आयु समूह । (वृद्ध, बच्चे, कमजोर स्वास्थ्य वाले, लम्बी अवधि के बीमार)
- शराबी / नशाखोर।
- संवेदनशील महिलाएँ – गर्भवती एवं छोटे बच्चों वाली।

यह विदित है कि गर्मी में लू लगने, निर्जलीकरण होने, शरीर के अंगों में ऐठन, अचेत होना आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याए उत्पन्न होती है। बढ़े तापमान के समय सबसे ज्यादा स्कूल तथा कॉलेज जानेवाले बच्चे तथा युवा वर्ग भी प्रभावित होते है। उसी तरह मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास कार्य तथा नगरों में दैनिक भोगी मजदूर को सीधे तेज धूप में ही काम करना पड़ता है। भीषण गर्मी से अन्य आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है। एक जगह से दूसरे जगह ट्रासपोर्ट आदि से जा रहे यात्री को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में कृषि कार्य भी बाधित हो जाता है।

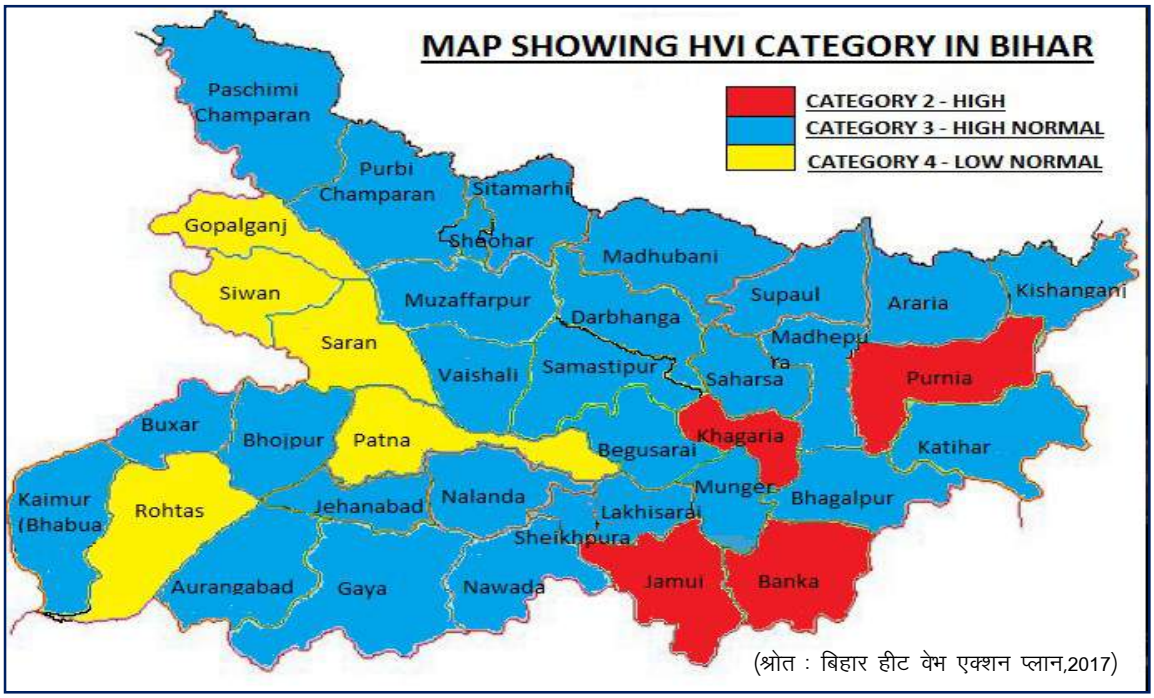

(श्रोत : बिहार हीट वेभ एक्शन प्लान,2017)

भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान, गांधीनगर ने एक संयुक्त अध्ययन में देश के सभी जिलों का भीषण गर्मी तथा उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का मानचित्र (HVI–Hazard Vulnerability Index) तैयार किया है। इस मानचित्र को तैयार करने में उन जिलों की जनसंख्या, सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण एवं पर्यावरणीय मुद्दों का ध्यान में रखा गया है।

इस सर्वे के अनुसार भोजपुर जिला श्रेणी–4 में आता है, जो सामान्य से कम माना जायेगा।

= = = = = =

3.2.10 शीतलहर :

जिले में शीतलहर का प्रकोप अधिकत्तर दिसंबर तथा जनवरी महीनों में महसूस किया जाता है। कच्चे मकान, झोपड़ी और खुले में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन अवसरों पर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखंड़ों में अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है।

शीतलहर में सबसे ज्यादा गरीब, निःसहाय एवं आवासहीन व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग, वृद्ध अथवा कमजोर स्वास्थ्य वाले, कृषि उत्पादन एवं पशुधन, चिरस्थायी रूप से बीमार, कुछ नशापान करने वाले व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील होते है।

शीतलहर से संबंधित बिमारियाँ :

- फ्रॉस्टनीप – मनुष्य के अंगों का सुन्न होना, अस्थायी तौर पर चमड़ी का रंग नीला–सफेद कर देना।
- फ्रॉस्टवाइट– तुषार उपधात (ठण्ढ़ी धातु के छूने से)।
- चिंलबर्न।
- हाइपोथर्मिया – शरीर का तापमान जरूरत से ज्यादा कम हो जाना। यह एक आपात स्थिति है।
- हृदयघात/मष्तिष्कघात।
- विन्टर डायरिया ।

शीतलहर का प्रभाव मानव के अलावा मौसमी/माह में होने वाले फसलों यथा आलू, रब्बी के फसल, फल, फूल पर भी खूब पड़ता है तथा नुकसान भी बड़े पैमाने पर होता है। शीतलहर से पशुओं पर भी मानव के समान ही प्रभाव पड़ता है।

= = = = = =

3.2.11 ठनका/वज्रपात :

वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो मानव तथा पशुधन पर तुरंत संघात करती है जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। जिले में इस तरह की घटना अधिकतर जून से सितम्बर महीनों में होती है। वज्रपात की घटना अचानक होती है तथा अधिकांशतः गरीब, मजदुर, खेतो में काम करने वाले तथा झोपड़ी में रहने वाले इसके चपेट में आते है।

इस हादशा के प्रति प्रायः खुले मैदानो में रहने वाले निवासी, निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति वाले समुदाय एवं सीधे आवेग के सम्पर्क में रहने वाले लोग भी ज्यादा संवदेनशील होते है। इसके प्रभावकता के चलते अधिकतर जन हानि, पशु हानि एवं धन हानि होता है। पूरे वर्षा के मौसम में वज्रपात की संभावना बनी रहती है।

= = = = = =

3.2.12 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि :

चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि आदि वर्ष के शुरूआती महीनों में ज्यादातर घटित होती है। ऐसी हालात में सबसे ज्यादा क्षति एवं खतरे का प्रभाव फसल क्षति (खाद्यान, सब्जी एवं आलू), आवास क्षति (फूस/बांस निर्मित), मानव मृत्यु/पशु मृत्यु/घायल, यातायात एवं संचार सेवा में बाधा, संरचनात्मक ढ़ाँचों को नुकसान एवं जल में वेग उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। चक्रवाती तूफान (तेज गति हवा) से संपूर्ण जिला प्रभावित होता है। जिले के 59 प्रतिशत हिस्सों में 47 मीटर/सेकेण्ड तथा 42 प्रतिशत हिस्सों में 44–39 मीटर/सेकेण्ड की दर से आने की आशंका बनी रहती है।

= = = = = =

3.3 क्षमता विश्लेषण (Capacity Analysis) :

किसी भी समुदाय के लिए क्षमता वह स्थिति होती है जिसके बलबूते वह किसी भी आपदा के दौरान संभावित नुकसान को टालने का प्रयास करता है। पुनः क्षमता की चर्चा में संरचनात्मक ढाँचे तथा असंरचनात्मक ढाँचे को चिह्नित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हमे कुछ क्षमताओ का तो संज्ञान होता है तथा कुछ का नहीं भी। पुनः, यदि हमे हमारी क्षमताओं का संज्ञान है तो हो सकता है कि हमे इनके प्रयोग में लाने की युक्ति का ज्ञान नहीं हो। किसी एक क्षमता का प्रयोग कई प्रकार से भिन्न आपदाओं में कैसे हो,इसकी जानकारी हो तो, हम आपदाओं के नुकसान को काफी कम कर पाएँगे।

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) के अनुसार किसी संस्था, समुदाय या समाज के पास उपलब्ध संसाधन, शक्ति तथा अन्य विशेषताओं (Attributes) जिसका उपयोग कर आपदा जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। उसे क्षमता कहते हैं।

सारणी – (3.14) जिले के विभिन्न विभाग/एजेन्सी के पास उपलब्ध संसाधन :

क्र.सं.	क्षमता/संसाधन	संख्या/विवरण	अतिरिक्त विवरण
01	संचार	बी.एस.एन.एल. कार्यालय टेलीग्राफ/टेलीफोन कार्यालय एक्सचेंज मोबाइल इण्टरनेट	लगभग सभी परिवार लगभग सभी बाजार एवं व्यक्तियों के पास मोबाइल फोन है। सूचना सप्रेषण हेतु जिला समाहरणालय एन.आई.सी. कार्यालय इण्टरनेट सुविधा से युक्त है।
02	सड़क सम्पर्क	एन.एच.–2, 30 एस.एच.– 15,16,17	• आरा–भोजपुर रोड, • डिहरी–नासरीगंज–विक्रमगंज रोड • विक्रमगंज दिनारा रोड, • डिहरी अमझोर रोड, • अकबरपुर–पिपराडीह यदुनाथपुर जरडेग रोड, • भोजपुर–चौसा रोड, • कुदरा– चेनारी रोड, • चेनारी – शिवसागर रोड
03	रेलवे	हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग (ग्रैंड कॉर्ड)	सभी शहर जो ग्रैंड ट्रंक रोड पर हैं, रेल पथ से जुड़े हैं।
04	कृषि	• प्रखंड कृषि पदाधिकारी–14 • कृषि सलाहकार –139 • कृषि समन्वयक – 87	
05	राज्य आपदा मोचनबल	बिहटा, पटना गायघाट,पटना कोनहारा घाट, हाजीपुर कोशी कॉलेज, खगड़िया तिलकामाझी, भागलपुर बरियारपुर मिडिल स्कूल, सीतामढी जिला स्कूल, पूर्णिया मधेपुर, मधुबनी तथा मधेपुरा	भोजपुर जिले से निकटतम दूरी पर बिहटा, पटना में अवस्थित है। इनके पास आपदा से निपटने हेतु सभी प्रकार के उपक्रकरण उपलब्ध है।
06	राष्ट्रीय आपदा मोचनबल	बिहटा, पटना कोलकत्ता (पश्चिम बंगाल) आगरा (उत्तर प्रदेश) कटक (उड़ीसा)	भोजपुर से 23 कि॰मी॰ की दूरी पर बिहटा, पटना में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, जिनमें प्रशिक्षित मानवबल एवं उपक्रकरण उपलब्ध है।
07	नजदीकी क्षेत्रीय आई॰ एम॰	पटना	

	डी॰ कार्यालय		
08	आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित मानव बल	प्रशिक्षित जलखोज एवं बचाव–5 प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधि–27	इसकी सूची www.bsdma.org वेबसाई पर उपलब्ध है जिनका उपयोग किया जा सकता है।
09	जिला ई॰ओ॰सी॰	कुछ आवश्यक उपकरणों के साथ जिला मुख्यालय में स्थापित	टेलीफोन, कम्प्यूटर उपलब्ध
10	अग्नि शमन	अग्निशमन वाहन जिला स्तर–3 अग्निशमन वाहन अनु॰ स्तर –3	
11	स्वास्थ्य सुविधाएँ	जिला स्तरीय अस्पताल–01 रेफरल अस्पताल–01 अनुमण्डलीय अस्पताल–03 पी॰एच॰सी॰–14	
12	बाल विकास	जिला कार्यक्रम एवं प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी–14	
13	आश्रय स्थल	अलग–अलग प्रखण्डों में तथा अलग–अलग भवनों में	(पंचायत भवन एवं विद्यालय)
14	नाविक	गोताखोर चालक–6	–
15	जनवितरण प्रणाली की दुकान	सभी ग्राम पंचायत में	–
16	टेन्ट की दूकान	सभी ग्राम पंचायत में	–

■ पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन :

जिला आपदा प्रबंधन योजना में सबसे पहले काम आने वाले (फर्स्ट रिस्पौन्डर) स्थानीय लोग ही होते है। ऐसे उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग किसी पंचायत में खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता की पहचान एवं उसके न्यूनीकरण में किया जा सकता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पंचायत स्तरीय सहायता हमेशा से अपेक्षित रही है। सामान्यतः जिले के प्रत्येक पंचायत में निम्न मानव संसाधन उपलब्ध हैं :–

सारणी –(3.15) पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन का वर्गीकरण :

क्र॰	मानव संसाधन	औसत उपलब्धता	अभियुक्ति
01	मुखिया	01	• ये सभी या तो चुने हुए प्रतिनिधि है या सरकारी कर्मचारी है। • इनमें लगभग सभी स्तर पर महिलाएँ भी उपलब्ध है। • कुल उपलब्ध मानव संसाधन में कम से कम 50% युवा है। • यह मानव संसाधन सभी पंचायत के विभिन्न गाँवों में वास करते हैं तथा अपने इलाके की पूर्ण जानकारी रखते हैं।
02	वार्ड सदस्य	11	
03	पैक्स अध्यक्ष	01	
04	पैक्स सदस्य	12	
05	ग्राम कचहरी एवं पंच	05	
06	न्याय मित्र	01	
07	ग्राम कचहरी सचिव	01	
08	कृषि सलाहकार	01	
09	पंचायत सचिव	01	
10	आंगनबाड़ी सेविका + सहायिका	20	
11	आशा कार्यकर्त्ता	11	
12	रोजगार सेवक	01	
13	विकास मित्र	01	
14	टोला सेवक	01	
15	इन्दिरा आवास सहायक	01	
16	प्रेरक (शिक्षा–15–40 वर्ष)	01	
17	स्कूल शिक्षक / शिक्षिका	10	
	कुल	**80**	

नोट :– यह संख्या औसत के आधार पर है तथा वह पंचायत के आकार (वार्डों की संख्या) एवं विद्यालयों की संख्या पर बढ़ या घट भी सकता है।

5 प्रतिशत पंचायतों में नमूना सर्वेक्षण के दौरान पंचायतों में उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का आकलन किया गया ळें

3.3.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर मुखिया, सरपंच पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षणः– वर्श 2018 में जिला अन्तर्गत विभिन्न अंचलों से मुखिया एवं सरपंचों से आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर का प्रशिक्षण कराया गया है। उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक– 03 में संलग्न है।

3.4 Outcome and recommendations of the HRVCA) :

3.4.1 मैक्रो वि□लेशण

भोजपुर जिला मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित जिला है। यहॉ वर्श 2016 , 2019 एवं 2021 में आं□ाक एवं पूर्ण रूप से 06 अंचल प्रभावित हुए थे। जिसमे शाहपुर, सदर आरा, बड़हरा, कोईलवर, उदवन्तनगर एवं बिहियॉ 88 पंचायत प्रभावित थे।

ग्रीश्म श्रतु में सिलसिलेवार अग्निकांड। ये दोनों किस्म की आपदयें जिले में जीवन, संपत्ति एवं कृशि की सबसे ज्यादा क्षति करती है। अगर कभी भूकम्प हो जाय तो बहुत बड़ी क्षति होगी।

यहाँ के मुख्य हितधारकों के विचार एवं अनुभव तथा ऐतिहासिक जानकारियों के वि□लेशण से जिले के खतरों के कारण एवं उनसे पड़ने वाले प्रभाव को निम्नलिखित सारणी से समझा जा सकता है।

= = = = = =

अध्याय : 4

संस्थागत ढांचा

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपदा के पूर्व, दौरान और बाद की स्थिति का प्रभावी प्रबंधन हो सके, इसके लिए संस्थागत ढांचा का प्रावधान किया गया है। ये संस्थायें राष्ट्रीय, राज्य एंव जिला स्तर पर चिह्नित किये गये हैं। अधिनियम द्वारा सभी संस्थाओं के कार्यकलाप तथा उनको दिये गय कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तद्नुसार इसका कालबद्ध क्रियान्वन करने, सभी विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए सामर्थ्यवान संस्थाओं द्वारा जोखिम शमनीकरण, न्यूनीकरण, अवशेष जोखिम के लिए प्रत्युत्तर तथा पुनर्स्थापन इत्यादि कार्य के लिए समग्रता का दृष्टिकोण (Holistic Approach) अपनाया जाना अनिवार्य है। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, समुदाय आधारित संस्थायें, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य निजि एंव सार्वजनिक संस्थाओं के साथ ही बड़े औद्योगिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के में सभी कार्य सम्पादित करेगें।

भोजपुर जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। इसके साथ ही जिला आपदा प्रबंधन कमिटि का भी गठन किया गया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी से संबंधित लाइन विभागों द्वारा कृषि सूखा तथा पशुधन से संबंधित खतरे एवं जोखिम को लेकर विशेष तैयारी रहती है। आपदा प्रबंधन शाखा अलग भवन में अवस्थित है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–41
स्थानीय प्राधिकारों के कृत्य :

41(1) स्थानीय प्राधिकारों, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए –

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित है।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा।

41(2) स्थानीय प्राधिकारों ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभी 38 जिलों में (कैमूर सहित) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

- जिलाधिकारी – पदेन अध्यक्ष
- जिला परिषद् के अध्यक्ष – सह अध्यक्ष
- पुलिस अधीक्षक – सदस्य
- उपविकास आयुक्त – सदस्य

- असैनिक शल्य चिकित्सक – सदस्य
- वरीय अपर समाहर्ता – सदस्य/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
- जिला वरीयतम अभियंता – सदस्य

4.2 पंचायती राज संस्थाये : भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीण विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

बिहार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप–2030 में ''रिजेलियेंट विलेज'' की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर ''फर्स्ट रिस्पॉडर'' मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। इनके द्वारा निर्मित संरचनायें इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम तथा आपदा सह ग्राम/शहर/स्कूल/अस्पताल इत्यादि की कल्पना से युक्त होगें। खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/समुदाय तक इस चेतावनी सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचने में ये प्रमुख भूमिका वहन करेगें।

चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इसके लिए पंचायत के सहयोग हेतु (Panchayat Support Functionary) समितियों को आपदा न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर (रिस्पांस) तथा पुर्नवासन (Recovery) के कार्य में लगाया जा सकता है। तदनस्वरूप पंचायत राज अधिनियम में वर्णित सभी छः समितियों का गठन करेगी ताकि उसके द्वारा पंचायत के अंदर आने वाली गाँवो में उपस्थित खतरे, जोखिम, संसाधन–मानव एवं प्राकृतिक–आदि का संकलन किया जा सकेगा। इससे आपदा के पूर्व,दौरान तथा बाद में पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेगी। इन बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें ''मास्टर ट्रेनर्स'' बनाया है। पंचायतों से यह अपेक्षा है कि वे प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रशिक्षण मोड्यूल का उपयोग कर पंचायती राज को सुदृढ़ संस्थान के रूप में स्थापित करेंगी।

जिले के सभी नये निर्मित 'पंचायत सरकार भवन' में आपदा प्रबंधन हेतु एक कमरा तथा सभी कार्यों हेतु आई.टी. सेल कम्प्यूटर की व्यवस्था है जिसे आपदा के कार्यों से जोड़ा जा सकता है।

4.3 समुदाय आधारित संस्थायें :

■ नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)

नागरिक सुरक्षा की स्थापना आम नागरिकों को हवाई हमले से उत्पन जोखिम से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। समय के साथ इसके उद्देश्य में बदलाव आया तथा परिस्थितियों के अनुरूप नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित था, में बदलाव 2009 में किया गया। इसी के साथ नागरिक सुरक्षा को रक्षा मत्रांलय तथा गृह मत्रांलय से अलग करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत लाया गया तथा इसे **आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौपा गया।** नागरिक सुरक्षा निदेशालय प्रत्येक राज्यों में स्थापित है जिसका प्रधान भारतीय पुलिस सेवा से कोई वरीय पदाधिकारी होता है जिसे पुलिस महानिरीक्षक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा के पदनाम से जाना जाता है।

अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईया जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है। जिले का जिलाधिकारी इसका नियत्रंक होता है तथा यह अपने अधीन किसी वरीय समाहार्त्ता को इसके उपनियत्रंक की जबाबदेही सौपता है। (विस्तृत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर देखें)

■ बिहार राज्य नागरिक परिषद् –

मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार ने अपने संकल्प सं॰ ए./ना॰प॰ 1–104/37 मं॰स॰–705 दिनांक 24.04.1987 के द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अंखडता के साथ–साथ सामाजिक समरसता एवं सद्भाव कायम करने के उद्देश्य से बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन किया गया था। बिहार सरकार ने पूर्व के सभी सकल्पों को अवक्रमित करते हुए संकल्प सं॰ मं॰मं॰–2/बी॰रा॰रा॰प॰–502/03–1218/सी दिनांक 14.06.2007 के द्वारा **नागरिक परिषद् को आपदाओं से बचाव में जनसहायोग प्राप्त करने के उद्देश्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए अपना दायित्व निभाने का निर्देश दिया गया।** इसका निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किया गया है – (क) मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग तथा (ख) एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता एवं सदभाव कायम रखना।

इसके लिए बिहार राज्य नागरिक परिषद् का संगठन बनाते हुए त्रिस्तरीय संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया जो निम्नवत है :

- राज्य स्तर पर बिहार राज्य नागरिक परिषद्
- जिला स्तर पर जिला नागरिक परिषद्
- थाना स्तर पर थाना नागरिक परिषद्

जिले में तत्काल नागरिक सुरक्षा तथा जिला स्तर एवं थाना स्तर पर जिला नागरिक परिषद् सुदृढ़ करने की आवश्यकता है दोनों ही संस्थाए आपदा की दृष्टि से पूर्व तैयारी, कैम्प संचालन तथा खोज –बचाव के कार्यो में उपयोगी हो सकते है।

4.4 जिला आपदा संचालन केन्द्र (DISTRICT EMERGENCEY OPERATION CENTRE (DEOC)) :

आपातकालीन संचालन केन्द्र जैसा कि परिलक्षित है, जिला स्तरीय अनुमण्डल स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय एवं समुदाय स्तरीय होगा। जहाँ आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित होगा या जिस भवन में यह अवस्थित होगा वहाँ अनिवार्य या आवश्यक सहायता कार्य (ई॰एस॰एफ॰) टीम के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। केवल नोडल ई॰एस॰एफ॰ दल ही आपातकालीन संचालन केन्द्र में बैठेंगे। वे साथी/सहयोगी एजेन्सियों के साथ जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चल रहे आपदा प्रबंधन के कार्यों का समन्वय करेंगे। आपातकालीन संचालन केन्द्र में कारगर संचार सुविधाएँ चालू रहेगी।

जिला में आपदा प्रबंधन शाखा तथा आपातकालीन संचालन केन्द्र के लिए अलग भवन सुनिश्चित है। वर्तमान समय मे आपातकालीन संचालन केन्द्र में टेलिफोन, कंप्यूटर, प्रिन्टर, टेलिविजन, UPS तथा पदाधिकारियों और कर्मियो को बैठने के लिए आवश्यक फर्निचर है।

ftyk bejtsUlh vkijs'ku ls.Vj

समाहरणालय में इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर स्थापित है। इसके प्रभारी अपर समाहर्ता आपदा हैं। यह केन्द्र 24X7, तीन पालियों में प्रातः 06:00 से दोपहर 02:00 तक, दोपहर 02:00 बजे रात्रि 10:00 बजे तक एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक काम करता है। प्रत्येक पाली में एक प्रशासनिक पदाधिकारी प्रभार में रहते हैं, जिनके अधीनस्थ आई0टी0 ब्याय, डेटा इण्ट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्राम प्रोफेशनल रहते हैं, जो राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, आई0एम0डी0, केन्द्रीय जल आयोग, इसरो, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आदि संस्थाओं से जानकारियां प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही करते हैं।

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुविधायें

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर के कार्यालय में निर्वाध विद्युत आपूर्ति, वायरलेस सेट, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन, कम्प्यूटर, अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने एवं कार्य संपादन हेतु आवश्यक सामग्री, शौचालय, पेयजल, पर्याप्त स्टेशनरी, डिस्प्ले बोर्ड, टेलीफोन डाइरेक्ट्री इत्यादि सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्न सामग्रियों/उपस्कर की न्यूनतम आवश्यकता होनी आवश्यक है (तालिका सं0 25)–

तालिका संख्या– 25 : इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर हेतु आवश्यक संसाधन

क्रमांक	सामग्री का नाम	संख्या
1	डेस्कटाप कम्प्यूटर	02
2	मेज	04
3	रिवाल्विंग कुर्सी	04
4	कार्यालय के लिए अतिरिक्त कुर्सी	04
5	ई0ओ0सी0 ईंचार्ज के लिए मेज	01
6	ई0ओ0सी0 ईंचार्ज के लिए रिवाल्विंग कुर्सी	01
7	आगन्तुकों के लिए कुर्सी	04

8	12 लोगों के लिए बैठक करने हेतु मेज	01
9	बैठक मेज हेतु 12 रिवाल्विंग कुर्सी	12
10	बैठक हाल के लिए अतिरिक्त कुर्सी	10
11	लेजरजेट प्रिण्टर	02
12	बैठक हाल के लिए प्रोजेक्टर	01
13	32 इंची एल0ई0डी0 टी0वी	01
14	फोटोस्टेट मशीन	01
15	अलग टेलीफोन नं0 सहित फैक्स मशीन	01
16	इण्टरनेट कनेक्शन के साथ लैण्डलाइन टेलीफोन	01
17	सभी 38 जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों में मल्टीपार्टी आडियो व वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली	01
18	टेलीफोन सेट	02
19	टीवी के लिए केबल कनेक्शन	01
20	आलमारी	02
21	यू0पी0एस0	01
22	ए0सी0 (1.5 टन का)	03
23	स्टेशनरी (आवश्यकतानुसार)	
24	स्कैनर	01
25	पंखा	05
26	ट्यूबलाइट	03
27	एल0ई0डी0 बल्ब	10

स्रोत : अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश पत्रांक सं0 1982 दिनांक 10.7.2017

vkink ds fofHkUu pj.kksa esa bejtsUlh vkijs'ku ls.Vj dh Hkwfedk

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर द्वारा किये जाने वाले कार्यों को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं –

lkekU; le; esa &

- समस्त सहयोगी विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुये आपदा न्यूनीकरण हेतु आवश्यक आंकड़ों का नियमित रूप से एकत्रीकरण करना, डिजिटाइजेशन करना।
- आंकड़ों को आई0डी0आर0एन0/एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट पर अद्यतन कराने में एन0आई0सी0 को सहयोग करना।
- समस्त हितभागियों (विभागों, स्वैच्छिक संगठनों, निजी एजेन्सियों) के साथ समन्वय स्थापित कर समय–समय पर बैठकें आयोजित करना ताकि उनकी भूमिका एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- जिला पदाधिकारी/आपदा प्रभारी के निर्देशन में प्रोग्राम प्रोफेशनल द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी के उपायों को करना सुनिश्चित करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- सुनिश्चित करना कि आपदा के दौरान प्रयोग में आने वाले सभी आवश्यक यंत्र/उपकरण चालू अवस्था में हों।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का उचित क्रियान्वयन।

vkikrdkyhu le; esa

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी के निम्न कार्यों को करेंगे –

- आपदा के दौरान सातों दिन, 24 घण्टे क्रियाशील रहना।
- आपदा के दौरान रिस्पान्स के सभी पहलुओं को क्रियान्वित करना। प्रत्येक दो घण्टे पर स्थितियों की जानकारी हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/नोडल से सूचना प्राप्त कर सूचना रजिस्टर में दर्ज करना व बुलेटिन जारी करना।

अ) बाढ़ / वृश्टि आपदाकाल के दौरान निम्न सूचनायें, प्रत्येक दिवस प्रातः 08:00 बजे एवं सायंकाल 04:00 बजे दर्ज करेंगे तथा प्रभारी इओसी से सत्यापित करायेंगे–

- केन्द्रीय जल आयोग से नदियों के जल स्तर (बढ़ाव / घटाव / स्थिर) की अद्यतन जानकारी।
- प्रत्येक अंचल से तथा मौसम विभाग द्वारा वर्षा से सम्बन्धित अद्यतन जानकारी
- प्रत्येक अंचल से बाढ़ के कारण हुये क्षति (मानव / पशु / भौतिक) का विवरण।
- प्रत्येक अंचल में वितरित की गयी राहत धनराशि का पूर्ण विवरण।
- प्रत्येक दिवस सायंकाल 04:00 बजे जिला जनसंपर्क अधिकारी एवं अपर समाहर्ता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित बाढ़ बुलेटिन जारी किया जाना।
- संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रों का विवरण।

- त्वरित रिस्पान्स करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- राज्य इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर, आई0एम0डी0, केन्द्रीय जल आयोग आदि पूर्व चेतावनी जारी करने वाली संस्थाओं के सहयोग से सही समय पर चेतावनी जारी करना। चेतावनी निम्नलिखित संस्थाओं / अधिकारियों को त्वरित संचार तकनीकों के माध्यम जारी की जायेगी –
  - आवश्यक सहायता कार्य (जिले में गठित सभी कोषांगों के नोडल एवं सहयोगी विभागों को)।
  - जिला आपदा प्रबंधन समिति।
  - जिला पदाधिकारी कार्यालय।
  - पड़ोसी जिलों के इओसी को।
  - जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को।
  - स्वैच्छिक संगठनों को
  - समुदाय को

■ इ॰ओ॰सी॰ का सशक्तिकरण :

- जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को प्रस्तावित उपकरणों से सुसज्जित करना होगा जिनमें प्रमुख है – VSAT, VHF Wireless, GSM Mobile, GPRS, Doppler Radar, SW Radio Receiver, Satellite Phone और उपग्रह आधारित मौसम अनुश्रवण स्टेशन आदि।
- अनुमण्डल स्तरीय आपातकालीक संचालन केन्द्र में – VSAT, VHF एवं जल गुणवता एवं स्तर मापक संयंत्र आदि होना चाहिए।
- प्रखण्ड स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र में – VSAT, VHF Wireless, GSM Mobile, SW Radio Receiver, Telemetric Rain Gauage, Computer with Email Facility, Video Conferencing Facilities, Power Back-Up आदि होना चाहिए।
- ग्राम पंचायत स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र में – VHF Wireless, GSM Mobile, SW Radio receiver, Ham Radio, Computer with Internet, Printer & Genset, Public Address System आदि होना चाहिए।
- समुदाय स्तर पर – Public Addrrss System, SW Radio Receiver होना चाहिए।

■ प्रत्येक स्तर की इ॰ओ॰सी॰ की भूमिका : आपदा की स्थिति में।

चेतावनी का सप्रेषण : जिला स्तर पर मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के आधार पर सरकार के सभी सहयोगी विभाग सहित आम जनता के लिए चेतावनी जारी कर दिया जाए।

इसी सूचना को अनुमण्डल स्तरीय ई॰ओ॰सी॰, प्रखण्ड स्तरीय ई॰ओ॰सी॰ तथा ग्राम पंचायत स्तरीय ई॰ओ॰सी॰ मौसम विभाग की भविष्यवाणी आधारित चेतावनी को अपने अधीन के विभाग सहित आम जनता के लिए इसे प्रेषित करेगी / प्रचारित करेगी। इस प्रकार ई॰ओ॰सी॰ का प्राथमिक कर्तव्य है ससमय सही चेतावनी जारी कर देना। इसके लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के ई॰ओ॰सी॰सुनियोजित संचार व्यवस्था से अनिवार्यतः युक्त हो। जिले में जिला पदाधिकारी, अनुमण्डल में अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा पंचायतों के लिए मुखियाँ चेतावनी जारी करने हेतु सक्षम होगे।

■ जिला स्तर से निम्नांकित संस्थाओं को जानकारी / चेतावनी संप्रेषित की जानी चाहिए

- इ॰एस॰एफ॰, आवश्यक सहायता कार्य के सभी दलों को।

- जिला आपदा प्रबंधन के सभी सदस्यों को।
- जिलाधिकारी कार्यालय को।
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार को।
- पड़ोसी जिलों के आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰) को आवश्यकतानुसार।
- राज्य/राष्ट्र आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰) को आवश्यकतानुसार।
- जिला के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को।
- अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों को।

■ **अनुमण्डल स्तर से :**

- प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों को।
- विभिन्न प्रत्युत्तर दल के सदस्यों को, एजेन्सियों को।
- जन प्रतिनिधि को।
- मीडिया कर्मियों को।

■ **प्रखण्ड स्तर से :**

- सभी प्रभावित होने वाले पंचायतों को।
- विभिन्न प्रत्युत्तर दल के सदस्यों एवं एजेन्सियों को।
- जन प्रतिनधियों को।
- मीडिया कर्मियों को।

■ **ग्राम पंचायत स्तर से :**

- सभी वार्ड सदस्यों को।
- सभी समुदाय आधारित केन्द्र को।
- सभी प्रत्युत्तर दल के सदस्यों को।
- जन प्रतिनिधियों को।
- मीडिया कर्मियों को।

प्रत्येक स्तर के इ॰ओ॰सी॰, जिला आपदा संचालन केन्द्र अपने परिसर/भवन में आवश्यक सहायता कार्य, इ॰एस॰एफ॰ से सहयोग लेने हेतु एवं कार्यों के समन्वय हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक स्थान उपलब्ध कराएंगे। हर स्तर के आपातकालीन संचालन केन्द्र लगातार अपने से नीचे के आपातकालीन संचालन केन्द्र के सम्पर्क में रहकर आपदा की परिस्थिति की नवीनतम जानकारी लेते रहेगे।

■ सामान्य समय में आपातकालीन संचालन केन्द्र क्या करें ?

जिलाधिकारी अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा तथा इसे आपातकालीन संचालन केन्द्र से जुड़े कार्यों के प्रति जबावदेह होगा। यह पदाधिकारी सामान्य समय में निम्नांकित कार्यों का सम्पादन करेगा।

- सुनिश्चित करना कि आपातकालीन संचालन केन्द्र के सभी यंत्र चालू रूप में है तथा कभी भी इसे चालू किया जा सकता है।
- लाईन डिपार्टमेन्टस से आपदा प्रबंधन हेतु नियमित तौर पर आकड़ा इकट्ठा करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिले के आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

- डाटा बैंक को नियमित अद्यतन करते हुए अभिलिखित करना तथा किसी आपदा की जानकारी/ चेतावनी मिलने पर आपदा मोचन तंत्र (ट्रिगर मेकेनिज्म) को सक्रिय करना।

■ **क्षेत्रीय आपातकालीक संचालन केन्द्र :** यह एक ऐसा आपातकालीक संचालन केन्द्र है जो आपदा प्रभावित स्थल के पास अस्थायी तौर पर स्थापित किया जाएगा। यह क्षेत्रीय केन्द्र जिला स्तरीय आपातकालीक संचालन केन्द्र के साथ संयुक्त रूप से समन्वय करते हुए कार्य करेगा। सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी इस क्षेत्रीय इ॰ओ॰सी॰ का नेतृत्व करेगे। अनुमण्डल पदाधिकारी अनुमण्डल स्तर पर तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी प्रखण्ड स्तर पर नियंत्रक होगे। जिला इन्सीडेंट कमाण्डर सह जिलाधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय कमाण्डर अपने निर्देशन में अपने स्थानीय प्रबंधन दल के सहयोग से समन्वय कर सभी कार्य करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी आपदा स्थल पर सभी गतिविधियाँ निष्पादित करने के लिए जबावदेह होगे। लेकिन कार्य नोडल डेस्क अधिकारियों के माध्यम से जिला इ॰ओ॰सी॰ से नियंत्रित एवं समन्वित किए जाएंगे।

■ **आपातकालीन संचालन केन्द्र कर्मी के पालीवार कार्य का विवरण :** इस केन्द्र में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति एवं पाली वार उनके काम का निर्धारण किया जायेगा। आपातकालीन संचालन केन्द्र जिलाधिकारी के नेतृत्व में काम करेगा तथा अपर समाहर्ता के स्तर के पदाधिकारी इसके वरीय प्रभार में रहेगें। इनके अनुपस्थिति में जिले के उप विकास आयुक्त स्वतः इसके प्रभार में रहेगें।

प्रत्येक पाली के प्रभारी पदाधिकारी सूचनाओं को प्राप्त करेगें तथा उन्हें संबंधित पंजी में अंकित करने के बाद सूचनाओं को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों को प्रेषित करेंगें। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का दूरभाष संख्या प्रतिनियुक्ति आदेश के साथ अंकित होगा।

■ **राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचन बल :** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिये गये प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। बिहार प्रांत के आपदा प्रवण स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक इकाई (बटालियन सं॰ 9) पटना जिले के बिहटा में अवस्थित किया गया है। राज्य आपदा मोचन बल को भी बिहटा में ही स्थापित कर तैयार किया गया है। यह दोनों ही इकाईयॉ राज्य के विभिन्न आपदाओं की स्थिति में निश्चित ''प्रोटोकॉल'' के तहत् जिलों में उपलब्ध कराया जाता रहा है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने मानक संचलन प्रक्रिया जारी करते हुए इसमें अपनाएँ जाने वाले प्रोटोकोल की चर्चा की है। यह बल शांति काल में विभिन्न समुदाय समूहों, संस्थानों तथा पदाधिकारियों को मॉक–ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित करता है।

राज्य आपदा मोचन बल : राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तर्ज पर बिहार राज्य में मार्च 2010 में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बिहटा में अवस्थित है। इसकी इकाईयाँ –

i. गायघाट (पटना),
ii. कोनहारा घाट, हाजीपुर(वैशाली),
iii. कोशी कॉलेज, खगड़िया,
iv. तिलकामाझी, भागलपुर,
v. बरियारपुर मिडिल स्कूल, सीतामढ़ी,
vi. जिला स्कूल, पूर्णिया,
vii. मधेपुर, मधुबनी तथा
viii. मधेपुरा में अवस्थित है।

नोटः– भोजपुर में भी SDRF की टीम पुराना प्रखण्ड कार्यालय बड़हरा में स्थाई रूप से प्रतिनियुक्त है।

इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यकारिणी परिषद् है जो आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद में विभिन्न कार्यों में मदद पहुँचा सकती है। इस प्रकार राज्य स्तर पर राज्य आपदा संचालन केन्द्र (SEOC) स्थापित है जो जिले तक सूचना प्रवाह को बनाये रखने में कारगर होगा। खतरा, जोखिम के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय–समय पर 'गाईडलाइन्स' जारी करता है। अतः आवश्यकतानुसार संस्थागत ढाँचे की उपलब्धता प्रबंधन के कार्य को सुचारू बना सकती है।

आपदा प्रबंधन के विभिन्न स्तर :

एल–0 स्तर

यह शांति का समय है जब कोई आपदा घटित नहीं हो रही है। इस काल में जोखिम क्षमतावर्द्धन तथा न्यूनीकरण के अधिकांश काम किये जायेगें।

एल–1 स्तर

इसमें डी.डी.एम.ए. मुख्य संस्था होगी तथा जिलाधिकारी घटना समादेष्टा होगें। उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी डी. डी.एम.ए., डी.ई.ओ.सी., प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय का होगा। जिला आपातकालीन संचलन केन्द्र 'कंट्रोल रूम' होगा तथा संचालन का मुख्य केन्द्र बिन्दु होगा।

एल–2 स्तर

जिला के बूते के बाहर की हालात होने पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, समादेष्टा होगें। राज्य आपातकालीन केन्द्र (एस.ई.ओ.सी.) आपात सहाय्य हेतु कंट्रोल रूम तथा संचलन का केन्द्र बिन्दु होगा। एन.डी.आर.एफ. एवं एस.डी.आर.एफ. तैयार रहेगी।

एल–3 स्तर

इस स्तर की आपदा में राज्य को केन्द्र से सहायता की आवश्यकता होती है और ऐसे में मुख्य सचिव अग्रणी रोल में होगें जिसमें संकट प्रबंधन समूह/ राज्य कार्यकारिणी घटना प्रबंधन दल में शामिल रहेगें।

अध्याय : 5

आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी का उपाय

PREVENTION, MITIGATION & PREPAREDNESS MEASURES

विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षतिको कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जास सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ हीं उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में विभिन्न हितधारकों को कार्यों की पहचान की गयी है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शमन रणनीति (UNISDR) में अंकित परिभाषायें।

निवारण (Prevention) : वर्तमान अथवा संभावित नये आपदा जोखिम को उपेक्षित (avoid) करने की कार्रवाई और उठाये गये कदमों को निषेधीकरण कहा जायेगा।

न्यूनीकरण (Mitigation) : खतरे के संधातिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई और उठाये गये कदमों को न्यूनीकरण कहा जायेगा।

पूर्व तैयारी (Preparadness) : आपदा मोचन एवं पुनर्प्राप्ति के लिए उत्तरदायी कोई संस्था, समुदाय व्यक्ति या कोई सरकार संभावित अथवा विद्यमान आपदा का सटीक अनुमान लगाकर प्रभावी प्रत्युत्तर या पुनर्प्राप्ति की क्षमता और ज्ञान हासिल या विकसित कर ले उसे पूर्व तैयारी कहेगे।

5.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण : जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए योजना, विर्निमाण इसका कार्यान्वयन तथा समन्वयकर्त्ता निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा। विभिन्न मुख्य कार्यों का दायित्व निम्न प्रकार से होगा :–

विशिष्ट कार्य	जिम्मेवारी
निदेशन नियंत्रण और समन्वय	जिलाधिकारी
सूचना संग्रह, विश्लेषण तथा क्षति आकलन	जिलाधिकारी
संचार	जिला दूरसंचार केन्द्र
खोज व बचाव	परिवहन, नागरिक सुरक्षा परिषद्, जिला पुलिस,राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं आपूर्ति पदाधिकारी
सहाय्य एवं शरण स्थल	राजस्व एवं भूमि सुधार
स्वास्थ्य सेवा	जिला स्वास्थ्य समिति
पेयजल एवं स्वच्छता	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
पशु शरणागाह एवं चारा	पशुपालन पदाधिकारी
ऊर्जा आपूर्ति का पुनर्स्थापन	ऊर्जा विभाग, पावर होल्डिंग कम्पनी
आधारभूत संरचना का पुनर्स्थापन	अंतः संरचना निर्माण निगम, पथ विभाग, भवन निर्माण एवं पुल निर्माण निगम
निपटान एवं साफ सफाई	नगर पालिका, नागरिक सुरक्षा
जन संपर्क पूर्व सूचना एवं चेतावनी मिडिया प्रबंधन	जिला जनसंपर्क कार्यालय
कानून एवं व्यवस्था	जिलाधिकारी, जिलापुलिस अधीक्षक

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों/संभागो, पंचायती राज संस्थाएँ, सामुदायिक स्तर की संस्थाएँ तथा निजि क्षेत्र की एजेंसियां भी उपरोक्त तीनों कार्य में सहयोग दे सकेगी। इन कार्यों मं पंचायत चूंकि ग्रामीण स्तर की चुनी हुई संस्था है। अतः उसे खतरा, जोखिम को रोकने, कम करने या पूर्व की तैयारी में विशेष जिम्मेवादी निभानी पड़ सकती है।

5.2 सभी विभागों एवं एजेसियों के लिए समान कार्य :

योजना के तहत आपदा जोखिम पर समझ विकसित करना, जोखिम संवेदी प्रशासन प्रणाली को सशक्त करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों मे निवेश तथा प्रभावी रिस्पांस की तैयारी कुछ ऐसी बिंदुऐ है जिनको ध्यान में रखकर कारवाई की जानी चाहिए।

5.3 विभागों/एजेसियों के आपदानुरूप कार्य :

भूकंप :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		• जिला आपदा प्रबंधन योजना में भूकंप से जुड़ी शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण । • प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय जोखिम न्यूनीकरण कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण। • निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा प्रत्युत्तर एवं पूर्व तैयारी के संदर्भ में निर्धारित मानकों को ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित योजना में शामिल हो को, सुनिश्चित करना ।	• संरचनात्मक ढाँचों के निर्माण का विश्लेषण एवं जोखिम का आकलन । • विश्लेषण के उपरान्त विभिन्न सहभागी दायित्वो का निर्धारण । • भूकम्प से संबंधित ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण कराने की पहल । • ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किए जाने वाली योजनाओं में भूकम्परोधी संरचनाओं के तकनीक को शामिल कराने की पहल करना । • क्षमताबर्द्धन के कार्य– पंचायती राज प्रतिनिधियों का, स्वयंसेवकों का, लाईन विभाग के लोगो का आपदा प्रबंधन योजना (ग्राम स्तरीय) में निर्धारित कार्यों के सम्पादन का अनुश्रवण करना। • ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दलों का गठन किए जाने को सुनिश्चित करना। • भूकम्प से निपटने की तैयारी के मॉकड्रील का अभ्यास कराना ।
2	भवन निर्माण	• भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण संहिता–2014 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।	• रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित कमजोर भवनों का रेट्रो फिटिंग।	• पूर्व से निर्मित सभी सरकारी भवनों का खास कर सभी अस्पताल, स्कूल एवं प्रशासनिक कार्यलय भवनों की भूकंप रोधी क्षमता का आकलन–रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग करना। • भूकंप रोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रचार–प्रसार एवं जिले में कार्यरत सभी अभियंताओं, राज–मिस्त्री, शटरिंग–मिस्त्री तथा बार–बाईंडर का प्रशिक्षण।

1	2	3	4	5
3	नगर निकास	• भवन निर्माण के अधिनियम के उपबंधो का अनुपालन करते हुए नक्शा पास करना। • जर्जर भवनों को चिह्नित करना तथा इसके आवासीय उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।	• भूकंप के दृष्टिकोण से कमजोर भवनों का रेट्रो फिटिंग कराना।	• निकाय के पास उपलब्ध भारी वाहन – डोजर, डम्पर तथा क्रेन इत्यादि का समुचित मरम्मति एवं संपोषण कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना। • आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्मित सड़कों को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखना।
4	स्वास्थ्य विभाग (सिवील सर्जन एवं उनके अधीनस्थ अस्पताल एवं कार्यालय)		• भूकंप के दौरान घायल व्यक्तियों की त्वरित समुचित चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु नजदीक के ट्रॉमा सेन्टर, ऑथोपेडिक क्लिनिक, एम.आर.आई., एक्सरे तथा सर्जिकल सेन्टर को चिन्हित करना ।	• जिला स्तरीय संभावित भूकंप से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना। • एम्बुलेंस को पूरी तरह सुसज्जित कर तैयार रखना । • प्राथमिक चिकित्सकों/आशा कार्यकर्त्ता को सक्रिय एवं तैयार रखना • इन अस्पतालों में अनिवार्य जीवन रक्षक दवाओं तथा अन्य सहायक सामग्री जैसे रूई आदि का पर्याप्त भण्डारण रहना।
5	अग्निशमन विभाग			• भूकंप के दौरान घटित अग्निकांडों से निपटने के लिए अग्निशमन संयत्रों एवं वाहनों तथा प्रशिक्षित कार्यबल को सदैव तैयार तथा तत्पर रखना।
6	एन.डी.आर.एफ/ एस.डी.आर.एफ/रेड क्रॉस/सिविल डिफेन्स			• समुदाय क्षमता निर्माण कराना तथा स्वयं भी खोज एवं बचाव के लिए तत्पर एवं तैयार रहना।
7	शिक्षा विभाग	• बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का भूकंप रोधी निर्माण सुनिश्चित करना।	• विद्यालयों में प्रति वर्ष भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन।	• राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल के खेल मैदान को चिन्हित कर के रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों के पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन। • जन–जागरूकता द्वारा निषेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना। प्रत्येक स्कूल में भूंकप के दौरान अपने आप को सुरक्षित करने हेतु समय–समय पर मॉक ड्रिल कराना। • प्रत्येक स्कूल में भूकंप आपदा प्रत्युत्तर दल

				जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण स्थल निगरानी दल, आपातकालीन अलार्म दल, निकासी दल, खोज एवं बचाव दल, इत्यादि का गठन तथा इनका नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।

बाढ़ :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		• जिला आपदा प्रबंधन योजना में बाढ़ से जुड़े शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य योजना का अनुश्रवण। • पंचायत स्तर पर की जा रही शमनीकरण, न्यूनीकरण की गतिविधियों का अनुश्रवण करना। पंचायतीराज प्रतिनिधियों तथा बाढ़ राहत प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण।	• बाढ़ पूर्वानुमान, चेतावनी तथा आवश्यक सूचना सभी हितधारकों तक तत्काल पहुँचाने के लिए प्रभावी सूचना तंत्र की स्थापना। • बाढ़ राहत प्रकोष्ठ का गठन एवं सदस्यों को आवश्यक जानकारी से अवगत कराना। • बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार खंड 2 के अनुलग्नक–3 पर संलग्न। • बाढ़ प्रवण पंचायतों की सूची तैयार करना। ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर बाढ़ जोखिम विश्लेषण। बाढ़ प्रवण पंचायतों की अपनी बाढ़ प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन।
2	जल संसाधन विभाग (बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण)	• ''फ्लड प्लेन जोनिग'' करने के उपरांत नदियों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण एवं लोगों को बसने से रोकने के लिए समुचित अधिनियम बनाना एवं लागू करना। • बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण। • पूर्व से निर्मित किन्तु क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन। • संभावित जलजमाव वाले क्षेत्रों में जल निस्सरण योजनाओं का	• आपदा पूर्व संभावित बाढ़ की चेतावनी का प्रसारण । • सोन नदी के जलग्रहण क्षेत्र से काफी अधिक मात्रा में, बाढ़ के पानी के साथ आने वाले गाद को जो बराज के उपरी क्षेत्र में जमा हो रहा है, हटाने की व्यवस्था । • उपरोक्त के आक्राम्य स्थलों को चिह्नित करना। क्षतिग्रस्त होने वाले संभावित जगहों को शीघ्रता से तत्परता पूर्वक समुचित संरचनाओं का निर्माण। • बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लोगों के बीच बाढ़ से बचाव के संबंध में आवश्यक सलाह	• अंतरराज्यीय सोन नदी में संभावित जलश्राव का अनुश्रवण करने के लिए वाणसागर एवं रिहन्द डैम से छोड़े जाने वाले जलश्राव की तत्काल सूचना प्राप्त करने हेतु उच्चस्तरीय समन्वय स्थापित करना। • संभावित बाढ़ के संबंध में जारी निर्देशिका के आलोक में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना। • अन्य बांध, नहरो, नालो, तलाबो आदि पर अतिक्रमण हटाना, इनकी साफ–सफाई करना तथा समय से पूर्व इनकी मरम्मति करा लेना। • बाढ़ प्रबंधन कैलेन्डर का निर्माण। • वर्षा ऋतु में नदियों के जलश्राव पठन हेतु

		निरूपन एवं निर्माण।	/जानकारी का प्रचार – प्रसार। • रेलवे तथा सड़क में बने हुए छोटे पुल–पुलिया के स्थल पर हो रहे जल जमाव की त्वरित निकासी की व्यवस्था।	''रीभर गेज'' की स्थापना, दैनिक जलश्राव पठन की निगरानी तथा बाढ़ का पूर्वानुमान। • आपदा पूर्व चेतावनी प्रसारित करने हेतु सूचना तंत्र का विकास एवं नियोजन । • संभावित बाढ़ के दौरान इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्रीयों का चिह्नित स्थलों पर भंडारण।
1	2	3	4	5
3	भूमि एवं राजस्व			• हेली पैड स्थल की अवस्थिति तय करना। • शरण स्थल का चयन।
4	शिक्षा	**बाढ़ प्रवण पंचायतों में :** • बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का निर्माण बाढ़ ग्रस्त जमीन पर नहीं कराना।	**बाढ़ प्रवण पंचायतों में :** • तैराकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इस हेतु विद्यालयों में तैराक सह प्रशिक्षक की नियुक्ति करना। • विद्यालयों में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल भवनों को चिन्हित कर रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों के पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापको का प्रतिनियोजन। • जन–जागरूकता द्वारा निषेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना जैसे बाढ़ के पानी का प्रयोग से बचना, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास नहीं जाने देना, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना तथा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी उपर्युक्त निषेधात्मक गतिविधियों के अनुपालन पर बल देना। • विद्यालय में आपदा से सबंधित विभिन्न प्रकार के दलों का गठन करना, जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण स्थल निगरानी दल, बाढ़ प्रत्युत्तर दल का गठन तथा इनका नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।
5	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन			• बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना।
6	सड़क निर्माण विभाग			• बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/ प्रस्तावित सड़क पुर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी सड़क बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना।

1	2	3	4	5
7	स्वास्थ्य		• पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ. आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिचिंग पावडर इत्यादि का वितरण एवं भंडारण। • विभिन्न बिमारियों से जुड़े टीकाकरण करना। • चलनत चिकित्सा केन्द्र में बाढ़ पीडितों को चिकित्सा उपलब्ध कराना। • आपूर्त्ति किये जा रहे दवा एवं खाद्य पदार्थ के स्तर एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। • प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस के साथ–साथ चिकित्सकों का नियोजन।	• स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड कीट तैयार रखना । • बाढ़ प्रवण इलाकों में सुरक्षित खानपान तथा स्वच्छता के संबंध में स्थानीय नर्सों तथा आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना। • पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ.आर. एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिचिंग पावडर इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण। • विभिन्न बिमारियों से जुड़े टीके लगाने की पूर्व तैयारी रखना। • आशा कार्यकर्ता/ए.एन.एम. का प्रशिक्षण ताकि, राहत शिविर में संभावित प्रसव कार्य सुरक्षित एवं सुगम हो।
8	खाद्य एवं आपूर्त्ति			• बाढ़ प्रवण पंचायतों में बाढ़ से पूर्व बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान का भण्डारण कर लेना । • बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना।
9	पंचायती राज			• बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/ प्रस्तावित मकान पूर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी मकान बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना।
10	कृषि		• नहर प्रणाली में जल सुनिश्चित करना। • पुराना सोन सिंचाई योजना तथा सोन उच्च स्तरीय नहर प्रणाली के शाखा नहरों एवं वितरिणियों के द्वारा सिंचाई सुविधा।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों के लिए वैकल्पिक कृषि से संबंधित SOP तैयार करना। • चौर क्षेत्रों में जहाँ जल जमाव की संभावना हो वहाँ जल सह पौधों जैसे धैचा, ईख आदि फसलों की खेती के लिए किसानो को प्रेरित करना। • अधिकाधिक क्षेत्रों में गरमा फसल उगाने को प्रेरित करना।

				• अत्यधिक नमी तथा कम समय में उगने वाले चारे और फसल के बीज का भंडारण । • धान की वह प्रजाति जिसके पानी में कुछ दिन डुबे रहने पर भी उत्पादन में कमी नहीं होती है, का प्रचार–प्रसार एवं प्रत्यक्षण करना तथा बाढ़ प्रवण खेतों में इसे उगाने पर बल देना ।
1	2	3	4	5
11	पशुपालन			• बाढ़ प्रवण पंचायतों में चारे का पर्याप्त भण्डारण करना। • सभी पशुओं को खुरहा तथा अन्य रोगों से संबंधित टीकाकरण को सुनिश्चित करना। • पशुओं के लिए पशु शरण–स्थल चिन्हित करना। • मत्स्य पालन क्षेत्र में चारो तरफ से उँची जाली लगाकर घेर देना, ताकि मछली के बहाव को रोका जा सके।
12	परिवहन		• नाव परिचालन से संबंधित अधिनियम को सख्ती से लागू कराना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में नियोजन हेतु पर्याप्त संख्या में नाव तथा नाविकों का सूचिकरण ।
13	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण		• शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/क्लोरीन की टिकिया की आपूर्त्ति एवं इसके उपयोग विधि की जानकारी लोगो को कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में काफी संख्या में चापाकल लगाना तथा मरम्मति के कार्य करना।	
14	एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर. एफ. एवं अन्य एजेन्सियाँ			• नागरिक सुरक्षा दल का गठन। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में गठित प्रत्युत्तर दलों का प्रशिक्षण। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में समुदाय का प्रशिक्षण ।
15	केन्द्रीय जल आयोग/ मौसम विभाग			• बाढ़ पूर्वानुमान की सूचना सार्वजनिक तौर पर संप्रेषित करना।

सूखा :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		• सूखा टास्क फोर्स का गठन एवं विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना। • मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सभी हितधारकों तक पहुँचाना । • जमाखोरी को सख्ती से रोकना।	• ग्राम पंचायत/प्रखंड स्तर पर प्रभावित किसानों एवं ग्रामीण हितधारकों से सम्पर्क कर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे/होने वाले जोखिम के प्रति सचेत एवं जागरूक करना। • अकाल प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रखना।
2	कृषि विभाग सभी पंचायतों में वर्षामापक यंत्रों के अधिष्ठापन कराने का निदेश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में स्थल चयन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रखंड़ों को निदेश दिया जा चुका है। साथ ही साथ सभी प्रखंडों में स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) अधिष्ठापन हेतु प्रस्तावित है। आपदा से संबंधित महत्वपूर्ण आकड़े जैसे तापमान, वर्षा, पवन वेग, आर्द्रता आदि का स्वतः आकड़ा प्रत्येक AWS से प्राप्त होता है।	• ड्रीप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देना। • सूखारोधी एवं कम सिंचाई वाली फसलों को लगाने को प्रोत्साहन देना • भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु चेक डैम, जल छाजन तथा जैविक खाद बनाने हेतु योजना का निरूपण एवं क्रियान्वयन। • प्रगतिशील कृषक मंच का गठन कर इसके माध्यम से सूखा अथवा जलवायु परिवर्तन सह कृषि को प्रोत्साहित किया जाना।	• वैकल्पिक खेती हेतु भण्डारित बीज को ससमय कृषकों के बीच पर्याप्त मात्रा में वितरित करना। • सूखा की दृष्टि से आकस्मिक फसल योजना का निर्माण। सूखा/कम वर्षा/कम जल आधारित फसल का चयन तथा उनका प्रचार–प्रसार। • कीड़ो से बचाव का उपाय करना । • चारा से जुड़ी फसलों को लगाने को प्रोत्साहित करना • चेक लिस्ट के आधार पर शमनीकरण तथा न्यूनीकरण के उपाय का निर्धारण करना तथा हितधारकों को इससे अवगत कराना। • प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान से विकसित तकनीकों का प्रत्यक्षण खेतों में करना। • सूखे की स्थिति में कृषि डीजल अनुदान देना तथा लोन, मालगुजारी, सिंचाई एवं बिजली रकम अदा करने पर तात्कालिक रोक लगाना।	• सामान्य से कम वर्षा होने पर सूखा की आशंका बढ़ जाती हैं ऐसे समय में ऐतिहातिक कदम उठाने के लिए समय–समय पर हितधारकों को कृषि कार्य संबंधी दिशा निर्देश देने हेतु चेक लिस्ट विकसित करना। • जिला आपदा प्रबंधन योजना में सूखा से जुड़े शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन । • उत्कृष्ट जल प्रबंधन हेतु जन जागरूकता के कार्य करना। इसके लिए कैलेण्डर, बुकलेट, पोस्टर, दिवार पेन्टिंग, होर्डिंग, अखबार, रेडियो संदेश, टेलीवीजन आदि को माध्यम बनाया जा सकता है। • कृषि संयंत्र, खाद, उपचारित बीज आदि का संरक्षण एवं भंडारण। • वैकल्पिक पशुचारा उत्पादन योजना का निरूपण करना। • सूखा एवं जलवायुवीय परिवर्तन के अनुरूप विभिन्न फसलों के लिए अनुसंधान तथा कृषक प्रशिक्षण।

1	2	3	4	5

3	**पंचायती राज विभाग जिला परिषद्/ पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत**	• समुदाय द्वारा उपयोग के बाद अवशिष्ट जल का पुर्न उपयोग पर बल देना।	• सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न रोजगारोंन्मुख सरकारी योजना गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना।	• तालाबों, नहरों आदि की खुदाई/साफ कराना/सुरक्षित रखना। • सभी पैक्सों में वर्षा ऋतु के पहले अनाज का भंडारण करके रखना। • पर्यावरण सुरक्षा एवं हरियाली हेतु जागरूकता अभियान चलाना।
4	**जल संसाधन (सिंचाई सृजन)**	• जल वितरण नियंत्रण। सभी सिंचाई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • जल संसाधन के खुले भण्डारों पर सौर उर्जा संयंत्र लगा कर यथासम्भव जल वाष्पीकरण को रोकना।	• सिंचाई नहरों के कमान्ड क्षेत्र में खेतों तक सुचारू रूप से पानी पहुँचाने के लिए जलवाहा/सिंचाई नाली की मरम्मति एवं निर्माण।	• जिले के असिंचित खेतों को सिंचित बनाने के लिए सिंचाई योजना का निरूपण। • विभिन्न सिंचाई योजनाओं के काम में तेजी लाना। • भोजपुर जिले में नहर प्रणाली के अंतर्गत क्षतिग्रस्त/ अर्धनिर्मित/ अनिर्मित नहरों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा उड़ाही करना। • नहरों में सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी होने पर बारी–बारी से सभी खेतों तक आवश्यकता के अनुरूप पानी पहुँचाने की योजना बना कर रखना।
5	**लघु जल संसाधन** सूखा से निपटने हेतु अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि उन्नयन योजनाएं चलायी जा रही सरकार ने शताब्दी नलकूप योजना के माध्यम से ज्यादा पटवन करने का इंतजाम किया है। बंद पड़े सरकारी नलकूपों की यांत्रिक मरम्मति करायी जा रही है। भू–जल की वास्तविकता पता लगाने के लिए जिले में ''ऑटोमैटिक डिजिटल वाटर रेकॉडर'' अधिष्ठापित किया गया है।		• सभी सिंचाई योजनाओं में शतप्रतिशत सिंचाई क्षमता हासिल करना। • वर्षा जल संरक्षण को खासकर विद्यालय/ घरेलू/सार्वजनिक स्थान पर, प्रोत्साहन करना। • ड्रीप/स्प्रींकलर सिंचाई पद्धति अपनाने पर बल/जोर देना।	• सभी नलकूपों को उर्जान्वित तथा कार्यकारी बनाये रखना। • सिंचाई नहरों एवं सार्वजनिक पोखरें से गाद को हटाना।
6	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**	• स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करना। • हर घर नल का जल योजना का त्वरितक्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	• सूखाग्रस्त इलाके में पानी की खपत पर निगरानी रखना तथा टैंकर से जल आपूर्ति की व्यवस्था करना। • जल श्रोतों की नियमित सफाई तथा इसे संक्रमण रहित बनाना। • लाईफ लाईन भवनो यथा अस्पतालों/ विद्यालयों आदि में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को अबाध बनाना।	• सभी पेयजल श्रोतों यथा चापाकल, नलकूप, कुआँ के डिसइन्फेक्सन की व्यवस्था करना। • ब्लिचिंग पावडर की पर्याप्त व्यवस्था रखना। • प्रति व्यक्ति कम–से–कम 40 लीटर पानी की व्यवस्था हेतु तंत्र (System) विकसित करना।
7	**पशुपालन**		• पशुचारा शिविर लगाकर पर्याप्त चारा की आपूर्ति। • कृषि अनुषांगिक आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने हेतु डेयरी, कुकुट पालन, पशुपालन आदि को प्रोत्साहित करना।	• जानवरों के लिए सामूहिक चारा शिविर स्थल को चिन्हित करना। • मौसम विशेष की बिमारियों से बचने हेतु पशुओं का टीकाकरण करना।

8	समाज कल्याण (ICDS)		• आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ओ.आर.एस. पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	• आंगनबाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाले बच्चे, गर्भवती, दुध पिलाती माताएँ आदि के सूची को अद्यतन करना।
9	उर्जा		• विद्युत की नियमित आपूर्त्ति बनाए रखना। • राजकीय नलकूप के पंप को उर्जान्वित बनाये रखना।	
10	ग्रामीण विकास		• मनरेगा तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित सात निश्चय योजना के तहत रोजगार मुहैया कराना।	
11	स्वास्थ्य		• सूखा से जुड़ी कुपोषण एवं निर्जलीकरण जैसी बिमारियों की निगरानी करना। • आवश्यकतानपुसार ओ.आर.एस. पैकेट का पर्याप्त मात्रा में वितरण करना।	• स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड कीट तैयार रखना । • पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण।
12	गृह			• चारा वितरण केन्द्र, अन्य वितरण केन्द्रों पर वितरण के समय पुलिस बल तैनाती
13	मौसम विभाग			• मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान ससमय की घोषणा करना तथा सम्बन्धित विभागों को इससे अवगत कराना।
14	बैंक		• सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना। • विभिन्न ऋण देने वाली एजेन्सियों के द्वारा किसानों को आसान किस्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने का प्रबंधन करना एवं इस आशय की लोगों को जानकारी प्रदान करना।	
15	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण		• सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत करना, अन्त्योदय अन्न योजना को प्रोत्साहित करना एवं उचित मूल्य की दूकानों पर निगरानी रखना।	• क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति एवं रख रखाव तथा खाद्यान्न का भंडारण करना।

अग्नि :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। • राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।	अगलगी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाने, दूरदर्शन एंव रेडियो से जिला स्तर से सुझाव/सलाह का प्रसारण कराना तथा बिहार गृह रक्षावाहिनी का मुख्यालय पटना के पंत्राक 1042 दिनांक 02.03.2016 का अनुपाल सुनिश्चित करना।	• आपातकालीन संचलन केन्द्र को आधुनिक संचार संसाधनों से युक्त करना। • अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़े एक चेक लिस्ट तैयार करना। • इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना। • अग्नि से जुड़ी तकनीकों एवं बचाव उपायों से संबंधित क्षमता निर्माण– पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तरीय कर्मी, स्वयंसेवकों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनधियों का, अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसे गतिविधियों का नियमित आयोजन करना। • अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कालबद्ध कार्यक्रम बनाना।
2	अग्निशमन सेवा		• बहुमंजली इमारतो एवं कार्यालयों में अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था से युक्त नक्शे के आधार पर हीं निर्माण की अनुमति देना।	• जिला, अनुमंडल एवं थाना स्तर पर स्थापित अग्निशमन केन्द्र के टेलीफोन तथा मोबाईल नं., सार्वजनिक करना। • अपने अग्निशमन वाहन को आवश्यक सामग्री से हर दम लैश रखना एवं प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों को हमेशा तैयार रखना। • अग्नि प्रवण क्षेत्र के सड़को की अद्यतन नक्शा रखना, उनसे पूरी तरह परिचित होना तथा उनका नियमित अवलोकन करना। • अग्निशमन के आधुनिकतम यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • अग्निशमन कर्मी के नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करना। • लोंगो के लिए अग्नि बचाव हेतु जन जागरूकता के कार्य करना।

3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	• ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में प्रत्येक 2 कि॰मी॰ पर हाईड्रेन्ट निर्माण संबंधी राज्य सरकार का संकल्प कारगर हो।	• प्रति 2 कि॰मी॰ पर एक हाईड्रेन्ट को क्रियाशील रखना।	• नलकूप में अग्निशमन के लिए बनी गाड़ियों में जल भरने की युक्ति को लगाना। • पर्याप्त संख्या में बड़े व्यास वाले नलकूप निर्माण की योजना बनाना।?
4	शिक्षा विभाग			• सभी विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • सामुदायिक जागरूकता के अन्य कार्य करना।
5	भवन निर्माण विभाग	• बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। • राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन। • विभिन्न प्रकार के अस्पतालों, बैंको, रक्त अधिकोषों तथा संवेदनशील कार्यालयों के भवनो को अग्निरोधी बनाने युक्त नक्शे के आधार पर ही निर्माण की अनुमति देना।		• भवन निर्माण में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थो का प्रयोग एवं भंडारण को हतोत्साहित करना।
1	**2**	**3**	**4**	**5**
6	पंचायती राज विभाग	• आहर पोखर, पईन के पहुँच पथ को चौड़ा करते हुए अतिक्रमण मुक्त करना। • अग्नि सह मकान बनाने की तकनीक को अपनी पंचायत की भावी योजना में समाहित करना। • अग्नि से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन।	• ग्रामीण भवनों/झोपड़ियों के निर्माण में अग्निशमन तकनीक के प्रयोग पर ध्यान देना। झोपड़ियों के निचले हिस्से तथा दीपक रखने की जगह पर मिट्टी लेपन करना। • गर्मी के महीनों में अग्निकांड से बचाव हेतु खाना बनाने के समय में बदलाव। सार्वजनिक कार्यों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य बातों पर पंचायत द्वारा ग्रामीणों को सचेत करना।	• गाँव आधारित आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। • गाँवों के भवन/झोपड़ियों के निर्माण के बीच स्थान जरूर हो ताकि वहाँ तक अग्नि की स्थिति में पहुँच आसान हो सके। • गाँवों में पोखरे, आहर, पईन, ताल तलैया, कुएँ आदि जल श्रोतों को बनायें रखना, उनकी उड़ाही करा कर तैयार रखना। • अग्नि से संबंधित जन जागरूकता के कार्य चलाना। • ग्राम स्तर पर अग्निशमन सामग्री यथा जलश्रोत, पंपिग सेट, हौस पाईप, नोजल, लंबी सीढ़ी आदि की उपलब्धता को सूचिबद्ध करना।
7	नगर पालिका			• घनी आबादी के बीच गुजरने वाली सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना। • अग्निकाण्ड से बचाव के विभिन्न उपायों को दीवारों पर जन जागरूकता हेतु पेटिंग/पोस्टर आदि बनवाना /लगाना। • वैसे भवनों के निर्माण का नक्शा पारित करना जो पर्याप्त

				या निर्धारित चौड़ाई वाली सड़को पर हो ताकि अग्निशमन वाहन वहाँ पहुँच सके। • विभिन्न जगहों पर बड़े व्यास वाले नलकूपों को लगाना।
8	स्वास्थ्य विभाग			• अस्पतालों की सूची, उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का विवरण तथा सभी पहुँच पथ की जानकारी स्थानीय अग्निशमन कार्यालय/थाना को उपलब्ध कराना। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडल तथा सदर अस्पतालों में विशिष्ट सुविधा युक्त ''बर्न यूनिट'' की स्थापना का प्रयास। • एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरूस्त रखना।
9	पशुपालन			• पालतू पशुओं को अग्निकांड से सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना।

भीड़/भगदड़ :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** **भगदड़ के चार मूल कारक (FIST)** **(Force) भीड़ का बल** – संख्या आधारित। **(Infromation) सूचना** – सही या गलत। **(Space) जगह** – बैठने की, कॉरिडोर, निकास आदि। **(Time) समय** – घटना का कार्यकाल।	• भीड़ प्रबंधन की मानक संचलन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा इसका अनुश्रवण करना। • गुप्ताधाम भीड़ को गुफानुमा/संकीर्ण मार्ग से गुजरना पड़ता है, उस मार्ग में वायु निकास **(Air Exhaust)** एवं रौशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • एकत्रित भीड़ द्वारा आवश्यकता के अनुसार समय सीमा के अंदर उनके उद्देश्यों को संपन्न करा देना।	• संभावित भीड़ में बच्चों/बूढ़ों/महिलाओं /दिव्यांगों हेतु परिचय पत्र का निर्माण एवं वितरण। • चिह्नित स्थल पर महत्वपूर्ण विभाग यथा पुलिस कंट्रोल रूम, अस्पताल, पीने के पानी का स्थल, शौचालय, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विश्राम स्थल इत्यादि को तैयार करना तथा इसकी अवस्थिति के बारे में जगह–जगह पर जानकारी(साईनेज सहित) उपलब्ध कराना। • भीड़ मनोविज्ञान, पूर्व के हादसे तथा की जानेवाली कारवाई पर फिल्म का प्रदर्शन। • पंजीकरण की व्यवस्था। • भीड़/भगदड़ पर नजर रखने के लिए वाच टावर का निर्माण।	• भीड़/मेला वाले स्थान का नक्शा बनाना तथा प्रवेश, निकासी एवं सुरक्षा के स्थान को चिह्नित कर प्रभावी भीड़ प्रबंधन कार्य योजना तैयार करना। • किसी भी स्थान विशेष एवं खास समय पर जुटने वाली संभावित भीड़ की संख्या का पूर्वानुमान। • पुलिस एवं स्वयंसेवकों को भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण । • मौक ड्रील के रूप में भीड़ को नियंत्रित करने का पूर्व अभ्यास। • कार्य योजना का लिखित रूप में आवश्यक होना। • जिले में यदि भीड़–भाड़ वाले चिह्नित स्थान हो तो इसका जोखिम विश्लेषण– हितधारक के दायित्वों का निर्धारण।

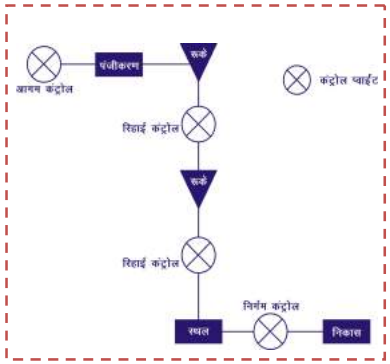

2	**पुलिस** आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने 34 तरह की आपदा की स्थितियों की पहचान की है। इसमें भीड़ प्रबंधन भी शामिल है। भगदड़ या किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए चार तंत्र विकसित किये जाने चाहिए– **पहला**– पंजीकरण की व्यवस्था। **दूसरा**– पुलिस एवं स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत । **तीसरा**– मौक ड्रील के रूप में भीड़ को नियंत्रित करने का पूर्व अभ्यास। **चौथा**– कार्य योजना का लिखित रूप में होना।	• जहाँ सुरक्षा संदिग्ध हो वहाँ भीड़ एकत्र न होने देना। 	• यदि निकास एवं प्रवेश मार्ग पर्याप्त क्षमता वाली हो तो दोनो को हीं आने–जाने के लिए खोल कर रखना। • किसी समय यदि भीड़ ज्यादा हो तो आवश्यकातनुसार निकास के समय प्रवेश मार्ग को भी निकास मार्ग में परिवर्तित करते हुए प्रवेश को प्रतिबंधित कर देना। • निकास एवं प्रवेश मार्ग एक हीं हो तो आने एवं जाने के लिए बारी–बारी से खोलना। • वाहन पार्किंग स्थल का चिह्निकरण एवं उद्धोषणा। • भीड़ वाले स्थल से अस्पताल के मार्ग को अवरोध रहित रखना। • असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना। • अफवाहों और अफवाह फैलाने वालो पर नियंत्रण रखना।	• भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति। • त्योहार के अवसर पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकरियों की भीड़ वाले स्थल पर प्रतिनियुक्ति करना। • प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों एवं स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण । •
3	**स्वास्थ्य**		• संभावित स्थल पर एम्बुलेंस और चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या रखना।	• संभावित भगदड़ वाले स्थल के निकटवर्ती अस्पतालों को चिहित कर तैयार रहने का आदेश निर्गत करना। • स्थानीय अस्पतालों को संसाधन युक्त कर रखना। • पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ, बैण्डेज, स्ट्रेचर उपलब्ध रखना ।
4	**अग्निशमन**	• भीड़ एकत्रित होने वाले स्थलों पर निर्मित टेन्ट अथवा पंडाल की ''फॉयर प्रुफ'' होने की जाँच कर स्वीकृति प्रदान करना अथवा अस्वीकृत करना।		• भीड़–भाड़ वाले स्थान पर हाईड्रेन्ट स्थल की पहचान कर रखना। • अग्निशमन वाहन तथा हाईड्रेन्ट के चालू हालत में रखना। • पंडाल अथवा टेन्ट आदि लगाने के लिए मानकों की मार्गदर्शिका (एंटी फॉयर) तैयार करना।

सड़क/रेल सुरक्षा :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		• Blackspot को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना। • हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह (9–15 जनवरी) का आयोजन। एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं का वृहद भागीदारी सुनिश्चित करने के कार्यक्रम लेना। • चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना/संबद्धता प्रदान करना।	• जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन एवं नियमित बैठक। • कॉम्यूनिटी पुलिसिंग को प्रोत्साहित करना। • पर्व, त्योहार एवं अन्य अवसरों पर सड़क सुरक्षा का संदेश का प्रचार–प्रसार करना।
1	2	3	4	5
2	परिवहन	• मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन । • वाहन चलाने के समय मोबाईल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना। • परिवहन विभाग,बिहार सरकार, द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2017 को निम्न आशय का निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना– ✓ गाड़ियां 80 कि॰मी॰/घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं होगी। ✓ सभी स्कूल बसों में उपयोग होने वाली चार पहिया गाड़ियों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु ''गति नियंत्रक'' लगाने की बाध्यता होगी। ✓ दुपहिया, तिपहिया, अग्निशमक, पुलिस यान, एम्बूलेंस, आदि को गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता नहीं होगी।	• वाहनों का नियत समय पर फिटनेश की जाँच तथा चालाकों का समय–समय पर स्वास्थ्य एवं दृष्टि दोष की जाँच कर अनुपयक वाहनों एवं अवस्थ चालको को गतिबंधित करना। • सीट बेल्ट/हेलमेट का प्रयोग निश्चित रूप से हो, इसे सुनिश्चित करना। • सड़क सुरक्षा के संबंध में जन–जागरूकता अभियान चलाना।	• सरकारी/गैर सरकारी वाहनो में प्राथमिक चिकित्सा कीट के साथ इसमें लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

	"गति नियंत्रक" लगाने की बाध्यता • गाड़ियां 80 कि॰मी॰/घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं होगी। • सभी स्कूल बसों में उपयोग होने वाली चार पहिया गाड़ियों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु "गति नियंत्रक" लगाने की बाध्यता होगी। • दुपहिया,तिपहिया, अग्निशमक, पुलिस यान, एम्बूलेंस, आदि को गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता नहीं है। • डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन को अधिकतम 60 कि॰मी॰/घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा परिवहन विभाग,बिहार सरकार दिनांक 9 जनवरी,2017	✓ डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन को अधिकतम 60 कि॰मी॰/घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा • परिवहन विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 24.08.2016 को निम्न आदेश के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना – ✓ बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाईन के "रिफ्लेक्टीव टेप" (परावर्तक टेप) लगाया जाना है। इसमें ट्रेलर भी सम्मिलित हैं। अनुलग्नक–58 पर संलग्न है।		
1	**2**	**3**	**4**	**5**
3	**पुलिस**	• ट्रैफिक नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना।		• सड़क दुर्घटना के संबंध में 17 बिन्दुओं वाली परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी फॉर्मेट में जानकारी एकत्रित कर प्रतिवेदित करना। (अनुलग्नक– 59 पर संधारित है) • सभी मुख्य सड़कों एवं चौराहों पर विभिन्न समयों पर ट्रैफिक घनत्व का अध्ययन कर आवश्यकतानुसार ट्रैफिक लाईट की स्थापना तथा ट्रैफिक पुलिस का प्रतिनियोजन। • सड़कों की परिवहन क्षमता तथा ट्रैफिक घनत्व के आलोक में "नो–इंट्री" तथा "वन–वे" ट्रैफिक का निर्धारण। • विशेष समारोहों/आयोजनों के समय एवं उसके

				इर्द–गिर्द के सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण। • दुर्घटना प्रवण स्थलों के आस–पास क्रेन/अग्निशमन वाहन की तैनाती।
4	**स्वास्थ्य**		• पर्याप्त पारामेडिकल कर्मी को ड्यूटी पर नियोजित करना ताकि घायलों को अस्तपताल ले जाने में कठिनाई नहीं हो। • सड़कों के आस–पास कोई ट्रॉमा सेन्टर, तथा रेफरल अस्पताल हो उसकी जानकारी सड़क के किनारे संकेतक एवं दूरी के साथ लगवाना।	• Black spot वाले चिन्हित स्थलों के समीप के PHC को उत्क्रमित कर एम्बुलेंस सेवा युक्त चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करना। • Black spot वाले चिन्हित स्थलों के समीप एम्बुलेंस और चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध रखना। • अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ, बैण्डेज, स्ट्रेचर उपलब्ध रखना । • प्रत्येक अस्पताल में नजदीकी ब्लड बैंक, एमआरआई, एक्सरे सेन्टर तथा ब्लड डोनर एवं विशेषज्ञ सर्जन की जानकारी संधारित कर रखना। • समुदाय के स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना। • प्रत्येक अस्पताल में आपदा प्रभावित जनसंख्या की चिकित्सा सहायता के लिए त्वरित मोचन दल (Quick Response Team) का गठन।

1	2	3	4	5
5	**सड़क निर्माण/ग्रामीण सड़क निर्माण** **सड़क सुरक्षा के10"गोल्डेन रूल्स"** • वाहन चालक रूकें या धीरे करें – पैदल चलने वालों की सुरक्षा हेतु। • सीट बेल्ट का सुनिश्चित प्रयोग – इससे दुर्घटना में मृत्यु की संभावना में कमी होगी। • ट्रैफिक नियम और चिन्ह (साइनेज) – सड़क दुर्घटना कम करने हेतु। • स्पीड लिमिट – घनी आबादी, स्कूली क्षेत्र, मार्केट (20–30 मि.मी. /घंटा) • वाहन की हालत – अच्छी हालत में ब्रेक डाउन या दुर्घटना में कमी। • मोबाईल उपयोग प्रतिबंध – वाहन चलाते हुए मोबाईल का उपयोग से दुर्घटना की संभावना। • हेलमेट – माथे में चोट से सुरक्षा। • खतरनाक चालन – स्वयं, परिवार एवं दूसरों की सुरक्षा हेतु इससे बचें। • दूसरों का आदर – सबों का ध्यान रखकर सड़क का प्रयोग करें। • शराब वर्जित – शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक। (बिहार में शराब बंदी लागू)।	• निर्मित सड़कों से अनाधिकार ठोकरो को हटाना एवं नया ठोकर निर्माण पर पाबंदी लगाना। • उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित गठित समिति ने तीन प्रमुख दिशा निर्देश जारी किये है। वे है – ✓ उभय पक्ष द्वारा सड़कों के डिजायन, निर्माण एवं उपयोग की अवस्था में इन सड़क नेटवर्क 'उपयोगकर्त्ता के अनुकुल' हो, इसको ध्यान में रखकर सड़क सुरक्षा अंकेक्षण (रोड सेफ्टी ऑडिट) की जाय। ✓ दस करोड़ से ज्यादा लागत वाली सड़कों का सड़क सुरक्षा अंकेक्षण सुनिश्चित की जानी चाहिए। ✓ राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथ तथ मुख्य जिला सड़कों पर तीखा मोड़ या विभिन्न मिलान वाली सड़कों पर गाड़ियों को धीमा किये जाने संबंधी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट का संकलन।	• सड़क Black spot को चिन्हित कर Signage लगाना। • सड़क सुरक्षा के दस गोल्डेन रूल्स के अनुपालन पर बल देना। • सड़क पर बने पुलों की चौड़ाई बढ़ाना। • वैकल्पिक सड़कों का निर्माण। • सड़क अनुरेखन में सुधार यथा 'ब्लाईंड कर्व' को सीधा करना। • खतरनाक सड़को की पहचान। • सड़क सुरक्षा पर समय–समय पर नियमित अध्ययन करना। सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े विहित प्रपत्र में एकत्रित करने संबंधी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाना है। (अनुलग्नक–59 पर संधारित है) • डीपीआर तैयार करते समय दुर्घटना के विभिन्न कारकों एवं निराकरण को डिजाईन में शामिल करना।	• सड़क पर सफेद रंग का विभाजक चिन्ह् से सभी लेन का स्पष्ट चिह्नकरण । • सड़क सुरक्षा चिह्नों को निश्चित तौर पर सभी आवश्यक स्थानों पर लगाना। • तीखें मोड़ पर स्टील के चमकीले पट्ट लगाना। • पैदल पथ पार के लिए जेबरा क्रॉसिंग बनाना। • घनी बस्ती के बीच से जा रही सड़कों से सुरक्षा के लिए बसावट वाले गाँवों में सड़क सुरक्षा संबंधी जन जागरूकता चलाना।
6	**शिक्षा**		• विद्यालयों में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • विभिन्न सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी तथा प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान छात्र–छात्राओं को देना।	

7	भारतीय रेल	• सभी फाटक रहित रेलवे कॉसिंग पर रेल मित्र की नियुक्ति करना। • रेलवे सेफ्टी रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराना। • (रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 181 के अन्तर्गत असावधानी पूर्वक मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पार करना दण्डनीय अपराध है तथा इसके लिए एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है।)	• सभी मानवरहित रेल पथ समपार से गुजरने वाले वाहनों के लिए निम्नांकित निर्देश पट्टिका स्थापित करना :– ✓ गाड़ी फर्स्ट गेयर में डालकर ही पार करें। ✓ गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बन्द कर दें। ✓ समपार फाटक पार करते समय इयरफोन का प्रयोग न करें।	• ट्रैक का उचित मेन्टेनेंस करना। • निर्धारित गति सीमा के अनुसार रेल का परिचालन सुनिश्चित करना। • आपातकाल मेडिकल भान, आपातकाल एस एण्ड आर दल भान एवं रेल प्रोटेक्शन फोर्स को तैयार रखना। • चलंत अस्पताल को चिकित्सक, पारा मेडिकल एवं आपातकालीन चिकित्सा उपकरण से सुसज्जित एवं तैयार रखना। • समपार के दोनो छोरों पर उँची झाड़ियों की नियमित कटाई एवं सफाई ।

नाव दुर्घटना एवं डुबान (नदी, तालाब, गढ्ढ़े): –

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• बंगाल नौ घाट अधिनियम 1885 का अनुपालन। • बिहार आदर्श नियमावली – मॉडल बोट रूल्स, 2011 का पालन। • नदी, पईन, तालाब, झील, आदि उपलब्ध होना तथा खतरनाक नदी/घाटों पर जोखिम चेतावनी पट्ट लगाना।	• खतरनाक घोषित स्थलों तक परिचालन प्रतिबंधित करना। • खतरों की जगह पर बच्चों की पहुँच को प्रतिबंधित करना। • चिह्नित खतरनाक जगहों में ढांचागत सुधार लाना और चेतावनी संकेत आदि लगाना। • नदी, तालाब के पास पास वाले गाँव के बच्चों का तैराकी प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना।	• नदी घाट का निर्माण। • तालाबों की घेराबंदी। • स्थानीय लोगों को जहाँ नाव से नदी/नहर पार करने का स्थान हो, गोताखोरी एवं तैराकी का प्रशिक्षण । • विभिन्न घाटो पर बांस–बल्ला तथा नाव एवं नाविकों की व्यवस्था।
2	परिवहन	• बिहार आदर्श नौ घाट नियमावली– मोटर वोट रूल्स, 2011का पालन। (देखे परिवहन विभाग, बिहार का वेबसाईट)		• नावों का निबंधन। • नावों पर निबंधन संख्या अंकित करना।
3	पुलिस		• खतरनाक घाटों का चिह्निकरण एवं पहरा देना।	
4	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन			• नदी, नहर, तालाब, झील, झरना की घेराबंदी । • घाट का निर्माण करना।
5	स्वास्थ्य			• प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस और चिकित्सकों की मौजूदगी सुनिश्चित करना।

गर्मी लू/शीतलहर/ठनका : –

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	**(क) गर्मी–लू** • स्कूल/कॉलेज तथा सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। • बच्चों का विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिवर्तन करना। गंभीर लू की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। • मनरेगा के कार्य तथा अन्य निर्माण कार्यों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। • **(ख) शीतलहर** • बच्चों का विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिवर्तन करना। गंभीर शीतलहर की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना।	**(क) गर्मी–लू** • बाजार/रेलवे स्टेशन/बस अड्डा इत्यादि जगहों पर प्याउ की व्यवस्था। **निम्नांकित सुझाव का व्यापक प्रचार–प्रसार–** • यदि बाहर निकलना आवश्यक ही हो तो खाली पेट कभी नहीं निकले। • पानी पी कर एवं सिर को पूरी तरह ढ़क कर निकले। • गर्म हवा से हमेशा अपने को बचा कर रखें। • पीने का पानी लेकर चले तथा निर्जलीकरण से बचें। • फेसमास्क का प्रयोग जरूर करें। **(ख) शीतलहर** • शरीर को बाहरी स्त्रोतों से गर्म रखना, धूप खिलने पर धूप का सेवन। • सार्वजनिक स्थल पर सोने वाले गृह विहीन लोग तथा रैन बसेरा, टमटम पड़ाव, रिक्सा पड़ाव, मुसाफिरखाना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि के निकट कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यस्था करना। • खुले आकाश के नीचे रात्रि विश्राम करने वाले गृह विहिन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बिछाने एवं ओढ़ने के लिए कम्बल उपलब्ध कराना। **(ग) ठनका –** • ठनका की आंशका वाले मौसम में उँचे वृक्ष, बिजली का खम्भा, टावर इत्यादि के नीचे शरण लेने से रोकना। • ठनका की समभावना के मद्देनजर मोबाईल	**(क) गर्मी–लू** • मौसम पूर्वानुमान की घोषणा का संज्ञान लेना। • पहनने के सूती कपड़ों का यथा संभव उपयोग तथा गर्म एवं ताजा खाना खाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना। **(ख) शीतलहर** • अलाव की व्यवस्था रखना। • जाड़े से बचाव हेतु गर्म कपड़ों की व्यवस्था करना। • शीतलहर के प्रभाव एवं उपायों तथा उपबन्धो की जानकारी से लोगों को अवगत कराना। • मरीजों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना। **(ग) ठनका –** • उँचे भवनों में तड़ित चालक लगाना।

			अथवा बिजली के उपकरण के प्रयोग से परहेज की सलाह देना। • घर के खिड़की दरवाजे एवं वृक्ष के बीच धातु के तार जोड़ रखने से मना करना। • नदी/नहर/तालाब से बाहर रहने की सलाह देना।	
1	2	3	4	5
2	स्वास्थ्य विभाग		**(क) गर्मी–लू** • समुदाय के लिए गर्मी–लू से बचने हेतु समय समय पर आवश्यक परामर्श जारी करना । **(ख) शीतलहर** • समुदाय के लिए शीतलहर से बचने हेतु समय समय पर आवश्यक परामर्श जारी करना इलाज करना।	**(क) गर्मी–लू** • गर्मी–लू जनित बीमारी यथा घमौरी (गर्मी के कारण फोड़े), ऐंठन (गर्मी के कारण क्रैम्प), बेहोश हो जाना (गर्मी से मुर्छा), गर्मी से थकावट, उष्माघात (सनस्ट्रोक), निर्जलीकरण (डिहाईड्रेशन) की चिकित्सा हेतु आवश्यक मात्रा में दवा का भंडारण। **(ख) शीतलहर** • शीतलहर जनित बीमारी यथा फ्रॉस्टनीप – मनुष्य के अंगों में सुन्नपन होना, अस्थायी तौर पर चमड़ी का रंग नीला सफेद पड़ जाना/फ्रॉस्टवाइट, तुषार उपधात – ठण्ढ़ी धातु के छूने से/चिंलब्लेन /हाइपोथर्मिया के इलाज हेतु आवश्यक मात्रा में दवा का भंडारण।
3	पशुपालन विभाग		• पशुधन/पॉल्ट्री फार्म/डेयरी फार्म को गर्मी–लू एवं शीतलहर से बचाव के उपायों के लिए उचित सलाह का प्रचार–प्रसार।	• पशु संबंधित दवाईयों का भडारण करना।

संदूषित जल : –

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण			• जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	• दूषित चापाकल को चिन्हित कर लाल रंग से रंगना। • फ्लोराइड कीट लगा कर पानी शुद्धिकरण। • संक्रमित पंप की पहचान कर उसके उपयोग पर रोक लगाना।	• ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति के माध्यम से पानी के सप्लाई के श्रोत में ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। • फ्लोराइड सुधार में निम्नलिखित कदम उठाना जरूरी है– ✓ सुरक्षित एवं दूषित पानी के श्रोतों की पहचान। ✓ गाँव स्तर की जी॰आई॰एस॰ डाटा का संकलन। ✓ सभी हितधारकों हेतु जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के बीच पारदर्शी सूचना प्रणाली। ✓ वैकल्पिक पेयजल स्रोत प्रदान करना। • पारंपरिक जल स्रोतों, को स्वच्छ कुँओं में कनवर्ट करना।	• आइ॰ई॰सी॰ उपकरण विकसित करना सामुदायिक स्वयंसेवकों, सीमावर्ती पदाधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठन हेतु, जिसमें मिथकों तथा वास्तविकताओं पर पूछे जाने वाले प्रश्न, पोस्टर पर संकेत एवं लक्षण, सामान्य जागरूकता चित्र और फील्ड स्टाफ के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना। • उपचार संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव। • जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और जल स्रोतों की गुणवत्ता का मैपिंग । • प्रभावित क्षेत्रों में लाल और नीले हैण्ड पम्प का अर्थ प्रचारित प्रसारित करना। • संकटग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली और रिचार्जिंग सिस्टम का व्यापक निर्माण करना। • पाइप जलापूर्ति के लिए सबसे सुरक्षित सतही अथवा भूगर्भ जल भंडार का पता लगा कर उपयोग में लाना।

चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि : –

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		• ग्रामीण इलाकों में विशेष तरह के ढाल वाली छतें तथा बाँस वाली संरचनाओ के निर्माण कार्य में विशेष सावधानियाँ बरतने की जरूरत होगी।	• मौसम विभाग से प्राप्त चक्रवाती तूफान/ आँधी/ ओलावृष्टि संबंधी पूर्व सूचना को प्रचारित–प्रसारित करना। तथा सभी हितभागियों को सचेत करना। • सार्वजनिक स्थलों पर मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक करते रहना। • गाँव के स्तर पर आँधी, तूफान से संबंधित जोखिम का विश्लेषण करना। विश्लेषण में गाँव के स्तर पर संवेदनशील समुदाय तथा हितभागियों को भी शामिल करना एवं सचेत करना। • सरकार द्वारा जारी 'एडवाईजरी' का प्रचार–प्रसार करना। • ग्राम स्तर के सरकारी कर्मी, सिविल सोसायटी कर्मी आदि को प्रशिक्षित करना।
2	स्वास्थ्य विभाग			• प्रभावित इलाके के ट्रामा सेन्टर सहित सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को तैयार होकर 24 x7 रहने का आदेश देना। • आस–पास के सभी ब्लड बैंक जाँच केन्द्र को सतत् सतर्क रहने का हेतु निर्देश देना।

= = = = = =

5.4 विशेष संरचनाओं की तैयारी :

स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक परिसर तथा पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा
School, Hospital, Industrial Area & Archaeological Safety :

आपदा प्रबंधन के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान के जोखिम निराकरण अथवा शमनीकरण का प्रयास पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। खतरो की चपेट में आई आबादी का बचाव करने के उपरांत स्कूलों में स्थापित अस्थाई राहत शिविर में सुरक्षित स्थानान्तरण करना होता है। घायलों की चिकित्सा नजदीकी अस्पताल में की जाती है।

औद्योगिक प्रतिष्ठान आपातकालीन संचालन केन्द्र के तौर पर उपयोग में लाये जा सकते है। कुछ खतरों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान विशेष संवेदनशील होते हैं। इनके विध्वंस अथवा क्षतिग्रस्त होने पर नये खतरे की संभावना बन जाती है। अतः इस आपदा प्रबंधन योजना में स्कूल सुरक्षा, अस्पताल सुरक्षा तथा औद्योगिक परिसर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

ऐतिहासिक एंव पुरातात्विक महत्व के स्थल तथा उस स्थल पर निर्मित संरचना हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अन्यथा इनका पुनर्स्थान या पुनर्निर्माण पूर्व की स्थिति में नहीं किया जा सकता है। भविष्य की पीढीयो के लिए इसे संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है।

■ अस्पताल सुरक्षा :

हाल के दिनों में भारत के तीन प्रमुख राजधानियों, लखनऊ, कोलकाता एवं भुवनेश्वर के अस्पतालों में लगी आग तथा उसके उपरांत हुए नुकसान तथा गुजरात के भुज में भूकंप के बाद अस्पतालों की स्थिति ने हमें सोचने पर विवश किया है कि अस्पतालों के लिए भी खुद का आपदा प्रबंधन योजना एवं आपातकालिक तैयारी होनी चाहिए। इसका सुखद परिणाम यह होगा कि अस्पताल में भरती रोगी, आपदाओं के बाद अस्पताल में आने वाले रोगियों, उनके सहायक तथा अस्पताल में काम करने वाले लोगों को सुरक्षित और आश्वस्त सेवा मुहैया कराया जा सकेगा।

योजना से दूसरा लाभ यह होगा कि अस्पताल के संसाधन तथा सुविधाओं को काफी हद तक बचाया जा सकेगा।

इस योजना के हिस्से के रूप में अस्पताल के सभी स्तर के कर्मचारी होगें तथा सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड भी। आपदा से संबंधित अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना, विभिन्न प्रकार की आपदाओं से जुड़ी प्रत्युत्तर तथा पुनर्प्राप्ति योजना से युक्त होगी। इसमें अस्पताल से जुड़े सभी विभाग अपनी आंतरिक एवं वाह्य प्रत्युत्तर हेतु योजना रखेगें। यही नहीं, समन्वय तथा अभ्यास के साथ–साथ प्रशिक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था करेगें।

इस क्रम में दो प्रकार से दस्तावेज संधारण किये जायेगें – (1) घटना सुरक्षा पंजी तथा (2) सुरक्षा अभ्यास पंजी।

योजना निर्माण के क्रम में बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा दिये गये निर्देश के आलोक में भवन निर्माण एवं भवन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस अस्पताल सुरक्षा योजना को सभी स्तर के अस्पताल यथा सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लागू करने का प्रयत्न किया जायेगा।

निम्नांकित तालिका विभिन्न प्रकार के आपदाओं से जुड़ी गतिविधियों से युक्त हैं। भोजपुर जिला में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा निम्नवत है –

- जिला स्तरीय अस्पताल–1
- अनुमंडलीय अस्पताल–3
- रेफरल अस्पताल–3
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–14

अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना एवं आपातकालिक तैयारियां –

क्र॰सं॰	आपदा का प्रकार	घटना प्रबंधन	जबाबदेही
1	आग	• आग से जुड़े खतरों को आपातकालिक प्रत्युत्तर दल नियमित रूप से जाँच करेगा। • किसी को भी यदि आग या धुएँ की सूचना मिले या आभास हो तो अस्पताल के टेलीफोन संचालक को इस संबंध में सूचना देना। • टेलीफोन संचालक, सुरक्षा प्रबंधक, प्रशासक तथा सभी विभागाध्यक्षों को इसकी सूचना देगा।	सुरक्षा पर्यवेक्षक एवं अग्नि पर्यवेक्षक

		• एलिवेटर से सभी अलग खड़े होगे। • यदि टेलिविजन या एयर कंडीशनर चल रहा हो तो उसे बंद कर देगे। • सुरक्षा प्रबंधक, तत्काल घटना स्थल पर पहुँचेगें तथा स्थिति का आकलन करने के उपरांत, अस्पताल में उपलब्ध संसाधन से, जैसे अग्निशामक आदि को शामित करायेगें। • बाकी सारे लोग अपने लिए निर्धारित स्थल पर खड़ा रहेगें तथा सुरक्षा प्रबंधक के आदेश/निर्देश का इंतजार करेगें। • यदि अग्नि अस्पताल के साधन के नियंत्रण के बाहर हो या जन–धन की हानि संभावित हो तो मुख्य प्रशासक से संपर्क कर अग्निशमन कार्यालय को सूचित करेगें। • प्रशासक से सलाह कर अस्पताल को पूरी तरह खाली करने का आदेश निर्गत करेंगे तथा सभी रोगी, कर्मचारी, आगत अतिथि तत्काल प्रभाव से भवन को खाली कर देगें। • अंतःरोगी विभाग से रोगियों को वाह्यरोगी विभाग में स्थानांतरित किया जायेगा और आवश्यकता हुई तो उन्हें अस्पताल के भवन से बाहर ले जाया जायेगा। इस कार्य में रोगियों को चिकित्सक/परिचारिका तकनिशियन तथा अन्य संबंधित कर्मी सुरक्षित स्थान तक ले जायेगे। • दुर्घटना पंजी में इस दुर्घटना का अंकण किया जायेगा। • इस हेतु सभी को प्रशिक्षित किया जायेगा। • आग नियंत्रक पैनल पर अग्नि सूचक दर्शाने वाले उपकरण को विभिन्न जगहों पर स्थापित किया जायेगा। • यदि अग्नि सूचक यंत्र असफल हो जाये तो इसकी सूचना प्रबंधक, सभी विभाग को देगें। • इसके मरम्मती की कार्रवाई करेंगं तथा इसकी सूचना सभी विभाग को देगें।	
2	भूकंप	• सुरक्षा पर्यवेक्षक द्वारा तत्काल प्रत्युत्तर के कदम उठाये जायेगें। • ज्योहीं प्रारंभिक कंपन की अनुभूति सुरक्षा पर्यवेक्षक करेगें, सुरक्षा नियत्रंण कक्ष के कर्मी तत्तकाल इसकी सूचना आपातकालिक प्रत्युत्तर दल के सदस्यों को देगें जो किसी खास फोन नम्बर पर उपलब्ध रहेगें। • सभी कर्मी कंपन की सूचना के साथ अपने स्थान पर शांति पूर्वक खड़े होगे तथा अगली सूचना की प्रतीक्षा करेगें। • शांत रहते हुए अन्य को भी ऐसा हीं करने को कहेगें। • यदि भवन के भीतर हों तो प्लास्तर को गिरने को देखेगें, दिवालों ओर छत पर जो वस्तु लगाई गई है उन पर नजर रखेंगें, उँचे उपकरण तथा अन्य गिरने वाले उपकरणों से सचेत रहेगें, जो फिसल या गिर सकता है। • खिड़की और आईने से दूर रहेगें तथा किसी भी स्थिति में बाहर नहीं भागेंगे। • ज्योहीं आरंभिक कंपन समाप्त हो जायगी तथा एक अंतराल बीत जायेगा और पुनः कोई कंपन नहीं होगी तो तत्काल चारों तरफ के घायलों एवं नुकसान का सर्वेक्षण करेगें। • घायलों का प्राथमिक उपचार करेगें। • गंभीर घायलों को यदि जीवन का खतरा नहीं हो तो धैर्य के साथ इस प्रकार प्राथमिक सहायता देंगे कि उन्हें और नुकसान न हों। • आग से जुड़ी खतरों की जाँच करेंगें जिसकी संभावना टूटे बिजली के तारों या शॉट सर्किट से हो सकता है। यदि आग मिलता है तो	

		तत्काल उसके शमन की कार्रवाई करेंगें। • किसी भी रोगी को अस्पताल की सुविधाओं से वंचित करने का प्रयास नहीं करेंगें यदि ऐसा करने का निर्देश नहीं मिला हो। • मलबे या टूटे शीशे के पास के रोगियों को बिना जूते के नहीं निकलने का निर्देश जारी करेगें। • तत्काल भूकंप के कारण बर्बाद हुई दवाओं तथा नुकसान दायक पदार्थों को हटवाने का निर्देश जारी करेगें। • जल–मल निकास की जाँच कर शौचालयों के प्रयोग को सुरक्षित घोषित करेगें। • भंडारण एवं इसके पास के क्षेत्र का पड़ताल करेगें तथा छोटे और बड़े अलमारियों के उपर रखें वस्तुओं का आकलन करेगें।	
3	बम की चेतावनी	**फोन करने वाले की सूचना लिखेंगे –** • फोन आने पर सूचना देने वाले की आवाज, पुरूष/महिला, सूचना के समय शांत या घबराहट होने तथा बोलने के तरीके पर ध्यान देगें। • सूचना में निम्नलिखित बातों को दर्ज करेंगें ▪ सूचना पाने वाले का नाम/सूचना का समय ▪ फोन करने वाले की आवाज : पुरूष/महिला ▪ बोली–स्थानीय/बाहरी/गंवई/मजाकिया ▪ बम कहां रखा है। ▪ अन्य मौजूद शोरगुल जैसे गली/यातायात/हवाई जहाज/संगीत/रेल गाड़ी आदि। **अस्पताल के कर्मी करेंगें :** • सुरक्षा नियत्रंण कक्ष को इसकी सूचना देंगें। सूचना किसी संकेत, आवाज या संचार उपकरण से देगें। • किसी भी स्थिति में अलार्म नहीं बजायेंगें। • सुरक्षा नियत्रंण कक्ष सुरक्षा प्रबंधक को सूचित करेगा। सुरक्षा प्रबंधक, प्रशासक को, मुख्य प्रशासक को तथा अस्पताल प्रबंधक (अनुरक्षण) को सूचना देगें। • संदिग्ध वस्तु से दूरी बना कर रखेंगें और किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं छुऐगें । • संदिग्ध वस्तु पर नजर रखेंगें। • संदिग्ध वस्तु के पास गलती से या उद्देश्य के साथ अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं जाने देगें। • दरवाजे को बल पूर्वक न तो खोलेगे न तो बंद करेंगें। **सुरक्षा नियत्रंण कक्ष की गतिविधियाँ –** • आपातकालिक प्रत्युत्तर दल के आने के पहले क्षेत्र को प्रतिबंधित कर देगें। • आसपास के क्षेत्र को खाली करायेगें। • पुलिस नियत्रंण (100) तथा बम निष्क्रमण दल को सूचित करेगें। • अस्पताल प्रबंधन के स्वीकृति उपरांत हीं अस्पताल को खाली करायेगें। • बम निष्क्रमण की कार्रवाई के निर्धारण के उपरांत हीं बम संबंधी चेतावनी का समापन किया जायेगा। सब कुछ समाप्त का संकेत देकर सामान्य स्थिति की प्राप्ति की जायेगी।	**कॉल सेन्टर** **सुरक्षा कर्मी**

4	व्यापक जन	• मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्रशासक (निदान), चिकित्सा अधीक्षक	

	हताहत	को सूचना देना। • व्यापक जन हताहत को लेकर आपातकालिक प्रत्युत्तर की तैयारी करेगें। • स्थिति को नियत्रंण में करने के लिए अतिरिक्त कर्मी को लगायेगें और यदि आवश्यक हो तो दूसरे क्षेत्र या वार्ड से भी कर्मी को लगा जायेगा। • आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कुछ शय्या आरक्षित कर रखा जायेगा। • सहयोगी कार्य करने वाली इकाईयों जिनमें प्रयोगशाला, रक्तअधिकोष तथा एक्सरे आदि को सूचित कर तैयार रखना। • गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) तथा शल्य चिकित्सा कक्ष (ओ. टी.) को सूचित कर तत्काल कारवाई के लिए तैयार करेगें। • आनेवाले रोगियों के लिए व्यवस्था करना तथा उनकी उपचार की प्राथमिकता तय की जायेगी। • एम्बुलेंस से आने वाले रोगी को यथाशीघ्र प्राप्त करना तथा पिछले एम्बुलेंस के लिए जगह खाली कराई जायेगी। • सुरक्षा गार्ड की मदद से उपचार में शुभचिंतकों के हस्तक्षेप को रोका जायेगा। • रोगियों के साथ पहुँचने वाले शुभचिंतकों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित किया जायेगा।	
5	**दंगा तथा आंतकी हमला**	• असैन्य/पुलिस/सैन्य अधिकारियों को सूचित किया जायेगा तथा परिसर को सुरक्षित करने के लिए सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति कराई जायेगी। • एक सप्ताह के लिए आवश्यक दवायें एंव खाद्य सामाग्री के भंडारण को सुनिश्चित किया जायेगा। • अस्पताल परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के प्रवेश पर कड़ी नजर रखी जायेगी तथा सभी अतिरिक्त प्रवेश द्वार को प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। • जोखिम वाले क्षेत्र, जैसे पानी टंकी, पेट्रोल एवं डीजल टंकी, गैस टंकी, जेनेरेटर आदि को अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाकर सुरक्षित कर दिया जायेगा।	

= = = = = =

■ स्कूल सुरक्षा :

विभिन्न आपदा के समय बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। आपदा प्रबंधकों ने माना है कि चूँकि बच्चे भविष्य के मूल्यवान नागरिक हैं, अतः उन्हें बार–बार के अभ्यास से संभावित आपदाओं में, उससे लड़ने और बचने हेतु मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाय। ऐसा करने से बच्चे खुद और साथ हीं उन परिवारों को भी आपदा से निपटने के गुणों से वाकिफ करा सकते हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि कम उम्र के बच्चें होने की वजह से उनकी निर्भरता दूसरो पर बनी रहती है। विद्यालय भवन चूंकि सार्वजनिक होते है अतः इनका निर्माण भूकंपरोधी तकनीक से युक्त होना चाहिए या जो विद्यायल भवन पहले से निर्मित है उनमे भूकंपरोधी तकनीक के अधीन सुधार लाया जाना चाहिए।

विद्यालयों में घटित कुछ हादसे –

शिक्षा विभाग बिहार के अनुसार राज्य में लगभग 80000 सरकारी विद्यालय है। जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। वर्ष 2008 में कोसी नदी से आयी बाढ़ के दौरान सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिले के 7480 विद्यालय प्रभावित हुए। जिसमें क्रमशः 173 विद्यालय पूर्णतः तथा 481 विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इसी प्रकार वर्ष 2013 में सारण जिले के गंडामन प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याहन् भोजन खाने से 23 बच्चों की मृत्यु हो गई। वर्ष 2016 में गंगा में आयी बाढ़ के कारण 3 मध्य विद्यालय पानी के तेजधार में विलुप्त हो गये।

स्त्रोत–मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, कार्यक्रम क्रियान्वयन दस्तावेज, 2017

भारतीय संदर्भ में विद्यालय सुरक्षा के क्षेत्र में दो घटनाएँ – तमिलनाडू के कुंभलकोलम के विद्यायल में लगी आग जिसमें 300 से ज्यादा बच्चो की मौत हुई तथा गुजरात के भुज में आई भूकंप, जो झंडोत्तोलन के समय आया, में भी काफी बच्चे हताहत हुये थे, अति महत्वपूर्ण हैं।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य एवं जिला आपदा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग तथा जिलाधिकारी स्तर से किये गये प्रयासों की वजह से सभी जिलों में स्कूलों के शिक्षक तथा छात्र–छात्राएँ, मॉकड्रिल के माध्यम से भूकम्प तथा आग से बचने के विभिन्न तरीकों से परिचित हो चूके है। अब आवश्यकता है कि इन प्रयासों की निरंतता बनाये रखा जाय ताकि वे भविष्य में स्वयं की सुरक्षा तो कर ही सके साथ में समाज को भी लाभ मिल सके। आपदा में बच्चे सबसे ज्यादा कष्ट झेलते है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु स्कूल सुरक्षा को जिला आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य अंग बनाया गया है।

स्कूल हमारे समाज निर्माण का अभिन्न हिस्सा है अतः शिक्षा विभाग को भी इन तैयारियों में जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्कूल सुरक्षा को हम निम्नलिखित छः चरणों में हासिल कर सकते है–

पूर्व तैयारी :

1. स्कूली स्तर की खतरे एवं संवेदनशीलता के संबंध में जागरूकता बढ़ाते हुए स्कूल से जुड़े शिक्षकों, छात्रों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच इसका रेखांकन करना।
2. खतरों और कमजोरियों, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक ढाँचे, अंदर की क्षमता और भूमिकाओं की पहचान, विभिन्न हितधारकों को सुचारू योजना बनाने में मददगार साबित होगी।
3. निकासी योजना, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण स्कूल आपदा प्रबंधन योजना की सफलता सुनिश्चित करेगी।
4. चेतावनी दल, जाकरूकता कार्य दल, निकासी कार्य दल, खोज एवं बचाव कार्य दल, प्राथमिक चिकित्सा कार्य दल, अग्नि सुरक्षा कार्य दल, मनोवैज्ञानिक सहायता कार्य दल, साइट सुरक्षाटास्क फोर्स आदि सहित विभिन्न कार्य दलों का गठन।
5. आपातकालीन प्रबंधन के लिए सभी संसाधन एजेंसियों से संपर्क एवं उनके संबंध में जानकरी प्राप्त करना।
6. आपातकालीन निकास मार्ग, प्रदर्शन और निकासी, बचाव, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा छात्रों द्वारा प्राप्त कौशल का परीक्षण करने की कार्यकुलशता का मॉक ड्रिल का आयोजन कर छात्र/छात्राओं की समझ को बढ़ाना ।

जागरूकता :

पूर्व में किये गये प्रयासों की सफलता को देखते हुए इसे विस्तार कर, भूकंप एवं अग्नि के अलावे, अन्य आपदायें जैसे लू, शीतलहर, सड़क सुरक्षा आदि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस तरह के कार्यक्रम को चलाये जाने से निम्नलिखित सीख प्राप्त होगें।

1. बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित होना।
2. विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होना।
3. विद्यालय सुरक्षा विषय से संबंधित मास्टर प्रशिक्षक तैयार होना।
4. सुचना, शैक्षणिक एवं संचार (आई॰ई॰सी॰) सामग्रियों से बच्चों का जागरूक होना।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को जीवन में व्यापकता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य शोध शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् की सहायता से जिला स्तरीय एंव प्रखंड स्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय गतिविधियों एवं भूमिकाओं की रूप रेखा तैयार की जायें।

जिला विद्यायल सुरक्षा योजना – शिक्षा विभाग, बिहार के अनुसार राज्य में लगभग 80000 सरकारी विद्यालय हैं। जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री विद्यायल सुरक्षा योजना के अतंगर्त बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी सहयोग लिया गया तथा इसका परिणाम सफल रहा है।

साप्ताहिक कार्यक्रम : आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु बिहार द्वारा पारित बहु–आपदा न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) में भी शिक्षा संबंधित विषय के अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस रोडमैप को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं जिला स्तर के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न गतिविधियों को लागू करने हेतु प्रयत्न किये जायेंगे। इसे प्रत्येक सप्ताह शनिवार या सुविधानुसार किसी अन्य दिन आयोजित किये जा सकते है।

साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्देश्य :

- बच्चों को आपदा जोखिम से परिचित कराना ।
- बच्चों को जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल करना।
- बच्चों को विभिन्न प्रकार के आपदा के कुप्रभाव से बचाना।
- बच्चों का आपदा प्रबंधन कौशल विकास करना।
- आपदा से होने वाली मौतों को कम करना।
- आपदा से होनेवाले नुकसान को पूर्व तैयारियों के माध्यम से कम करना।
- विद्यालयों को सुरक्षित बनाना।
- आपदा से बचाव के तरीकों को समाज तक फैलाना एवं आत्मनिर्भर करना।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्कूलों में 'सुरक्षित शनिवार' कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार निम्न विषयों में से किसी एक का चुनाव कर विवेचना करने का सुझाव दें सकती है–

1. मौसम आधारित आपदाएँ ।
2. सामान्य समय में होनेवाली आपदाएँ/घटनाएँ ।
3. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ।
4. पोषण संबंधी परेशानियाँ।
5. स्वच्छता संबंधी।

6. बाल सुरक्षा संबंधी।
7. जलवायु परिवर्तन एवं
8. बच्चों की खराब आदतों संबंधी।

पंचायतों के प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम के अंर्तगत जिन विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किये गये उन सभी विद्यालय में छात्र–छात्राओं द्वारा सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन सफलता पूर्वक किया गया। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इस बात को भी समझा जाये कि विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों के प्रकार, इन विद्यलायों में नामांकित बच्चों तथा इनमें कार्यरत शिक्षकों की दृष्टि से आपदाजनित खतरों के लिए यह कितना संवेदनशील है? निम्नाकित तालिकाऐं इन्हीं सारी संवेदनशीलताओं से जुड़ी है।

सहयोगी संस्था : सुरक्षित स्कूल कार्यक्रम के सफलता हेतु निम्नलिखित विभाग, संस्थानों एवं संभाग के सहयोग से सफलता हासिल करना होगा। वे है :–

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्।
- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- जिला शिक्षा परियोजना परिषद्।
- जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।
- स्कूल स्तरीय शिक्षा समिति।

स्कूल प्रत्युत्तर दल का गठन (क्षमतावर्धन) : जैसा कि विदित है, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अध्यापकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता को बढ़ाना, इसलिए सभी स्कूलों से यह अपेक्षा होगी कि वो स्कूल स्तर पर प्रत्युत्तर दल का गठन करेगें ताकि मॉक ड्रिल के माध्यम से उनका क्षमतावर्धन हो। दल निम्नवत होगा–

क्र॰सं॰	टीम	टीम की बनावट	मुख्य काम
1	इन्सीडेन्ट कमांडर	प्रधानाचार्य	1. आपदा के दौरान किये जाने वाले राहत व बचाव कार्य सुचारू रूप से कराना। 2. किसी आपदा के बाद यदि राहत व बचाव कार्य के लिए सरकारी या गैर–सरकारी एजेसिंयां स्कूल परिसर में पहुँचती है तो उन्हें सभी आवश्यक सूचना प्रदान करना।
2	स्कूल आपदा प्रबंधन समिति	प्रधानाचार्य / उपप्रधानाचार्य, शिक्षक–2 (1पुरूष,1महिला) स्कूल स्टाफ–2	1. 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' तैयार करना। 2. समयान्तराल पर 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' का मूल्यांकन करना तथा उसे अपडेट करना। 3. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों से मिलाप करना तथा स्कूल में आपदा प्रबंधन व जीवन बचाव संबंधित तकनिकी प्रशिक्षण का आयोजन करना। 4. समय–समय पर आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों के मदद से स्कूल परिसर में आपदा के विभिन्न पहलूओं पर मॉकड्रिल कराना। 5. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों का संपर्क नंबर रिकार्ड में रखना व समयान्तराल

			पर उसे अपडेट करना। 6. आपदा से संबंधित प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल में स्कूल के सभी अध्यापकों एवं छात्रों के भागीदारी को सुनिश्चित करना।
3	जागरूकता अभियान दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. आपदा के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। 2. स्कूल परिसर में आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने के लिए पोस्टर, पम्पलेट, आसान तरीका 'क्या करें–क्या न करें' प्रदर्शित करना। 3. स्कूल में आपदा प्रबंधन से संबंधित लेख/निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।
4	आपातकालीन अलार्म दल	शिक्षक –2, स्कूल स्टॉफ–1	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान विद्यालय परिसर में मौजूद छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को अलार्म के माध्यम से सावधान करना। 2. अलग–अलग घटनाओं के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के अलार्म मुकर्रर किये जा सकते है जो कि छात्रों व अध्यापकों सभी को मालुम हों।
5	निकासी दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान सभी छात्रों को शांतिपूर्वक ढंग से क्लास रूम से बाहर निकालना व एसेम्बली प्वाइंट पर इकट्ठा करना। 2. ऐसेम्बली प्वाइंट में बच्चों की गिनती करना तथा इसकी सूचना 'स्कूल आपदा प्रबंधन समिति' व खोज एवं बचाव दल को देना।
6	खोज व बचाव दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर) इस दल में स्कूल के सीनियर छात्रों के सेक्शन को भी शामिल किया जाये।	एसेम्बली प्वाइंट में इकट्ठा होने के बाद यदि कोई छात्र गुम हो तो तुरंत खोज एवं बचाव के कार्य करना।
7	प्राथमिक उपचार दल	स्कूल डॉक्टर/नर्स 3–4 शिक्षक स्कूल के सीनियर सेक्शन के छात्रों को भी शामिल किया जाये।	1. घायल छात्रों, अध्यापकों या अन्य स्कूल स्टॉफ का प्राथमिक उपचार। 2. स्कूल परिसर में प्राथमिक उपचार किट तैयार रखना।
8	फायर फाईटिंग दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. स्कूल में उपलब्ध आग बुझाने के बारे में जानकारी रखना। 2. मुख्य बिजली आपूर्ति 'कट' के बारे में जानकारी होना ताकि शॉट सर्किट की स्थिति में मेन लाईन काटा जा सके। 3. आगजनी के हालात में आग पर काबू पाने का प्रयास करना।
9	परिवहन प्रबंधन दल	स्कूल के वाहन समन्वयक शिक्षक–2, सीनियर सेक्शन के छात्र–2	1. स्कूल में उपलब्ध सभी गाड़ियों, उनके रूट व आने जाने वाले छात्रों की सूची तैयार रखना। 2. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान स्कूल आपदा प्रबंधन समिति को सहयोग करना।

10	मीडिया प्रबंधन दल	उप प्रधानाचार्य या अन्य वरिष्ठ स्कूल स्टॉफ	1. पत्रकार सम्मेलन से पहले स्कूल आपदा प्रबंधन समिति से किसी भी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेना। 2. आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मीडिया के संपर्क में रहना।

नोट : आपदा जोखिम, न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संबंधित स्कूल द्वारा दलों के स्वरूप में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकेगा।

= = = = = =

■ औद्योगिक सुरक्षा :

किसी भी राज्य के विकास के लिए कृषि के अलावा उद्योग का होना बहुत हीं जरूरी है। किसी उद्योग की स्थापना से उत्पादन प्रक्षेत्र में सीधे तौर से रोजगार की संभावना बढ़ती है और साथ हीं बड़ी संख्या में लोग अप्रत्यक्ष रोजगार से भी जुड़ते है। लेकिन यह भी सच है कि जहाँ उद्योग विकास के लिए जरूरी है, वहीं वह आंतरिक दुर्घटना एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिन्ता का विषय भी है। आंतरिक दुर्घटना, उस उद्योग में उपयोग की जा रही सामग्री एवं सुरक्षा के अवयवों की अनदेखी के कारण होती है, जबकि उस उद्योग से वायु या जल में उत्सर्जित की जा रही पदार्थ पर्यावरण को दूषित करने का कारण माना जाता है।

सन् 2015 में देश भर में पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्रियों ने बैठक में यह सुनिश्चित करने का निर्णय किया कि एक ओर जहाँ उद्योगों की स्थापना में कोई कठिनाई नहीं हो वही कुछ मानक बना लिए जाये ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। परिणामस्वरूप यह तय हुआ कि उद्योगों को उसमें व्यवहृत की जाने वाली सामग्री और उसके उत्पादन के आधार पर उत्सर्जन – (वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खतरनाक कचड़ा एवं उपयोग के उपरांत बेकार हो गये संसाधन) उसको रंग (कलर कोड) के आधार पर चिह्नित किया जाय। इस आशय का पत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली ने अपने 17 मार्च 2016 के पत्र से भी सभी राज्यों का ध्यान आकृष्ट किया है। कलर कोड की विशिष्ट एवं विस्तृत सूची बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उपलब्ध है। संक्षेप में वो इस प्रकार है :

सारणी– (5.1) प्रदूषण मापने के स्कोर :

क्रम सं॰	प्रदूषण स्कोर	रंग (कलर कोड)	उत्पादन के आधार पर उद्योगों की संख्या
1	60+	लाल (रेड)	60
2	30-59	नारंगी (औरेंज)	83
3	15-29	हरा (ग्रीन)	63
4	15 से कम	सफेद (व्हाईट)	36

स्त्रोतः पी॰आई॰बी॰–2016

खतरे का आकलन :

इस जिले में कई बड़े, मंझोले एवं छोटे आकार के उद्योग लगे है तथा वे उपरोक्त श्रेणियों में आते है। जिला प्रशासन को इन उद्योगों में प्रदूषण (वायु/जल) को कम करने तथा मानक स्तर पर बनाये रखने हेतु सतत् प्रयास करना होगा। जिले से उद्योगों की सूची मुख्यतया बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना, जिला उद्योग केन्द्र तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना से प्राप्त हैं।

दुर्घटना के प्रकार

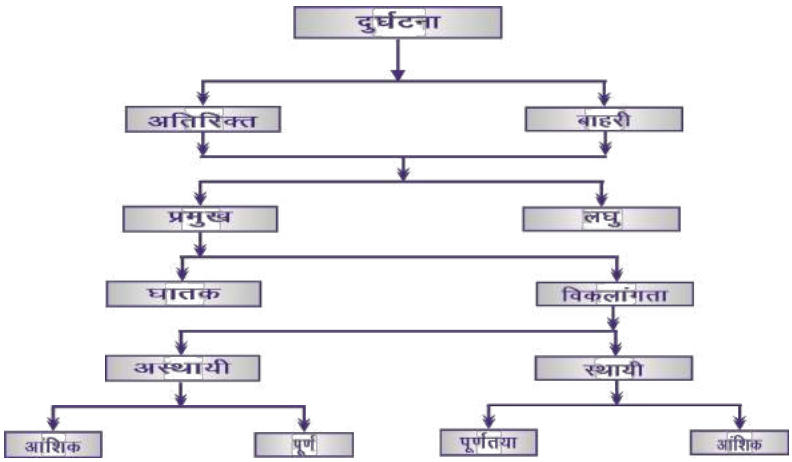

न्यूनीकरण : उद्योग स्थापना की पूर्ण जानकारी हासिल करते हुए एक सुनियोजित ढंग से, उद्योगों के प्रकार, उसकी क्षमता, उत्पादन की प्रक्रिया, उपयोग किये जा रहे उपकरण, खतरे एवं संवेदनशीलता का संपूर्ण आंकड़ा सर्वे के माध्यम से एकत्रित किया जायेगा। इसके उपरांत जिला उद्योग केन्द्र, श्रम संसाधन विभाग, कारखाना निरीक्षक के संयुक्त प्रयास से औद्योगिक दुर्घटना के दोनों ही आयाम, उद्योग में आग लगने एवं वायु प्रदूषण फैलने वाली घटनाएं कम की जा सकेंगी।

औद्योगिक अग्निकांड में मुख्यतया गलतियां ऐसे उद्योग के आंतरिक फिटिंग, उपयोग की जाने वाली मशीनरी का समुचित रख–रखाव का अभाव एवं व्यॉलर का समय–समय पर पर्यवेक्षण का अभाव मुख्य कारण बनता है। इसके लिए कारखाना अधिनियम,1948, व्यॉलर अधिनियम एवं चिमनी लगाने के मानक आदि के उपायों को सख्ती से लागू करना उचित होगा।

औद्योगिक इकाईयों में आपदा प्रबंधन : कारखाना अधिनियम,1948 के आलोक में कल्याणपुर सीमेंट लि॰ द्वारा निम्नलिखित आपदा प्रबंधन योजना प्रतिवेदित है :–

उद्देश्य : कारखाना अधिनियम, 1948 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कल–कारखानों की स्थापना, उनका संचालन तथा कार्य चलाने की व्यवस्था होती हैं। इस अधिनियम में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

कार्यक्षेत्र : यह अधिनियम ऐसे किसी भी संस्थान जिसमें कम से कम 10 श्रमिक हों और उत्पादन बिजली की सहायता से होता हो अथवा वे संस्थान जहाँ कर्मचारियों की संख्या 20 तक हो परंतु बिजली के सहायता के बिना उत्पादन का काम होता हो।

अनुपालन की आवश्यकता : ऐसे सभी उत्पादन इकाईयों को कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतगर्त सेक्शन – IV के अंतर्गत सुरक्षा हेतु एहतियात (Precaution) बरतने के संबंध में सभी दिशा निर्देश तथा सेक्शन– IV (A) में उपयोग की जा रही खतरनाक प्रक्रिया से संबंधित सावधानी बरतने संबंधी दिया निर्देश के अनुपालन की आवश्यकता है। अनुपाल कराने की जिम्मेदारी मुख्य कारखाना पदाधिकारी/निरीक्षक (श्रम संसाधन विभाग) को दिया गया है। इन सभी बिन्दुओं का अनुपालन संभावित खतरा एवं जोखिम से बचाव को ध्यान में रखकर किया गया है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण से कार्यरत कर्मचारी तथा समुदाय दोनों को ही खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः उपरोक्त का अनुपालन आवश्यक है।

ख. उद्योग में निम्नांकित खतरा चिह्नित है:

क्र॰सं॰	संभाग	खतरा
1	गैस कंडिशनिंग टॉवर एवं सफाई	गर्म कच्चा माल का बाहर आना
2	विद्युत रूम	आग एवं स्पर्शाघात
3	केबल टनल	आग एवं स्पर्शाघात
4	चिमनी	वायु प्रदूषण
5	कोयला एवं इंधन (फ्युल) का भंडार	आग एवं इंधन का फैलाव
6	कच्चा माल का परिवहन	धूल निकलना
7	ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग	धूल एवं विस्फोट से खतरा

ग. सुरक्षात्मक उपाय :

- सुरक्षात्मक जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण, सुरक्षा स्लोगन, पोस्टर का उपयोग।
- मास्क, हेलमेट एवं जूते का प्रबंध ।
- निश्चित अवधि में सभी उपकरणों की जाँच।
- फर्स्ट एड सुविधा प्रदान करना।
- समय–समय पर कार्यरत मजदूरों की स्वास्थ्य की दृष्टि से जाँच।
- अग्निशमन उपकरण का सभी खंडो में उपलब्धता।
- अग्निशमन गाड़ी 24 घंटे उपलब्ध।
- आपदा प्रबंधन दल का गठन तथा मानक संचालन प्रक्रिया (जिम्मेवारी सहित) उपलब्ध।

न्यूनीकरण :

- शारीरिक हानि से बचने हेतु उपायों का प्रबंधन।
- व्यावसायिक खतरों से बचने हेतु उपायों का प्रबंधन।
- कार्य स्थल (ऑन साईट) की आपदा योजना।
- कार्य स्थल से बाहर (ऑफ साईट) हेतु आपदा योजना।

प्रत्युत्तर :

- परिसर में छः शय्या वाले अस्पताल ।
- डाक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ (24x7) ।
- एम्बुलेंस का उपयोग।
- जरूरत की दवा की उपलब्धता ।
- प्रत्येक प्रभाग में उपलब्ध फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग।
- उपलब्ध संसाधन का उपयोग।
- नजदीक के अस्पतालों से समन्वय।

संसाधन :

- क्रेन –1
- जे॰सी॰बी॰ –1
- लोडर – 1
- शोवेल –1
- डम्पर – 1
- गैस कटर – पर्याप्त
- सेफ्टी बेल्ट – पर्याप्त
- पानी से भरा टैंक – पर्याप्त
- पानी हेतु टैंकर – पर्याप्त

जिले में अन्य छोटे तथा मध्यम आकार के अन्य उद्योगों, उसमें कार्यरत कर्मचारी तथा संभावित खतरों की जानकारी संग्रहित है। इस मद्दे नजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने इस जिला आपदा प्रबंधन योजना के संवृद्धि हेतु जिले में उद्योग से जुड़ी विभिन्न पहलूओं के संबंध में आंकड़े इकट्ठा करेगी।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् को राज्य के सभी जिलों के वायु प्रदूषण के अनुश्रवण का दायित्व सौपा गया है। इस जिले की जनसंख्या तथा जिला मुख्यालय स्तर की जनसंख्या में दशकीय बढ़ोतरी हुई है। साथ ही विभिन्न प्रकार के कृषि, औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों से उत्सर्जन एवं अन्य विकास के कार्य, परिवेशी वायु के गुणवत्ता को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

अब वायु के मानक स्तर को बनाये रखना आवश्यक हो गया है। पटना के दो स्टेशनों को छोड़कर अन्य जिलों में भी वायु प्रदूषण अनुश्रवण स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य में पटना के इंदिरा गाँधी विज्ञान कम्पेक्स (प्लेनिटेरियम) में वायु गुणवत्ता हेतु एक केन्द्र जुलाई 2011 में स्थापित किया गया है, जिसे जिला स्तर पर भी ले जाने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद् ने प्रदूषण के स्तर का वर्गीकरण एवं उसकी सीमा का निर्धारण कर दिया है, जिसके आधार पर आंकड़ा इकट्ठा करने की आवश्कता है।

बिहार एनवीस सेन्टर, पटना द्वारा प्रदूषण के विभिन्न स्तरों का मानक मान निर्धारित किया है जो निम्न है–

सारणी– (5.2) प्रदूषण के स्तर का वर्गीकरण :

प्रदूषण का स्तर	वार्षिक औसत उपस्थिति (सान्द्रण) की सीमा($\mu g/m^3$)					
	औद्योगिक, आवासीय, ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्र			पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र		
	SO_2	NO_2	PM_{10}	SO_2	NO_2	$PM_{,10}$
निम्न Low (L)	0-25	0-20	0-30	0-10	0-15	0-30

मध्य Moderate (M)	26-50	21-40	31-60	11-20	16-30	31-60
उच्च High (H)	51-75	41-60	61-90	21-30	31-45	61-90
गंभीर Critical (C)	>75	>60	>90	>30	>45	>90

श्रोतः बिहार एनवीस सेंटर, पटना

= = = = = =

■ पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा :

वीर कुंवर सिंह स्मारक

भोजपुर कई पुराने मंदिरों और आश्रमों से युक्त है। 14 वीं शताब्दी में देव में प्रसिद्ध मंदिर, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह किला, आरा में महाराजा कॉलेज, शाही मस्जिद में पांच गुंबदधगुंबद, 1817 के आसपास बनी कर्बला मस्जिद, अरण्य देवी मंदिर, चतुर्वज नारायण मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति है। लक्ष्मी–नारायण, भवानी मंदिर, जगदंबा मंदिर, शताब्दी पुराना जैन पार्श्वनाथ मंदिर, मुगल काल के दौरान निर्मित महामाया मंदिर, महाथिन माई मंदिर जो बहुत सारी महिला भक्तों को आकर्षित करता है, गुंडी में वेंकटेश मंदिर ६ भगवान रघुनाथ मंदिर, शेरशाह और जल द्वारा निर्मित शाही जामा मस्जिद मंदिर।

जगदीशपुर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोही नेता बाबू कुंवर सिंह का गृहनगर है। यह स्थान आरा से लगभग 35 किमी दूर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है। बाबू कुंवर सिंह के आवास को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसमें उनकी तलवार और अन्य हथियार प्रदर्शित हैं।

जगदीशपुर से 2 किमी पूर्व में स्थित, दलौर अंतिम लड़ाई का स्थान है जो 1857 में बाबू कुंवर सिंह और ब्रिटिश सेना के बीच हुई थी।

जगदीशपुर से 5 किमी दूर स्थित मसूरी गांव मुस्लिम संत मसर दीवान के 300 साल पुराने कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। कब्र को मुसलमानों द्वारा एक पवित्र स्थान माना जाता है।

ऐसा माना जाता है कि 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने भ्रमण के दौरान बिसराम में थोड़े समय के लिए विश्राम किया था। इसलिए, इस स्थान को बिसरम कहा जाता है, जिसका अर्थ है विश्राम। इस स्थान पर भगवान महावीर को समर्पित एक मंदिर है। देश भर से जैन अपने भगवान की पूजा करने के लिए इस स्थान पर आते हैं।

आरा शहर से लगभग 9 किमी पश्चिम में स्थित, मसाश में पार्श्वनाथ को समर्पित एक प्राचीन जैन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1819 ई. में पूरा हुआ था।

Aranya Devi Temple

भोजपुर जिले में जाने के लिए कुछ बेहतरीन स्थानों का उल्लेख नीचे दिया गया है:

- सूर्य मंदिर , तरारी : तरारी का सूर्य मंदिर में अन्य देवी देवतओं के साथ सूर्य भगवान का मंदिर है . यह मंदिर चौदहवी शताब्दी या उससे पूर्व का बताया जाता है ।
- वीर कुंवर सिंह किला, जगदीशपुर : यह वीर योद्धा १८५७ में जगदीशपुर के युद्ध का महानायक रहा है . उसका किला आज भी उसी शान से खड़ा है और उस महान योद्धा कि याद दिलाता है जिसने आजादी के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक को कुर्बान कर दिया ।
- महाराजा कॉलेज, आरा : वर्तमान महाराजा कॉलेज एक बहुत ही प्रमुख एतिहासिक स्थल रहा है. यहाँ एक गुफा दिखती है जिसके बारे में बताया जाता है कि यह गुफा जगदीशपुर के किला से जुडी हुई है ।
- शाहजी मस्जिद : यह एक पांच गुम्बदों वाला मस्जिद है. यह इस ढंग का भारत में दूसरा मस्जिद है . इसे शाहजहाँ ने सन १६२३ में बनवाया था. यह अरण्य देवी मंदिर के बगल में अवस्थित है ।
- मौलाबाग का करबला मस्जिद : सन १८१७ में बना यह मस्जिद औरंगजेब के निर्देश में बना बताया जाता है. यह आरा शहर के मौलाबाग में अवस्थित है ।
- अरण्य देवी मंदिर : यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्द मंदिर है. आरा शहर की यह देवी मानी जाती है. यहाँ एक प्रतिमा आदि शक्ति की भी है. इसे पांड्वो द्वारा सृजित बताया जाता है. यह बहुत ही पुराना मंदिर है. प्रति दिन अनेक स्राधालू यहाँ आते है ।
- चतुर्भुज नारायण मंदिर : लक्ष्मी नारायण का यह एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो पिरो अंचल के चतुर्भुज ग्राम में अवस्थित है ।
- भवानी मंदिर : यह मंदिर चतुर्भुज बरवान में अवस्थित है एवम तेरहवी सदी का बताया जाता है ।
- जगदम्बा मंदिर : चरपोखरी अंचल के मुकुंदपुर ग्राम में अवस्थित यह मंदिर देवी जगदम्बा का प्राचीन मंदिर है ।
- पार्श्वनाथ मंदिर : मसाढ़ ग्राम में अवस्थित ये एक प्रसिद्द जैन मंदिर है ।
- महामाया मंदिर : यह मंदिर सहार अंचल के एकवारी ग्राम में अवस्थित है. यह मुगल सामराज्य के बना बताया जाता है ।

- जैन सिद्धांत भवन : जैन धर्म से सम्बंधित यह एक महान पुस्तकालय है. यहाँ प्राचीनतम जैन धर्म संबधित हस्त लिखित पांडुलिपिया देखी जा सकती है ।
- पयहारी जी का आश्रम : यह सहर अंचल धरमपुर ग्राम में अवस्थित पयहारी बाबा के नाम पर प्रसिद्द स्थल है ।
- कुर्वा शिव : शाहपुर में बिलौती रोड पर यह मंदिर अवस्थित है. यह बाणासुर से संबधित बताया जाता है ।
- वेंकटेश मंदिर : पेरहाप ग्राम में अवस्थित यह मंदिर दक्षिण शैली का अनोखा मंदिर है ।
- शाहजी जमा मस्जिद : इस मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा करवाया गया था जो गरहनी बाजार में अवस्थित है ।
- लकर शाह की मजार : यह शाहपुर में एक बहुत ही प्रसिद्द मुस्लिम संत के नाम पर बना मजार है।

आपदा के दृष्टिकोण से उठायें जाने वाले कुछ आवश्यक कदम :

■ संभावित खतरों की पहचान :

- उन सभी कारणों का संज्ञान में लेना जिससे संरचना में क्षति या गिरावट (डिटोरियेशन) हो रही हो।
- प्रत्येक खतरे की सम्भावना का मूल्यांकन।
- इन संरचनाओं के आस–पास की जगह/इलाका का अध्ययन।
- पर्यावरण का अध्ययन ताकि खतरा/जोखिम का भूगर्भीय, जलीय तथा मौसमी आपदा की दृष्टि से तैयारी की जा सके।
- पूर्व में हुए किसी खतरा/जोखिम की पहचान।

■ तैयारियाँ :

- उपरोक्त का गहन अध्ययन करने के बाद उसी के अनुरूप तैयारी करना।
- पुरातत्व स्थल की मजबूत घेराबंदी।
- पुरातत्व महत्व के इमारतो/खंडहरों का अनवरत निरीक्षण एवं आवश्यक मरम्मति ।
- संरक्षित अवशेषों का रासायनिक संरक्षण ।
- चिह्नित आपदाओं के दृष्टिकोण से रिस्पॉन्स योजना ।

■ प्रत्युत्तर :

पुरातत्व विभाग को राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना चाहिए क्योंकि वर्तमान में उक्त विभाग के पास इस तरह की कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं है।

जिला रिस्पॉन्स योजना :

भोजपुर डीडीएमए की रिस्पॉन्स योजना दो मुख्य मागों मे विभव्त है, (1) सभी आपदाओं में सामान्य कार्य, (2) **आपात स्थिति में विथि ट कार्य। सभी आपदाओं मे किये जाने वाले सामान्य कार्य विविध मे विभक्त किये गये है।**

= = = = = =

अध्याय : 6

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

CAPACITY BUILDING & TRAINING

जिला आपदा प्रबंधन योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तथा जोखिम निषेधीकरण एवं न्यूनीकरण के कार्यो को सतत् बनाये रखने के लिए इसके क्रियान्वयन में नियोजित सभी हितभागी/सह कर्मियों का गहन प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्द्धन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हितभागियों तथा नियोजित कर्मियों के कौशल को मजबूती प्रदान करना होगा तथा निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी। सुचारू आपदा प्रबंधन के लिए सरकार, समुदाय तथा सहयोगी संस्थाओं सभी का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करने पर ही निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सकेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा के विभिन्न आयामों के प्रति अवधारणा (Concept), जानकारी (Information), कौशल (Skill), दृष्टिकोण (Attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (Personal Quality) विकसित किया जा सकेगा।

6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building) :

क्षमतावर्द्धन एंव प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं एवं उनसे जुड़े लोगों को भी शामिल किया जायेगा। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे जुड़े पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े पदाधिकारी, अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य लाइन विभाग के पदाधिकारी शामिल होगें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 'बिपार्ड' में करवाया है।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तरों यथा– अनुमंडल, जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन के अवधारणा परिवर्तन के पश्चात् नवजनित आयामों यथा– रोकथाम, न्यूनीकरण, त्वरित रेस्पॉस, पुर्नस्थापन एवं पुर्ननिर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु–आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम नीतियों राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉस में गति आयेगी एवं किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति से बचा जा सकेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत हो।

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना के सहयोग से विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

6.1.1 विभिन्न स्तरों के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय में कार्यरत लोग एवं सामुदायिक संगठनों को आपदा विषयक मुद्दे पर बिहार या देश के अन्य राज्यों में उनके क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। इनके अलावे नीचे स्तर के कर्मचारी यथा आंगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., किसान सलाहकार इत्यादि भी प्रशिक्षित किये जायेगे। क्षमतावर्द्धन संस्थागत एवं गैर संस्थागत हो सकते है। उपरोक्त के अलावे गैर संस्थागत में जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र में मशीनी एवं यांत्रिक सुविधा बढ़ाकर संचार व्यवस्था तथा आपदा से संबंधित जानकारिया हासिल कर सचेत रहने में मदद पाया जा सकता है।

6.2 समुदाय आधारित संस्थायें और पंचायत (Community based Organisations & PRIs) :

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है ओर पंचायते ही उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण होना है और इसके रिस्पॉस हेतु समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण है। चूँकि पंचायत के गाँवों और वार्ड सदस्यों को 'फर्स्ट रिस्पॉडर' के रूप में देखा गया है इसलिए उन्हें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में प्रशिक्षित किया है ताकि ये प्रशिक्षित हो कर जिले के सभी पंचायतों में प्रशिक्षण का काम अनवरत

चलाते रहेगें। इस जिले के जिन पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण हासिल किया है। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थायें जो सामुदायिक स्तर पर काम करती है उन्हें भी उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

मुखिया, सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना।)

6.3 पेशेवर (Professional) :

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अबतक राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अभियंताओं को राज मिस्त्रीयों को भूकंपरोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में कुछ शिक्षको को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण जिलावार जारी है। साथ हीं प्रशिक्षित लोगों में से ही 'मास्टर ट्रेनर' तैयार किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशिक्षुओं द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता बरतने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

भविष्य में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक प्रखंड तथा पंचायत में उपलब्ध हितभागियों को तथा सहयोगी संस्थानों/व्यक्तियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

6.4 प्रशिक्षण संस्थाये तथा अन्य सुविधायें (Training Institutes & Other Facilities) :

आपदा विषय की व्यापकता को देखते हुए यह जरूरी है कि हम उन प्रशिक्षण संस्थाओं को चिह्नित किया जायेगा जहाँ लोगों को गुणवता पूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। जिला स्वास्थ्य समिति, शिक्षा विभाग एवं कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही प्रशिक्षिण के कार्यक्रमों में आपदा संबंधित विषयों को भी शामिल किया जाय।

क्र.सं.	राज्य/जिला स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट
2	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान	नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथिरिटी
3	नेशनल इनलेण्ड नेविगेशन इंस्टिच्यूट (नीनी), गायघाट, पटना	नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद
4	अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा, पटना	लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, मसूड़ी, उत्तराखंड
5	राज्य एंव जिला स्तर गैर सरकारी संस्थान	यशवंत राव चह्वाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यशदा)
6	नेशनल डिजास्टर रिस्पॉस फोर्स (एन.डी.आर.आर.एफ.) बिहटा	इन्ड्रियन स्पेश रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन, पूणे
7	स्टेट डिजास्टर रिस्पॉस फोर्स, भोजपुर	नेशनल अकादमी फॉर फायर सेफ्टी, नागपुर, महाराष्ट्र
8	जिला अग्निशमन इकाई	गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
9	जिला स्वास्थ्य समिति	उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भुवनेश्वर, उड़ीसा
10	समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.)	

इस प्रबंधन योजना में पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मियों के प्रशिक्षण का विषय निम्नांकित है–

6.5 पंचायत स्तरः पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रस्तावित विषय :

पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) मुखिया (ख) वार्ड सदस्य (ग) सामुदायिक संगठन	1. पंचायतस्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन,तूफान, ठनका, नाव दुर्घटना आदि पर विशेष बल। 2. पंचायत की विकास योजना में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 3. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए पंचायतस्तरीय संवैधानिक

		स्थायी समितियों की उपयोगिता। 4. खोज,बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि। 5. आपदा प्रबंधन के अंतगर्त पुर्नस्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। 6. आपदारोधी भवन निर्माण एक अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी।
02	स्कूल शिक्षक, छात्र एवं अन्य	1. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से स्कूल सुरक्षा (भूकंप, आगजनी) एवं घरेलू आग (गैस चुल्हा, परम्परागत चुल्हा, ढिबरी, लालटेन इत्यादि से जनित) से बचाव। 2. छात्र/छात्रा को नियमित आपदा से बचाव के टिप्स तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण। 3. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन । (डायरिया, निमोनिया, पेयजल एंव स्वच्छता, सर्पदंश, मस्तिकज्वर आदि से बचाव की जानकारी।
03	(क) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका (ख) आशा कार्यकर्त्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव। 2. महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
4	स्थानीय राज मिस्त्री / शटरींग मिस्त्री/ बार बांईडर/मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण ।

6.6 प्रखंड स्तरः प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

प्रखंड स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	प्रखंड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) प्राथमिक सहकारिता साख समिति(पैक्स) (ख) कृषि सलाहकार	1. जलवायु परिवर्तन की जानकारी। 2. मौसम विज्ञान की जानकारी। 3. सूखे के आगाज की पहचान। 4. मौसमीय खेती एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। 5. पंचायत स्तर पर वर्षापात आंकड़ा का संकलन। 6. फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी। 7. आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं प्रचार–प्रसार।
02	(क) पंचायत सचिव (ख) विकास मित्र	1. पंचायत स्तर के विभिन्न आपदीय एवं संसाधन के आंकड़े जुटाना। 2. आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन एटलस का निर्माण। 3. लेखा संधारण।
03	ग्राम कचहरी/न्याय मित्र	गाँव के गरीब तबकों को आपदा से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला विधिक प्राधिकार के साथ सहायता दिलाने संबंधित प्रशिक्षण।
04	स्थानीय राज मिस्त्री / शटरींग मिस्त्री/ बार बांईडर/मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण ।

6.7 अनुमण्डल स्तर : अनुमण्डल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमण्डल तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्ड/अंचल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

अनुमण्डल स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	अनुमण्डल स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) अनुमंडल पदाधिकारी (ख) अनुमंडल स्तरीय अन्य पदा॰	1. पंचायत समिति की विकास योजना में प्रखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 2. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए प्रखंडस्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता।

	(ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी (घ) अंचल अधिकारी	3. प्रखंडस्तरीय बहु–आपदा खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का मानचित्रण। 4. आपदा प्रबंधन के अंतगर्त पुर्नस्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा अन्य किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। 5. आपदा रोधी भवन निर्माण संबंधी मुख्य जानकारी। 6. अनुमंडल में आने वाले प्रखंडों की मजबूती एवं कमजोरियों की पहचान। 7. सभी प्रकार के प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, कम्प्यूटरीकरण एवं संधारण।
02	अंचल निरीक्षक कम्प्यूटर ऑपरेटर	नक्शे एवं आंकड़ों की आवश्यकता एवं संवेदनशील जनसंख्या के पहचान के तरीके।
03	प्रखंड प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य	1. प्रखंड प्रमुख एवं समिति सदस्यों को लेकर प्रखंडस्तरीय स्थायी समितियों का गठन एवं इसका दायित्व। 2. पंचायतों के आंकड़ों को प्रखंडस्तर पर समेकित कराना(योजना की दृष्टि से)।
04	स्थानीय राज मिस्त्री / शटरींग मिस्त्री /बार बांईडर/मेठ एवं स्थानीय संवेदक तथा अभियंता	भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।

6.8 जिला स्तर : जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्यरत सभी लाईन विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

जिला स्तर पर क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	जिला स्तर	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) वरीय उप समाहर्त्ता (ख) सभी लाइन विभाग	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार। 2. इंसिडेन्ट रिस्पॉस सिस्टम। 3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम – बहु–आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA) 4. आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय। 5. संचार माध्यम। 6. राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन.डी.आर.एफ./एस. डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ समन्वय। 7. बोट परिचालन रूल्स, बिल्डिंग वायलॉज, फॉयर सेफ्टी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में।
02	स्थानीय संवेदक तथा अभियंता लाईन विभाग के अभियंता/ राज मिस्त्री/बार बाईन्डर/ शटरींग मिस्त्री/मेठ एवं जिला स्तरीय संवेदक	भूकंप रोधी भवन–निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग वायलॉज।
03	(क)कार्यपालक पदा॰ (ख) सिटी मैनेजर (ग) वार्ड पार्षद	1. बिल्डिंग वायलॉज। 2. नगर योजना। 3. आपदा प्रबंधन। 4. अग्नि सुरक्षा। 5. भीड़ प्रबंधन। 6. अवशिष्ट प्रबंधन। 7. भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।
04	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण।

नोट :– प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले में तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप बदला जा सकता है।

6.4.1 प्रशिक्षित लोगों की सूची एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल (List of Trained Persons & Training Module) :

जैसा की पूर्व में वर्णन किया गया है, अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम से ही आपदा प्रबंधन के कार्य में लगे पदाधिकारीगण तथा अन्य हितधारक को आपदाओं के न्यूनीकरण, रोकथाम तथा पूर्व तैयारी में सजग किया जा सकता है। इस कार्य को मूर्तरूप देने में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई सफल कदम उठाये है। इसने विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षिण कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन शाखा का यह कर्तव्य होगा कि इन प्रशिक्षित लोगों को रिस्पॉस कार्य में उपयोग करें। जिले से यह अपेक्षित है कि बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा पूर्व से तैयार 'प्रशिक्षण माड्यूल' का उपयोग करेगा।

■ प्रशिक्षित लोगों की सूची (List of Trained Persons) :

- प्राधिकार द्वारा सुरक्षित नौका परिचालन हेतु जिला में प्राशिक्षिण प्राप्त 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- बिहार प्रशासनिक सेवा के आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सूची।
- प्रशिक्षण प्राप्त सर्वेक्षकों एवं निबंधकों की सूची।
- भूकंपरोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदको, राजमिस्त्रीयों की सूची।
- भूकंपरोधी मकान से संबंधित 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों हेतु जिले का 'मास्टर ट्रेनर्स' ' की सूची।
- पशुचिकित्सा सेवा पदाधिकारियों द्वारा 'आपदा में पशुओं का प्रबंधन' विषय में प्राप्त प्रशिक्षित लोगों की सूची।
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतगर्त प्रशिक्षित 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।

■ प्रशिक्षण मॉड्यूल (Training Module) :

- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु (हस्त पुस्तिका–1), बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– 2018
- मैनेजमेंट ऑफ एनिमल–इन–इमरजेंसी– ए भेटनरी हैन्डबुक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – 2018
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) शिक्षकों/प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका–जनवरी 2018
- राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए सचित्र मार्गदर्शिका–नवम्बर 2017
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर (मुख्या, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका) फरवरी 2018
- सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों के लिए प्रशिक्षण मोड्यूल–2017
- नौकाओं के सर्वेक्षण निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण मॉड्यूंल ।

नोट : उपरोक्त संदर्भ में जिले में उपलब्ध प्रशिक्षित पदाधिकारियों एवं अन्यों सूची तथा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई मॉड्यूल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) के Our Activities विषय को क्लिक करने के बाद Training शीर्षक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। भविष्य में जिले में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षिण मॉडयूल का सहारा लिया जायेगा, साथ हीं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची वेबसाईट पर डालना अपेक्षित होगा।

6.5 जागरूकता सृजन (Awareness Generation) :

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिन्हित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई॰ई॰सी॰ सामग्री, नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाईन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवाईजरी) जारी करेगें।

विभिन्न आपदाओ के प्रति संवेदनशील जिला, प्रखंड तथा पंचायत में गठित आपात्कालीन संचालन दल की यह जवाबदेही होगी कि वे हितधारक समूह के प्रतिनिधियो तथा सहायक एजेसिंयों के नोडल पदाधिकारियों को जन–जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षत करें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव–सलाह चक्र चलित (Circulate) किये गये है। आपदावार तैयार इन सुझावों को योजना के परिशिष्ट में सम्मिलित किया गया है। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है –

- साधारण सावधानियाँ अपनाकर गर्मी/लू से अपने को सुरक्षित रखें
- आगजनी से बचाव हेतु उपाय
- बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ पर सुरक्षा उपाय
- जापानी इन्सेफेलाइटिस/डेगू की रोकथाम
- वज्रपात एवं ठनका क्या करें –क्या न करें
- शीतलहर या ठंड लगने से बचाव
- सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल
- नाव दुर्घटना से बचाने के उपाय तथा सवारी करने वाले नाविको, नाव मालिकों एवं प्रशासन के लिए सुझाव/सलाह
- नदियों/तालाबों में डूबने की घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन/ आम जनता को जरूरी सलाह
- भीड़/भगदड़ में क्या करें, क्या न करें
- दशहरा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें
- छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव

= = = = = =

अध्याय : 7

प्रत्युत्तर योजना

RESPONSE PLANNING

7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया – आपदा कार्यो के संचालन की जबावदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी हीं आपदा के कमान अधिकारी के रूप में कार्यरत होते है। हादसे से जुड़ी कोई भी गतिविधि वगैर जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की सलामती की सूचना जिलाधिकारी अर्थात हादसा कमान अधिकारी को देकर ही हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।

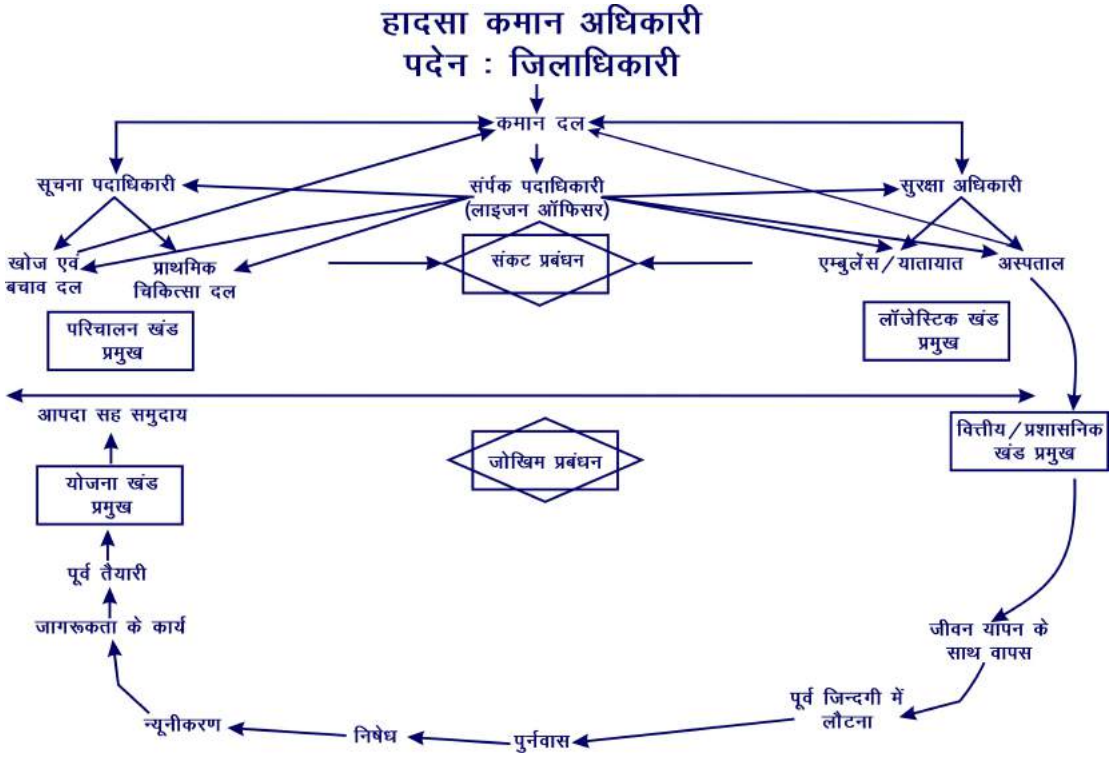

आवश्यकता के अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा प्रभारी अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता को हादसा कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हो गयी है तो जिलाधिकारी जिले की गंभीरतम तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होंगे, जबकि प्रभारी अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

ज्यों ही हादसा कमान अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी या प्रतिनियुक्त प्रभारी अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता काम करने लगेगें, त्योंही सभी लाईन डिपार्टमेंट तथा गठित नोडल एजेन्सी सीधे हादसा कमान अधिकारी के निर्देश में काम करने लगेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हादसा हो जाने की स्थिति में हादसा कमांडर द्वारा क्षेत्राधीन किसी भी संसाधन को आपदा से निपटने में लगाया/आदेशित/प्रतिनियोजित किया जा सकता है। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 द्रष्टव्य)**

हादसा कमान अधिकारी द्वारा अपने अधीन कई गतिविधियों के लिए पदाधिकारी या प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जा सकते है। प्रत्युत्तर के लिए कई प्रकार के दल तैयार किये जाते है उन्हें यथास्थान प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। ये दल हादसा स्थल पर अपनी पहुँच की सूचना देते हैं, किये गये कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की सूचना देते है

और कार्य समापन के बाद सही सलामती एवं कार्य समापन की सूचना देने के उपरांत कमांड अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही हादसा स्थल को छोड़ते है।

विभिन्न सहायक प्रभागों के अंतर्गत कार्य संचालन प्रभाग (उपप्रभाग– खोज एवं बचाव, प्राथमिक सहायता), उपस्कर एवं रसद प्रभाग (एम्बुलेंस एवं अस्पताल सेवा, राहत आदि), योजना प्रभाग एवं वित्त सह प्रशासनिक प्रभाग होंगे। ये प्रभाग स्वतः काम पर लग जाएगे। इन प्रभागों के प्रभारी अधिकारी को मात्र हादसा कमान अधिकारी ही नियुक्त कर सकता है। ये सभी प्रभाग त्वरित गति से काम करने लग जाएगे।

सहायक प्रभाग/उपप्रभाग के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अपर जिला समाहर्त्ता, जिलास्तरीय लाईन डिपाटमेंट के प्रभारी अधिकारी, जिले के वरीय अधिकारी या समकक्ष पदधारक पदाधिकारी के बीच से करेगें। इनकी नियुक्ति के समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अनुमण्डल या प्रखण्ड के सर्वोच्च पदाधिकारियों को इनपदों पर नियुक्त नहीं किया जाए क्योंकि ये ही अपने–अपने स्तर के हादसा कमान अधिकारी होते है।

प्रत्येक स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र एक आपातकाल प्रबंधन दल से युक्त होगा ताकि जोखिम न्यूनीकरण के रणनीतियों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई वे कर सके।

7.1.1 हादसा कमान अधिकारी का दायित्व :

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अन्तर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अन्तर्गत सूचनाओं का आदान–प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरूस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगो के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरत मन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,
- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- हादसा कमान अधिकारी को स्थिति का जायजा लेने हेतु , आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,
- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के वक्त समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,

- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई किया जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

7.1.2 जिला में हितधारक एवं इनकी कार्ययोजना : हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है – सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

1. **सरकारी लाईन डिपार्टमेंट:** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती है। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए है।

2. **समुदाय आधारित समूह :** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जबावदेह होते है जो सीधे जनता के प्रति जबावदेह होते हैं। चुँकि, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है।

3. **स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन :** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगो के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेष्ट रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इण्टर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं है तथा सीधे जिले के सम्पर्क में है।

4. व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते है। उनके जीवन की गुणवता, उनकी गरिमाएँ उनका समाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारक का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

   आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते है, अतः वे इनके सम्पर्क में होते है। इनसे आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

   ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुर्नस्थापन का प्रयास करती है। अतः उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते है, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते है। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते है।

हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी कार्ययोजना बनाएँ तथा इसे समुदाय हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नये हितधारक जिले में आते रहते है।

7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य :

उपरोक्त कथन के आलोक में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते है :–

(क) पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगो को अवगत कराया जायेगा।

(ख) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(ग) आपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना अपने स्वयं से प्रयास कर आपातकालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।

(घ) यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।

(ङ) यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।

(च) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी॰डी॰एम॰सी॰), आपातकालीन सेवा कार्य (इ॰एस॰एफ॰) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इ॰ओ॰सी॰) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।

(छ) आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमाण्ड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।

(ज) प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।

(ट) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपातकालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।

(ठ) सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा।

(ड) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अन्तर्गत –

- आपातकालिक संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन दल, त्वरित रिस्पॉस दल (क्यू॰आर॰टी॰) को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के त्वरित रिस्पॉस दल और आपदा प्रबंधन दल को तुरंत ही सक्रिय कर डालना। ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।

- आपातकालिक संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
- आपातकालिक संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
- सूचनाओं का प्रवाह नीचे से उपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपातकालिक संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

(ढ) आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरांत :

- यदि आपदा प्रखण्ड स्तरीय हो तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आपदा प्रत्युत्तर के लिए उत्तरदायी होंगे तथा त्वरित प्रत्युत्तर दल (क्यू॰आर॰टी॰), आपदा प्रबंधन दल (डी॰एम॰टी॰), आपातकालिक समर्थक कार्य (ई॰एस॰एफ॰) और प्रथम प्रत्युत्तर दल (एफ॰आर॰टी॰) आदि के सहयोग से प्रत्युत्तर का कार्य करेंगे।
- प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपातकालिक संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
- यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :– जिला के वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, आपातकालिक संचालन केन्द्र, जिला आपदा दल, क्यू॰आर॰टी॰, एफ॰आर॰टी॰, कार्य प्रत्युत्तर दल, ई॰एस॰एफ॰ आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।

(ण) इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा । इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेगें ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।

(त) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर के एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामाग्रियां प्राप्त की जायगीं जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्त्ति की जायेगी।

(थ) सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेंसियां उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौपेगी।

■ प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :

इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियाँ को दूर किया जा सके।

- कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।

- हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड अधिकारी, डी॰एम॰टी॰ आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
- प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
- अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

7.3 सामान्यतः सभी आपदाओं के प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक निम्नांकित होंगे :–

1. संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System)।
2. कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination)।
3. खोज, बचाव, राहत कार्य (Search Rescue & Relief operation)।
4. चिकित्सीय प्रत्युत्तर (Medical Response)।
5. शव तथा मलवा का निपटान (Disposal of Dead Bodies & Debris)।
6. क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages and Losses)।
7. रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) ।
8. राहत शिविरों का संचालन (Relief Camp Operations)।
9. सहयोग एवं दान प्रबंधन (Donation Management)।
10. मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination)।

आपदाओं के दौरान प्रत्युत्तर कार्य के उपरोक्त सभी प्रमुख घटकों का उद्देश्य, उसके अंतर्गत आने वाली गतिविधि संचालन का दायित्व तथा उसको प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पूरा करने में व्यतीत होने वाले सयम की विवेचना नीचे की सारणी में विस्तार से दर्शाया गया है।

7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण • जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/राज्य आपातकालीन केन्द्र • जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग। • दूरसंचार निगम, • आकाशवाणी, • दूरदर्शन, • पुलिस बेतार, हैम रेडियो, तथा एच.एफ./भी.एच.एफ. • मोबाईल सेवा प्रदाता/दूरभाष	**भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, चक्रवात, भीड़– भगदड़, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना**	• आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना। • संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन । • अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय। • मौसम विभाग से संपर्क।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)।

	बाढ़	• बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुचाना। • तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना। • क्षतिग्रस्त संपर्क पथो को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य। • बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एंव दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन । • वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है।	
• पंचायत	**अग्नि**	• अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल कराना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु प्रयत्न करना।	
• आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग	**सूखा**	• मौनसून तथा मौसम संबंधी जानकारी।	

7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	**2**	**3**	**4**
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन, चक्रवात, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	• आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7 कार्य करने वाले)। • जिला आपदा प्रबंधन समिति आपातकालीन सेवा कार्य तथा आपात कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/ नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षोपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना । • आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया की सक्रिय करना। • नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक।
• अंचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी। • जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग। • जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा। • राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति।	**बाढ़, भूकंप**	• बाढ़ की गंभीरता का आकलन। • बाढ़ क्षति का प्रारंभिक आकलन। • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। • सेना की माँग। • हवाई सर्वेक्षण, फुड पैकेट गिराना, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु एयरफोर्स का हवाई जहाज/हेलीकाप्टर की माँग। • हेलीकाप्टर से फुड पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाने की कार्रवाई का समन्वय एवं अनुश्रवण। • बाढ़ आपदा के संबंध में मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई। • राहत एवं बचाव कार्यो का जिला/प्रखंड/नगर/पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी।	

• जिलाधिकारी । • पुलिस ।	**अग्नि**	• भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर सहाय्य कार्य को निदेशित करना। • कंट्रोल रूम को चालू रखना। • अग्नि स्थल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ को दूर रखना। • डिवाईडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को अवाधित रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना।	
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला टास्क फोर्स • आपदा प्रबंधन विभाग	**सूखा**	• अनुश्रवण। • सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।	

7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	**2**	**3**	**4**
• जिला प्रशासन, • अंचलाधिकारी, • अग्निशमन दल, • नागरिक सुरक्षा समिति, • पुलिस, • होमगार्ड • राज्य आपदा मोचन दल, • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, • स्वयंसेवी संगठन	भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबान, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़	• खोज एवं निष्क्रमण करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल की आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना। • खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना। सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना। • जिनका निष्क्रमण संभव न हो उनकी जीवन रक्षा के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना। • अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। राहत शिविरों में रहने खाने, पीने का पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना।	आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति तक।
	बाढ़, भूकंप	• बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों को नियोजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाईट) • बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरो तक स्थानान्तरण। राहत केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन (राहत केन्द्रों का संचालन के लिए राज्यादेश अनुलग्नक–26 पर संलग्न)। • बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पोलीथीन शीट का वितरण। (विभागीय निदेश अनुलग्नक–57 पर	

		संलग्न) • राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध। • तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण।	
• अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) • एस॰डी॰ओ॰/अंचलाधिकारी • फायर ब्रिगेड	**अग्नि**	• राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना। • मृतक एवं घायल को अनुदान प्रदान करना। • अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य। • सहायता केन्द्र स्थापित करना। • क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना। • अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
• कृषि विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • वित्त विभाग/कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग • समाज कल्याण विभाग • शिक्षा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग • ग्रामीण विकास विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग	**सूखा**	• आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन। • फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण। • फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान। • किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण। • बैंक ऋणों का पुनर्निधारण। • पशु संसाधन की देखभाल • सामाजिक सुरक्षा • मध्याहन भोजन की व्यवस्था • रोजगार सृजन। • मुफ्त साहाय्य।	

7.3.4 चिकित्सा प्रत्युत्तर (Medical Response) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला स्वास्थ्य समिति, • रेड क्रास सोसाइटी, • निजी नर्सिग होम, • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशुपालन पदाधिकारी	भूकंप, बाढ़, अग्नि, सड़क, रेल दुर्घटना, डुबान, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़	• चिकित्सा कर्मियों तथा पारामेडिकल कर्मियों को आवश्यक उपकरणों, मोबाइल चिकित्सा वाहन तथा दवा के साथ राहत शिविरों में नियोजन। • घायलों, बिमार की चिकित्सा तथा गंभीर रूप से घायलों को एबुलेंस से बड़े अस्पतालों में स्थानान्तरित करना। • महामारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता एवं सफाई तथा टीकाकरण की व्यवस्था करना। • नजदीकी ब्लड बैंक/ब्लड डोनर से संपर्क कर खून की कमी वाले घायलों की प्राण रक्षा की व्यवस्था करना।	आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति तक।

• बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं मोबाईल	**बाढ़, भूकंप**	• महिलाओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की देखभाल हेतु आयरन की गोली,	

मेडिकल टीम।		सेनेटरी नेपकीन का वितरण, कुआँ/चापाकल में हैलोजन गोली डालने का कार्य, साँप काटने की चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना। • आवश्यकतानुसार पशुशिविरो की स्थापना, पशु चारा का प्रबंध। • जल जनित रोग से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा एवं टीकाकरण। • गर्भवती माताओं/धातृ महिलाओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के साथ शरणस्थल/राहत शिविरों में प्रसव होने की स्थिति में जच्चा–बच्चा का स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात शिशु का टीकाकरण, धातृ महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था।	
• सिविल सर्जन	**अग्नि**	• चिकित्सक के दल को संदेश देकर तैयार रखना। • अस्पताल में शय्या उपलब्ध कराना।	
• स्वास्थ्य विभाग • समाज कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग	**सूखा**	• स्वास्थ्य सेवाएँ । • महामारी की रोकथाम। • महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल।	

7.3.5 शव एवं मलवा निपटान (Disposial of Dead Bodies & Debris) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला पुलिस • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी।	**बाढ़, भूकंप**	• शवों का फोटो रखना। • मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान। • आपदा के कारण मृत पशुओं के शवो का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।
• नगर निकाय • ग्राम पंचायत • पुलिस प्रशासन • रेड क्रॉस सोसाईटी • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी	**भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि**	• आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल–पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान।	

7.3.6 क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages & Losses) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन • जिला स्वास्थ्य समिति (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) • जिला पुलिस बल • भवन निर्माण संभाग • पथ निर्माण संभाग • जल संसाधन प्रमंडल • लघु जल संसाधन प्रमंडल • पावर होल्डिंग कम्पनी • पशु पालन संभाग • कृषि विभाग • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	• आपदा के कारण मृत / घायलों की सूची तैयार करना। • क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तथा क्षति का व्योरा संकलन। • क्षतिग्रस्त सड़क, पुल– पुलिया, नहर बाँध का व्योरा संकलित करना। • क्षतिग्रस्त विद्युत संचार संरचना का विवरण संकलित करना। • पशुधन क्षति / फसल क्षति का व्योरा एकत्रित करना।	स्थिति सामान्य होने तथा विश्लेषण के उपरांत।
		• तटबंधो में रिसाव व टूट की आकलन एवं मरम्मति। • बाढ़ से क्षतिग्रस्त चापाकलों की मरम्मति। • कृषि क्षति का आकलन करना। • मृतकों के आश्रितो को सरकार द्वारा निर्धारित मानदर के अनुसार अनुदान का वितरण।	

7.3.7 रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन • खाद्य एंव आपूर्ति संभाग • अंचल / प्रखंड कार्यालय • स्वयंसेवी संगठन • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल • फायर ब्रिगेड • सिविल सर्जन	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना एवं आदि	• राहत शिविरों में तथा खतरों से घिरे लोगों तक रसद पहुँचाने के लिए प्रर्याप्त मात्रा में रसद–पानी का संग्रहण करना। • राहत शिविरों में सामुदायिक रसोई की स्थापना तथा भोजन पकाने एवं वितरित करने की व्यस्था सुनिश्चित करना। • राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
		• अग्निशमन गाड़ियाँ चालू हालत में रखना। • अग्निशमन दल में प्रशिक्षित कर्मी का होना। • अग्निकांड स्थल पर एम्बुलेन्स भेजना।	अनिवार्यता का आकलन करने के पश्चात्।

7.3.8 राहत कार्य (Relief Wrok) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिलाधिकारी • आपदा प्रबंधन प्रभाग • जिला आपदा संचालन केन्द्र • गृह / पुलिस • आपूर्ति संभाग • सहकारिता संभाग • रेड क्रॉस सोसाईटी • नागरिक सुरक्षा • जिला नागरिक परिषद् • एन.सी.सी. / स्काउट गाईड • स्वंयसेवी संस्थाएँ (प्रशासन से आज्ञा लेकर)	**बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।**	• स्थल पर राहत शिविर लगाना • निम्नांकित केन्द्र का निर्माण– ▪ राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र ▪ सामग्रीयों का पैकेजिंग केन्द्र ▪ राहत सामग्री पैकेटों का सुरक्षित भंडारण एवं वितरण केन्द्र ▪ स्वयंसेवक आवासन केन्द्र • राहत सामग्री संकलन केन्द्र पर प्राप्ति रसीद की व्यवस्था कर रखना। • राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र में मानक के अनुरूप सामग्रियाँ ही प्राप्त करना। • पैकेट / बंडल की तैयारी कराना तथा इन्हें भंडारित करना। • राहत सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई और किसे ये सामग्रियाँ दी गयी, इस बात का दस्तावेज तैयार कर रखना । • वितरण एवं अन्य कार्यों में स्वयंसेवकों को लगाना तथा उनकी आधारभूत जरूरतों यथा भोजन एवं आराम का ख्याल रखना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
• जिलाधिकारी • विकास आयुक्त • अंचल / प्रखंड कार्यालय • शिक्षा संभाग • कल्याण विभाग (आई.सी.डी.एस.)	**भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना।**	• राहत शिविरो में आपदा प्रभावित लोगों के पहुँचने पर उनका विवरण रजिस्टर में संधारित करना। • सहाय्य सामग्रियों का भंडारण पंजीकरण, पैकेट निर्माण तथा वितरण सुव्यस्थित ढंग से करना। • स्थिति सामान्य होने पर राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचने की व्यवस्था करना। • महिलाओं, वृद्ध तथा बच्चों को चिह्नित करना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

7.3.9 सहयोग एवं दान प्रबंधन (Donation Management) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिलाधिकारी • आपदा प्रबंधन प्रभाग • जिलाधिकारी द्वारा मनोनित पदाधिकारी • आपूर्ति संभाग • वेयर हाउस • सहकारिता संभाग	**बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।**	▪ आपदा स्थल पर दान–प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना। ▪ निम्नांकित तीन केन्द्र का निर्माण। कोष / सहाय्य / सेवाएँ। ▪ दान प्राप्ति रसीद तथा मुहर की व्यवस्था करना। (चेक / ड्राफ्ट) ▪ सहाय्य सामग्रियों के भंडारण केन्द्र की पहचान करना। यहाँ भंडारण के साथ–साथ पैकेट निर्माण तथा वितरण की व्यवस्था करना। ▪ इस बात के दस्तावेज तैयार रखना कि आपूर्ति किसके द्वारा एवं कब की गई है। ▪ सहाय्य वस्तु दान करने के पूर्व संबंधित एजेंसी जिले की आवश्यकताओं की जानकारी लेगें।	▪ मानव संसाधन एवं सामग्री प्रबंधन में स्वैच्छिक संगठनों का उन्मुखीकरण करना। ▪ उन्हें सामग्री प्रबंधन यथा रख–रखाव, पैकेजिंग तथा वितरण में प्रशिक्षित करना।

7.3.10 मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय • मिडिया–प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक • सोशल मिडिया (जिला व्हाट्स एप ग्रुप • एन.सी.सी. • स्वंयसेवी संस्थाएँ	**बाढ़, भूकंप, भीषण अग्निकांड, बड़ी सड़क दुर्घटना एवं अन्य**	• आपदा के दौरान एलर्ट मैसेज भेजना। • वरीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित समय में मिडिया ब्रीफिंग करना। • मिडिया से सूचना प्राप्त करना। • अफवाहों का रेडियो, टेलिविजन, जिला व्हाट्स एप के माध्यम से खंडन संदेश भेजना। • मृत, घायल, लापता एवं अन्य की सूची जारी करना। • राज्य स्तर के मिडिया का सहयोग प्राप्त करना। • टॉलफ्री सूचना केन्द्र को प्रचारित करना। • सूचना को प्रचारित करने हेतु एन.सी.सी., नेहरू युवा केन्द्र आदि का सहयोग लेना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

- ★ क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों में हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या , जनहानि, पशुहानि तथा सरंचनात्मक ढांचे के साथ फसल बाग बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।
- ★ पीड़ितो को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।

2019 एवं 2021 बाढ़ के दौरान उठाये गये कदमों के अनुकरणीय पहलू

- *बाढ़ प्रभावितों को विद्यालय एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में ठहराया गया तथा प्रत्येक को स्टील की थाली, कटोरा एवं ग्लास उपलब्ध कराया गया।*
- *बड़ी संख्या में लोगों को उत्तम गुंणवत्ता का भोज्य पदार्थ दिया गया।*
- *कई कैम्पों में आर0ओ0 युक्त पी॰एच॰ई॰डी॰ वाहन द्वारा शुद्ध जल मुहैया कराया गया।*
- *आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं ने जहाँ बच्चों को पठन–पाठन में सम्मिलित कराया वहीं सेविकाओं ने बच्चों हेतु भोजन तैयार किया।*
- *गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया। सभी महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गयी। आवश्यकता पड़ने पर दवा उपलब्ध कराया गया। कैम्प में कई महिलाओं का सुगम ढंग से प्रसव निष्पादित हुआ।*
- *कैम्प के आस–पास सफाई हेतु ब्लिचिंग पावडर का छिड़काव किया गया।*
- *पशुधन की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गयी।*
- *जिला अन्तर्गत प्रभावित अंचलो में सामुदायिक रसोई चलाई गयी जिसमें प्रभावितो को सुबह–शाम भोजन कराया गया।*
- *प्रभावित परिवारो को छः हजार की दर से च्छै के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गयी।*
- *प्रभावित अंचलो में नाव का परिचालन किया गया।*

7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र :–

समन्वय तंत्र

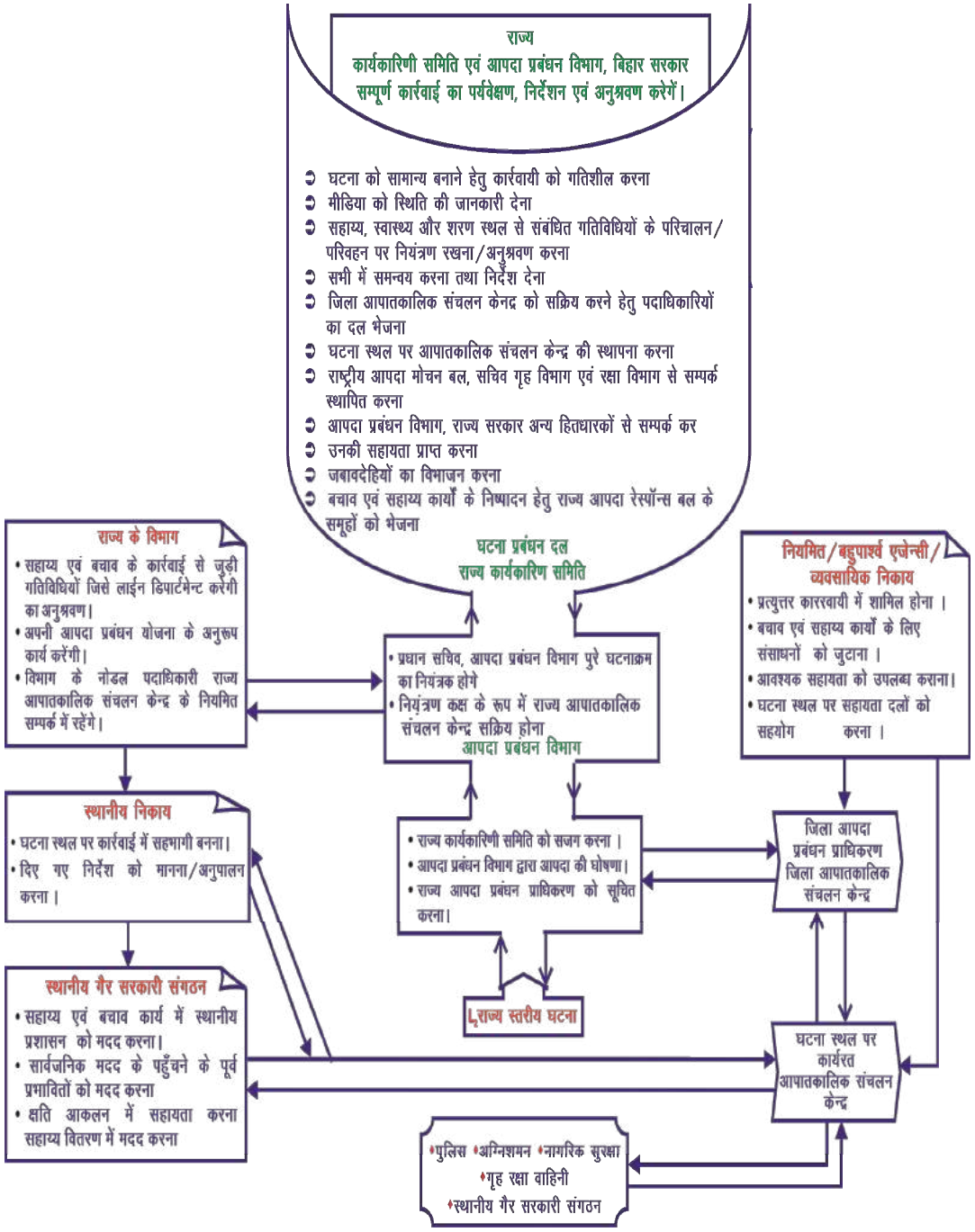

संबंधित आदेश प्रवाह एल 2 (0 से 6 घंटे)

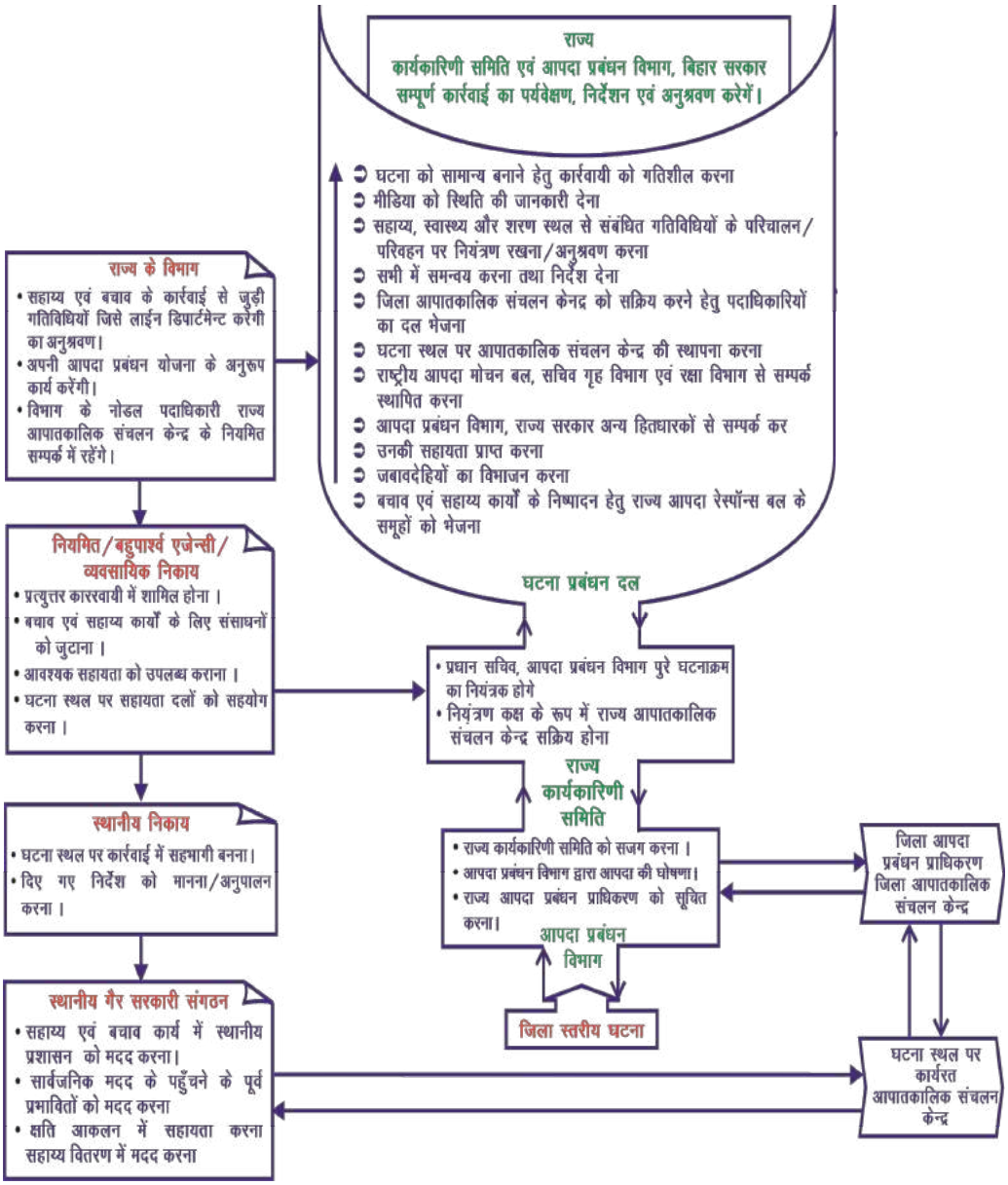

घटना प्रत्युत्तर एल–2 (6 घंटे उपरांत)

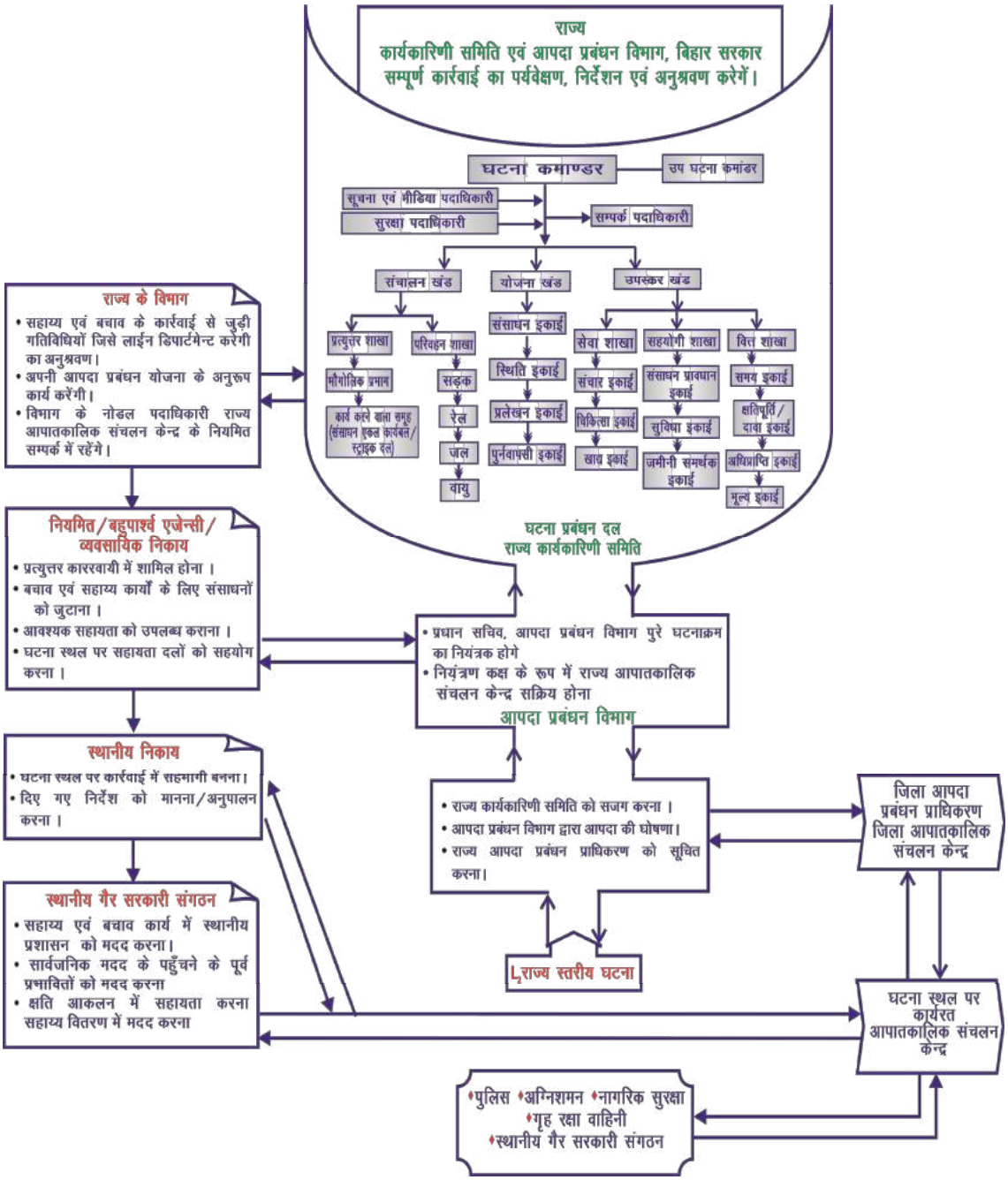

= = = = = =

अध्याय : 8

पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति

RECONSTRUCTION, REHABILITATION & RECOVERY

आपदायें विध्वंशकारी होती हैं, जिसमें बुनियादी संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं और उससे काम काज में बाधा उत्पन्न होती है। इस घटना में मनुष्यों और पशुओं का भी क्षति होता है। आपदा के टलने के पश्चात् उसकी विभिषिका के अनुसार बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि उपरोक्त कार्य को सम्पन्न करने के लिये क्षति आकलन के तरीके क्या होगें तथा आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन किया जायेगा।

भीषण आपदाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक अंतः संरचनाओ में व्यापक क्षति होने के कारण आपदा के कई घटित होने के साथ ही दैन्दिनी की गतिविधियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। अत्यंत संवेदनशील संरचनाये यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाती है। जीवन–यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यो को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है। इस बीच जीवन प्रदायी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है ताकि प्रभावित समुदाय या समाज के जीवन सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

***यूएनआईएसडीआर* द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है :–**

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन प्रदायी संवेदनशील अंतः संरचना सेवा, मकान, जन सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हों, की जगह एक मजबूत (Resillient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालीन पुनर्निर्माण जो 'सतत् विकास 'तथा 'पूर्व से बेहतर निर्माण' की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम न रहे। उसे हम पुनर्निर्माण कहेंगे।
- **पुनर्स्थापन (Rehabilitation) :** किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापो के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो का त्वरित पुनर्निर्माण को पुनर्स्थापन कहा जायेगा।
- **पुनर्प्राप्ति (Recovery) :** आपदा पीड़ित किसी समुदाय या समाज के जीविकोपार्जन के साधन एवं सवास्थ्य और आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण से जुड़े संपत्तियों व्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार अथवा पुनर्स्थापन जो "पूर्व से बेहतर निर्माण" एवं सतत् विकास की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जिसे भविष्य में आपदा जोखिम की श्रेणी से बाहर हो, को पुनर्प्राप्ति कहेंगे।

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तत्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तत्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित दल सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ हीं संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेगें। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा।

  इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

- **पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation) :** आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उने रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग

किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

8.1 क्षति आकलन (Damage Assessment) : आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3601 दिनांक–30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच शक्ति का प्रत्योजन (Power Delegate) कर सकते है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतसंरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एंव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरभाई सतत् विकास कार्यो द्वारा की जानी चाहिये।

- आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –
- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओ की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो–सामाजिक संघात

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	• मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।	समुदाय, मुखिय, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	• घायलो को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	• आपदा के उपरांत सरकारी भवनो में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता लेगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	भवन निर्माण प्रमंडल
4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्निर्माण,	• संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	• निजी मकानो को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना।	अंचलाधिकारी

6	कृषि/ पशु संसाधन	• फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आंकड़ा, रकबा एवं भू–मालिकों के व्योरा का संकलन। • पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्याकंन करना।	प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीमा कम्पनी
7	मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए।	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति
8	जीविका के साधन बहाल करना	• जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित/संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुर्नवापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कम्पनी, ग्रामीण विकास संभाग

8.2 पीड़ितो को राहत (Relief to the Victims) : भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये है इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस॰डी॰आर॰एफ॰एवं एन॰डी॰आर॰एफ॰) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जोन वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंड़ों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत।
- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि(सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies) नदियों/तालाबों/गड्ढ़ों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- पत्रांक 1692 दिनांक 22.04.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्निकांड से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है :–
    - आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा,

- अग्निकांड पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन,
- अग्निकांड से होने वाले फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान,
- गैस लीक से अग्निकांड से पीड़ित को अनुदान,

8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन (Restoration of Basic Infrastructures) : आधारभूत सरंचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसिंयों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेगे।

8.4 जीवन प्रदायी भवनो की मरम्मति (Repair/Reconstruction of Life Line Building) : बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैन्दिनी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण : अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

जीविका का पुनर्स्थापन : आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

चिकित्सीय पुनर्स्थापन : आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकीत्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी–कभी इन हादसो के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम–काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो–सामाजिक संघातो से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

दीर्घकालिक पुनर्वापसी : बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यो से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते है। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

= = = = = =

अध्याय : 9

बजट एवं वित्तीय संसाधन

BUDGET & FINANCIAL RESOURCE

भोजपुर जिला आपदा प्रबंधन योजना के अंतगर्त बहु–आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु पूर्व तैयारियों की आवश्यकता है, साथ हीं इनके प्रभावों को कम करने के लिए न्यूनीकरण का सतत् प्रयास किया जाना है। इसके अलावा आपदा घटित हो जाने पर प्रशासन को ढेर सारी प्रत्युत्तर (रिस्पाँस) कार्य करना होता है। इन सभी परिस्थितियों में वित्त की आवश्यकता होगी। इस हेतु निधि के कौन–कौन से संभाव्य तरीके हो सकते है जिसकी पहचान करने की जरूरत है। इस अध्याय में विभिन्न कार्य–कलापों हेतु, निधि के श्रोत की तलाश की गयी है।

9.1 अधिनियम में प्रावधान : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा –48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों..... के लिए निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"– (ख) जिला आपदा मोचन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा–48(2) में वर्णन है कि उपधारा–(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध है।

9.2 विभिन्न निधि स्त्रोत : इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (फंड) तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि(फंड) का प्रावधान किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधि(फंड) का प्रावधान का जिक्र है। इन निधियों से 'रिस्पॉस एवं मिटिगेशन' कार्यों हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। उपरोक्त कार्यो के लए अधिनियम में जिला स्तर पर भी निधि जारी करने का प्रावधान रखा गया है।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आपदाओं हेतु तय की गयी क्षतिपूर्ति राशि (मानदर 2015–20) को अपनाया है जिससे भुगतान किया जाता है। 14वीं वित्त आयोग के निदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने कुछ स्थानीय आपदाएँ घोषित कर रखी है जिस हेतु 'रिस्पॉस फंड' में प्राप्त कुल राशि 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति खर्च में उपयोग किया जा सकता है।

आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी निधि उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही आपदा के उपरांत पुननिर्माण प्रक्रिया में यदा–कदा स्थानीय सांसदो हेतु उपलब्ध (प्रति सांसद/प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये) निधि का भी उपयोग किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन योजना के तहत् निम्नलिखित शीर्षो में निधि की आवश्यकता पड़ सकती है। वे है –

- आधारभूत संरचना का निर्माण
- आवर्ती गतिविधियाँ
- खोज बचाव व राहत उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापन
- मरम्मत एवं रखरखाव
- स्थापना खर्च ।

9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम (Central Govt. Plan & Non Plan Schemes) :–

क्र. सं.	संपोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाल विभाग/संभाग/एजेंसी
1	कृषि रोड मैप	इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	मनरेगा	• पंचातय स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते है। • सामाजिक वानिकी।	ग्रामीण विकास एंव पर्यावरण एवं वन
3	सात निश्चय	गली–नाली का स्थापन एंव हर घर नल का जल	ग्रामीण विकास, पंचायत

	कार्यक्रम	अंतगर्त पाईप से पानी की आपूर्त्ति।	राज एवं पेयजल एवं स्वच्छता
4	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।	कृषि विभाग
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	शताब्दी अन्न कलश योजना	निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता।	आपदा प्रबंधन/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
7	बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	जीविका	महिला सशक्तिकरण ।	बिहार स्टेट रूरल लाईवलीहुड मिशन
9	आंगनवाड़ी	इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण –आई.सी.डी.एस.
10	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु संरचना निर्माण का स्थापन।	पेयजल एवं स्वच्छता
11	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
12	मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
13	सर्व शिक्षा अभियान	स्कूल तथा उसमें शौचालय एंव चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
15	आशा कार्यकर्त्ता	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी करना।	जिला स्वास्थ्य समिति
16	मिड–डे–मील योजना	स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना।	मिड–डे–मील जिला कार्यक्रम
17	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
18	सड़क सुरक्षा निधि	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग।	परिवहन विभाग
19	चौदहवी वित्त आयोग(2015–20)	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	आपदा प्रबंधन विभाग
20	पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायती राज/नगर पालिका
21	आपदा मोचन (Responce) निधि	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
22	जिला आपदा शमन (Mitigation) निधि	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
23	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति

9.4 अन्य श्रोत (Other Options) : इसके अतिरिक्त बीमा निगम के विभिन्न योजना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा राहत कोष में प्राप्त निधि को इन कार्यो में उपयोग किया जा सकता है।

= = = = = =

अध्याय–10

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

MONITORING, EVALUATION & UPDATION

प्रत्येक योजना में परिकल्पित (Envisaged) लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उस योजना के क्रियान्वयन काल में इसका सतत् अनुश्रवण अत्यंत आवश्यक है। यदि भविष्य में भी या पुनः इसी योजना को क्रियान्वित करनी पड़े तो पूर्व में क्रियान्वित योजना का मूल्यांकन कर यह जाना जा सकता है कि किस हद तक परिकल्पित लक्ष्यों, उद्देश्यों को हासिल किया गया ? यदि लक्ष्य को हासिल करने में कोई चूक हुई है तो उसके मुख्य कारण क्या – क्या हो सकते है ? अतः सतत् क्रियान्वित होने वाली योजना का समय–समय पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण जरूरी एवं लाभप्रद होता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना बार–बार घटित होने वाली आपदा से जनता को अक्षुण रखने तथा आपदा जोखिम में उत्तरोत्तर कमी लाने के उद्देश्य से क्रियान्वित होने वाली योजना है। अतः इसका सतत् अनुश्रवण, निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जायेगा। प्रत्येक आपदा से निपटने के उपरांत इसका मूल्यांकन एंव समीक्षा दस्तावेज तैयार किये जायेंगे। इन दस्तावेजो के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला आपदा प्रबंधन योजना का अद्यतीनीकरण (Updation) किया जायेगा।

10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन (Guidelines for Monitoring & Evaluation of the Plan) : योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्रवाई की जायगा–

10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारायें :–

31(4) – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायगा।

31(5) – उपधारा(2) और उपधारा(4) में निदिंष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायगी।

31(6) – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31(7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये–

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगें और उसे अद्यतन (Update) करेंगें।

10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन :– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी

खास माह में प्रबल रूप से घनीभूत होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनो तरह के प्रयासो की विवेचना की जानी चाहिये । इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँच :– प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनप्राप्ति या पुनर्स्थापन कार्यो में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुयें है। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दुहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाय बढ़ा देते है तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना :– जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्रा तथा शिक्षक–प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियो/स्वयसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यो में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिये। समय–समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते है। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अध्यतन करना जरूरी है।

10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच (Regular Mock-drills & Exercises to Test Efficacy of the Plan) :– योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापुर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है। योजना की सफलता की गारंटी सुनिश्चित करता है।

10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण (Regular Training of Officials for Plan Implementation of Plan) :– जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन (Updation of Plan) :– जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलत तथा प्रयासो की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमे लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation) :– सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। पंचायत प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

10.1.9 समन्वय (Co-ordination) :– सभी हितभागी एजेसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेगें। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होगें दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशो का पालन करेगें।

10.1.10 लोक जागरण (Public Awareness) :– जिला आपदा प्रबंधन योजना को जिला के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा । इसके परिशिष्टों की सूची से परिशिष्टों के विवरण को लिंक कर दिया जायेगा। आपदा की सूचना इंटरनेट द्वारा जिला के वेबसाईट पर दर्ज करने तथा वहीं आपदा की स्थिति में स्व सुरक्षा तथा सामूहिक सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधनियों का प्रमुखता से उल्लेख किया जायेगा।

= = = = = =

अनुलग्नकः— 01

वर्श 2019 एवं 2021

मुकम्परोधी मकान के निर्माण हेतु प्रशिक्षण में भाग लेने वाले राजमिस्त्रियों की सूचीः—

List of Trained Mason at Sahar Block, Bhojpur							
Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Ram Sigasan Singh	Late. Ram Nihora Singh	Bahuara	60	46	12th	8651757304
2	Kudus Ansari	Suleman Ansari	Bahuara	42	21	10th	9608804508
3	Rup Chand Mahto	Sudesh Mahto	Purhara	36	8	8th	6202294420
4	Narendra Singh	Rajendra Singh	Bhuara	30	3	5th	9117933227
5	Tilaku Ram	Hulas Ram	Pairhap	34	8	9th	9955461410
6	Harendra Pandit	Ramsakal Pandit	Khaira	49	8	8th	9162001895
7	Pramod Kram	Butan Ram	Perhap	39	5	2nd	8969649452
8	Md. Jansar	Abdul Kalik	Abgila	49	20	3rd	7631323777
9	Md. Suhail Ahmad	Shakil Ahmad	Abgila	26	5	B.Sc	9097826024
10	Md. Hasmuddin	Rahimuddin	Mishrichak	31	9	9th	9504352716
11	Md. Aalmgir Aansari	Md. Aliraj Aansari	Mishrichak	47	10	9th	8229071248
12	Hiralal Singh	Shiwchand Singh	Gulam Chak	60	20	6th	8873510696
13	Upendra Kumar	Lal Babu Paswan	Koran Dihari Tola	27	5	10th	7256856476
14	Satendra Kumar	Mahendra Mahto	Purhara	45	16	5th	8581839456
15	Nagendra Mahto	Janardan Mahto	Purhara	32	4	7th	9507861809
16	Krisna Ram	Sadhu Ram	Koran Dihari Tola	50	30	Illiterate	6205056289
17	Kaushal Mahto	Ram Bachan Mahto	Purhara	64	29	9th	9546309502
18	Md. Jubair Ali	Saiyad Ali	Abgila	44	20	7th	7543868893
19	Krisna Chaudhary	Anup Chaudhary	Peur	35	15	Illiterate	8873497183
20	Lal Kumar Ram	Bhagwan Ram	Pairhap	41	15	10th	9955461410
21	Rajendra Ram	Shirit Ram	Khaira	51	20	12th	7667928581
22	Anil Ram	Hiranand Ram	Perhap	34	10	8th	6207064130
23	Mohmad Iltaf	Jainul	Khaira	45	20	7th	9199715163

24	Deeplal Ram	Shiw Lal Ram	Khaira	30	8	9th	8405814715
25	Manoj Kumar	Dewraj Singh	Dhauri	42	10	9th	6204544893
26	Raju Kumar	Wisheshwar Ram	Dhauri	39	5	5th	9162056543
27	Sanjay Kumar	Ramadhar Ram	Koran Dihari Tola	40	4	8th	9097060702
28	Shrawan Ram	Nawinath Ram	Bahuara	36	8	10th	8651757304

List of Trained Mason at Sahar Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Gama Chaudhari	Late Ram Pravesh Chaudhary	Dhauri	41	8	10th	8298705436
2	Dadan Saw	Late. Shakil Chand Saw	Abgilla	46	23	10th	8677011772
3	Md. Mansur Khan	Saduran Khan	Purhara	36	15	8th	9631873224
4	Sanjay Kumar Chaudhari	Lal Mohar Chaudhrai	Abgilla	38	12	9th	9576511981
5	Md. Hakik	Rojdin	Abgilla	61	20	2nd	8873022840
6	Md. Jabir Moyan	Md. Ramjan	Purahara	55	18	4th	9117240159
7	Sabir Alam	Gafir Husain	Abigalla	46	12	12th	8051767136
8	Md. Yasin Ansari	Late. Nausad Ansari	Purahara	21	7	7th	9334760058
9	Md. Asalam Miyan	Md. Sona Hul Ansari	Purhara	46	8	5th	9693148716
10	Sabir Husain	Late. Ramjan Miyan	Purahara	38	12	7th	7301114616
11	Md. Fakharuddin	Md. Najbu Miyan	Purahara	36	16	10th	7564867261
12	Hari Mohan Ram	Md. Saheb Ram	Abgilla	36	8	7th	7254915372
13	Yogendra Ram	Late. Midhri Ram	Purahara	46	16	10th	7739735675
14	Bidhabhusan Chaudhari	Gama Chaudhari	Dhauri	24	5	12th	6205373445
15	Md. Israr Alam	Md. Chai Khan	Purahara	31	10	10th	7519505373
16	Md. Shamser Alam	Md. Kyamuddin Khan	Purahara	34	12	7th	8969785475
17	Md. Mansur Alam	Md. Lalmo Ansari	Sahar	51	30	10th	9852165975
18	Md. Kayum Khan	Adalat Mishra	Purahara	64	20	Illiterate	8969785475
19	Kamaluddin	Md. Jamiruddin	Shiv Chak	60	15	Illiterate	

20	Md. Haidar Ali	Md. Islam	Abgilla	42	12	8th	8083375276
21	Ravindra Sah	Kavilas Sah	Purahara	42	10	Illiterate	8709931496
22	Prem Kumar Chaudhari	Shri Gama Chaudhari	Dhauri	21	5	B.A	7493035032
23	Md. Shaukat Ali	Md. Hadish Ansari	Purahara	34	16	B.A	9525009491
24	Ikbal Ahmad	Abudl Satar	Abgilla	61	35	2nd	8877468860
25	Md. Firoj Alam	Aas Mohmmad	Purahara	42	16	10th	8873873727
26	Md. Fahim Alam	Md. Yunis Khan	Purahara	34	10	8th	9576860504
27	Sushil Sharma	Chandeshwar Sharma	Dhauri	31	8	B.A	6206080597
28	Surywali Ram	Chandeep Ram	Shankar Tola	45	7	10th	9798874527
29	Md. Kallu Miyan	Md. Ibrahim	Sahar	65	40	Illiterate	8910227674

List of Trained Mason at Tarari Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Dipti Pandit	Shivdat Pandit	Bihata	35	16	9th	8757543263
2	Jagmohan Ram	Late. Nathuni Ram	Bihata	49	10	5th	8969471249
3	Jayram Pandit	Dashhi Pandit	Bihata	34	12	9th	9693508595
4	Ajaymal Ansari	Late. Salim Ansari	Saidnpur	37	10	9th	8271433627
5	Hirishchandra Paswan	Late. Sita Paswan	Terojpur	38	19	9th	9708647980
6	Bhim Kumar Singh	Butan Kahar	Moap Kala	35	15	9th	6299685723
7	Ganesh Pasi	Sita Ram Pasi	Moap Kala	42	22	8th	8579958650
8	Jahida Ansari	Hamid Ansari	Moap Khurd	31	10	10th	8002756391
9	Hiralal Ram	Gyani Ram	Barkagaw	45	15	9th	7258071488
10	Md. Jamluddin	Marhum Dasihi Miya	Barkagaw	41	8	10th	9708056700
11	Md. Islam Ansari	Mustkim Ansari	Bandhwa	49	20	10th	8084018788
12	Talkeshwar Singh	Shribudhu Singh	Tarari	37	13	10th	9304750420
13	Islam Miya	Hadish Miya	Saidnpur	45	20	9th	9631250882
14	Ajay Mehta	Bhagwan Kushwaha	Tarari	34	8	10th	7070602111
15	Ankush Kumar	Ashok Ram	Karth	21	4	B.Sc	6299375775

16	Sanjay Singh	Rampatiram	Bhupatpur	42	8	Illiterate	9661843505
17	Bindeshwari Ram	Late. Nathuni Ram	Barakgawan	48	20	7th	9576817850
18	Dev Kumar Pandit	Dashai Pandit	Bitta	36	20	12th	8210164945
19	Munna Singh	Mathura Singh	Tarari	33	9	9th	8578084306
20	Mahanand Singh	Ram Kishun Singh	Saidnpur	46	20	10th	7763047321
21	Roja Ansari	Mustakim Ansari	Bandhwa	40	7	9th	7250162591
22	Raju ram	Rampyar Ram	Karth	35	5	8th	9334325136
23	Raman Ram	Late. Bhikhari Ram	Tarari	41	6	8th	9262922936
24	Idrish Ansari	Imam Ansari	Bandhwa	45	16	5th	8873103593
25	Manoj Ram	Mitti Ram	Bihar	33	12	7th	7258071307
26	Jitendra Ram	Sudarsan Ram	Kapurdihara	39	6th	5th	8873954271
27	Ashok Paswan	Dharmdyal Paswan	Tarari	36	6	9th	8873737017
28	Awadhesh Bind	Sipahi Bind	Tarari	42	5	6th	9507554261
29	Manoj Kumar	Ramchandra	Dhangawan	41	8	10th	9102434551
30	Shiwji Pandit	Kamala Pandit	Bihata	45	20	9th	7739459437

List of Trained Mason at Tarari Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Sarajudi Ansari	Jan Muhmmad	Moaap Khurd	34	10	5th	9955040544
2	Abhinandan Sah	Bajrangi Sah	Tarari	30	5	3rd	
3	Dharmendra Kumar Singh	Ganga Singh	Bandhawa	38	3	12th	7632953565
4	Ram Dular Ram	Rohit Ram	Panpura	53	20	9th	
5	Bhuwneshwar Prasad		Bandhawa	46	15	9th	9572445985
6	Arvind Prasad	Sachitanand Prasad	Bandhawa	38	5	9th	9049207861
7	Jitendra Pal	Sakaldeep Bhagat	Bandhawa	40	10	9th	7739237127
8	Najamu Ansari	Dargahi Ansari	Kurmohi	45	17	2nd	9576371984
9	Muhmmad Yejaj Ansari	Najbuddin Ansari	Chakiya	41	8	8th	9546363433
10	Md. Kaushar Ali	Isarafil Ansari	Chakiya	28	4	1.Com	9525518286

11	Krisana Sah	Dashrath Sah	Shankar Dih	48	20	2nd	8114538088
12	Akhilesh Rajak	Daukar Rajak	Shankar Dih	37	6	5th	7325043132
13	Mana Pandit	Vishwnath Pandit	Bihata	50	10	10th	9801709965
14	Vinod Kumar	Mana Prajapati	Bihata	38	6	B.Sc	6200027613
15	Dhananjay Kr. Sharma	Amin Nath Sharma	Imadpur	35	6	10th	6203449859
16	Sanoj Ram	Batohi Ram	Bagar	35	4	2nd	9508624972
17	Sanjay Kumar Singh	Hirawan Singh	Bishanpura	45	10	10th	7322964614
18	Shriman Ram	Batohi Paswan	Bagar	48	10	2nd	9306227036
19	Prabhu Singh	Aafat Singh	Mahadevpur	38	12	10th	7250153438
20	Barkat Miyan	Aalamgir Miyan	Mahadevpur	59	20	5th	
21	Jamir Ahmad	Riyajuddin Ahmad	Saidanpur	45	5	9th	9771209105
22	Sohrab Ansari	Taj Mohmmad Ansari	Saidanpur	39	15	2nd	9155939166
23	Rajendra Rajak	Naresh Rajak	Imadpur	49	13	2nd	7562013525
24	Dashai Ram	Dokar Ram	Shankar Dih	32	6	9th	7372038709
25	Lalan Mahto	Ram Darshan Mahto	Daridih	49	20	9th	8002785634
26	Ashok Kumar	Devki Ram	Daridih	45	20	7th	8002309738
27	Shashi Paswan	Rajkumar Paswan	Tirojpur	37	8	B.A	8579030014
28	Pramod Sharma	Ramashish Sharma	Mahadevpur	51	16	5th	
29	Anant Ram	Shiv Prasad Ram	Daridih	50	20	9th	7463065104
30	Shaukat Ali	Bacheli Miyan	Mahadevpur	37	10	9th	9888925611

List of Trained Mason at Piro Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Md. Mustfa	Md. Jalaludin	Bamhawar	27	2	10th	6205219273
2	Amjad Ansari	Mohmad Miya	Bamhawar	36	8	6th	9600464696
3	Dinanath Chaudhary	Lal Bhukhan Chaudhary	Chedi Tola	35	8	5th	7061880314
4	Santlal Ram	Shripati Ram	Basauni	42	15	10th	7091946768
5	Shyambabu Prasad	Baban Prasad	Bamhawar	29	6	9th	9608273147

6	Hareram Chaudhary	Shivnath Chaudhary	Gokhul Tola	33	8	2nd	9955804083
7	Vijay Chaudhary	Rajendra Chaudhary	Gokhul Tola	55	30	2nd	8809733270
8	Munna Chaudhary	Rajendra Chaudhary	Gokhul Tola	40	10	3rd	8809733270
9	Rajesh Kumar	Ramdyal Pandit	Titaura	40	5	5th	8873201611
10	Sikandar Chaudhary	Rajendra Chaudhary	Gokhul Tola	37	4	4th	8809733270
11	Sigasan Prasad	Rampravesh Prasad	Ramdyal Tola	42	15	9th	8651426580
12	Nathuni Prasad	Bhumal Prajapati	Jamuaw	48	20	9th	8809654810
13	Raju Prasad	Rampravesh Prasad	Ramdyal Tola	43	18	7th	7250227750
14	Raju Turha	Mana Turha	Jamuaw	40	15	2nd	9162075649
15	Ramkumar Sah	Jagjitan Sahu	Jamuaw	41	16	Illiterate	6203413527
16	Madan Kumar	Shiv Kumar	Angara	34	12	9th	9973977297
17	Jay Prakash Chauhan	Shivlal Chaudhary	Pachferwa	25	3	10th	8340724038
18	Manoj Kumar	Baban Ram	Jamuaw	35	7	10th	7654701403
19	Chhotelal Kumar	Sitaram Pandit	Jamuaw	32	7	9th	6287078921
20	Sanoj Rawani	Baleswar Rawani	Haswadih	30	6	2nd	9128357748
21	Harendra Sah	Bira Sah	Haswadih	32	7	2nd	7765094291
22	Ayodhya Ram	Sakalu Ram	Jamuaw	45	18	3rd	6287078718
23	Shiv Kumar Ram	Panchratan Ram	Kanai Tola	46	20	Illiterate	8873128710
24	Dineshwar Prasad	Satish Chandra Prasad	Katar	48	22	Graduate	7061662437
25	Manoj Chaudhary	Mahendra Chaudhary	Pachferwa	27	5	6th	8002437442
26	Mohan Ram	Ramji Ram	Jamuaw	40	15	9th	8809945048
27	Guddu Pasi	Kishun Pasi	Bamhawar	30	3	2nd	7079920286
28	Mithilesh Kumar	Suresh Pandit	Ramdyal Tola	32	8	10th	8651695828
29	Rajesh Sharma	Ram Bilas Sharma	Baswan Ray Tola	45	15	10th	9525092427
30	Ram Pravesh Pandit	Bharthari Pandit	Ramyad Tola	50	30	10th	8651112582

List of Trained Mason at Piro Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.

1	Jay Kumar Pandit	Daroga Pandit	Barawan	48	15	9th	9576241544
2	Surendra Singh	Baliram Singh	Chaube Ji Ki Chhawni	36	8	5th	6201000736
3	Awadhesh Singh	Jugul Singh	Tilath	44	10	2nd	7654578198
4	Kamlesh Singh	Jugul Singh	Tilath	39	10	3rd	8271549661
5	Bhulan Sah	Harinandan Sah	Katriyan	34	10	3rd	8271549661
6	Harendra Kumar	Kashinath Pandit	Jamuaaw	41	20	10th	6209945765
7	Barelal Prasad	Ravindra Prasad	Barao	43	22	10th	8651231465
8	Md. Hamid	Md. Hakim	Chaturmuji Barao	46	20	2nd	8651548307
9	Ram Awatar Prasad	Jaganarayan Kumhar	Narayanpur Badhaur	36	18	9th	8651583881
10	Lalji Prasad	Mana Turha	Jamuaaw	41	20	8th	8459985422
11	Lalji Prajapati	Bishwnath Prajapati	Jamuaaw	31	5	10th	8826390657
12	Parmanand Singh	Rampyar Singh	Chhauchhudih	31	5	10th	8826390657
13	Hareram Prasad	Shivchandra Prasad	Ramyad Tola	31	13	8th	8540903817
14	Narendra Prasad	Ramkeshwar Prasad	Lakhan Tola	37	15	8th	6364025610
15	Baij Nath Pandit	Ram Balak Pandit	Kothuaa	50	20	10th	7759978398
16	Rameshwar Sharma	Vishwnath Sharma	Bamhawar	50	30	9th	7870296367
17	Ajay Kumar	Ramashish Ram	Barauli	43	5	12th	8102362357
18	Bikrant Kumar Guptta	Manoj Sah	Bamhawar	24	4	9th	6207668157
19	Saroj Kumar	Manoj Sah	Khorabr	25	5	9th	7870876081
20	Prashuram Prasad	Kapil Pandit	Ramyad Tola	41	17	9th	9576360857
21	Shiv Shankar Prasad	Prem Chandra Prasad	Ramyad Tola	41	17	9th	9525069025
22	Chandrama Ram	Babhichchhan Ram	Bamhawar	28	8	2nd	7091524054
23	Munna Kumar	Ram Sumag Prasad	Ramyad Tola	18	2	10th	8340342595
24	Ramji Sharma	Dashrath Sharma	Bamhawar	35	10	9th	9771885508
25	Sanjay Kumar Ram	Baban Ram	Dhan Pokhar	40	18	9th	8873511475
26	Vikas Kumar	Jaganarayan Chaudhary	Barawan	23	4	10th	9123111377
27	Sunil Pandit	Harihar Prasad	Narayanpur	30	6	6th	8873736880

28	Nandji Ram	Sohar Ram	Amehata	31	5	6th	8873043847
29	Kamlesh Kumar	Baijnath Pandit	Kathua	32	8	9th	9631121981
30	Jitendra Kr. Sah	Channu Sah	Bamhawar	36	10	10th	9661206434

List of Trained Mason at Agiyaanw Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Harendra Kumar Ram	Mahendra Ram	Bargawan	31	8	9th	74903140390
2	Riyaju Din	Khairati Miya	Madanpur	50	14	7th	8294474053
3	Samshudin	Md. Sainul	Madanpur	41	8	3rd	7292961709
4	Mahendra Shah	Ramchchhawi Shah	Lahrpa	47	15	8th	7070905357
5	Bikrama Shah	Parsanath Shah	Lahrpa	44	12	8th	9546007630
6	Jay Kishor Singh	Sarwajit Singh	Lahrpa	48	15	8th	9541865672
7	Pintu Pandit	Sidhant Pandit	Lasarhi	25	4	7th	8987230930
8	Sahsod Ram	Baijnath Ram	Mishrawallapa	42	10	4th	
9	Laganu Ram	Lal Mohar Ram	Brahmpur	33	8	4th	8292832941
10	Sudarshan Ram	Mibhik Ram	Bargawan	41	12	10th	6200029546
11	Ashan Dev Ram	Bhagwan Ram	Dhakani	44	10	8th	8207329613
12	Kamlesh Singh	Hari Prasad Singh	Banauli	4	10	9th	6201628795
13	Ramanand Singh	Saryu Singh	Banuli	49	7	8th	9798138430
14	Sudama Singh	Ramhapit Singh	Banauli	48	8	10th	9195728938
15	Dhanjit Chaurasiya	Brida Prasad Chaurasiya	Pawna	39	15	Litterate	7970486800
16	Raj Kumar Ram	Ram Pravesh Ram	Muradpur	40	18	7th	7061332449
17	Chandu Kumar	Majetar Chandravanshi	Brahmpur	37	10	10th	7485047718
18	Rakesh Kumar	Jagdev Chaudhary	Karwasi	40	15	10th	8809772353
19	Raju Ram	Dhiman Ram	Dhobha	38	7	7th	6200498730
20	Santosh Kumar	Bira Singh	Dhobaha	28	4	8th	7057138850
21	Hamendra Pandit	Diljor Pandit	Lasarhi	27	7	9th	7256045821
22	Niraj Pandit	Sidhnath Pandit	Lasarhi	26	8	8th	9608406137
23	Md. Sagir	Ajamat Miya	Pawana	42	12	Illiterate	

24	Rakesh Pandit	Biswnath Pandit	Lasarhi	27	7	7th	8676966505
25	Angad Shaw	Vijay Shaw	Dhobaha	30	5	7th	9576106121
26	Ram Prasad Ram	Metuki Ram	Sikariya	45	15	7th	9117931679
27	Shivbadan Ram	Baiju Ram	Tarchak	43	12	8th	8581901392
28	Raju Kumar Rathor	Latwan Rathor	Kharaicha	24	7	10th	9525421699

List of Trained Mason at Agiyaanw Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Santosh Kumar	Shivnarayan Ram	Bargaanw	43	14	12th	8651969009
2	Daroga Chaudhari	Timil Chaudhari	Situhari	54	21	10th	9142388291
3	Ram Bhawan Ram	Ram Pati Ram	Maranpur	43	8	4th	9155088655
4	Kamlesh Sonar	Prithwi Sonar	Baruna	36	7	3rd	9507048171
5	Anil Kumar Ram	Ful Chandra Ram	Maranpur	40	8	8th	7004233258
6	Sanjay Ram	Prem Chandra Ram	Diliya	41	10	10th	7322961855
7	Kanhaiya Sharma	Mahraj Sharma	Diliya	44	11	10th	9065498911
8	Triloki Ram	Bhinik Ram	Bargaanw	40	8	9th	8226851052
9	Bharat Ram	Radha Mohan Ram	Pawana	31	5	5th	6206079688
10	Lav Kush Saw	Dinesh Saw	Khopira	31	6	9th	7654341050
11	Dipu Sah	Shomanath Sah	Khopira	29	4	8th	7091755322
12	Amit Kumar Sah	Vijay Kumar Sah	Banauli	35	7	10th	9905599452
13	Kamlesh Singh	Ramchhapit Singh	Banauli	40	9	10th	9631940817
14	Kundan Singh	Jagnarayan Singh	Pawana	55	16	10th	8873553010
15	Ramendra Pandit	Jay Prakash Pandit	Maranpur	39	6	3rd	9507712654
16	Ramesh Kumar	Nandji Ram	Sona Tola	34	6	9th	6209311345
17	Subodh Kumar	Madan Pandit	Pawana	30	3	9th	7209670551
18	Ram Sundar Ram	Ram Sigasan Prasad	Chilhar	55	21	7th	7292871606
19	Mahmud Alam	Jujfar Husain	Ajimabad	34	5	4th	6299996466

20	Nand Kumar Ram	Nemu Paswan	Sona Tola	40	7	9th	7992690579
21	Jalaluddin Ansari	Nasiruddin Ansari	Agiaanw	45	11	10th	8873982412
22	Vikash Kumar	Diwan Ram	Narhi	21	2	12th	7323820527
23	Rameshwar Pandit	Harinandan Pandit	Gorapa	52	18	8th	7079163737
24	Dadan Ram	Baijnath Ram	Situhari	45	8	8th	9572514072
25	Bharat Lal	Bhinik Ram	Bargaanw	45	11	B.A	7332012991
26	Radhe Shyam Kushwaha	Ram Ikbal Singh	Pauna	29	5	6th	6202878598
27	Birendra Baitha	Jhagaru Baitha	Chansi	47	11	9th	9155335490
28	Sanjay Chaudhari	Ram Ishwar Chaudhari	Agiaanw	51	14	8th	9576223749
29	Alimuddin Ansari	Shahid Miyan	Agiaanw	44	8	4th	
30	Chandra Bhusan Pandit	Rajendra Pandit	Madanpur	37	5	5th	9006610875

List of Trained Mason at Sandesh Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Manoranjan Kumar	Ram Ji Ram	Bhimpura	40	10	9th	7061777191
2	Prem Sagar Ram	Brahmdev Ram	Baga	31	10	10th	9939985369
3	Lalan Saw	Doman Saw	Bhimpura	36	13	2nd	7479574290
4	Sukhdev Chaudhary	Ashu Chaudhary	Kaji Chak	45	15	2nd	8226879032
5	Harinarayan Singh	Bijlal Singh	Fulari	40	20	10th	9801957310
6	Lakshman Chaudhary	Ramdyal Chaudhary	Kaji Chak	41	25	5th	
7	Shish Kamal Sah	Sudarshan Sah	Tirthkaul	47	20	5th	9135354329
8	Rudal Pandit	Lalmohar Pandit	Sandesh	40	19	7th	8651754319
9	Ganauri Pandit	Ram Bilash Pandit	Sandesh	58	25	7th	8651555377
10	Chandra Shekhar Ram	Shivji Ram	Jamuaw	28	8	10th	6202799788
11	Mukesh Ram	Pathlu ram	Jamuaw	32	6	7th	6299918194

12	Amar Pandit	Lal Mohar Pandit	Sandesh	42	20	5th	8228865266
13	Mustafa Ali	Wakil Ahmad	Ramasarh	45	10	8th	9264408474
14	Dharmendra Kumar Saw	Sumeshwar Saw	Ramasarh	28	5	8th	9113351175
15	Suresh Pandit	Binda Pandit	Saraya	51	29	10th	7631324643
16	Dharmendra Kumar Ram	Shiv Lal Ram	Tirthkaul	29	13	6th	7808854194
17	Brij Bihari Ram	Jagdish Ram	Bichhiaw	49	19	10th	9771545502
18	Manoj Ram	Chaman Lal Ram	Bichhiaw	44	15	10th	7370820939
19	Sahban Alam	Lal Mohmad Alam	Sandesh	45	8	7th	6299854587
20	Krisna Singh	Pashuram Singh	Fatehpur	56	35	10th	7484843960
21	Bharat Paswan	Rajendra Prasad	Bhimpura	47	13	10th	7481981444
22	Sunil Pandit	Rajaram Pandit	Sandesh	31	15	4th	8051739765
23	Rahul Kumar	Ramesh Thakur	Sandesh	26	5	6th	7061947013
24	Lakshman Sharma	Jagram Sharma	Kakan Dihara	28	10	8th	7970990396
25	Azad Paswan	Shivraj Paswan	Bhimpura	30	8	4th	7633041825
26	Ashok Pandit	Dinbahur Pandit	Sandesh	38	20	5th	7631324305
27	Harendra Kumar Chaube	Rapnarayan Chaube	Sandesh	42	8	10th	7782085517
28	Shilanath Prasad	Late. Raushan Sah	Maniuch	53	20	10th	9955208731

List of Trained Mason at Sandesh Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Kunwar Singh	Ramchandra Prasad Singh	Fatepur Chlhaus	36	13	9th	9934526970
2	Sikandar Chaudhary	Tija Chaudhary	Repura	51	20	10th	8051692276
3	Ajay Kumar	Satsharan Ram	Pinjroi	41	14	12th	7763021342
4	Binkatesh Ram	Ramnath Ram	Bighiyawan	46	12	5th	6299915199
5	Vishwdeep Kumar Singh	Dasai Singh	Bichchhiyaanw	33	6	10th	9798814182
6	Manoj Kumar	Gupteshwar Ram	Ramasad Tola	31	5	10th	8579964049

7	Sinod Kumar Singh	Tribhuwan Singh	Akhgaanw	44	20	12th	8227043668
8	Mohmad Samim	Mahmad Miyan	Sandesh	36	14	10th	9341591621
9	Faiyaj Miyan	Madish Miyan	Sandesh	41	17	3rd	7667839315
10	Saukhin Ram	Dhush Ram	Sikirchak	51	14	8th	7362043228
11	Dharmendra Mahto	Gopal Mahto	Bichhiaanw	41	15	1st	8210181172
12	Ram Vinay Ram	Fulchand Ram	Sirkichak	51	18	9th	9507922726
13	Manohar Singh	Shivnandan Singh	Kori	50	20	9th	8227063083
14	Ramesh Kumar Ram	Jagnarayan Ram	Kori	37	6	9th	7654885878
15	Uttam Kumar Ram	Jiuat Ram	Bichhiaanw	47	14	10th	
16	Rakesh Kumar	Raj Kumar Ram	Sikirchak	33	8	9th	7667748849
17	Rajendra Sah	Shivnarayan Sah	Repura	53	14	10th	7563894532
18	Jitendra Kumar	Lalan Ram	Pinjord	39	10	9th	9334120990
19	Indrajit Kumar Ram	Wakil Prasad	Akhgaanw	30	10	12th	7903411593
20	Sanjeev Kumar	Shivpujan Ram	Chilhauns	47	7	9th	7563795960
21	Nand Kishor Ram	Parmeshwar Dayal	Kori	43	7	9th	8228895927
22	Manohar Ram	Ramnath Ram	Bichhiaanw	25	4	8th	9625631842
23	Sanoj Kumar Ram	Mundrika Ram	Sirkichak	33	10	10th	8229047849
24	Ranvir Kumar	Ranjeet Kumar	Saripur	22	4	12th	6200014913
25	Ajit Kumar Ram	Wakil Ram	Saripur	29	5	12th	6202762761
26	Bipin Kumar	Bhagwan Das	Sirkichak	23	4	10th	6202497660
27	Siyaram	Ramprit Ram	Sirkichak	32	4	8th	7358733981
28	Siyaram Das	Ram Ayodhya Ram	Kori	38	10	9th	6207768507
29	Sakir Miyan	Majnu Miyan	Sandesh	41	10	4th	9525295986
30	Nand Lal Ram	Mundrika Ram	Sirkichak	55	15	12th	7033768093

List of Trained Mason at Barhara Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Kamlesh Kumar	Shivlagan Ram	Rampur	38	15	4th	9608703330
2	Ashok Prasad	Sabhapati Ram	Rampur	45	14	2nd	6206517350

3	Lalbabu Yadav	Bhagwan Yadav	Rampur	36	14	3rd	9097180083
4	Ramchandra Ram	Gyani Ram	Rampur	28	10	10th	7079861547
5	Suraj Kumar	Shivji Paswan	Rampur	22	5	5th	6200415107
6	Sanjay Kahar	Faninath Kahar	Pardiya	38	10	4th	7654506007
7	Rinku Kahar	Ramayan Kahar	Pardiya	35	11	9th	9955209127
8	Ramawatar Prasad	Ramayan Prasad	Pardiya	24	6	12th	9304427152
9	Anat Kahar	Sankalan Kahar	Pardiya	36	12	7th	8340601556
10	Sant Kumar Pandit	Athiram Pandit	Pardiya	33	14	10th	7004053340
11	Dharmendra Pandit	Athiram Pandit	Pardiya	39	20	10th	7654634901
12	Krisan Mahto	Jangbahadur Mahto	ramsagar	54	26	5th	7461099461
13	Anil Kumar Pandit	Bhagelu Pandit	Balua	38	12	BA	9661206613
14	Nand Kishor Prasad	Kishun Prasad	Balua	52	18	5th	9955313187
15	Rameshwar Sah	Jitan Sah	Lauhar	32	12	9th	9504748524
16	Jainul Ansari	Md. Maunudin Ansari	Luar	45	15	8th	7533086058
17	Natwar Sharma	Vishwakarma Mistri	Mohanpur	54	18	10th	7352435524
18	Dharmendra Kumar Ram	Banshi Ram	Galchaur	34	12	9th	7325061548
19	Chunmun Prasad	Sushil Kumar	Galchaur	31	10	8th	7294000144
20	Sunil Kurmar Prasad	Ramji Prasad	Galchaur	36	20	12th	6202481987
21	Bishwkarma Pandit	Sipahi Pandit	Bhashula	44	22	10th	9798749478
22	Umesh Ram	Late. Basawan Ram	Galchaur	47	21	9th	8434367123
23	Krisan Kumahar	Basawan Pandit	Kapur Diyara	54	18	8th	9523575519
24	Kariya Go	Raghunath	Balua	42	18	6th	9955826162
25	Lawkush Prasad	Nandkishor Prasad	Balua	28	10	5th	9576198237
26	Rajesh Ram	Jal Ram	Galchaur	38	12	9th	7759922938
27	Rajkishor Ray	Ram Ikbal Ray	Karja	37	15	BA	9279145827
28	Surendra Ram	Ramlayak Ram	Semriya	39	16	6th	8873701443
29	Jayprakash Ram	Ranglal Ram	Babhngawa	38	14	9th	9801762068
30	Madhes Ram	Budhan Ram	Babhngawa	42	12	BA	8227876577

List of Trained Mason at Barhara Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Panchanand Singh	Chandrika Singh	Mirganj	46	10	10th	9341160422
2	Manis Kumar	Lal Babu Ray	Mirganj	28	8	8th	9304264844
3	Hiralal Yadav	Ramrekha Ray	Devrath	32	10	9th	8292730649
4	Annat Sah	Jitan Sah	Lauhar Shripal	43	8	9th	9955711332
5	Keshav Paswan	Haridyal Paswan	Tribhuwani	48	18	10th	7369082734
6	Yogendra Ram	Lakhdev Ram	Hetampur	49	15	7th	9507624999
7	Dadan Sah	Khaderan Sah	Karja	48	10	9th	6205021015
8	Shiv Kumar Rai	Ramrekha Ray	Devrath	46	20	10th	6200798699
9	Raj Kishor Kahar	Supan Kahar	Bhusola	49	20	1st	9724840531
10	Ishwar Dayal Sah	Jitan Sah	Lohar Shripal	33	5	5th	9508690959
11	Rajesh Prasad	Shiwadhar Prasad	Gajiyapur	34	4	10th	6294862127
12	Indal Pandit	Lallu Pandit	Barahara	33	8	5th	8252175258
13	Madan Ram	Ramji Ram	Ekavana	51	8	6th	8651073066
14	Dharmendra Kumar Ram	Devnarayan Ram	Ekavana	40	20	10th	9135843828
15	Umashankar Kanu	Dev Kumar Sah	Barahara	43	20	10th	9507496667
16	Md. Iliyas	Md. Sahaluddin	Gundi	38	15	8th	6202228612
17	Hareram Ray	Ramnath Ray	Parshurampur	56	30	6th	7635044952
18	Chhotelal Pandit	Guru Sarman Pandit	Barahara	39	8	8th	8578078948
19	Dhiraj Sah	Ram Vinod Sah	Bakhorapur	22	7	8th	8789644224
20	Lal Babu Sah	Madodar Sah	Alekhitola	23	3	10th	9135705889
21	Abdul Majid	Md. Mustafa	Gundi	48	18	5th	7079269017
22	Samir Kumar Yadav	Bali Ram Yadav	Khalifa Tola	28	8	10th	9798036353
23	Sikandar Pandit	Bhagwan Pandit	Matukpur	43	4	7th	8002572933
24	Akhilesh Ram	Kunbar Ram	Gajiyapur	34	10	Illiterate	9117008270
25	Chintu Ram	Umesh Kr. Ram	Barhara	26	6	10th	6299287086
26	Janardan Paswan	Dulan Paswan	Bakhorapur	43	10	10th	9162728942
27	Tuntun Mahto	Kariya Mahto	Sinhaghat	27	5	Litterate	7070219465
28	Amarnath Prasad	Jay Prakash Narayan	Parshurampur	45	25	12th	9135746597
29	Bablu Kahar	Suresh Kahar	Sinhaghat	35	10	5th	6206778270
30	Harendra Pandit	Krisna Pandit	Khawaspur	27	4	12th	8789189285

List of Trained Mason at Koilwar Block, Bhojpur							
Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.

1	Krisna Prasad	Somhru Mahto	Jamalpur	49	17	12th	9135388285
2	Md. Kalim	Md. Nasiruddin	Kajichak	63	19	10th	
3	Brijkishor Kumar	Bidhyachal Singh	Machui	31	16	8th	8507572035
4	Ashok Kumar Singh	Anirudh Singh	Machui	41	10	10th	9818506280
5	Ramendra Kumar	Bisnu Shankar Singh	Katkaira	48	19	12th	9386311886
6	Kanhaiya Ram	Pargas Ram	Barka Chanda	42	14	8th	7277326988
7	Pramod Kumar Singh	Ramgobind Singh	Katkaira	42	9	9th	8873353772
8	Chandra Bhusan Sah	Damodar Sah	Purana Haripur	56	20	12th	8651630670
9	Jitendra Saw	Ramanand Saw	Barka Chanda	30	5	5th	7492021236
10	Sushil Kumar	Ramlayak Prasad	Barka Chanda	39	17	10th	9572150732
11	Surya Kumar Gond	Bhunai Gond	Koilwar	39	15	12th	8540982976
12	Md. Jamil	Md. Nasiruddin	Kajichak	47	23	10th	8578959657
13	Dharmendra Kumar Singh	Bishnu Dyal Singh	Katkaira	32	8	7th	
14	Lal Babu Kumar	Bisnu Dyal Singh	Katkaira	34	5	10th	9798029471
15	Raj Kumar Ram	Samundar Ram	Barkachanda	40	5	BA	9801959217
16	Ravishankar Kumar	Krisna Singh	Katkaira	39	7	9th	6204296076
17	Tetar Ram	Siya Ram	Barkachanda	32	6	5th	7352881871
18	Sarwdev Ram	Bhajuram	Gachhi Tola	37	5	9th	9771548813
19	Vijay Kumar Chaudhary	Singasan Chaudhary	Suraidha Kolni	42	19	12th	8083009114
20	Ramayan Singh	Lakshman Singh	Katkaira	49	19	10th	9128936330
21	Anil Ram	Ramayan Ram	Barka Chanda	49	6	5th	7255887387
22	Sunil Kumar Ram	Nand Kumar Ram	Gandhi Tola	34	10	3rd	8864002773
23	Dharmendra Ray	Dona Ray	Sakari	34	10	3rd	8864002773
24	Om Prakash Ram	Lakshman Ram	Nakhirpur	42	16	6th	9175689917

25	Shri Ram Ram	Kishun Ram	Sakari	34	8	3rd	8271538457
26	Raju Singh	Bisnu Dyal Singh	Katkaira	42	20	7th	7296065369
27	Shiv Kumar	Munga Pandit	Pachaina	38	10	8th	7654037160
28	Subhas Chandra Bos	Ram Kripal Singh	Katkaira	36	11	8th	7870642354
29	Goralal Yadav	Digri Ray	Bhadwar Tola	27	7	5th	8434034385
30	Shyam Bihari Ram	Dewanand Ram	Kulhriya	30	9		6206759856

List of Trained Mason at Koilwar Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Vijay Yadav	Rajkishor Yadav	Rupchakiya Khangawan	33	7	Litterate	7541002829
2	Sarwanand Pandit	Ganesh Pandit	Birampur	41	20	7th	8651439877
3	Mantu Kumar	Ram Layak Prasad	Barka, Chanda Kathkaira	33	15	10th	7079320829
4	Ranjeet Pandey	Pravesh Pandey	Naya Haripur Chanda	37	9	5th	9135376838
5	Ravindra Singh	Gowrdhan Singh	Katkaira	55	20	9th	9308490721
6	Bajrangi Singh	Awadhesh Singh	Kathkaira	27	8	B.A	8409868350
7	Raj Kumar Pandit	Sudama Pandit	Birampur	40	15	9th	9973944056
8	Kirti Kumar	Kako Chaudhary	Koilwar	27	8	8th	7061925205
9	Ashok Kumar	Gopal Pandit	Birampur	38	10	9th	9135705568
10	Pawan Kumar	Ramji Paswan	Birampur	25	6	12th	9135935088
11	Manoranjan Kumar	Naresh Mehta	Narbipur	41	16	8th	9708426104
12	Ritesh Kumar Singh	Lal Babu Singh	Narbipur	32	4	5th	9507745674
13	Shyam Narayan Ray	Janak Ray	Narbipur	51	25	9th	7206670795
14	Md. Imram	Md. Abbas	Rupchakiya	41	10	9th	8979399681
15	Karan Bahadur Gond	Suresh Gond	Khangawan	28	4	5th	9142345567
16	Jitendra Kumar	Mundrika Ram	Dhandiha	39	8	Illiterate	8227051834
17	Upendra Pandit	Naresh Pandit	Birampur	28	7	8th	8271546707
18	Amit Kumar	Nathun Paswan	Kulhariya	18	2	10th	9334675136
19	Ashok Kumar Kushwaha	Ram Kumar Kushwaha	Kulhariya	37	13	9th	9097974312

20	Kamruddin	Abdul Hakim	Tapa Jalpura	55	35	Litterate	7643065314
21	Vishal Kumar	Ramji Singh	Mahui Balha	25	9	9th	9525690927
22	Munna Mahto	Kavilas Mahto	Manikpur	33	7	8th	8083568310
23	Mahavir Paswan	Jhulan Paswan	Manikpur	49	25	10th	7371043688
24	Deepak Pandey	Rameshwar Pandey	Haripur	35	6	8th	9065447654
25	Sanjay Paswan	Yamuna Paswan	Manikpur	44	18	5th	7796840964
26	Shriram Sharma	Jhulan Sharma	Jalpura Tapa	31	6	8th	7325086894
27	Rohit Kumar	Ahsok Kumar	Kulhariya	18	2	10th	9128515749
28	Dasai Ray	Angrahit Ray	Bhadwar	52	30	9th	8409410458
29	Munna Kumar	Bhagwan Mahto	Birampur	20	4	4th	7644032264
30	Bimlesh Kumar	Harishankar Mahto	Bhagwatpur	27	5	12th	7371811923

List of Trained Mason at Ara Sadar Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Shiv Shankar Yadav	Chandeshwar Yadav	Barauli	35	8	8th	8651445142
2	Brij Kishor Singh	Raghubansh Singh	Barauli	60	25	10th	7079320997
3	Triloki Nath	Gobind Singh	Jokharpur	48	6	12th	9473077475
4	Parma Ram	Algu Ram	Alipur	45	12	8th	9693975183
5	Shivlal Pandit	Ram Lakhan	Alipur	42	14	8th	8298008280
6	Randheer Singh	Ramnuj Singh	Piprahiya	32	11	8th	6205681735
7	Ramjit Ram	Chandeshwar Ram	Bela	34	5	8th	7256908595
8	Dhaneshwar Pandit	Jitbahadur Pandit	Bela	43	16	9th	9608045488
9	Bishwjit Kumar	Ram lakhan Bhagat	Ratnpur	51	10	8th	9693173806
10	Dharmendra Pandit	Sipahi Pandit	Mahuli	37	12	7th	8521667449
11	Muni Ray	Jagdish Ray	Ratnpur	40	11	8th	7870829117
12	Raj Kumar Pandit	Sipahi Pandit	Mahuli	32	8	5th	7070706933
13	Jaleshwar Ram	Ramnath Ram	Barki Sandiya	40	11	8th	8579079116
14	Surendra Ram	Sita Ram	Hematpur	43	16	12th	7079240991

15	Jay Kumar Ram	Dhudhuli Ram	Mainpur	48	15	10th	6203874282
16	Dev Mangal Das	Prayag Ram	Shrinagar	35	3	10th	9572266862
17	Banu Bin	Pralad Bin	Gorwanpur	28	4	5th	8789929862
18	Munna Ray	Kalektar Ray	Dhudhua	48	21	4th	8229004218
19	Arjun Chaudhari	Khurkhuni Chaudhary	Sarngapur	42	4	8th	9546263981
20	Shri Bhagwan Gond	Nakchedi Gond	Agarsanda	38	10	8th	6206511524
21	Bidya Shankar Yadav	Chandrama Yadav	Kadari	33	3	12th	62025155699
22	Ramladu Sah	Bishwnath Sah	Dhobha Bazar	45	18	8th	7061913981
23	Ram Ji Ram	Biraj Ram	Bhakura	48	18	5th	8083211699
24	Mohan Singh	Shivshwar Singh	Agarsanda	28	8	10th	7984087230
25	Raju Paswan	Rambhaju Paswan	Karwa	33	5	3rd	6203007662
26	Sanjay Gond	Bihari Gond	Agarsanda	30	4	8th	6203007662
27	Dinesh Ray	Arjun Ray	Jamira	34	8	6th	7369947866
28	Hareram Ram	Jaypat Ram	Agarsanda	50	20	5th	
29	Rakesh Kumar	Gopal Das	Bhakura	33	2	10th	8083306833
30	Omprakash Yadav	Shivkumar Yadav	Milki	35	5	8th	8091344725

List of Trained Mason at Ara Sadar Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Prem Kumar Ram	Naujdik Ram	Babhnauli	48	20	12th	6206065454
2	Shyam Lal	Ram Aasre	Chhotki Sanadiya	45	10	5th	9162925178
3	Shobhnath Ram	Rangila Ram	Babhnauli	51	10	9th	9135745746
4	Harendra Pandit	Lalan Pandit	Basantpur	43	22	10th	9939856361
5	Vir Bahadur Ram	Jagat Ram	Babhnauli	45	20	9th	9102448064
6	Ritesh Kumar	Premdhar Singh	Piprahiya	21	3	12th	6203949203
7	Rudal Ram	Ramdas Ram	Babhnauli	50	25	10th	8651616363
8	Sunil Gond	Lalmohar Gond	Mahakampur	26	5	10th	9294914342

9	Krisna Gond	Lalmohar Gond	Mahakampur	35	15	5th	9006657642
10	Ghanshyam Pandit	Dawarika Pandit	Ara	35	8	10th	9097929043
11	Ram Kewal Ram	Madai am	Jura Sandiya	48	15	10th	9661111047
12	Rajesh Yadav	Ramniwas Yadav	Hasanpura	50	20	Litterate	6200945083
13	Paras Nath Pandi	Sureshwar Pandi	Mahakampur Bara	54	35	9th	6200637965
14	Akil Akhtar	Md. Kalim	Daulatpur	46	10	7th	9508960268
15	Manoj Gond	Lalmohar Gond	Mahakanpur Bar	32	13	9th	7277659267
16	Ram Suhir Pandit	Ramanuj Pandit	Sarangpur	38	6	10th	9128640450
17	Pappu Kumar	Ramparas Pandit	Mahkampur Bara	25	10	12th	7250384446
18	Naradmuni	Ramanuj Ram	Sarangpur	42	10	10th	9155974163
19	Jay Prakash	Dharmdev	Chhotki Sanadiya	45	25	10th	8969777165
20	Vijay Kumar	Chhathu Ram	Babhnauli	48	16	9th	8674827382
21	Yogendra Ram	Mathura Ram	Babhnauli	42	15	6th	9117045923
22	Raju Kumar Pandit	Bhaila Lal Pandit	Sarangpur	41	7	9th	8227038846
23	Bhim Prasad	Rajendra Prasad	Pakari Ara	41	20	8th	9835021739
24	Jitendra Gond	Chulhan Gond	Bhakura	36	10	10th	7667201398
25	Ajay Kumar Pandit	Lakshman Pandit	Sarangpur	27	9	8th	8651184522
26	Radha Krisna Kumar	Chandrama Yadav	Hasanpura	28	7	B.A	8709334569
27	Munna Vishwkarma	Tulsi Sharma	Chhotki Sanadiya	32	10	B.Com	9708472165
28	Manan Gond	Lalmohar Gond	Mahkampur Bara	50	30	Illiterate	9934518205
29	Ashok Ram	Ghuran Ram	Bhel Dumara	50	20	B.A	9631642730
30	Govinda Pandit	Ramchandra Pandit	Mahkampur Bara	26	5	10th	8579067265

List of Trained Mason at Bihiya Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Lalan Ram	Nand Kr. Ram	Jamua	35	5	10th	6205410201

2	Sunil Yadav	Sudarshan Yadav	Sahodih	28	6	8th	6202799159
3	Dhamendra Ram	Nand Kr. Ram	Jamua	28	3	7th	7764940919
4	Guddu Sharma	Sihasan Sharma	Tiyar	37	6	Litterate	7488077832
5	Md. Rasid Ansari	Md Husain Ansari	Andauli	34	10	12th	6204119539
6	Suresh Ram	Jhapasi Ram	Belauna	4	20	9th	7654938916
7	Mithlesh Prasad	Ramchandra Prasad	Tiyar	33	10	10th	9955893926
8	Sadik Ansari	Ramjan Ansari	Rani Sagar	34	20	5th	7250894832
9	Aslam Ansari	Wahid Ansari	Rani Sagar	60	40	5th	9631225330
10	Hareram Gond	Baban Gond	Ram Lagan lal ke tola	29	5	5th	8521109837
11	Kripa Shankar Singh	Shrinath Singh	Tetriya	39	18	10th	8873891700
12	Munna Prasad	Bikram Ram	Belauna	31	6	9th	9199976183
13	Ramadhar Prasad	Shipaswan Prasad	Dhadha	55	30	10th	7367060234
14	Surendra Kumar	Sarju	Dhadha	35	10	8th	6202652437
15	Ramdev Yadav	Anant Yadav	Amiya	47	15	10th	7763914568
16	Islam Khan	Inamul Khan	Rani Sagar	54	30	Illiterate	8804578398
17	Kiran Kr. Ambedkar	Gopal Ram	Kalyanpur	28	7	12th	7488197161
18	Raman Kr. Bin	Bikau Bin	Kalyanpur	40	10	9th	74820151490
19	Sahid	Hafij	Beheya	48	20	5th	8409788424
20	Ramdyal Paswan	Late. Bhuar Paswan	Kamariawan	45	18	BA	7564056015
21	Shiv Kumar Ram	Ramkrit Ram	Kamriyaw	40	15	9th	9576311241
22	Bhola Prasad	Shivjanam Ram	Belauna	36	6	7th	9262602750
23	Abhimanyu Prasad	Jagdish Ram	Belauna	42	15	10	6200118135
24	Satendra Kr. Singh	Shrinath Singh	Tetriya	30	12	8th	8083980982
25	Niranjan Ray	Rajaram Ray	Nausetai Mathiya	29	13	5th	7480041577
26	Satrudhan Ray	Doctor Ray	Naushatai Mathiya	39	10	6th	9534640018
27	Jitenra Sharma	Lalit Sharma	Tiyar	36	10	5th	8873896592
28	Raj Kumar Sharma	Kesho Sharma	Tiyar	39	8	9th	6202402165

29	Rajeshwar Yadav	Dhuman Yadav	Beheya	34	5	3rd	9507918809

List of Trained Mason at Bihiyan Block, Bhojpur							
Sr.No.	**Name of Mason (Shri/Md.)**	**Father's Name (Shri/Md.)**	**Name of Village**	**Age**	**Experience**	**Qualification**	**Mobile No.**
1	Gopal Yadav	Bangali Yadav	Sadasi Tola	63	30	10th	9572722138
2	Indrajeet Kumar	Manikchandra Prasad	Jaj Bazar Bihiya	52	30	12th	7079481330
3	Majhar Khan	Manan Khan	Rani Sagar	36	12	Litterate	9708561813
4	Mohmmad Amjad Khan	Mohmmad Tahir Khan	Bagahi	34	12	10th	9525146401
5	Ram Babu Yadav	Rajnath Yadav	Banahi	38	10	10th	9472121046
6	Ram Narayan Bin	Sidhnath Bin	Kaleyapur	50	20	5th	6202673471
7	Shribhagwan	Shrabha Paswan	Moti Rampur	33	10	5th	9576161993
8	Md. Jamaluddin	Md. Halim Khan	Bagahi	42	15	8th	6209541377
9	Md. Imtiyaj Khan	Md. Ibrahim Khan	Bagahi	31	7	Litterate	9334524427
10	Arbind Kumar Singh	Ram Dular Singh	Kharauni	28	3	10th	8581858493
11	Baliram Ram	Rampyar Ram	Anar	50	20	Litterate	7563926961
12	Mukesh Kr. Ram	Gulab Ram	Anar	33	8	10th	8294248443
13	Raju Singh	Lakshman Singh	Sadasi Tola	39	15	Illiterate	9354054385
14	Rajendra Ram	Ishwar Dyal Ram	Kharauni	30	5	12th	7033833208
15	Parambir Kumar Ram	Baharudal Ram	Anar	31	6	12th	7739903327
16	Mahesh Kumar Paswan	Suresh Paswan	Kharauni	35	3	Litterate	7463935300
17	Samiulla Khan	Jumman Khan	Ranisagar	37	10	8th	7209383826
18	Harendra Shah	Gulabbachan Shah	Bhadsara	39	15	7th	7371929704
19	Jitendra Kumar	Manikchand Prasad	Jaj Bihiya	31	5	9th	8709581645
20	Ajay Kumar Sharma	Shiv Shankar Sharma	Kaleaa	30	10	12th	7766041062
21	Sona Lal Pandit	Shivji Kumhar Pandit	Jaj Bhasra	50	20	9th	9939599950
22	Mahmud Shah	Sahbub Shah	Bagahi	43	5	9th	8651261321
23	Raj Grihi Sah	Jora Sah	Bharsara	64	30	5th	9507217680

24	Kameshwar Paswan	Sarbha Paswan	Moti Rampur	22	3	12th	9798123324
25	Kesoram	Raja Ram	Kuardah	48	12	8th	8434413869
26	Dhanman Shah	Shiv Shankar Shah	Bharsada Mangit	63	25	9th	8521872632
27	Vikash Kumar Gond	Sohan Gond	Kharauni	22	3	8th	9262603521
28	Irfan Khan	Sultan Khan	Bagahi	30	6	5th	7903886827
29	Dhannajay Pandit	Mahendra Pandit	Jaj Bharsara	26	5	3rd	6504762923
30	Dharmendra Kumar Pandit	Ramnarayan Pandit	Jaj Bhadsara	23	5	12th	9265604352

List of Trained Mason at Jagdishpur Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Bhikhari Sah	Nathuni Sah	Deorar	44	18	8th	8809065624
2	Bindeshwari Prasad	Ramdas Singh	Kakila	68	30	9th	9546438536
3	Amresh Kishor Singh	Rampulis	Kahen	36	18	8th	9631668156
4	Sitaram Sharma	Late. Butan Sharma	Kakila	41	14	BA	7070883035
5	Hareram Singh	Yamuna Singh	Bimanwa	48	20	7th	8987229479
6	Birendra Singh	Ram Ishwar	Kitapur	40	15	8th	9572684246
7	Awadesh Sinhg	Ram Ayodhaya Singh	Shripur	46	10	8th	9572269117
8	Ramashankar Ram	Late. Guru Prasad Ram	Diul	40	10	8th	
9	Doraga Ram	Radha Ram	Shripur	46	10	12th	9507957567
10	Samat Ram	Gorakh Ram	Diul	47	15	8th	8229056734
11	Resmi Ram	Lakshman Ram	Diul	54	10	Illiterate	9651806348
12	Ramesh Kumar Pandit	Sipahi Pandit	Diul	29	5	9th	9234005662
13	Jitendra Kr. Ram	Bhagawan Ram	Bashiyaw	30	5	10th	7488325507
14	Kalamuddin Ansari	Kadam Husain	Kakila	44	10	8th	7319618616
15	Nagendra Prasad	Ramnath Prasad	Kakila	46	10	5th	7542016706
16	Fajul Mobin	Abdul Satat	Kakila	65	20	5th	9708059462
17	Asalam Ali	Late. Kadir Das	Kakila	37	9	8th	9006482455
18	Sonu Kr. Ram	Lal Babu Ram	Shripur	32	5	5th	9506830662
19	Mahjid Ansari	Nanku Miya	Bhadasara	36	8	5th	9661882655

20	Budhan Kumar	Ram Raj Prasad	Pipara	39	3	8th	8002803892
21	Subhas Kr. Singh	Ram Sihasan Singh	Ramdas	35	8	8th	6205066344
22	Anat Ram	Doman Ram	Diul	38	15	5th	7653859084
23	Jiut Singh	Harivishun Singh	Basauna	46	15	5th	9955293338
24	Bindhyachal Chaudhary	Jagdish Chaudhary	High School	28	5	10th	6206253373
25	Bishram Sah	Brij Bihari Sah	Deorar	36	3	5th	9155943342
26	Wakil Ram	Jagjiwan Ram	Ramdas	39	15	5th	6205145425
27	Suresh Kr. Singh	Shrinath Singh	Tendua	36	10	5th	7484869471
28	Rajesh Kr. Pandit	Krisna Pandit	Kahen	31	5	10th	6203793168
29	Ramesh Prasad	Bandali Prasad	Kalil	41	10	5th	6203506911

List of Trained Mason at Jagdishpur Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Umesh Kumar Singh	Ramsubit Singh	Tenduni	46	15	10th	8084470017
2	Satanarayan Singh	Shriram Singh	Mahdeva	55	30	Illiterate	9523050054
3	Mohan Singh	Ram Bihari Singh	Tenduni	36	10	7th	9576703334
4	Bir Bahadur Singh	Birendra Singh	Tenduni	30	5	8th	6206280696
5	Md. Daud Hak Ahmad	Late. Md Ali Gyan	Bharsara Kokila	38	8	10th	9572048064
6	Anwar Khan	Rasid Khan	Chakwan	58	20	5th	9525976112
7	Meghnath Paswan	Chhaviya Ram	Digha Chakwa	60	35	Illiterate	9576853274
8	Siya Ram Ram	Khedan Ram	Devrarh	42	6	Illiterate	9117096703
9	Dhanesh Ram	Motilal Ram	Tenduni	44	15	8th	9572280866
10	Rajesh Kumar Paswan	Late. Sabbu Nath Ram	Digha	36	3	8th	7564826616
11	Raju Paswan	Bharat Paswan	Digha	35	3	10th	7079252637
12	Harikisun Ram	Matilal am	Tenduni	58	35	Illiterate	9199273509
13	Gulab Chandra Singh	Ram Das Singh	Dumaraw Tola	50	10	7th	8294208319
14	Manjhi Ram	Shivchand Ram	Masurhi	45	15	8th	8809587726
15	Nipu Kumar Ram	Gorakh Ram	Bimawan Ke Mathiya	27	8	10th	8873187459
16	Dinesh Kumar	Indradev Ram	Teduni	22	3	10th	8987021642

17	Ramji Singh	Shyam Bihari Singh	Saraiya Tola	38	10	10th	9472232782
18	Ramesh Ram	Motilal Ram	Teduni	48	10	9th	8757689441
19	Ram Eswar Singh	Late. Rangila Singh	Ramdas Tola	40	3	5th	8804378576
20	Pramod Kumar Singh	Keshaw Prasad Singh	Harnahi	36	6	10th	7050762305
21	Shivji Sah	Rajendra Sah	Teduni	27	3	8th	9950734952
22	Sukesh Kumar Singh	Shrinath Singh	Sangam Tola	40	12	7th	6200627342
23	Dasrath Sah	Ramsubhag Sah	Devorar	55	10	8th	9771943168
24	Chhotelal Thakur	Sudarshan Thakur	Tenduni	31	8	2nd	9507323965
25	Shakti Nath Pandit	Ramdhari Pandit	Tulsi Nawada	26	7	1st	7782882773
26	Gaurishankar Ram	Late. Ramnagin Ram	Bimwan	56	16	B.A	7654600869
27	Nand Ji Ram	Ramchandra Ram	Masurahi	46	15	8th	9693856149
28	Raju	Radha Prasad	Kahathu	48	3	8th	9798736170
29	Upendra Kumar	Nand Ji Ram	Masaurhi	30	5	7th	7827161950
30	Raju Ram	Shrinawash Ram	Sanvarsa	29	5	7th	6206963591

List of Trained Mason at Shahpur Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Munshi Ram	Ram Belas Ram	Damoharpur	42	18	9th	7352035394
2	Lalan Kamkar	Dadan Kamkar	Suhiya	58	20	9th	9162554790
3	Birenda Ram	Shivdular Ram	Gareyan	43	20	10th	8521331304
4	Pawan Kumar	Lalmohar Ram	Gareyan	45	15	10th	8521331304
5	Ramun Prasad	Lalmohar Tatwa	Gatpur	30	10	5th	9525542116
6	Indrajeet Ram	Wishun Chandra Ram	Horil Chhapra	45	20	9th	9934336577
7	Samun Prasad	Lalmohar Tatwa	Dharmangatpur	35	8	5th	8809006064
8	Munna Gond	Daroga Gond	Bharauli	35	8	5th	7352483502
9	Dhurendra Paswan	Bhola Paswan	Belauri	58	25	5th	76543081235
10	Yamuna Paswan	Karima Paswan	Belauri	59	17	Illiterate	7903211750
11	Ramlila Pandit	Narayan Pandit	Semariya	48	25	9th	9006204548

12	Jayram Paswan	Dhanraj Paswan	Jhauwan	47	20	9th	9334879121
13	Ramashankar Paswan	Madan Ram	Jhauwan	45	20	9th	7564064190
14	Sunil Paswan	Jhulan Paswan	Jhauwan	32	10	10th	8651909405
15	Hiralal Prasad	Shrinath Prasad	Shahpur	54	25	5th	8525208100
16	Lalan Paswan	Nirmal Paswan	Suhiya	40	10	5th	8999213822
17	Hareram Paswan	Ramayan Paswan	Abtana	43	20	8th	8825192381
18	Ashok Kr. Yadav	Ramap Yadav	Abrana	44	15	9th	7764026456
19	Sohit Yadav	Rampukar Yadav	Awrana	42	12	Illiterate	
20	Shriram Pandit	Hareram Pandit	Bharauli	32	7	10th	7325053213
21	Anil Kr. Ram	Sral Ram	Horil Chhapra	43	10	9th	9631741866
22	Nageshwar Ram	Khalifa Ram	Bimari	46	20	BA	9939299219
23	Hira Lal Prasad	Ram Ashis Prasad	Bimari	46	23	9th	8252063437
24	Ram Ji Gond	Sitaram Gond	Jhauwan	37	18	10th	7542049369
25	Sanjay Ram	Bhola Ram	Bimari	45	13	8th	8873995358
26	Surendra Paswan	Raj Narayan Paswan	Dhawari	38	6	9th	7050786417
27	Kanhaiya Yadav	Ram Anesa Yadav	Dewainchkundi	30	4	10th	7322052818

List of Trained Mason at Shahpur Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Manbodh Kumhar	Nandji Kumhar	Karnamepur	42	10	Litterate	9525619761
2	Nand Lal Paswan	Bhaju Paswan	Damodarpur	46	17	9th	8651539161
3	Gopal Prasad	Umashankar Prasad	Sarna	36	10	Illiterate	9798335859
4	Madan Kumar Ram	Sakhichand Ram	Barisawan	27	8	12th	8873930171
5	Chhotu Kumar	Ramdas Chaudhary	Bharauli	20	3	8th	6200359214
6	Kanhaiya Gond	Kapil Gond	Gaura	46	10	7th	8228834671
7	Jitnarayan Gond	Paras Gond	Gaura	52	35	Illiterate	6209163937
8	Sugriv Prasad	Ramjag Prasad	Semriya Patti Oksha	34	20	8th	8294731778
9	Baban Ram	Godhan Ram	Bhasaha	35	10	5th	6207264221

10	Ram Kishor Ram	Vishwdev Ram	Bhaisaha	40	15	8th	7700814959
11	Umashankar Gond	Kapil Gond	Gaura	59	22	Illiterate	8873310161
12	Wakil Ram	Dharichhan Ram	Damodarpur	42	11	8th	9148954244
13	Radheshyam Gond	Baikunth Gond	Gaura	37	10	Illiterate	8825297626
14	Mohan Gond	Ram Ikbal Gond	Bharauli	33	12	9th	6201950542
15	Rameshwar Chaudhary	Munshi Chaudhary	Horil Chhapara	50	25	8th	7443074136
16	Sanjay Ram	Kisun Ram	Pipra	39	10	10th	6204082602
17	Ramashankar Singh	Lalmi Singh	Shahpur	39	12	8th	7903367189
18	Devnarayan Pandit	Keshav Pandit	Pandepur	38	14	9th	9525121438
19	Bijendra Mahto	Ramayan Mahto	Lilari	40	3	8th	9304012803
20	Mohan Kumar	Ramham Chaudhary	Bharauli	41	4	10th	9708753605
21	Subas Ray	Birada Ray	Purusotampur	44	8	8th	6388396863
22	Vishvjeet Kumar	Shripati Kumar	Karnamepur	39	7	10th	9525848545
23	Santosh Ram	Ram Vilas Ram	Damodarpur	40	4	Litterate	7493847118
24	Godhan Pandit	Dhura Kumhar	Pandeypur	23	4	12th	9142664176
25	Binod Ram	Nandji Ram	Damodarpur	40	6	8th	8651293561
26	Nagendra Mahto	Ramayan Mahto	Lilari Sahjauli	35	14	8th	8102190072
27	Surendra Ram	Nathuni Ram	Bhaisaha	51	10	10th	7547088934

List of Trained Mason at Garhani Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Anil Ram	Shivbachan Baitha	Kurkuri	27	7	10th	9576707210
2	Bindeshwar Pandit	Baiju Pandit	Kurkuri	41	5	10th	9135262517
3	Saroj Sah	Shivji Sah	Tenduni	44	15	9th	9572567837
4	Ram Bharosa Ram	Late. Chandradeep Ram	Ikahari	51	15	10th	6201934250
5	Ramnath Ram	Wishwnath Ram	Ichari	47	17	8th	7295847456
6	Pravin Ram	Parshuram Paswan	Barki Tenduni	34	10	5th	7739638472
7	Kush Ji	Budhu Ram	Kurkuri	45	17	12th	9507912710

8	Bijendra Prasad	Late. Jodhan Prasad	Bagawan	67	15	10th	7654749603
9	Yogendra Ram	Rajdev Ram	Bagawan	56	22	9th	9525989951
10	Daharu Kumar	Late. Saryu Prasad	Bagawan	32	6	8th	7488798016
11	Rajesh Ram	Shiv Kumar Ram	Kaup	33	5	8th	9875409228
12	Manoj Kumar	Ayodhaya Ram	Dayal Chhapara	38	6	5th	9162074423
13	Yunush Miya	Kaimuddin Miya	Kaup	47	9	10th	7091937177
14	Gulmohamad Ansari	Md. Samsul Hak	Pathar	48	20	9th	8809905545
15	Dudhesh Singh	Late. Sipahi Singh	Pipra	42	15	8th	8651413954
16	Rajesh Ram	Lutau Ram	Chandi	37	15	10th	7762926056
17	Shambhu Ram	Ram Pati Ram	Chandi	49	20	10th	7759926297
18	Birendra Tato	Indradev Tato	Bali Gawan	43	19	10th	9955816307
19	Umesh Kahar	Ram Pravesh Kahar	Bali Gawan	40	19	5th	9955789257
20	Lal Babu Pandit	Ram Ayodhaya Pandit	Bali Gawan	51	15	9th	8651340016
21	Mahesh Paswan	Triloki Paswan	Barawa	29	10	10th	9934127684
22	Satendra Sharma	Janeshwar Sharma	Bali Gawan	35	10	8th	7549661294
23	Jay Ram	Dev Pujan Ram	Bali Gawan	45	10	10th	8581962098
24	Ram Sah	Bihari Sah	Dhamniya	43	25	10th	7319961018
25	Baijnath Ram	Amaush Ram	Bali Gawan	40	10	4th	8578858421
26	Shankar Paswan	Prasuram Paswan	Barki Tenduni	25	5	8th	6207106613
27	Raj Kumar Sah	Jamuna Sah	Barki Tenduni	38	7	9th	8757087166
28	Anil Kr. Ram	Yogendra Prasad	Barawa	36	4	B.Sc	9525989951

List of Trained Mason at Garhani Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Sunil Ram	Ramashray Ram	Mukundarpur	34	14	Illiterate	6200684096
2	Umesh Ram	Baban Ram	Mukundarpur	29	9	Litterate	9523209190
3	Bhola Singh	Yogendra Singh	Bagwa	33	6	Illiterate	7494068252
4	Vinay Kumar	Ramgatha Paswan	Chandi	28	5	B.A	9708392084

5	Vijay Ram	Chandeshwar Ram	Barki Tenduni	34	7	5th	9905403167
6	Dharmendra Ram	Shankar Dyal Ram	Parariya	28	5	10th	9304331704
7	Samim Ansari	Rahmanddin Ansari	Lal Ganj	32	10	9th	9128403014
8	Vikesh Ram	Vishwnath Ram	Chandi	39	10	8th	6204282805
9	Awdhanarayan Ram	Suryanath Ram	Kurkuri	53	20	B.A	8317714883
10	Akhilesh Giri	Ramadhar Giri	Lalganj	31	10	8th	7061072508
11	Kamata Paswan	Brij Paswan	Lalganj	49	20	6th	8766393577
12	Dev Kumar Ram	Niwas Ram	Kurkuri	38	5	9th	9798039204
13	Saroj Paswan	Ganesh Paswan	Garhani	37	4	9th	6201423915
14	Jagdamba Ram	Manik Chandra Ram	Garhani	46	20	9th	7667657848
15	Jahid Ali	Mahmud Ali	Garhani	41	10	9th	6203718240
16	Suresh Ram	Shivjanam Ram	Garhani	51	8	9th	8541887163
17	Arvind Ram	Chandrama Ram	Kurkuri	49	8	9th	7739924403
18	Upendra Ram	Naryan Ram	Dayal Chhapara	36	8	8th	9142339918
19	Dharichhan Ram	Baleshwar Ram	Bagwa	38	10	6th	7079516766
20	Ashnarayan Ram	Basant Ram	Chandi	37	9	7th	9334500234
21	Sanjay Kumar Ram	Indradev Ram	Parariya	40	10	10th	7479525210
22	Sidhant Kashyap	Gulab Ram	Bagwa	26	5	12th	9234529565
23	Chandeshwar Ram	Prayag Ram	Dayal Chhapara	37	15	7th	8210152195
24	Mukesh Ram	Bisun Ram	Parariya	29	4	12th	7079125434
25	Surendra Ram	Kesho Ram	Barki Tenduni	38	9	9th	6201429833
26	Jitendra Paswan	Pashuram Paswan	Barki Tenduni	32	8	4th	9572355668
27	Lal Babu Ram	Jageshwar Ram	Sikariya	47	8	12th	7273823484
28	Raj Kumar Ram	Lalan Ram	Deyal Chhapara	40	8	8th	8084903726
29	Sushil Parsad	Saryu Prasad	Bagwa	34	4	Illiterate	8797099507

List of Trained Mason at Charpokhari Block, Bhojpur							
Sr.No.	**Name of Mason (Shri/Md.)**	**Father's Name (Shri/Md.)**	**Name of Village**	**Age**	**Experience**	**Qualification**	**Mobile No.**

1	Uma Chaudhary	Chandeshwar Chaudhary	Bagahi Tola	49	12	8th	7479655499
2	Shah Mohmad	Md. Juman	Bhaluana	43	15	BA	9525912787
3	Ajay Paswan	Late. Baju Paswan	Basharh Tola	29	5	9th	9608942117
4	Nand Kishor Ram	Chandrika Ram	Kasmariyan	45	4	10th	6209576714
5	Vinod Ram	Ram Niwas Ram	Kasmariyan	35	5	9th	96088942117
6	Chhotai Ram	Bhadai Ram	Barhara	42	12	4th	8804384396
7	Hareram Prajapati	Bhaikhari Pandit	Mukundpur	31	10	10th	9576383918
8	Majhar Ansari	Naim Ansari	Mukundpur	36	10	10th	9576383918
9	Bhikhari Pandi	Sigasan Pandit	Mukundpur	55	20	10th	9631253796
10	Dayanand Ram		Madardhi	45	20	2nd	8651959187
11	Md. Sabul Khan	Md. Taiyab Khan	Morja	36	10	Illiterate	9102586287
12	Kaigres Ram	Neur Ram	Baidekori	59	20	Illiterate	
13	Manoj Kumar Chaudhary	Shamrup Chaudhary	Kathrai	40	12	9th	7324985249
14	Raju Paswan	Jay Ram Paswan	Bararh Tola	28	10	8th	9955366135
15	Triloki Ram	Bhagwan Ram	Baidekori	36	9	9th	8102959561
16	Nesar Ahmad	Hafij Ansari	Baidekori	47	20	9th	9661397629
17	Ranjan Thakur	Sarju Thakur	Koyal	42	5	7th	9102435602
18	Dhirendra Kumar	Haridwar Prasad	Barni	34	10	7th	9693734366
19	Sanoj Chaudhary	Ramrup Chaudhary	Katrai	36	15	6th	6299373030
20	Om Praksash Ram	Bahadur Ram	Sonbarsa	34	5	8th	7632945215
21	Chhotan Sharma	Ayodhaya Sharma	Podeydih	40	12	8th	8757626679
22	Jay Prakash Ram	Gangadyal Ram	Sonbarsa	33	10	12th	7492939791
23	Teju kumar Rajak	Butai Rajak	Pandeydih	25	8	12th	9060848356
24	Dhanchand Ram	Bindeshwar Ram	Bhaluana	26	5	B.A	7488075008
25	Ashok Kumar Keshari	Baidhnath Prasad Keshari	Chanauti	32	4	10th	9135159443
26	Kamlesh Kumar	Ram Bachan Ram	Bajen	31	6	10th	7250022441
27	Manoj Kumar Ram	Dukhadewan Ram	Bhaluana	50	16	9th	7463861787
28	Ram Kumar Ram	Dashrath	Bhaluana	37	9	Illiterate	8873434931

29	Om Prakash Sharma	Jagaranath Sharma	Pandeydih	42	15	10th	8969137044
30	Santosh Ram	Gopichand Ram	Majhiyawan	31	7	7th	8210553174

List of Trained Mason at Charpokhari Block, Bhojpur							
Sr.No.	**Name of Mason (Shri/Md.)**	**Father's Name (Shri/Md.)**	**Name of Village**	**Age**	**Experience**	**Qualification**	**Mobile No.**
1	Shiv Shankar Ram	Late. Duli Ram	Baidekori	38	15	12th	6203047621
2	Kamlesh Kumar Singh	Radheshyam Singh	Baidekori	32	3	12th	8084032298
3	Amrendra Kumar	Mahendra Singh	Baidekori	33	7	9th	8084032059
4	Shivchand Kumar Ram	Suresh Ram	Bhalauna	28	5	9th	7493956321
5	Uday Kumar Sharma	Haridya Nand Sharma	Barath	51	20	12th	8252464492
6	Md. Mustak Alam	Md. Asik	Bhaluaana	42	17	10th	7654810236
7	Md. Gaushul Ajam	Md. Jalaludin	Bhaluaana	39	20	10th	8102283519
8	Jitendra Sharma	Jagarnath Sharma	Panare Dih	40	6	9th	9939571701
9	Madan Sharma	Rambachan Sharma	Barar	46	20	8th	9931446428
10	Lavkush Mahto	Mahraj Singh	Babubandh	21	5	8th	7319999270
11	Indal Chaudhary	Bhuwneshwar Chaudhary	Amoraja	37	10	7th	9508294310
12	Santosh Pandit	Vishwnath Pandit	Charpokhari	26	8	10th	9304746855
13	Shyam Sundar Chaudhary	Jay Chand Chaudhary	Kathrai	34	12	9th	9905052780
14	Awdhesh Sharma	Dindyal Sharma	Pandedih	50	25	9th	8809646331
15	Kaimuddin Ansari	Muradan Miyan	Kathrai	45	10	9th	9939807999
16	Subhas Bhagat	Lalan Bhagat	Barhara	26	9	9th	6205043419
17	Mithilesh Kumar Singh	Ragheshyam Singh	Baidekori	37	1	M.A	7091139102
18	Aditya Ram	Ramjeet Ram	Bhaluaana	35	15	12th	6204396289
19	Ram Lakhan Prasad	Gulab Chand Ram	Kathrai	40	25	7th	9905821809
20	Sipahi Ram	Thorha Ram	Kathrai	45	18	9th	7488057044
21	Anil Kumar Singh	Sohrai Singh	Baidekori	40	10	7th	8102574619
22	Md. Indu	Naurun Miyan	Bhaluaana	50	25	4th	8252066191

23	Shambhu Nath Singh	Jagbali Singh	Madai	54	25	7th	7654213845
24	Dinesh Ram	Ram Niwas Ram	Kathrai	45	20	9th	6201120802
25	Munna Pandit	Radha Pandit	Koyal	45	14	9th	6202439780
26	Pritam Kumar Ram	Jhagaru Ram	Kathrai	35	14	7th	9031964866
27	Jagarnath Ram	Ramaashre Ram	Lilari	55	20	11th	7634929844
28	Manoranjan Sharma	Shiv Kumar Sharma	Pasaur	26	6	B.A	8298939807
29	Rakesh Kumar Ram	Suresh Ram	Bhaluaana	25	5	B.A	7322948098
30	Ram Pravesh Pandit	Ugan Pandit	Dhanauti	35	15	10th	9661181223

List of Trained Mason at Udwant Nagar Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Rajendra Ram	Lal Mohan Ram	Bampali	37	14	10th	9576320291
2	Ravindra Ram	Jagmohan Ram	Bampali	35	12	10th	6205717669
3	Ram Ishwar Ram	Shivdayal Ram	Nawada Ben	44	15	8th	7667323963
4	Kameshwar Kr. Ram	Sanesh Ram	Nawada Ben	45	10	5th	7700879389
5	Deelip Kumar	Dashrath Pandit	Asani	32	13	8th	6203393837
6	Arun Pandit	Daroga Pandit	Asani	49	26	12th	6205889217
7	Deepak Kumar Chaudhary	Late. Kashi Nath Chaudhary	Jaitpur Ka Mathiya	29	10	10th	9135375269
8	Manoj Kumar	Bhanu Mallah	Udwantnagar	30	10	Illiterate	9135579546
9	Pintu Sah	Rajendra Shah	Sarthua	27	3	4th	8002214203
10	Awadhesh Prasad	Bhola Prasad	Kasap	42	15	10th	8102062044
11	Majid Ansari	Saudagar Ansari	Sarthua	38	15	5th	8651361018
12	Santosh Kumar Ram	Lalmuni Ram	Iraura	34	15	10th	8002372460
13	Pramod Kr Keshari	Sonalal Kesari	Kasap	33	15	7th	9128197015
14	Bharosa Paswan	Ramji Ram	Iraura	34	16	7th	9006253772
15	Lagandev Ram	Shiv Narayan Ram	Udwantnagar	45	16	10th	8935970435
16	Anand Kumar	Dinanath Ram	Sewgar	26	3	8th	62030739670
17	Ranjan Kumar	Jalim Paswan	Sewgar	26	4	10th	6202952815
18	Dadan Ram	Ramnath Ram	Saraiya	49	14	5th	8651906146
19	Sant Lal	Surendra Prasad	Chhota Sasram	18	2	10th	9576994686
20	Lalan Pandit	Sirija Pandit	Dakshin Ikona	50	22	10th	7250998128

21	Basant Lal	Surendra Prasad	Chhota Sasaram	18	2	10th	9576994686
22	Nirmal Ram	Ramnath Ram	Chhota Sasaram	21	2	BA	9122902541
23	Dhananjay Singh	Agranarayan Singh	Sonpura	28	10	9th	8227076432
24	Tej Narayan Pandit	Chhathu Pandit	Sonpura	35	14	9th	6205526660
25	Shivmuni Ram	Nathuni Ram	Bakari	28	10	9th	7492850315
26	Debrat Ram	Rasila Ram	Bakari	33	5	6th	7257881861
27	Sunil Kumar Ram	Chhedi Ram	Khalisa	48	7	5th	9016143106
28	Doman Ram	Baijnath Ram	Khalisa	34	5	4th	8651585196
29	Kali Dev	Bajrangi Yadav	Kasap	37	9	Illiterate	6203278732
30	Jitendra Kumar	Shri Ram	Chhota Sasaram	46	24	10th	8825390018

List of Trained Mason at Udwant Nagar Block, Bhojpur

Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Father's Name (Shri/Md.)	Name of Village	Age	Experience	Qualification	Mobile No.
1	Md. Munna	Badan Miyan	Saryuaa	38	10	Illiterate	6209164564
2	Abas Miyan	Yasin Miyan	Saryuaa	40	17	12th	6209132360
3	Fagu Singh	Mundrika Singh	Gorhana	54	12	Illiterate	9199910026
4	Jayhind Kumar	Vindhachal Paswan	Kusma	32	7	8th	9507326237
5	Jay Bahadur Singh	Sarwanand Singh	Sewgar	40	8	8th	9534090026
6	Ranjay Kumar	Shardanand Ram	Bajruhan	31	2	10th	9334768979
7	Mahesh Ram	Ramdayal Ram	Masar	55	30	10th	8294076707
8	Vijay Kumar	Ramayan Ram	Sonpura	33	13	M.A	7061537728
9	Jayram Prasad	Ramayodhya Ram	Sonpura	46	9	9th	9798923518
10	Surendra Chaudhary	Dinanath Chaudhary	Masarh	60	35	8th	7352269638
11	Lalu Chaudhary	Budh Nath Chaudhary	Gorhana	50	30	Illiterate	7061399001
12	Ajeet Kumar	Ramtapsya Ram	Bajruhan	25	3	8th	7254967076
13	Indramohan Chaudhary	Krisna Mistri	Gorhana	56	20	7th	7858096445
14	Lavkush Kumar	Sanjay Prasad	Kasap	21	4	12th	6200958330
15	Chhotan Ram	Gama Ram	Idaura	38	10	8th	6209472027
16	Uma Ram	Bhikhari Ram	Udawant Nagar	45	25	Illiterate	9771304749
17	Ramlekhalawan Singh	Raja Ram Singh	Mahatwaniya	51	25	9th	9939054043
18	Dinej Kumar	Shankar Singh	Kasap	38	13	10th	7254991413

	Singh						
19	Bikram Singh	Shivji Singh	Mahatwaniya	35	5	10th	9525014144
20	Dharmendra Ram	Somaru Ram	Sewgar	35	13	10th	9608804105
21	Ravindra Ram	Saheb Ram	Idaura	35	6	Illiterate	9798228738
22	Ashok Chaudhary	Doman Chaudhary	Dakshin Ikauna	32	5	9th	7352375307
23	Sonu Kumar	Tejnarayan Pandit	Sonpura	18	5	10th	9608353587
24	Muneshwar Ram	Rajendra Ram	Bajruhan	34	6	7th	6209039146
25	Satyendra Kr. Pandit	Jagarnath Pandit	Sewgar	36	7		8228872148
26	Dharmendra Kumar	Ramgahan Ram	Piyniya	35	8	10th	7544098431
27	Harendra Prasad	Hiraman Prasad	Birampur	48	16	B.A	9708992881
28	Sadesh Kumar	Nanhak Ram	Sonpura	40	7	9th	7323905809
Note:- Total 820 Trained Mason							

अनुलग्नक:— 02

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

"सुरक्षित तैराकी (Safe Swim)" मास्टर ट्रेनर्स सातवां बैच (पुरूष) का प्रशिक्षण

जिला—भोजपुर (शाहपुर एवं बड़हरा)

स्थान—NINI, गायघाट, पटना, दिनांक—25.11.2019 से 03.12.2019

मास्टर ट्रेनर्स की सूची

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	गाँव/पता	ब्लॉक	मोबाईल नं0
1	श्री सोनू कुमार ठाकुर	श्री सुदर्शन ठाकुर	दामोदरपुर	शाहपुर	9631819078
2	श्री कृष्णा चौधरी	श्री सुमेश्वर चौधरी	दामोदरपुर	शाहपुर	9931442113
3	श्री रंजीत कुमार राम	श्री बाबूलाल राम	दामोदरपुर	शाहपुर	7717751947
4	श्री संजय कुमार राम	श्री लालमोहर राम	दामोदरपुर	शाहपुर	7004498188
5	श्री धर्मेन्द्र कुमार राम	श्री भगवान राम	दामोदरपुर	शाहपुर	7562952636
6	श्री राहुल कुमार राय	श्री रविन्द्र राय	दामोदरपुर	शाहपुर	7857869780
7	श्री प्रेम पाल गुप्ता	श्री बिनोद साह	दामोदरपुर	शाहपुर	6202706528
8	श्री इन्द्रजीत यादव	स्व0 सत्यनारायण यादव	रामडिहरा	शाहपुर	7372054770
9	श्री प्रवीण यादव	श्री दशरथ यादव	रामडिहरा	शाहपुर	8210649037
10	श्री धर्मेन्द्र यादव	स्व0 अभिराम यादव	रामडिहरा	शाहपुर	8210649037
11	श्री संजीत यादव	श्री बबन यादव	रामडिहरा	शाहपुर	8651754074

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	गाँव/पता	ब्लॉक	मोबाईल नं0
12	श्री जयराम यादव	श्री जवाहिर यादव	बेनवलिया	शाहपुर	9903558796
13	श्री कुमार जी सिंह	श्री गजेन्द्र सिंह	बेनवलिया	शाहपुर	9113115033
14	श्री मोहित कुमार सिंह	श्री गजेन्द्र नारायण सिंह	बेनवलिया	शाहपुर	9771888298
15	श्री बिर बहादुर कुमार यादव	श्री प्रभु यादव	बेनवलिया	शाहपुर	9576461210
16	श्री विष्णु कुमार यादव	श्री राजदेव यादव	बखोरापुर	बड़हरा	6202328479
17	श्री मन्नु कुमार प्रसाद	श्री मदन प्रसाद	बखोरापुर	बड़हरा	9334481529
18	श्री लगन यादव	श्री धनु यादव	बखोरापुर	बड़हरा	6206158397
19	श्री सतेन्द्र यादव	श्री जवाहीर यादव	बखोरापुर	बड़हरा	9525504852

23/01/2020

तैराकी प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागी की सूची

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	गाँव/पता	ब्लॉक	मोबाईल नं0
1	श्री रोहन सिंह	श्री सतेन्द्र सिंह	बखोरापुर	बड़हरा	6200030320

अनुलग्नकः— 03

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना— 800001

विषय :— आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।
जिला :— भोजपुर
दिनांक :— 05—06 जून, 2018

मास्टर ट्रनर्स की सूची

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	नाम (Name)	पदनाम (Designation)	पंचायत का नाम (Name of Panchayat)	मोबाईल नं0 (Mobile Number)
1	सदर आरा	श्री जय प्रकाश मिश्रा	सरपंच	बसंतपुर	9955005838
2	कोईलवर	श्री चन्द्र किशोर राय	मुखिया	भदवर	9472456630
3	कोईलवर	श्री चरण सिंह	सरपंच	भदवर	8409862040
4	उदवंतनगर	श्री लाल बहादुर सिंह	सरपंच	कसाप	8083012311 6202865972
5	गड़हनी	श्री लव कुमार प्रसाद	सरपंच	गड़हनी	9204277230
6	अगिआँव	श्री बसन्त दास	सरपंच	नारायणपुर	9708441124
7	सहार	श्री गोरख कुमार	मुखिया	सहार	9931600309
8	सहार	श्री नितेश कुमार	सरपंच	कोरनडिहरी	9955849973
9	संदेश	श्रीमती शिवकुमारी देवी	सरपंच	अहपुरा	8757065575
10	जगदीशपुर	श्री राम बचन सिंह	सरपंच	दलीपपुर	9504588580
11	शाहपुर	श्री संजय कुमार सिंह	मुखिया	सरना	9931876155
12	शाहपुर	श्री बिनोद कुमार मिश्रा	सरपंच	भरौली	9661231748
13	चरपोखरी	श्री ब्रहमेश्वर पाण्डेय	मुखिया	मुकुदपुर	9939689626
14	चरपोखरी	श्री शिव कुमार साह	सरपंच	पसउर	8809771752
15	तरारी	श्री बुटन राम	मुखिया	बड़कागाँव	9801129651
16	तरारी	श्री अवध सिंह	सरपंच	तरारी	9708510843
	12—13 जून 2018 (जो दिनांक 05—06 जून, 2018 को अनुपस्थित थे)				
17	पीरो	विजय कुमार सिंह	सरपंच	बचरी	8873736430
	दिनांक 26—27 जून 2018 (जो दिनांक 05—06 जून, 2018 को अनुपस्थित थे)				
18	उदवंतनगर	अभय कुमार सिंह	मुखिया	कुसुम्हाँ	9431682027
19	सन्देश	मनोज कुमार यादव	मुखिया	जमुआँव	9334325044
20	जगदीशपुर	सुषुम लता	मुखिया	दांवा	9123298900

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	नाम (Name)	पदनाम (Designation)	पंचायत का नाम (Name of Panchayat)	मोबाईल नं0 (Mobile Number)
21	आरा सदर	हरेन्द्र प्रसाद यादव	मुखिया	सनदिया	8409864321
22	बिहियां	बिजेन्द्र मिश्र	मुखिया	कटेया	9386240265
	दिनांक 03–04 जुलाई 2018 (जो दिनांक 05–06 जून, 2018 को अनुपस्थित थे)				
23	बड़हरा	वीरेन्द्र बहादुर सिंह	मुखिया	बड़हरा	9430415431
24	बड़हरा	इन्द्रजीत सिंह	सरपंच	बड़हरा	9430848827
	दिनांक 07–08 अगस्त 2018 (जो दिनांक 05–06 जून, 2018 को अनुपस्थित थे)				
25	पीरो	सुचित्रा देवी	मुखिया	रजेयाँ	9430575275
26	अगिआँव	बमभोला प्रसाद	मुखिया	नौनऊर	8084771071
	दिनांक 16–17 अगस्त 2018 (जो दिनांक 05–06 जून, 2018 को अनुपस्थित थे)				
27	बिहियां	राज किशोर ओझा	सरपंच	कटेयाँ	7654995141

2-8-18

अनुलग्नकः— 04

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, पटना— 800001

विषयः— नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स की सूची

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	पता	जिला	मोबाईल नं0
1	जितेन्द्र बिंद	स्व बबन सिंह	ळेमतपुर, मैनपुर	आरा(भोजपुर)	9470222024
2	संजय बिन्द	सुरज बिन्द	नियाजीपुर गरजन पाठन के डेरा	आरा (भोजपुर)	9939591090
3	मनोज यादव	गौरी शंकर यादव	क्रमानेपुर	आरा (भोजपुर)	8969016186
4	सुनील कुमार यादव	दामोदर यादव	नया सेमरिया	आरा (भोजपुर)	8507352469
5	कृश्णा कुमार	जय प्रयाग प्रसाद	ज्ञानपुर	आरा (भोजपुर)	9504020490

अनुलग्नकः— 05

बाढ़ के मद्देनजर चयनित शरण स्थलों की अंचलवार सूची			
अंचल का नाम	पंचायत का नाम	शरण स्थल की सूची	
बड़हरा	ख्वासपुर	1	उच्च विद्यालय ख्वासपुर, मध्य विद्यालय ख्वासपुर
		2	मध्य विद्यालय कचहरी का टोला
		3	मध्य विद्यालय खखन टोला
		4	मध्य विद्यालय हजारी का टोला
	सोहरा	5	मध्य विद्यालय पिपरपांती
		6	उच्च विद्यालय बलुऑ
	बलुऑ	7	उच्च विद्यालय बलुऑ
	नरगदा	8	उच्च मध्य विद्यालय नूरपुर
	सिन्हा	9	सिन्हा यज्ञशाला
	गजियापुर	10	उच्च विद्यालय गजियापुर
		11	मध्य विद्यालय गजियापुर
		12	बुनियादी विद्यालय फरदहा
	नथमलपुर	13	प्राथमिक विद्यालय बालूचक
	पकड़ी	14	उच्च विद्यालय सरैयॉ, मध्य विद्यालय सरैयॉ
	सरैया	15	उच्च विद्यालय सरैयॉ, मध्य विद्यालय सरैयॉ
	पं0 गुण्डी	16	बुनियादी विद्यालय बभनगांवा
	पूर्वी गुण्डी	17	उच्च विद्यालय गुण्डी
		18	उच्च म0 विद्यालय गुण्डी
	बखोरापुर	19	प्रखण्ड मुख्यालय बडहरा
	नेकनामटोला	20	पंचायत सरकार भवन सेमरियॉ—पड़रिया
	सेमरिया पड़रिया	21	प्रखण्ड मुख्यालय बडहरा
	एकौना	22	प्रखण्ड मुख्यालय बडहरा
	बड़हरा	23	प्रखण्ड मुख्यालय बडहरा
	मटुकपुर	24	उच्च विद्यालय मटुकपुर
	पूर्वी बबुरा	25	मध्य विद्यालय फुहॉ
	पं0 बबुरा	26	उच्च विद्यालय बबुरा
	विशुनपुर	27	प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर
	फरना	28	मध्य विद्यालय फरना
उदवन्तनगर	छोटी सासाराम	29	उच्च विद्यालय छोटी सासाराम
	कारीसाथ	30	पंचायत सरकार भवन कारीसाथ
	मसाढ़	31	उच्च विद्यालय मसाढ़
	नवादा बेन	32	रेलवे स्टेशन नवादा बेन
	बामपाली	33	उच्च विद्यालय बामपाली
	कारीसाथ असनी	34	चौकीपुर बॉध
शाहपुर	दामोदरपुर	35	उत्क्रमित उच्च विद्यालय जवईनियां
		36	बांध पर दामोदरपुर
	गौरा	37	गौरा बांध पर
		38	उ0 वि0 पहरपुर
	करजा	39	म0 वि0 उमरावगंज
	लहंग—डुमरियां	40	मध्य विद्यालय लहंग डुमरिया
	झौवां—बेनवलियां	41	उच्च विद्यालय झौवां
		42	पंचायत भवन झौवां

	बिलौटी	43	उच्च विद्यालय बिलौटी
		44	मध्य विद्यालय बिलौटी
	हरिहरपुर	45	मध्य विद्यालय हरिहरपुर
	बरिसवन	46	उच्च विद्यालय बरिसवन
	नगर पंचायत शाहपुर	47	उच्च विद्यालय शाहपुर
		48	मध्य विद्यालय शाहपुर
		49	प्रखण्ड मुख्यालय शाहपुर
	भरौली	50	पंचायत भवन भरौली
		51	उच्च विद्यालय भरौली
		52	प्राथमिक विद्यालय टिकठी
		53	मध्य विद्यालय महरजा
	सुहियां	54	अनु0 जाति टोला वार्ड न0–10
	प्रसौण्डा	55	उच्च विद्यालय सोनवर्षा
		56	मध्य विद्यालय सोनवर्षा
	खुटहां	57	उच्च विद्यालय करनामेपुर
		58	मध्य विद्यालय करनामेपुर
	देवमलुपर	59	मध्य विद्यालय रमदतही
	ईश्वरपुरा	60	मध्य विद्यालय ईश्वरपुरा
		61	प्राथमिक विद्यालय मानसिंहपुर
		62	प्राथमिक विद्यालय रामचन्द्र सेमरियां
	लालु डेरा	63	उत्क्रमित उच्च विद्यालय लालु डेरा
		64	लालु डेरा बांध पर
		65	मध्य विद्यालय माधोपुर
		66	मध्य विद्यालय कदमडेरा
		67	मध्य विद्यालय महुआर बाबु टोला
	सहजौली	68	उच्च विद्यालय सहजौली
आरा सदर	वार्ड न0–1	69	प्रा0वि0 सिंगहीकला
	मखदुमपुर डुमरा	70	उ0म0 शोभी डुमरा
	पिरौटा	71	बुनियादी म0वि0 पिरौटा, प्रशिक्षण केन्द्र पिरौटा
	ईजरी	72	म0वि0 ईजरी
	बरजा	73	म0वि0 बरजा दो मंजिला
		74	झौवा उच्च विद्यालय
	अगरसण्डा	75	उ0म0वि0 पवट
		76	प्रा0 स्वा0 केन्द्र बेहरा
	धमार	77	म0वि0 धमार
	खजुरियॉ	78	म0वि0 धमार
	बाधीपाकड़	79	राजकीयकृत म0वि0 हेमतपुर
	कडारी	80	मध्य वि0 धोबहॉ बाजार
		81	उ0वि0 कडारी
	बसंतपुर	82	म0वि0 बसंतपुर
	महुली	83	कन्या म0वि0 महुली
		84	उ0वि0 सैदपुर
	भकुरा	85	म0वि0 भकुरा
		86	प्रा0वि0 बसंतपुर
	दौलतपुर	87	उ0वि0 लक्ष्मणपुर
बिहियॉ	दोघरा	88	तेघरा पंचायत भवन एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष
		89	भोजाचक (भोजाचक्र मखदुम बाबा के मजार के पास)
		90	अमराई–नवादा–आरा बक्सर मुख्य सड़क से सटे मध्य विद्यालय नवादा

		91	राम लगन लाल के टोला–राम लगन के टोला से 200 मीटर उत्तर मध्य विद्यालय के पास।
		92	मध्य विद्यालय दोघरा
		93	मध्य विद्यालय तेघरा
	कल्याणपुर	94	कल्याणपुर गॉव में वार्ड न0–10 में चिन्मयान्द सिन्हा के हाता में
		95	बॉधा दक्षिण बगीचा के पास
		96	उच्च विद्यालय कल्याणपुर
		97	प्रा0 विद्यालय बांधा
		98	प्रा0 विद्यालय नारायणपुर
		99	प्रा0 विद्यालय मोतीरामपुर
		100	प्रा0 विद्यालय बासदेवपुर
	रानीसागर	101	भेडिया मिडिल स्कूल के पास
		102	पंचायत सरकार भवन रानीसागर
		103	उ0म0विद्यालय रानीसागर
		104	उ0म0विद्यालय कुण्डेसर
	पीपरा जगदीश	105	बिहियॉ चौरस्ता से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर बारा गॉव में बगेश्वर राम के मकान के पास
		106	सामुदायिक भवन के पास अतु लाल के मकान के सामने
		107	म0 विद्यालय बारा
		108	पंचायत सरकार भवन पिपरा जगदीश
		109	प्रा0 विद्यालय संडौल
		110	प्रा0 विद्यालय अन्दौली
	फिनंगी	111	काली स्थान मखदुमपुर
		112	पश्चिम बगीचा नारायणपुर
		113	बेलौना मुखिया जी के घर के पास
		114	रामपुर गॉव के पश्चिम दिशा में
		115	प्रा0 विद्यालय खरौनी
		116	प्रा0 विद्यालय धरहरा
कोईलवर	ज्ञानपुर	117	बिरमपुर हाई स्कुल
		118	ज्ञानपुर ग्राम से पूरब तरफ बॉध पर उत्तर तरफ
		119	ज्ञानपुर ग्राम से पूरब तरफ बॉध पर दक्षिण तरफ
	बिन्दगॉवा	120	राजापुर हाई स्कुल
		121	प्रा0 विद्यालय बिन्दगॉवा
		122	बिन्दगॉवा ग्राम के दक्षिण स्थित बांध
कुल योगः–			**122**

जिला आपदा प्रबंधन योजना, भोजपुर

+ + + + + +